6 दिसम्बर 1993
अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय सूची

माला, खंड 26, आठवां सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 3, सोमवार, 6 दिसम्बर, 1993/15 अग्रहायण, 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		2-22
*तारांकित प्रश्न संख्या	41 से 43	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	44 से 46 और	22-51
	48 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या	381 से 483	51-250
	485 से 499	
	501 से 555	
	557 से 563	
	565 से 586 और	
	588 से 610	
मंत्री का परिचय		252
6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किए जाने के बारे में		253-270

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	270-277
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) डाक कर्मचारी संघों द्वारा हड़ताल की सूचना	277
श्री सुखराम	
(दो) 5-6 दिसम्बर, 1993 को पांच प्रतिष्ठित यात्री गाड़ियों में हुए बम विस्फोट	306
श्री सी. के. जाफर शरीफ	
विधेयको पर राष्ट्रपति की अनुमति	279-280
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	280
चौदहवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति	281
छठा प्रतिवेदन - सभा पटल पर रखा गया	
प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति	281-282
समिति में राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त किए जाने के बारे में प्रस्ताव	
स्वीकृति के लिए प्रस्ताव	
श्री राम निवास मिर्धा	281
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	281
भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक - पुरःस्थापित	282
भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण	283
श्री एस. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 283-300

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एच. आर. भारद्वाज 283

श्री जार्ज फर्नान्डीज 283

श्री जसवन्त सिंह 291

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश द्वारा विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण 300

श्री एच. आर. भारद्वाज

राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक - पुरःस्थापित 300

नियम 377 के अधीन मामले 301

(एक) राजस्थान में जयपुर-टोडारायसिंह से नाथद्वारा तक केकड़ी शाहपुरा और भीलवाड़ा होते हुए जाने के लिए प्रस्तावित रेल संपर्क को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता 301

श्री शिवचरण माथुर

(दो) राजस्थान में बीकानेर तथा राज्य के अन्य भागों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को समुचित धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता 301

श्री मनफूल सिंह

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता 304

प्रो. रासा सिंह रावत

(चार)	मध्य रेलवे के रूट पर दिल्ली-मुम्बई वी.टी. के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता	305
	श्री विजय एन. पाटील	
(पांच)	केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	305
	श्री थाइल जान अंजलोज	

व्यापार वार्ता संबंधी डंकल प्रारूप के निहितार्थों के बारे में प्रस्ताव 307-354

श्री प्रणव मुखर्जी	307
श्री जसवन्त सिंह	310
श्री पी. चिदम्बरम	320
श्री नीतिश कुमार	340

कार्य मंत्रणा समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत 354

लोक सभा

सोमवार, 6 दिसम्बर 1993/15 अग्रहायण, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को दुखपूर्वक यह सूचित करता हूं कि भूतपूर्व संसद-सदस्य तथा भूतपूर्व विदेश राज्य मंत्री का निधन हो गया है।

श्री कुन्डू गत कुछ माह से बीमार थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इलाज करवा रहे थे। आज तड़के उनका निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे।

वह चौथी, छठी तथा नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह अगस्त, 1977–जुलाई, 1979 के दौरान विदेश राज्य मंत्री थे। उन्होंने संसदीय वाद-विवाद में बहुमूल्य योगदान दिया। ग्रामीण विकास, शिक्षा, पारिस्थितिकी पर्यावरण, मजदूर संघ आन्दोलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी विशेष रुचि थी। वह प्राक्कलन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति जैसी विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। वह पर्यावरण तथा वन संबंधी समिति के सभापति थे। वह इस्पात संबंधी परामर्शदर्शी समिति तथा परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परामर्शदात्री समितियों के भी सदस्य थे।

श्री कुन्डू आदिवासियों तथा गरीब ग्रामीणों के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास तथा प्रौढ़ शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए अत्यधिक सक्रिय रहे। वह अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे।

उन्होंने अनेक यात्राएं की थी और 1968 में टोक्यों में हुई विश्व युवा कान्फ्रेंस, हरारे में हुई 36 वीं राष्ट्रमंडल संसदीय कान्फ्रेंस तथा अक्तूबर, 1990 में उत्तरी कोरिया में हुई पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी संबंधी विश्व कान्फ्रेंस सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंसों में भाग लिया।

हमें इस मित्र के निधन पर बहुत दुख है। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ सभा भी श्रीमती कुन्डू तथा शोक संतप्त परिवार के अन्य सदस्यों को अपना शोक व्यक्त करेगी।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी रहे।

11.03 म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम प्रश्नकाल में व्यवधान नहीं डालना चाहते। लेकिन तीन रेलगाड़ियां–मुम्बई राजधानी, कलकत्ता राजधानी तथा ए.पी. एक्सप्रैस में आज सुबह एक साथ तीन विस्फोट हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि रेल मंत्री यहां पर नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यथा संभव शीघ्र इस सभा के समक्ष एक वक्तव्य रखें।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : भोजन यान में भी आग लगी है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कुछ माननीय सदस्य राजधानी एक्सप्रैस से यात्रा करते रहे हैं।

श्री राम नाईक : वक्तव्य दिया जाना चाहिए क्योंकि बम विस्फोटों की अनेक घटनाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में इसे उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभ्री मामला है, बहुत चिंताजनक मामला है और इसके बारे में सदन को कोई जानकारी नहीं दी गई हैं। यह दुर्घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा के निकट घटी है, हमको इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर क्या हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : आपका निर्वाचन क्षेत्र है, फिर भी इस मामले को बाद में उठाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : तीन डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। रेल मंत्री आए और वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में भी उठा सकते हैं।

11.06 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

[अनुवाद] +

*41. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में साईप्रस में लिमासोल में हुए राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस मामले में भारत के दृष्टिकोण पर अन्य सदस्य-देशों का क्या रुख था;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों तथा मीडिया के लोगों को भारत विरोधी सामग्री वितरित की गई थी;

(घ) क्या पाकिस्तान द्वारा कुछ समय पहले भी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने के प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के कार्यकारी अधिवेशन के दौरान 22 अक्तूबर, 1993 को हस्तक्षेप करते हुए पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने सोमालिया से लेकर जम्मू-कश्मीर तथा बोस्निया तक क्षेत्रीय तनावों का उल्लेख किया और कहा कि यह आवश्यक है कि इन संघर्षों का संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जरिए समाधान किया जाए।

राष्ट्रमंडल की परम्परा के अनुसार चोगम में द्विपक्षीय मसले नहीं उठाये जाते, के अनुसरण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर का उल्लेख किए जाने के प्रति कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं की। अपने हस्तक्षेप में वित्त मंत्री ने हमारी इस उम्मीद की ओर इशारा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे मसलों को उत्तरोत्तर सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री ने जिस द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव किया है उसकी सफलता को नकारात्मक प्रचार द्वारा अथवा अनिवार्यतः द्विपक्षीय मसलों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दिए जाने के प्रयासों द्वारा दूषित नहीं किया जाएगा।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जिस संयम से काम लिया उसकी चोगम में भाग ले रहे अन्य सदस्यों ने बहुत सराहना की।

21 अक्तूबर, 1993 में लीमासोल में आधिकारिक मीडिया केन्द्र ने संवाददाताओं को भारत-विरोधी प्रचार सामग्री बांटी थी।

पाकिस्तान विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मसले को उठाया रहा है तथा भारत-विरोधी प्रचार करता रहा है। इस मसले को जून, 1993 में विएना मानवाधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अधिवेश तथा ओ आई सी की विभिन्न बैठकों में उठाया गया था। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति में कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ एक प्रारूत संकल्प पेश करने का

भी प्रयास किया है।

पाकिस्तान के कुप्रचार तथा द्विपक्षीय मसलों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के उसके प्रयासों का प्रतिकार करने के लिए सरकार उचित कदम उठाती रही है। आज भारत सरकार बराबर यह कहती रही है कि पाकिस्तान को ऐसे प्रयास छोड़ देने चाहिए और सभी मसलों को शिमला समझौते के अनुसार शांतिपूर्वक तथा द्विपक्षीय आधार पर हल करने के लिए भारत द्वारा निष्ठापूर्वक किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अफसोसजनक बात है कि पाकिस्तान द्विपक्षीय मसले विशेषकर जम्मू-कश्मीर को सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर इनका दुरुपयोग कर रहा है। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक में 22 अक्तूबर, 1993 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया और सोमालिया से जम्मू-कश्मीर तथा बोस्निया का उल्लेख करते हुए एक संकल्प पारित करने पर जोर दिया जबकि इससे पूर्व हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुने जाने के बाद इस द्विपक्षीय मसले पर चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि उन्होंने इस बारे में परस्पर बातचीत करने और इस मुद्दे तथा अन्य समस्याओं को हल करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था लेकिन उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने जब यह मामला इस बैठक में उठाया तब हमारे वित्त मंत्री वहां मौजूद थे और इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसी कार्यवाही के खिलाफ हर समय भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

महोदय, मीडिया के लोगों में कुछ पर्चे, प्रचार सामग्री वितरित की गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन भारत विरोधी प्रचार सामग्री में क्या था और भारत सरकार ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की।

श्री आर.एल. भाटिया : अध्यक्ष महोदय, यह एक तथ्य है कि श्रीमती भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में उठाया था। उन्होंने सोमालिया से जम्मू-कश्मीर तथा बोस्निया में व्याप्त तनाव का उल्लेख किया और कहा कि यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत इन संघर्षों का समाधान किया जाए। हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अपने हस्तक्षेप में उत्तर दिया और आशा व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे मुद्दों को उत्तरोत्तर सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री ने जिस द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव किया है उसकी सफलता को नकारात्मक प्रचार अथवा इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के प्रयास करके दूषित नहीं किया जाएगा।

महोदय, जहां तक प्रचार सामग्री वितरण का उनका दूसरा मुद्दा है तो यह सामग्री वहां वितरित की गई थी और यह सच है कि जैसे ही प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, उन्होंने प्रचार सामग्री बांट दी। हमने तुरन्त विरोध किया ....**(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी : किसे?

श्री आर.एल. भाटिया : हमने स्थानीय सरकार तथा राष्ट्रमंडल सचिवालय दोनों को विरोध व्यक्त किया। इसके फलस्वरूप इस सामग्री का वितरण रोक दिया गया।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, देश भर में हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने

और प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान के प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के बारे में जानते हैं। भारत सरकार के प्रवक्ता ने अनेक बार यह कहा है कि ऐसे कार्य जैसे कि आंतकवादियों को प्रशिक्षण देना, जम्मू-कश्मीर में गतिविधियों को बिगाड़ने के लिए लोग भेजना तथा सामग्री भेजना और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना हमारी सीमा में किए जा रहे हैं। इन्हें मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो इन मुद्दों को उचित मंचों पर उठाकर विश्व संस्था तथा अन्य देशों को सूचित करने के लिए क्या कार्यवाही की है? उनकी प्रतिक्रिया क्या है?

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, यह सच है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को मदद देने और इसमें लिप्त होना जारी रखे हुए है। इस संबंध में हमने यहां पर विभिन्न देशों के स्थानीय मिशनों को पहले ही सूचित किया है। न्यूयार्क स्थित हमारा मिशन भी वहां पर सभी सरकारों तथा मिशनों को इस बारे में अवगत करा रहा है। यहां देश में आने वाले मेहमानों से द्विपक्षीय बैठकों के दौरान में तथा मेरे साथी सलमान खुर्शीद उन्हें सूचित करते रहे हैं। इसी प्रकार अन्य तरीकों से जैसे उन्हें पत्रक देकर और कश्मीर में वास्तविक स्थिति से अवगत करा कर हमारे मिशन भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : पाकिस्तान दुनिया में भिन्न-भिन्न जगहों पर भारत के खिलाफ प्रचार कर रहा है, यह बात संसद को पता है। अगले महीने दोनों देशों के सचिवों की बैठकों के सिलसिले में भारत सरकार के सचिव ने अपने बयान में कम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल किया कि वह करेंगे। जब भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी ऐसी बातचीत करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से हमारा देश अमरीका और अन्य जगह पर इसका विरोध कर रहा है उससे लगता है कि हमारे प्रचार तंत्र में खामियां हैं जिसके चलते यह सब हो रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से अमरीका में हमारे खिलाफ लाबी तैयार कर रहा है हम वैसी नहीं कर पाये हैं। इसलिए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह लाबी तैयार कर रहा है उसके बारे में सरकार सदन को क्या जानकारी देगी?

श्री आर.एल. भाटिया : हमारे विदेश सचिव ने कम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल किया हैं, यह बात गलत है, उसका खण्डन आ चुका है ओर यह मिसरिपोर्टिंग है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमरीका में पाकिस्तान का हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा बहुत जोरों पर है। पर इसके बारे में हम भी लाबी तैयार कर रहे हैं और बड़ी जल्दी इस बात का फैसला किया जायेगा और पाकिस्तान ने पिछ्ले दिनों भारत के खिलाफ और खासकर कश्मीर के खिलाफ तैयारी की है उसका कड़ाई से मुकाबला किया जाये।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, हम सभी भलीभांति जानते हैं कि पिछ्ले अनेक वर्षों से पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और वह इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन हमारी ओर से कुछ नहीं किया गया। मेरे विचार से इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय अथवा रक्षा मंत्रालय के बीच समन्वय का अभाव रहा। हजरत बल मामले के दौरान यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई जब अनेक घटनाओं के लिए सभी मंत्रालयों ने परस्पर विरोधी रवैया अपनाया। पाकिस्तान की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि दरगाह को नुकसान पहुंचाया जाए, एक जाल बिछाया जाए तथा हमारे रक्षा बलों को आक्रमण करने के लिए मजबूर किया जाए। यह अच्छी बात है कि सरकार उस जाल में नहीं फंसी और स्थिति से

प्रभावी रूप से निपटी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न के बारे में ही पूछिए।

श्री सुधीर सावन्त : लेकिन मंत्रालयों अधिकांश व्यक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। मेरा प्रश्न यह है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क तथा प्रिंट मीडिया के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है। उन्होंने हजरत बल का मुद्दा उठाया है। हजरत बल मामलें में जो परिणाम सामने आए, वह गृह मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। भारत सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य किया है। पाकिस्तान ने देश के बाहर हजरत बल मुद्दे का काफी प्रचार किया। चूंकि हमने धैर्य से और सौहार्दता पूर्ण तरीके से इस मसले का समाधान किया और हमें इसमें सफलता मिली, पाकिस्तानी कुचेष्टा कामयाब नहीं हो सकी और इसकी सभी जगह प्रशंसा की गई।

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात सभी देशों को स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान का कश्मीर से कुछ लेना-देना नहीं है और इसीलिए वह यहां-वहां छोटे-मोटे कुप्रयासों में लगा रहता है। मेरे विचार से हमें इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। इसमें केवल प्रचार ही होता है। हमें यह दृढ़ रवैया अपनाए रखना चाहिए और हमें उसकी इन छोटी-मोटी बातों से नहीं घबराना चाहिए जो केवल प्रचार करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए ही की जाती हैं। हमें उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष जी, पाकिस्तान लगातार कश्मीर के बारे में प्रोपेगंडा और भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने के लिए हर इंटरनेशनल फोरा का इस्तेमाल कर रहा है। अभी हाल ही में ढाका की आज की खबर है कि वहां पर भी सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे भी इस बात को उठाया है और हमारा हर दफा यह कहना कि हम विरोध करते हैं, पेपर तैयार कर रहे हैं, उनको शिकायत करते हैं। जाहिर है कि जो आपका रियेक्शन है, आपका जो काम है, वह कर रहे हैं लेकिन उससे पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह बराबर अपना प्रोपेगंडा जारी रख रहा है। आप कृपया यह बतायें कि क्या भारत सरकार आज इस स्थिति में है, इस बात में कैपेबल है कि कोई एक्शन ले ताकि आप पाकिस्तान को मजबूर कर सकें कि इस प्रकार का प्रोपेगंडा न कर सके या आप सिर्फ डिप्लोमैटिक नाईसिटीज में रहेंगे कि हम हर दफा विरोध पत्र दे दें और आपका काम .खत्म हो जाये?

श्री आर.एल. भाटिया : यह बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान हर इंटरनेशनल फोरा में कश्मीर का मामला उठाता है और भारत विरोधी बातें करता है। आपने ढाका का जिक्र किया। चौधरी साहब बैठे हैं, ये प्रीजाइड कर रहे थे, उन्होंने बिफिट्टिंग रिप्लाई उसी वक्त दे दिया। जब भी इंटरनेशनल फोरा में पाकिस्तान यह सवाल उठाता है तो भारत उसका जोर से मुकाबला करता है और उसका जवाब देता है। जहां तक आपने डिप्लोमैटिक नाईसिटीज की बात कहीं, उसके बारे में मेरा कहना है कि यह

हमारा फर्ज बनता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, वह दूसरे लोगों को समझाये और उनको इस बात के लिये तैयार करें कि पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा है, वह गलत है। हमारा यह ख्याल है कि बहुत से मुल्क इस बात को एप्रिशिएट करते हैं कि भारत का रोल जो है, उसको हम समझा रहे हैं। यू ही शोर मचाने से कोई फायदा नही है और मेरा भी ख्याल है कि जैसा मिनिस्टर साहब श्री दिनेश सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान की किसी बात पर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको इंग्नोर करें। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हैं।

[अनुवाद]

मेजर श्जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : यह अज्ञानता दुर्बलता के कारण है न कि सुदृढ़ता के कारण। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अयूयर : अध्यक्ष महोदय, क्या हम माननीय मंत्री से यह आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जनवरी, 1994 से विदेश सचित स्तर की जो बातचीत प्रांरभ होने वाली है और उसमें जम्मू और कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है, उसे जारी रखा जाएगा, उसमें अनावश्यक व्यवधान नहीं डाला जाएगा ताकि समय बीतने के साथ-साथ हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि हम अपने नजदीकी पड़ोसी पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत करते रहे और बिना किसी तीसरे पक्ष का समर्थन लिए हम आपस में बातचीत द्वारा कोई समाधान ढूंढ लें।

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, हमेशा हमारी यह नीति रही है कि हम बातचीत द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मामलों को सुलझा लें। पहले भी यही कोशिश की गई है और अब भी हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बातचीत हो सकती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत चल रही है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि यह द्विपक्षीय मामला है। इस पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी और हमारी द्विपक्षीय बातचीत में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हमने यह बात देखी है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। स्वाभाविक है कि जब भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया, हमने इसका प्रतिरोध किया है लेकिन मेरा यह कहना है कि इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान सभी मंचों पर ऐसे मुद्दे उठाएगा, तो इसके लिए हम सम्मेलन से पूर्व की किस स्तर की कूटनीति अपना रहे हैं? क्या हम आयोजकों को अथवा सम्मेलन के प्रायोजकों को यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे हथकंडे अपनाएगा और उन्हें सम्मेलन शुरू होने से पहले ही अपने सदभाव का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को ऐसा करने और सम्मेलन का वातावरण बिगाड़ने से रोकना चाहिए?

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, हमेशा ऐसा ही होता रहा है कि जब भी कोई सम्मेलन होता है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान यह मुद्दा उठाएगा, इसलिए हम भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को अपने विचारों से अवगत कराते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है। इस बारे में पहले ही बताया जा चुका है और राष्ट्रमंडल सम्मेलन के दौरान भी इसे स्पष्ट किया गया था।

दूरसंचार नेटवर्क

*42. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार नेटवर्क के संचालन, रख-रखाव और विस्तार के कार्य में बहुतर्राष्ट्रीय कम्पनियों का सहयोग लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम फैसला कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त भाग (क) में दिये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत अस्पष्ट उत्तर है क्योंकि दूरसंचार के संचालन, रख-रखाव और विस्तार को उत्पादन से अलग नहीं किया जा सकता है। मैं दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने क्या है :

> "हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा देश के भीतर ही धन आकर्षित करने के लिए दूरसंचार के सभी क्षेत्रों में बहु प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हम दोनों ओर से धन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।"

उन्होनें यह वक्तव्य दिया था, लेकिन मंत्री महोदय का उत्तर अस्पष्ट है। मेरा विशिष्ट मुद्दा यह है कि इसे उत्पादन से अलग नहीं किया जा सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले ही 85% घरेलू बाजार पर कब्जा किया हुआ है और कल पुर्जे बनाने वाले अनेक स्वदेशी निर्माताओं को, जिनकी संख्या 35 है, दूरसंचार उपस्कर जैसे स्थल पर उपयोग के आने वाले उपकरण इलैक्ट्रानिक उपकरण, ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज, अधिष्ठापन उपकरण आदि की आपूर्ति के लिए क्रयादेश प्राप्त नहीं हो रहे हैं? उन्हें दूरसंचार विभाग से पिछले छः माह के दौरान कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सत्य है। यदि यह सत्य है तो स्वदेशी उद्योग को चलाने और समृद्ध करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्री सुंख राम : अध्यक्ष महोदय, दूरसंचार सेवाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक मूल सेवा और दूसरी मूल्यवर्धित सेवा है। जहां तक मूल्य वर्धित सेवा का संबंध है, हमने मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र से संपर्क करने का निर्णय लिया है। लेकिन जहां तक मूल सेवा का संबंध है हमें अभी यह निर्णय लेना है कि क्या इसके लिए हम निजी क्षेत्र से संपर्क करें। यह एक बहुत बड़ा निर्णय है और केवल मंत्रिमंडल ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। हमने

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाई है और इसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जा चुका है। इस संबंध में कुछ बैठकें भी हो चुकी हैं। संशोधित दूरसंचार नीति भी भेजी जा चुकी है। और जांच समिति ने उसकी जांच कर ली है। अतः दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष ने जो कुछ भी कहा है, उस संबंध में जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती है, इसे उनका व्यक्तिगत विचार माना जाए।

जहां तक स्वदेशी उद्योगों का संबंध है मैं नहीं मानता कि उन्हें नुकसान हो रहा है और हम संरक्षण नहीं प्रदान कर रहे हैं। बड़ी अंक प्रणाली, जो आधुनिकतम स्विचिंग प्रौद्योगिकी है, की हमारे देश में आवश्यकता है। निःसंदेह भारतीय कंपनियां ही यह कार्य कर रही हैं और वह उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर यह कार्य कर रही हैं जो इस देश में पंजीकृत हैं। हम देख रहे हैं कि इसे एक बार आयात करना पड़ेगा क्योंकि ये नई प्रौद्योगिकियां हैं। लेकिन उसके बाद उन उपकरणों को देश में ही बनाना होगा।

जहां तक स्वदेशी उद्योगों का संबंध है, उनके हितों का सही संरक्षण दिया जा रहा है। उनको आशय पत्र देने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन दूरसंचार क्षेत्र के लिए वे जिस उपकरण का भी निर्माण कर रहे हैं, हम उन्हें उनसे खरीद रहे हैं और इस प्रकार उनके हितों को संरक्षण प्रदान करते हैं। हमने देश में जो आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रारंभ किया है, उसके लिए वे यह उद्योग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे हमारे अपने उद्योगों के साथ उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी।

श्री हन्नान मोल्लाह : इस प्रस्तावित नीति के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उद्योग स्थापित करने, मूल्य वर्धित सेवा के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने और शुल्क दर ढांचे का मापदंड अपनाने के लिए अपना स्पष्ट दृष्टिकोण बना लिया है?

क्या आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करने हेतु स्वदेशी एककों के लिए स्तरीय क्षेत्र के कार्यो के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं?

श्री सुख राम : जैसा कि सभा जानती है कि हमारे आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे समक्ष वित्तीय बाधाएं हैं। उदाहरण के लिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 75 लाख लाइनें बिछाने के लिए हमें 40,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरे विचार से देश की मांग को देखते हुए यह संख्या बहुत कम है। लेकिन इस वित्तीय आवश्यकता के स्थान पर हमें केवल 25,000 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए और शेष राशि महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा जारी किए गए बांडों के माध्यम से एकत्र की जाएगी। हम अन्य स्त्रोतों से भी धन एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में हम अथक प्रयास कर रहे हैं। अब एक संभावना है। हमने कैबिनेट को अनुमोदन के लिए इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है कि निजी क्षेत्र को किस हद तक शामिल किया जाए। जैसा कि आपने बताया है कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इसकी उन्हें किस हद तक अनुमति दी जा सकती है, इसका पता लगाने के लिये जांच की जा रही है। निःसंदेह उन कंपनियों को हमारे कानून के अनुसार यहां देश के भीतर पंजीकरण कराना होता है। इस बात का पता लगाया जा रहा है किस हद तक उन्हें मूल्य सेवाएं मुहय्या कराने में भाग लेने दिया जाए। मैं इस समय इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस बारे में निर्णय तो कैबिनेट को लेना है।

एक माननीय सदस्य : आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? **(व्यवधान)**

श्री सुखराम : जहां तक उद्योगों का संबंध है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। उन नई प्रौद्योगिकियों जिनका हम आयात कर रहे हैं, के द्वारा हो सकता है कि, वे कुछ उपकरणों का निर्माण कर रहे हों। ये तो उनसे खरीदने ही पड़ेंगे। हम इस देश में प्रौद्योगिकी के आगमन को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अमरीकी कंपनियों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शुल्क निर्धारित करने की छूट देगी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दूसरे क्या सरकार निवेश पर लाभ की दोहरी दर के लिए कोई प्रावधान करने जा रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

श्री सुख राम : मैं नहीं समझता यह संभव है कि किसी भी कंपनी को किसी भी तरह का शुल्क लगाने की अनुमति दी जाए। दूरसंचार विभाग को एक विनियमात्मक प्राधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होता है। अतः यह उपबंध किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो सी-डॉट टेक्नौलॉजी से कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उन्हें डीओटी से पिछले छः महीने से कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं और उनमें रिट्रेंचमेंट हो रहा है, तो क्या इन कंपनियों को डीओटी से ऑर्डर मिलेंगे?

श्री सुख राम : मैंने पहले ही कहा है कि अध्यक्ष जी कि उनको ऑर्डर मिले हैं, यह जरूर है कि टेंडर फ्लोट करने में, टैक्नोलॉजी और फायनेंश्यल आस्पैक्ट को एग्जामिन करने में थोड़ा समय लग जाता है। अब तो लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है जिसकी जो मरजी हो, वह इंडस्ट्री लगा सकता है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम ले रहे हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका एक प्रतिशत से ज्यादा हमारा इम्पोर्ट नहीं है। इसलिए जब हमारा इम्पोर्ट नहीं है और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम इन इंडस्ट्रीज से खरीद रहे हैं। जब तक हम दूसरी टैक्नोलॉजी अपना नहीं लेते हैं तब तक तो हमें इन्हीं इंडस्ट्रीज से लेना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, माननीय मंत्री अंतिम निर्णय लेने के बाद भी इस सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तुतः कर्मचारी संघों ने एक रिपोर्ट रखी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 40,000 करोड़ रुपयों के निवेश की परिकल्पना की गई है जिसमें से 29,000 करोड़ रुपये आंतरिक रूप से जुटाएं जायेंगे?

इससे देश में टेलीफोनों की कुल उपलब्धता में वृद्धि होगी। 11,000 करोड़ रुपये की शेष राशि बाहरी स्त्रोतों से जुटाई जायेगी। इस तरह वे 29,000 करोड़ रुपये आंतरिक स्त्रोतों से जुटायेंगे और बाकी का हिस्सा हमारे अपने देश से जुटाया जा सकता है। कर्मचारियों ने स्वयं ही विभाग के सामने प्रस्ताव रखें हैं कि किस तरह से इस राशि को जुटाया जा सकता है लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि सेवा क्षेत्र बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को दिये जाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है लेकिन थिरिपुर में एक समान्तर एक्सचेंज बनाया गया है और

इसे यू.एसं. एल्कॉट्स को दिया जायेगा। इस बारे में करीब करीब अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। गुजरात को मरकरपुर स्थित एक्सचेंज एरिक्सन को सौंप दिया जाएगा। कर्नाटक में पुर्णिया और डमकुर एक्सचेंज भी करीब-करीब दिए जाने ही वाले हैं। वे अपने कार्य को स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि यह पूरे नेटवर्क में जायेगा और यह देश की सुरक्षा तक को खतरे में डाल सकता है।

अतः इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले, सभा में इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए और हमें यह तय करना चाहिए कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ये बातें सही हैं, आखिर इसमें देश की सुरक्षा का सवाल शामिल है।

श्री सुख राम : जैसा कि मैंने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में सभा को सूचित किया था बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कुछ प्रस्ताव पेश किए गए हैं उदाहरण स्वरूप, यू.एस. वेस्ट ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जो विचाराधीन है। इस संबंध में हमनें अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। एफ. आई.पी.बी. और सी.सी.एफ.आई. भी उस पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने सभा को सूचित किया है कि यह एक बहुत बड़ा निर्णय है, हमें इसके लिए कैबिनेट के पास जाना होगा और कैबिनेट का निर्णय प्राप्त करना होगा।

एक और बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भी गुजरात में मूल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य प्रस्ताव रखा है। इन सब प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की जा रही है। अभी तक मेरे मंत्रालय या कैबिनेट द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जहां तक इस समस्या के आर्थिक पहलू का संबंध है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम 40,500 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं, लेकिन, यदि हम देश में जितने टेलिफोनों की जरूरत है उतने टेलिफोन लगा सके तो बहुत संभव है कि हम 29,000 करोड़ रुपये तक के संसाधन जुटा सकेंगे। यह एक हकीकत है लेकिन साथ ही साथ मैं सभा को यह भी बता दूं कि, जैसा कि आपको मालूम है, उस समय यह मांग की जा रही है कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह करना ही होगा। यह हमारा नीतिगत फैसला भी है कि सभी पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अगर पूरे देश को, सारे ग्रामीण क्षेत्रों को यह सुविधा उपलब्ध करानी है तो इसके लिए हमें कम से कम 6000 से 7000 करोड़ रुपये तक की जरूरत पड़ेगी अतः जब हम अपनी सेवाओं में सुधार करने और सारे देश को यह सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये सारे तथ्य ध्यान में रखने होंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया है। दूर संचार नेटवर्क के विस्तार के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने उत्तर के भाग (क) में उनका जवाब था 'नहीं'। परन्तु सच्चाई यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, टेलीफोन लाइनों और स्विचिंग उपकरणों की पूर्ति आदि के मामले में हमारे दूर संचार विभाग के साथ शामिल किया जा रहा है। इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए लगभग 25 लाख लाइनें प्रतिवर्ष बिछाने की क्षमता है जैसा कि अनेक उद्यमियों को दूर संचार विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। आज पूरे देश में लगभग 30 लाख लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं। अतः इन परिस्थितियों में जहां तक संभव हो हमें स्वदेशी स्थापित क्षमता का उपयोग करना चाहिए और उसके बाद भले ही हम इसे अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे सकते हैं। लेकिन आप पहले ही हमारी स्वदेशी कंपनियों को तो केवल 10 लाख लाइनों का और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 8 लाख 50 हजार लाइनों का आर्डर दे चुके हैं जो किसी भी तरह घरेलू निर्माताओं के हित में नहीं है। अतः मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से साफ-साफ शब्दों में आश्वासन चाहता हूं कि हमारी स्वदेशी

क्षमता का प्रयोग अधिकतम सीमा तक किया जायेगा जिससे निश्चित रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। क्या माननीय मंत्री इस संबंध में इस सभा को आश्वस्त करेंगे?

श्री सुख राम : इस वर्ष का लक्ष्य 17 लाख लाइनें है जिसमें से 10 लाख लाइनें स्वदेशी निर्माताओं से खरीदनी पड़ेगीं। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों के मामले में ही हम बड़ी डिजीटल प्रणाली और नवीनतम प्रौद्योगिकी, जो इस देश में शुरू की है, स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ उनसे ही खरीदना पड़ेगा। जिनके पास यह प्रौद्योगिकी है केवल उनसे ही हमें इसे खरीदना पड़ेगा। वह देश में उद्योग लगा रहे हैं। हमने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है। समरूप कोशिकीय प्रौद्योगिकी अब पुरानी हो चुकी है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : जब हमें कलपुर्जो की जरूरत पड़ेगी तब हमें कलपुर्जे उपलब्ध ही नहीं होंगे। **(व्यवधान)**

श्री सुखराम : अगर आप इन बातों को समझने की कोशिश करें तो, जैसाकि मैंने पहले भी इस सभा में कहा है, यह एक या दो बार का ही आयात है। लेकिन इन सभी बड़ी डिजिटल प्रणालियों, बड़े उपकरण और स्विचिंग प्रणालियों का निर्माण देश के अंदर ही करना होगा। और हम अपने स्वदेशी निर्माताओं के साथ कोई भेद-भाव नहीं कर रहे हैं। उनके हितों की अच्छी तरह रक्षा की जा रही है। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : बिल्कुल नहीं।

श्री सुखराम : हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा मालूम हो। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप स्वदेशी निर्माताओं के हित को ध्यान में न रखकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफदारी कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, देशी निर्माताओं के हितों की नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सुखराम : नहीं, नहीं। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सिर्फ नवीनतम प्रौद्योगिकी मांग रहे हैं और कुछ नहीं। और उन सारे 23 या 27 निर्माताओं को आर्डर दिए जा रहे हैं और वे सप्लाई कर रहे हैं। निःसंदेह मेरा लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में 20 लाख लाइनें स्थापित करने का है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। इनमें से कम से कम 10 लाख लाइनें स्वदेशी निर्माताओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो इनकी कुल क्षमता 15 से 17 लाख लाइनें है। उस कुल क्षमता में से अगर हम 10 लाख लाइनें खरीद रहे हैं तो यह सवाल ही कहां पैदा होता है कि उनके उद्योग को खाली बैठना पड़ रहा है? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रश्न दूर-संचार नेटवर्क और नेटवर्क के संचालन से संबंधित है। किसी भी सभ्य प्रणाली को टेलीफोन का प्रयोग करने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं जानता कि शिमला के बारे में क्या होगा। हाल के नतीजों के बाद मैं नहीं जानता कि

शिमला की टेलीफोन डायरेक्टरी की क्या स्थिति है। लेकिन कलकत्ता के लिए आखिरी टेलीफोन डायरेक्टरी 1988 सिर्फ 1988 में प्रकाशित हुई थी। क्या उसका प्रकाशन इसलिए रुका हुआ है कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नवीनतम मुद्रण प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं करा पा रही है? यह एक शर्मनाक स्थिति है। हम कितनी बार मंत्री को, विभाग को लिख चुके हैं। पांच साल से कलकत्ता के लिए कोई टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं छपी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिरकार मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं। क्या यह काम इसलिए रुका हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आगे नहीं आ रही हैं?

श्री सुखराम : मुझे इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए क्योंकि यह विचाराधीन प्रश्न से संबंधित नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम हर सत्र के दौरान लिख रहे हैं और इस संबंध में प्रश्न उठा रहे हैं। क्या आप अपने दफ्तर जाने के बाद इस संबंध में कोई वक्तव्य देंगे?

श्री सुखराम : आप कृपया मुझे इस संबंध में अलग से नोटिस दीजिए। मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अब सम्पूर्ण सभा के समक्ष नोटिस दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री सुखराम : नहीं, नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे पता चलता है कि विभाग कैसे काम कर रहा हैं।

[हिन्दी]

विद्युत शुल्क

*43. **डा. एस.पी. यादव :**

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने हाल ही में अपनी बिजली की दरों में कोई संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) अप्रैल, 1993 के अंत तक सरकारी एजेंसियों की ओर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और इसकी वसूली न होने के क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगयुया नायडू) : (क) से (छ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) कोयला, तेल, भाड़ा आदि जैसे विभिन्न निवेशों की लागत में बढ़ोतरी होने के कारण विद्युत उत्पादन/अन्य एजेंसियों से खरीदी गई विद्युत की लागत में वृद्धि हुई है। उत्पादित विद्युत/खरीदी गई विद्युत की लागत तथा वसूल किए गए राजस्व की राशि के बीच के अन्तर को कम करने के लिए डेसू ने अपनी विद्युत टैरिफ को 1.10.93 से युक्तिसंगत बनाया है। पहले वाली दरों तथा संशोधित विद्युत की दरों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

(ग) इस संशोधन के परिणामस्वरूप डेसू के राजस्व में लगभग 37% वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है। चालू वर्ष के दौरान 18.46% की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि संशोधित टैरिफ केवल 1.10.1993 से ही लागू की गई है।

(घ) से (च). टैरिफ सशोधन के बारे में जनता-जर्नादन की टिप्पणियां/प्रतिवेदन आमंत्रित करने के लिए डेसू द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। इन प्रतिवेदनों के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करते समय यह सुनिश्चित किए जाने पर समुचित ध्यान दिया गया था कि निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर इसका कम से कम बोझ पड़े।

(छ) मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों की ओर डेसू की बकाया राशियों के बारे में ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है।

बकाया राशियों की वसूली न हो पाने का मुख्य कारण इन संगठनों की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति होना है। डेसू द्वारा कनैक्शन काट दिए जाने जैसे सख्त उपाय नहीं अपनाए गए हैं चूंकि ये सार्वजनिक यूटिलिटीज आम जनता को जन सुविधाएं प्रदान करती हैं। तथापि बकाया राशियों की वसूली के लिए उपयुक्त स्तर पर निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुबन्ध-1

30.9.93 की स्थिति के अनुसार दृष्टान्त टैरिफ दरें और 1.10.93 से प्रभाति टैरिफ दरें

30.9.93 की स्थिति के अनुसार दरें	1.10.93 से प्रभावी दरें
1. **क. घरेलू लाइट पंखें और विद्युत**	
प्रारम्भिक 100 यूनिट/माह के लिए 40 पैसे/यूनिट	प्रारम्भिक 100 यूनिट/माह के लिए 60 पैसे/यूनिट

30.9.93 की स्थिति के अनुसार दरें	1.10.93 से प्रभावी दरें
अगली 100 यूनिट/माह के लिए 50 पैसे/यूनिट	अगले 100 यूनिट/माह के लिए 100 पैसे/यूनिट
अगले 100 यूनिट/माह के लिए 1.50 पैसा/यूनिट	अगले 100 यूनिट/माह के लिए 180 पैसे/यूनिट
300 यूनिट/माह से अधिक उपयोग किए गए सभी यूनिट के लिए 200 पैसे/यूनिट	303 यूनिट/माह से अधिक/उपभोग किए गए सभी यूनिट के लिए 240 पैसे/यूनिट
ख. घरेलू विद्युत	
200 पैसे/यूनिट	240 पैसे/यूनिट
2. गैर-घरेलू (निम्न वोल्टता)	
150 पैसे/यूनिट	240 पैसे/यूनिट
3. मिश्रित भार (उच्च वोल्टता)	
मांग प्रभार :	मांग प्रभार :
60 रुपये प्रति केवीए अथवा इसके घटक हेतु प्रति माह इसके अलावा 170 पैसे/यूनिट ऊर्जा प्रभार	100 पैसे/केवीए अथवा इसके घटक हेतु प्रतिमाह इसके अलावा 240 पैसे/यूनिट
4. लघु उद्योग विद्युत (एसआईपी)	
125 पैसे/यूनिट	(1)15 केडब्ल्यू/20 एचपी से अधिक भारों के लिए 200 पैसे/यूनिट) (2)15 केडब्ल्यू/20 एचपी से अधिक भारों के लिए 220 पैसे/यूनिट)
5. वृहत उद्योग विद्युत (एलआईपी)	
मांग प्रभार : 60 रूपये प्रति केवीए अथवा इसके घटक हेतु प्रति माह इसके अलावा 200 पैसे/यूनिट ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार : 100 रुपये/केवीए अथवा इसके घटक हेतु प्रतिमाह इसके अलावा 240 पैसे/यूनिट ऊर्जा प्रभार
6. कृषि	
20 पैसे/यूनिट	50 पैसे/यूनिट
7. स्ट्रीट लाइटिंग	

प्रत्येक स्ट्रीट लाइटिंग प्वाइंट के लिए प्रतिमाह 30/- रुपये अुरक्षण प्रभार इसके अलावा 137 पैसे/यूनिट ऊर्जा प्रभार	प्रत्येक स्ट्रीट लाइटिंग प्वाइंट के लिए प्रतिमाह 40/- रुपये अनुरक्षण प्रभार इसके अलावा 190 पैसे/यूनिट ऊर्जा प्रभार

नोट : संशोधित करें, 1.10.93 से प्रभावी अनुमोदित टैरिफ के बारे में ईंधन लागत और अन्य प्रावधानों का समायोजन किए जाने के अधीन होगी।

अनुबंध-2

मार्च, 1993 के अंत के अनुसार सरकारी एर्जेसियों की ओर डेसू की बकाया राशियों का ब्यौरा

एजेंसी का नाम	देय राशि
1. नई दिल्ली नगर पालिका	1028229372.30 रुपये
2. जय प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान	1554153804.57 रुपये
3. दिल्ली नगर निगम	107365597.22 रुपये
4. दिल्ली विकास प्राधिकरण	138960134.13 रुपये
5. एम ई एस	27319078.64 रुपये
6. लोक निर्माण विभाग	15808600.49 रुपये
7. पुलिस विभाग	
(1) टैरिफ सिग्नल्स एण्ड वलीन्कर्स	5122313.00
(2) पुलिस बूथ्स	630982.00
(3) सायरन्स	785675.00

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मुझे एक छोटी शुद्धि करने की अनुमति दी जाए। उत्तर के अनुबंध-1 में, 'घरेलू लाइट, पंखे और विद्युत, शीर्षक के नीचे, पंक्ति 5 में 303 यूनिट/माह के स्थान पर 300 यूनिट/माह पढ़ा जाये।

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव : अध्यक्ष महोदय उत्तर मिला है कि कनैक्शन नहीं काटे गये हैं क्योंकि यह सार्वजनिक यूटिलिटी की चीज हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इंडिया में इसका ट्रांसमिशन लॉस कितना है? कनैक्शन तो काटे नहीं जा रहे हैं लेकिन बिजली की जो चोरी हो रही है और जो उसकी वसूली नहीं हो रही है, उसको वसूल करने के लिये कोई स्टैप्स अब तक क्यों नहीं उठाये गये हैं? इसके अलावा इसके रेट्स बढ़ाने के क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका, जल-मल व्ययन संस्थान और दिल्ली नगर निगम सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कुछ धन-राशि देय है।

और मैंने पहले ही कहा है कि हम कनेक्शन नहीं काट रहे हैं क्योंकि इससे आखिरकार उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो जाएगी। विभिन्न सरकारी विभागों और निकायों से बकाया राशि वसूल करने के लिये अन्य कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली में विजली की पारेषण और वितरण में होने वाली हानि के संबंध में यह कहना है कि दिल्ली में यह हानि लगभग 21.91 प्रतिशत है जबकि इसकी अखिल भारतीय औसत हानि 20.7 प्रतिशत के लगभग है। इस प्रकार दिल्ली में होने वाली यह हानि, अखिल भारतीय औसत हानि से कोई बहुत अधिक नहीं है और हम इस बारे में कदम उठा रहे है कि चालू पंचवर्षीय योजना में बिजली की संप्रेषण और वितरण में होने वाली हानि को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर तो यद्यपि नहीं आया है, मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं बताया कि कौन से स्टैप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ राजनैतिक कारणों से भी वसूली नहीं हो रही है? इसके अतिरिक्त क्या डेसू का एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल से बाहर है? यदि डेसू का एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल या कब्जे के बाहर है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है? यदि करने जा रही है तो क्या बाहरी कंपनियों की सहायता लेने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का दायरा बहुत बढ़ा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, इनके प्रश्न में कई बातें पूछी गयी हैं। मुख्य प्रश्न भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हैं परन्तु जहां तक मैं उसे समझ पाया हूं, मैं उस हद तक उसका उत्तर दे सकूंगा। इन्होंने पूछा है, "कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?" मैंने पहले ही बताया है कि विभिन्न प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं, जैसे प्रणाली में सुधार किया जाना, कड़ी सर्तकता और प्रवर्तन, अत्यधिक जुर्माना लगाना और निजी उपभोक्ताओं के मामले में कनेक्शन तक काट देना।

दूसरे प्रश्न के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि महोदय, भारत सरकार दिल्ली प्रशासन के माध्यम से डेसू पर नियंत्रण रखती है। गृह मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय इन दोनों मंत्रालयों का इस पर नियंत्रण रहता है और हम डेसू के अधिकारियों से निरन्तर संपर्क किये हुए हैं कि उन्हें अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहिए और विशेषकर अपनी हानि को कम करना चाहिए तथा अपनी वसूली में सुधार करना चाहिये।

और महोदय, वास्तव में चालू वर्ष में डेसू ने अपनी वसूली में सुधार किया है। वर्ष 1992 में नवम्बर माह में वसूल की गई 68.86 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में इस वर्ष नवम्बर 1993 माह में इन्होंने लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है। उन्होंने अपनी वसूली और बिलों में

उत्तरोत्तर वृद्धि की है और डेसू ने जो धनराशि वसूल की है, इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, दिल्ली में बिजली की कमी से दिल्ली की जनता तो परिचित है ही, यहां के सांसद भी परिचित हैं और आप भी परिचित हैं। दिल्ली में बिजली की बहुत कमी है और जिस तरह से इसके रेट्स यहां बढ़ाये गये हैं, इसका बड़ा विरोध हो रहा है। जवाब में कहा गया है कि रेट्स बढ़ाने से 37 प्रतिशत की धनराशि प्राप्त होगी। सर्वे में यह बताया गया है और मंत्री जी ने उसको यहां माना है कि लगभग 40 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है। अगर इस चोरी को रोक दिया जाये तो दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिजली की जो लगभग 40 प्रतिशत चोरी होती है....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 21 परसेंट कहा है, ऐसा नहीं कहा है। 40 और 21 में बहुत अन्तर है।

श्री कालका दास : मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में बिजली की चोरी को रोकने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाये हैं? उन्होंने एक कारण यह भी बताया है कि बिजली के भाव इसलिए बढ़ाये जा रहे हैं, क्योंकि कोयला इत्यादि अन्य चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। मेरा यह निवेदन है कि दिल्ली में डेसू के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार से और चोरी को रोकने से यह सारी कमियां पूरी हो सकती हैं। यह कमियां पूरी हो जायें तो इसके रेट्स न बढ़ाये जायें, नहीं तो जनता में असंतोष हो रहा है। मेरा निवेदन है कि...

अध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन नहीं, प्रश्न होना चाहिए।

श्री कालका दास : मेरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में बिजली की चोरी को रोकने के लिए विभाग क्या कार्य कर रहा है और डेसू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : आदरणीय अध्यक्ष जी, अन्य माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैं पहले ही उसका उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न फिर से पूछा गया है, तो आप उत्तर भी फिर से दे सकते है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : डेसू में बिजली की पारेषण और वितरण में होने वाली हानि 40 प्रतिशत नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इस मामले में अखिल भारतीय औसत हानि 20.7 प्रतिशत की तुलना में दिल्ली में केवल 21.81 प्रतिशत हानि हो रही है। मैंने पहले भी कहा है कि हम प्रणाली में सुधार करने के कार्यक्रम अपना रहे हैं और सतर्कता और प्रवर्तन व्यवस्था को भी और अधिक कड़ा कर रहे हैं और कतिपय ऐसे कनैक्शनों को भी विनियमित कर रहे हैं जिन्हें अभी तक विनियमित नहीं किया जा सका।

पारेषण और वितरण में होने वाली हानि को भी बिलों के अन्तराल को कम करके, बिजली की चोरी को रोकने के उपाय करके, शन्ट कैपासिटरों को अवस्थापित करके तथा पारेषण और वितरण नेटवर्क के रख-रखाव में सुधार करके कम किया गया है।

जहां तक शुल्क दरों मे वृद्धि का संबंध है, हमनें पहले ही इस बारे में बताया है कि आदानों, जैसे कि कोयला, गैस तथा अन्य वस्तुओं की लागत में वृद्धि होने के कारण और डेसू को जो लगातार हानि हो रही है, उसकी वजह से हमें पहली अक्टूबर, 1993 से शुल्कदरों में कुछ सीमान्त समायोजन करना पड़ा है। हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है और हमने शुल्क दर की निम्न श्रेणी में कातिपय रियायतें भी दी हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, चोरी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है, आप सुनते नहीं हैं, तो क्या करें।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना नहीं, आप बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सुना नहीं हैं, तो मैं ......

[अनुवाद]

मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। कृपया अब बैठ जाइये।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, आप हैल्प तो करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्तिम वाक्य में कहा है कि रेट बढ़ाने के पहले आपके प्रस्ताव पर लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, उनको आपने मांगा। आपने अपने लिखित जवाब में यह भी कहा है ---

[अनुवाद]

जनतां से मिले इन अभ्यावेदनों के परिणाम स्वरूप, घरेलू उपभोक्ताओं के लिये शुल्क को अंतिम स्वीकृति प्रदान करते समय हमनें इस बात पर पूर्ण ध्यान दिया है कि निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ पड़े।

[हिन्दी]

अभी आपने यहां पर पुनर्विचार भी किया। अगर आप अपने उत्तर को देखेंगे तो आप समझ जायेंगे कि जो 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली लेने वाले लोग हैं, जो सबसे कम श्रेणी के लोंग हो गए, उनके लिए आपने 50 प्रतिशत बढ़ा दिया - 40 पैसे से 60 पैसे प्रति यूनिट। 100 और जो अगले 100 यूनिट के लोग हैं, उनके लिए आपने 50 पैसे से 100 पैसे प्रति यूनिट यानि शत प्रतिशत बढ़ा दिया और 300 यूनिट और उसके आगे के लिए मात्र 20 प्रतिशत आपने बढ़ा दिया। यानि जो सबसे गरीब आदमी हैं, जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करता है, उसका आपने 50 प्रतिशत बढ़ा दिया और जो मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए आपने शत-प्रतिशत बढ़ा दिए। फाइव स्टार, एयरकंडिशनिंग और ऐयाशी वाले लोग जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए आपने 20 प्रतिशत बढ़ाया है। इसके आगे आप देखिए, एग्रीकल्चर में आपने 20 पैसे प्रति यूनिट से

50 पैसे बढ़ा दिया, यानि आपने वहां पर 150 प्रतिशत बढ़ा दिया है। आप जवाब दे रहे हैं कि ड्यू-कंसीडरेशन दिया है। मैं, अध्यक्ष जी, मंत्री जी से क्या यह अपेक्षा करूं कि वे इस सवाल पर पुनर्विचार करेंगे और किसान तथा छोटी श्रेणी के लोगों पर आपने रेट को जबर्दस्त बढ़ाने का काम किया है, उसको कम करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने दिल्ली में लागू शुल्क दरों का और उत्तरी क्षेत्र में आने वाले अन्य राज्यों में लागू शुल्क दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। कृपया इन्हें इस तरह से उत्तर देने की इजाजत न दें।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : कृपया मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दें।

दरों में संशोधन करने के बाद भी, उत्तरी भारत के प्रायः सभी राज्यों में निम्न श्रेणी की जो दरें हैं, उनसे हमारी दरें कम हैं और उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में उच्चतर श्रेणियों के लिये जो दो दरें निर्धारित हैं, उनमें हमारी दरें ऊंची हैं। इस प्रकार, संशोधन के बावजूद, उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में डेसू ने अपनी दरें उतनी नहीं बढ़ायी है। यह सही है कि दरों में हमने वृद्धि की है क्योंकि 1991 में पहले जो दरें संशोधित की गई थीं, उनमें ....

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यही पूछा गया है।

आपने उन लोगों के मामले में दरों में अधिक वृद्धि की है जो कि बिजली की अधिक खपत करने वालों की तुलना में बिजली की कम खपत कर रहे हैं। इसलिये, इसमें विवेक पूर्ण तर्क क्या बनता है?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय यह सही है। गत समय 1991 में शुल्क दरों में जो संशोधन किया गया था, उस समय उच्चतर श्रेणियों के मामले में दरों में अधिक वृद्धि की गई थी और निम्न श्रेणी के मामले में कम वृद्धि की गई थी और अधिकतम उपभोक्ता निम्न श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार गत वर्ष में जो कम वृद्धि की गई थी, हमें उसको भी तो पूरा करना था। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर सभा को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लिखित उत्तर में कुछ और कहा गया है, आंकड़े कुछ और है। इस प्रकार, सभा को जानबूझ कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यह कुछ ओर नहीं, बल्कि सभा को गुमराह करने की कोशिश हो सकती है। फिर, उन्होंने यह कैसे कहा, "निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ सुनिश्चित करने के लिये"?

[हिन्दी]

आपने सोचा कि इसे यहां पर कोई नहीं पढ़ेगा?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, उत्तर तथ्यों पर आधारित है। अधिसूचना में कुछ उच्चतर दरें ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है। इन्हें इस का उचित ढंग से उत्तर देने दें। कृपया इनकी बात में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इनके पास से कोई जवाब नहीं आया है। इसलिये इस प्रश्न को पोस्टपोंड किया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको भी उत्तर में इतनी ही रुचि दिखानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगयुया नायडू : में प्रथम भाग का उत्तर दूंगा। 1991 में 100 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के मामले में 48 प्रतिशत वृद्धि की गई थी और 100 से 200 यूनिट तक की खपत करने वालो के मामले में 56 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पहले आपने क्या किया था और दिल्ली ओर अन्य स्थानों पर अब क्या हो रहा है, इन्हें इसका तुलनात्मक ब्यौरा नहीं चाहिये। ये तो यह चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से शुल्क दरों में वृद्धि की है, उसका औचित्य क्या हैं।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगयुया नायडू : मैनें पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है। **(व्यवधान)** में अब भी इसको स्पष्ट कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें अनुमति दें कि ये अपनी बात पूरी कर सकें।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगयुया नायडू : महोदय, मैं इसके कारणों को स्पष्ट कर रहा हूं। 1991 में 200 से 300 श्रेणी के मामले में 100 प्रतिशत वृद्धि की गई थी और 300 से अधिक की श्रेणी के मामले में, 167 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। विगत संशोधन में हमने उच्च श्रेणियों के मामले में काफी ज्यादा वृद्धि की थी और अब हमने थोड़ी और भी वृद्धि की है। 1 से 100 श्रेणी के मामले में यानि की निम्नतम श्रेणी के मामले में हमने केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि की है यानि 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है। 100 से 200 श्रेणी के मामले में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है और 200 से 300 श्रेणी के मामले में, कमी की गई हैं। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपको इस सभा का बचाव करना चाहिये। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह गरीबों का सवाल है। इसको इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन्हें अपनी बात पूरी करनें दें।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं उचित उत्तर दे रहा हूं। जहां तक उत्तर के भाग घ से च में वर्णित बातों का संबंध है डेसू ने दो श्रेणियां बनाने की बात कही थी–यानि 0 से 50 यूनिट की श्रेणी और 50 से 100 यूनिट तक की श्रेणी।

अंतिम अधिसूचना में इसे हटा दिया गया और 100 यूनिट तक रियायत दी गई।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं, महोदय!

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपको इस बात को स्पष्ट करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है और ये लोग और अधिक प्रश्न करते दिखाई देते हैं। मैं आपको आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा। आप इसकी सूचना दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लेटर बक्स सुविधा

*44. **श्री पंकज चौधरी** :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक गांवों में अभी तक लैटर बक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की, राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन गांवों में लेटर बक्स की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). ऐसे गांवों की राज्यवार सख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जिनमें लेटर बॉक्स नहीं हैं।

(ग) से (ङ). वर्तमान लक्ष्य ऐसे सभी गांवों में लेटर बॉक्स लगाने का है, जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है। इस लक्ष्य को दो वर्षों के भीतर प्राप्त कर लेने की आशा है।

विवरण

ऐसे गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा जहां लैटरबॉक्स नहीं हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	ऐसे गांवों की संख्या जहां लैटरबॉक्स नहीं हैं।
1.	असम	13,388
2.	आंध्र प्रदेश	11,007
3.	बिहार	56,861
4.	दिल्ली	शून्य
5.	गुजरात	361
6.	हरियाणा	299
7.	हिमाचल प्रदेश	13,140
8.	जम्मू और कश्मीर	3,745
9.	कर्नाटक	3,302
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	43,526
12.	महाराष्ट्र	70,246
13.	गोवा	91
14.	अरुणाचल प्रदेश	2,688
15.	मणिपुर	शून्य
16.	मेघालय	1,567
17.	मिजोरम	187
18.	नागालैंड	123
19.	त्रिपुरा	1,473
20.	उड़ीसा	28,720
21.	पंजाब	734

1.	2.	3.
22.	राजस्थान	14,075
23.	तमिलनाडु	2,913
24.	उत्तर प्रदेश	34,841
25.	सिक्किम	174
26.	पश्चिम बंगाल	17,327
	योग :	3,20,788

नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री की यात्रा

*45. **श्री मुमताज अंसारी** :

श्री राजेश कुमार :

क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा भारतीय नेताओं के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और वहुपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच वाणिज्य के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री महामहिम आर.एफ.एम. लूबर्स ने 26 से 28 अक्तूबर, 1993 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, प्रधानमंत्री के साथ वातचीत की तथा माननीय लोक सभा अध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री और उद्योग राज्य मंत्री से मुलाकात की।

नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री के साथ हुइ वातचीत में शामिल विषय थे–यूरोप तथा दक्षिण एशिया की हाल ही की घटनाएं, निरस्त्रीकरण, आंतकवाद तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में वृद्धि। राजनीतिक स्तर पर इन विचार-विमर्शो से एक दूसरे की समस्याओं तथा दृष्टिकोणों को और अधिक समझने में मदद मिली है। आर्थिक स्तर पर इस यात्रा से आर्थिक संबंध मजबूत तथा घनिष्ठ होने की उम्मीद है।

नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री के साथ 21 सदस्यीय उच्च स्तरीय डच व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल आया था। डच व्यावसायियों को भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में बताया गया और उन्होंने भारतीय

व्यावसायियों के साथ विस्तार में विचार-विनिमय किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का स्वागत किया और अपने इस गंभीर विचार से अवगत कराया कि वे भारत के आर्थिक सुधारों से उत्पन्न नए अवसरों की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे।

नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान वाणिज्यिक संबंधों से संबद्ध कोई भी करार सम्पन्न नहीं हुआ।

[अनुवाद]

अमरीकी अधिकारी द्वारा काश्मीर पर वक्तव्य

*46. **श्री रूप चन्द पाल** :

श्री सुधीर गिरि :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण एशियाई मामलों के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा काश्मीर पर हाल ही में दिए गए वक्तव्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमरीका की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी अन्य देश ने भी काश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (च). वाशिंगटन स्थित फारेन प्रैस सेंटर में 28 अक्तूबर 1993 को दक्षिण एशियाई संवाददाताओं को पृष्ठभूमि की सूचना देते समय दक्षिण एशियाई मामलों की अमरीकी सहायक विदेश सचिव ने विदेश सचिव राबिन रैफल ने कश्मीर के दर्जे को सन्देहास्पद बताया। उन्होंने कहा कि अमरीका की सरकार विलय के दस्तावेज को मान्यता नहीं देती है तथा सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर को विवादास्पद प्रदेश मानती है जिसके दर्जे को अभी तय किया जाना है। उन्होंने कश्मीर के विवाद को हल करने में शिमला समझौते की प्रभावकारिता पर संदेह व्यक्त किया तथा उभारत में आंतकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका को कम महत्व दिया।

2. कश्मीर के संबंध में अमरीकी अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर सरकार ने अमरीकी सरकार को एक डीमार्श जारी किया जिसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि अमरीका की स्थिति में यह तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है उसे भारत में कितनी गंभीर चिंता से देखा जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया कि जब अमरीका भारत में आतंकवाद को विदेशी समर्थन की सच्चाई की अनदेखी करता है तो उससे पाकिस्तान को इस बात का प्रोत्साहन मिलता है कि वह भारत में अपना हस्तक्षेप जारी रखें। विदेश मंत्री ने भी एक वक्तव्य जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा तथा हम यह बात स्वीकार नहीं करते हैं कि कश्मीर

के दर्जे के बारे में किसी भी व्यक्ति को संदेह करने का अधिकार है। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि अमरीका ने यह घोषणा बिल्कुल उस समय की थी जब इस बात का आभास हो रहा था कि हजरतबल दरगाह के भीतर घुसे सशस्त्र आतंकवादी उन असैनिक व्यक्तियों को छोड़ने ही वाले थे जिन्हें उन्होंने बंधक बनाकर रखा हुआ था।

3. 1 नवम्बर, 1993 को अन्तरिम उत्तर के बाद अमरीका के विदेश अवर सचिव (राजनीतिक मामले) पीटर टर्नोफ ने 2 नवम्बर, 1993 को हमारे राजदूत रे के साथ मुलाकात में अमरीका के अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट तथा आधिकारिक स्थिति का बयान किया।

4. इसके अतिरिक्त 4 नवम्बर, के लिखित पत्र में अवर सचिव टर्नोफ ने हमारे राजदूत को अमरीका की प्राधिकृत स्थिति की सूचना दी। अमरीका की इस ज्ञात स्थिति कि "चार दशकों से भी अधिक समय से अमरीका की बराबर यह स्थिति रही है कि पूर्व जम्मू-कश्मीर रियायत विवादास्पद प्रदेश है" की पुष्टि करते हुए टर्नोफ ने यह कहा कि "अमरीका का विचार है कि जैसा कि शिमला समझौते में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत कश्मीर के विवाद को हल करने का सबसे बढ़िया माध्यम है। जहां तक व्यावहारिक पक्ष का संबंध है अमरीका का विचार है कि द्विपक्षीय बातचीत की इस प्रक्रिया में कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।" टर्नोफ के पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि "यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि विवाद से सम्बद्ध पक्ष कश्मीर के दर्जे को तय करने वाले विभिन्न दस्तावेजों, संकल्पों, करारों की व्याख्या अलग-अलग करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से तथा सद्भावना तथा ईमानदारी से की जाने वाली बातचीत के जरिए इन मतभेदों को कम करके अन्ततः दूर कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त अमरीका सदैव ही भारत की प्रादेशिक अखण्डता का समर्थन करता रहा है।" टर्नोफ ने यह बात भी दोहराई की कि "अमरीकी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि भारत के साथ पहले से ही चले आ रहे उनके अच्छे संबंधों को सुदृढ़ किया जाए तथा क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मसलों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाए।

5. ब्रिटेन के विदेश मंत्री डगलस हर्ड ने 15-16 नवम्बर, तक अपनी भारत यात्रा के दौरान यह स्पष्ट किया कि अमरीका की सहायक सचिव रेफल ने विलय के दस्तावेज की वैधता पर जो संदेह व्यक्त किया है उसे ब्रिटेन की सरकार किसी भी तरह से उपयोगी नहीं मानती है। लगभग पांच दशक पहले जो घटनाएं घटी उनके संबंध में विधिक तर्क-वितर्क आज के संदर्भ में कश्मीर के मसले के किसी राजनीतिक समाधान की परिधि के बाहर है। बताया जाता है कि डगलस हार्ड ने यह कहा है कि "मेरा यह विचार नहीं है कि विधिक तर्क-वितर्को से कोई समाधान निकलेगा बल्कि समाधान तो राजनीतिक उपायों से निकल सकता है जिनकी रूपरेखा तय करने की मैने कोशिश की है, लेकिन इस बात पर भी सहमति है कि ये कदम अन्यों को उठाने हैं।"

6. सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत के महत्वपूर्ण हितों पर प्रभाव पड़ता हो। जम्मू-कश्मीर के दर्जे के बारे में जो नकारात्मक बातें हैं उनसे केवल भारत सरकार के इस संकल्प को और बल मिलेगा कि भारत की प्रादेशिक एकता और अखण्डता की रक्षा करें।

ट्रक मालिकों की हड़ताल

*48. **श्री सी.पी.मुदाह गिरियप्पा :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूरे देश में ट्रक मालिकों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इसके परिणाम-स्वरूप कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का ट्रक मालिकों के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(क) और (ख). ट्रक चालकों के पथकर, चुंगी को समाप्त करने तथा अन्य मामलों की मांग करते हुए 31 जुलाई से 6 अगस्त, 1993 तक और मिश्रित शुल्क को 5000/- रुपए से कम करके 3000/- रुपए करने की मांग को लेकर 16 सितम्बर, से 28 सितम्बर, 1993 तक दोबारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। हड़ताल के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) तथा (घ). सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन के आधार पर ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल वापिस ली गयी थी कि परिवहन विकास समिति की एक विशेष बैठक एक अक्तूबर, 1993 को आयोजित की जाएगी। परिवहन विकास परिषद की विशेष बैठक एक अक्तूबर, 1993 को हुई। परिवहन विकास परिषद ने पारित किया कि हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को मिश्रित शुल्क के रूप में 5000/- रुपए वसूल करने पर सहमत थे, को छोड़कर सभी राज्यों में रार्ष्ट्रीय परमिटों के लिए 3000/- रुपए का मिश्रित शुल्क लगाने हेतु द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए।

प्रधान मंत्री की चीन यात्रा

*49. **डा. कृपासिंधु भोई** :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने चीन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी चीन के नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या मुख्य परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा उनके

क्रियान्वयन के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). प्रधानमंत्री श्री पी. वी.नरसिंहराव ने सितम्बर 6.9.1993 तक चीन की यात्रा की थी। चीन के पालिट ब्यूरो की स्थायी समिति के सात सदस्यों के साथ उन्होंने आपसी हितों के व्यापक विषयों पर चर्चा की।

2. प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की जिसमें उच्च स्तरीय दौरे, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्रों में सहयोग तथा आदान-प्रदान एवं सीमा का प्रश्न शामिल था। क्षेत्रीय मसले जैसे भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध जिसमें पाकिस्तान की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के प्रति हमारी चिंता और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जैसे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई। इन चर्चाओं से यह आभास मिला कि दोनों पक्षों में इस बातचीत को जारी रखने और दोनों देशों के बीच सहमति के क्षेत्र को बढ़ाने के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की। यह यात्रा द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी रही चूंकि बहुधुर्वीय विश्व में शक्ति के स्वतंत्र केन्दों जैसे चीन और भारत के बीच आपसी सहमति की अपनी अलग ही महत्वता है। द्विपक्षीय रूप में यह यात्रा भारत के सबसे बड़े पड़ोसी देश के साथ स्थायी शांति की ओर प्रयास के लिए जानी जाएगी। सरकार इस प्रयास के जारी रहने की आशा रखती है।

3. इस यात्रा के दौरान चार करारों पर हस्ताक्षर हुए एक करार भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमा पर शांति बनाए रखने से संबंधित था। पर्यावरण सुरक्षा के मामले में सहयोग से सम्बद्ध करार, रेडियो और टेलीविजन में सहयोग के सम्बद्ध करार, शिपकिला दर्रे के जरिए सीमावर्ती व्यापार के विस्तार से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

4. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थायित्व से सम्बद्ध करार एक समर्थकारी करार है जिसके अनुसार दोनों देश विश्वासोत्पादक उपाय करेंगे जैसे बलों की पुनः तैनाती, सैनिक-अभ्यासों की पूर्व सूचना देना, हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण रोकने के लिए उपाय करना तथा सीमा पर तैनात कमांडरों की और अधिक नियमित तथा जल्दी-जल्दी बैठकें करना। एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जा रहा है जो इन प्रबंधों की रूपरेखा तय करेगा तथा जहां नियंत्रण रेखा तय करने के बारे में मतभेद हैं वहां नियंत्रण रेखा की सही स्थिति तय करेगा। इस करार का सीमा संबंधी प्रश्न पर दोनों देशों की अपनी-अपनी स्थितियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि इस विशेषज्ञ दल की शीघ्र ही बैठक होगी।

5. पर्यावरण संरक्षण से सम्बद्ध करार द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ जैविक भिन्नता, सार्वभौमिक जलवायु में परिवर्तन तथा ओजोन परत की संरक्षण जैसे सार्वभौमिक पर्यावरण मसलों पर सहयोग की रूपरेखा तय करता है। विशेषज्ञों तथा आंकड़ों के आदान-प्रदान एवं सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं, विचार गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण परियोजनाओं के जरिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए जो उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तय किए गए हैं उनमें अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन, पर्यावरण शिक्षा तथा विधान से सम्बद्ध क्षेत्र शामिल हैं। रेडियो और टेलीविजन में सहयोग से सम्बद्ध करार में गीत-संगीत तथा रेडियो टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान एवं टेलीविजन प्रतिनिधिमंडलों तथा प्रसारण दलों के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था है। सीमावर्ती व्यापार से सम्बद्ध प्रोतोकोल में यह व्यवस्था है कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती व्यापार के लिए अतिरिक्त मार्ग के रूप में शिपकिला दर्रे का प्रयोग किया जाएगा। व्यापार, हाट, हिमाचल प्रदेश के किन्नोर जिले के नामग्या तथा तिब्बत के जिऊबा में लगाये जायेंगे। उम्मीद है कि शिपकिला दर्रे के जरिए सीमावर्ती व्यापार 1994

में बहाल हो जाएगा तथा अन्य दो करारों के प्रावधानों को भी कार्यरूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय श्रमिक

*50. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रनिकों को परेशान किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो 1992 और 1993 के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें मिली और उंन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने श्रमिकों को देश में वापस लाया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाएं

*51. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर अनियोजित विकास और अतिक्रमण के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कुछ राज्य सरकारों ने मुम्बई राजमार्ग अधिनियम, 1955 के समरूप कानून बनाए हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ अवैध बस्तियों का निर्माण और अतिक्रमण सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कई कारणों में से एक है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). जी हां। राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1992 के लिए संघ सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन पिछले ही गत वर्ष में भेजा जा चुका है।

बिजली की कमी

*52. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न भागों में कृषि, घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में हो रही कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय बिजली की मांग और आपूर्ति कितनी-कितनी है;

(ग) बिजली की आपूर्ति में इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में बिजली की आपूर्ति की कमी को दूर करने हेतु सरकार का क्या-क्या उपाय करने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ग). ऊर्जा की बिक्री के अनुसार 1988-89 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान देश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं/यूटिलिटीज द्वारा उपभोग की गई विद्युत का ब्यौरा निम्नवत है :

ऊर्जा की बिक्री (मिलियन यूनिट)

वर्ष	जोड़	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक	ट्रेक्शन	कृषि	अन्य
1988-89	160196.43	24767.67	9915.17	75411.64	3772.26	38879.37	7451.32
		(15.46)	(6.19)	(47.08)	(2.35)	(24.27)	(4.65)
1989-90	175410.95	29576.75	9548.08	80694.32	4069.66	44055.95	7474.23
		(16.86)	(5.44)	(46.00)	(2.32)	(25.12)	(4.26)
1990-91	190357.39	31982.37	11180.99	84248.96	4112.38	50321.40	8551.29
		(16.80)	(5.8)	(44.24)	(2.16)	(26.44)	(4.49)
1991-92	207644.79	35853.70	12031.61	87288.57	4519.56	58557.17	9394.09
		(17.2)	(5.79)	(42.04)	(2.78)	(28.20)	(4.52)
1992-93	220670.74	39581.19	12379.97	89488.45	5584.81	63773.49	9862.83
		(17.94)	(5.61)	(40.55)	(2.53)	(28.90)	(4.47)

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल बिक्री की प्रतिशतता का द्योतक हैं।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि सभी क्षेत्रों में उपभोग की मात्रा बढ़ रही है लेकिन उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। घरेलू तथा कृषि उपभोग को प्रतिशतता की मात्रा बढ़ रही है जबकि औद्योगिक उपभोग की प्रतिशतता की मात्रा घट रही है। अतः ऐसा कहना उचित नहीं है कि घरेलू श्रेणी हेतु ऐसी प्रवृत्ति है कि कम विद्युत सप्लाई की जा रही है।

कृषि क्षेत्र के उपभोग की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो कि देश के लिये विकास का प्रमुख क्षेत्र है। कुछ वृहद् उद्योग कर्मी अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित कर रहे हैं ताकि राज्य ग्रिड द्वारा सप्लाई की गई विद्युत की आपूर्ति की जा सके।

(ख) अप्रैल, 93–अक्तूबर, 93 के दौरान राज्यवार विद्युत सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1993-94 के लिए 4439.25 मे.वा. की क्षमता जोड़े जाने के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। इसमें 954.65 मे. वा. जल विद्युत, 3264.6 मेगावाट ताप विद्युत और 220 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत शामिल है जिसमें से अप्रैल-नवम्बर, 1993 के दौरान 973.9 मेगावाट की क्षमता चालू की जा चुकी है। राज्यवार/परियोजना वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार किये जाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :-.विद्यमान विद्युत उत्पादन प्रणाली से इष्टता विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन हेतु प्रचार की व्यवस्था करना तथा निकटवर्ती राज्यों एवं प्रणालियों से सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था करना।

विवरण -I

अप्रैल, 93–अक्टूबर, 93 के लिए वस्तुतः विद्युत सप्लाई की स्थिति

(आंकड़े मि.यू.निवल में)

क्षेत्र/राज्य	अप्रैल, 93 - अक्टूबर, 1993			
प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	422	422	0	0.0%
दिल्ली	6685	6571	114	1.7%
हरियाणा	7025	6499	526	7.5%
हिमाचल प्रदेश	914	914	0	0.0%
जम्मू व कश्मीर	1945	1673	272	14.0%
पंजाब	12190	11717	473	3.9%
राजस्थान	8495	8051	444	5.2%
उत्तर प्रदेश	18895	16917	1978	10.5%
जोड़ उ. क्षेत्र	56571	52764	3807	6.7%

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	17025	16234	791	4.6%
मध्य प्रदेश	12355	11765	590	4.8%
महाराष्ट्र	25615	24425	1190	4.6%
गोवा	495	492	3	0.6%
जोड़ (प. क्षेत्र)	55490	52916	2574	4.6%
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	16035	15106	929	5.8%
कर्नाटक	12350	9552	2798	22.7%
केरल	4520	4430	90	2.0%
तमिलनाडु	15515	15077	438	2.8%
जोड़ (द. क्षेत्र)	48420	44165	4255	8.8%
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	4955	3331	1574	31.0%
दा.घा.निगम	4530	3964	566	12.5%
उड़ीसा	5140	4530	610	11.9%
पश्चिम बंगाल	7480	7029	451	6.0%
जोड़ (पू. क्षेत्र)	22105	18904	3201	14.5%
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	88.1	58.4	29.7	33.7%
असम	1409.8	1303.3	106.5	7.6%
मणिपुर	165.9	163.4	2.5	1.5%
मेघालय	157.2	157.2	0.0	0.0%
मिजोरम	66.4	64.9	1.5	2.3%
नागालैण्ड	86.5	85.5	1.0	1.2%
त्रिपुरा	156.1	138.3	17.8	11.4%
जोड़ (उ.पू.क्षेत्र)	2130.0	1971.0	159.0	7.5%
अखिल भारत	184706	170720	13986-0	7-6%

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका, जल-मल व्ययन संस्थान और दिल्ली नगर निगम सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कुछ धन-राशि देय है।

और मैंने पहले ही कहा है कि हम कनेक्शन नहीं काट रहे हैं क्योंकि इससे आखिरकार उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो जाएगी। विभिन्न सरकारी विभागों और निकायों से बकाया राशि वसूल करने के लिये अन्य कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली में विजली की पारेषण और वितरण में होने वाली हानि के संबंध में यह कहना है कि दिल्ली में यह हानि लगभग 21.91 प्रतिशत है जबकि इसकी अखिल भारतीय औसत हानि 20.7 प्रतिशत के लगभग है। इस प्रकार दिल्ली में होने वाली यह हानि, अखिल भारतीय औसत हानि से कोई बहुत अधिक नहीं है और हम इस बारे में कदम उठा रहे है कि चालू पंचवर्षीय योजना में बिजली की संप्रेषण और वितरण में होने वाली हानि को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर तो यद्यपि नहीं आया है, मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं बताया कि कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ राजनैतिक कारणों से भी वसूली नहीं हो रही है? इसके अतिरिक्त क्या डेसू का एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल से बाहर है? यदि डेसू का एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल या कब्जे के बाहर है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है? यदि करने जा रही है तो क्या बाहरी कंपनियों की सहायता लेने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का दायरा बहुत बढ़ा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, इनके प्रश्न में कई बातें पूछी गयी हैं। मुख्य प्रश्न भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हैं परन्तु जहां तक मैं उसे समझ पाया हूं, मैं उस हद तक उसका उत्तर दे सकूंगा। इन्होंने पूछा है, "कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?" मैंने पहले ही बताया है कि विभिन्न प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं, जैसे प्रणाली में सुधार किया जाना, कड़ी सर्तकता और प्रवर्तन, अत्यधिक जुर्माना लगाना और निजी उपभोक्ताओं के मामले में कनेक्शन तक काट देना।

दूसरे प्रश्न के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि महोदय, भारत सरकार दिल्ली प्रशासन के माध्यम से डेसू पर नियंत्रण रखती है। गृह मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय इन दोनों मंत्रालयों का इस पर नियंत्रण रहता है और हम डेसू के अधिकारियों से निरन्तर संपर्क किये हुए हैं कि उन्हें अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहिए और विशेषकर अपनी हानि को कम करना चाहिए तथा अपनी वसूली में सुधार करना चाहिये।

और महोदय, वास्तव में चालू वर्ष में डेसू ने अपनी वसूली में सुधार किया है। वर्ष 1992 में नवम्बर माह में वसूल की गई 68.86 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में इस वर्ष नवम्बर 1993 माह में इन्होंने लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है। उन्होंने अपनी वसूली और बिलों में

उत्तरोत्तर वृद्धि की है और डेसू ने जो धनराशि वसूल की है, इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, दिल्ली में बिजली की कमी से दिल्ली की जनता तो परिचित है ही, यहां के सांसद भी परिचित हैं और आप भी परिचित हैं। दिल्ली में बिजली की बहुत कमी है और जिस तरह से इसके रेट्स यहां बढ़ाये गये हैं, इसका बड़ा विरोध हो रहा है। जवाब में कहा गया है कि रेट्स बढ़ाने से 37 प्रतिशत की धनराशि प्राप्त होगी। सर्वे में यह बताया गया है और मंत्री जी ने उसको यहां माना है कि लगभग 40 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है। अगर इस चोरी को रोक दिया जाये तो दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिजली की जो लगभग 40 प्रतिशत चोरी होती है....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 21 परसेंट कहा है, ऐसा नहीं कहा है। 40 और 21 में बहुत अन्तर है।

श्री कालका दास : मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में बिजली की चोरी को रोकने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाये हैं? उन्होंने एक कारण यह भी बताया है कि बिजली के भाव इसलिए बढ़ाये जा रहे हैं, क्योंकि कोयला इत्यादि अन्य चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। मेरा यह निवेदन है कि दिल्ली में डेसू के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार से और चोरी को रोकने से यह सारी कमियां पूरी हो सकती हैं। यह कमियां पूरी हो जायें तो इसके रेट्स न बढ़ाये जायें, नहीं तो जनता में असंतोष हो रहा है। मेरा निवेदन है कि...

अध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन नहीं, प्रश्न होना चाहिए।

श्री कालका दास : मेरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में बिजली की चोरी को रोकने के लिए विभाग क्या कार्य कर रहा है और डेसू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : आदरणीय अध्यक्ष जी, अन्य माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैं पहले ही उसका उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न फिर से पूछा गया है, तो आप उत्तर भी फिर से दे सकते हैं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : डेसू में बिजली की पारेषण और वितरण में होने वाली हानि 40 प्रतिशत नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इस मामले में अखिल भारतीय औसत हानि 20.7 प्रतिशत की तुलना में दिल्ली में केवल 21.81 प्रतिशत हानि हो रही है। मैंने पहले भी कहा है कि हम प्रणाली में सुधार करने के कार्यक्रम अपना रहे हैं और सतर्कता और प्रवर्तन व्यवस्था को भी और अधिक कड़ा कर रहे हैं और कतिपय ऐसे कनैक्शनों को भी विनियमित कर रहे हैं जिन्हें अभी तक विनियमित नहीं किया जा सका।

पारेषण और वितरण में होने वाली हानि को भी बिलों के अन्तराल को कम करके, बिजली की चोरी को रोकने के उपाय करके, शन्ट कैपासिटरों को अवस्थापित करके तथा पारेषण और वितरण नेटवर्क के रख-रखाव में सुधार करके कम किया गया है।

जहां तक शुल्क दरों मे वृद्धि का संबंध है, हमनें पहले ही इस बारे में बताया है कि आदानों, जैसे कि कोयला, गैस तथा अन्य वस्तुओं की लागत में वृद्धि होने के कारण और डेसू को जो लगातार हानि हो रही है, उसकी वजह से हमें पहली अक्टूबर, 1993 से शुल्कदरों में कुछ सीमान्त समायोजन करना पड़ा है। हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है और हमने शुल्क दर की निम्न श्रेणी में कातिपय रियायतें भी दी हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, चोरी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है, आप सुनते नहीं हैं, तो क्या करें।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना नहीं, आप बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सुना नहीं हैं, तो मैं ......

[अनुवाद]

मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। कृपया अब बैठ जाइये।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, आप हैल्प तो करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्तिम वाक्य में कहा है कि रेट बढ़ाने के पहले आपके प्रस्ताव पर लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, उनको आपने मांगा। आपने अपने लिखित जवाब में यह भी कहा है ---

[अनुवाद]

जनतां से मिले इन अभ्यावेदनों के परिणाम स्वरूप, घरेलू उपभोक्ताओं के लिये शुल्क को अंतिम स्वीकृति प्रदान करते समय हमनें इस बात पर पूर्ण ध्यान दिया है कि निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ पड़े।

[हिन्दी]

अभी आपने यहां पर पुनर्विचार भी किया। अगर आप अपने उत्तर को देखेंगे तो आप समझ जायेंगे कि जो 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली लेने वाले लोग हैं, जो सबसे कम श्रेणी के लोंग हो गए, उनके लिए आपने 50 प्रतिशत बढ़ा दिया - 40 पैसे से 60 पैसे प्रति यूनिट। 100 और जो अगले 100 यूनिट के लोग हैं, उनके लिए आपने 50 पैसे से 100 पैसे प्रति यूनिट यानि शत प्रतिशत बढ़ा दिया और 300 यूनिट और उसके आगे के लिए मात्र 20 प्रतिशत आपने बढ़ा दिया। यानि जो सबसे गरीब आदमी हैं, जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करता है, उसका आपने 50 प्रतिशत बढ़ा दिया और जो मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए आपने शत-प्रतिशत बढ़ा दिए। फाइव स्टार, एयरकंडिशनिंग और ऐयाशी वाले लोग जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए आपने 20 प्रतिशत बढ़ाया है। इसके आगे आप देखिए, एग्रीकल्चर में आपने 20 पैसे प्रति यूनिट से

50 पैसे बढ़ा दिया, यानि आपने वहां पर 150 प्रतिशत बढ़ा दिया है। आप जवाब दे रहे हैं कि ड्यू-कंसीडरेशन दिया है। मैं, अध्यक्ष जी, मंत्री जी से क्या यह अपेक्षा करूं कि वे इस सवाल पर पुनर्विचार करेंगे और किसान तथा छोटी श्रेणी के लोगों पर आपने रेट को जबर्दस्त बढ़ाने का काम किया है, उसको कम करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगयूया नायडू : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने दिल्ली में लागू शुल्क दरों का और उत्तरी क्षेत्र में आने वाले अन्य राज्यों में लागू शुल्क दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। कृपया इन्हें इस तरह से उत्तर देने की इजाजत न दें।

श्री पी.वी. रंगयूया नायडू : कृपया मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दें।

दरों में संशोधन करने के बाद भी, उत्तरी भारत के प्रायः सभी राज्यों में निम्न श्रेणी की जो दरें हैं, उनसे हमारी दरें कम हैं और उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में उच्चतर श्रेणियों के लिये जो दो दरें निर्धारित हैं, उनमें हमारी दरें ऊंची हैं। इस प्रकार, संशोधन के बावजूद, उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में डेसू ने अपनी दरें उतनी नहीं बढ़ायी है। यह सही है कि दरों में हमने वृद्धि की है क्योंकि 1991 में पहले जो दरें संशोधित की गई थीं, उनमें ....

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यही पूछा गया है।

आपने उन लोगों के मामले में दरों में अधिक वृद्धि की है जो कि बिजली की अधिक खपत करने वालों की तुलना में बिजली की कम खपत कर रहे हैं। इसलिये, इसमें विवेक पूर्ण तर्क क्या बनता है?

श्री पी.वी. रंगयूया नायडू : महोदय यह सही है। गत समय 1991 में शुल्क दरों में जो संशोधन किया गया था, उस समय उच्चतर श्रेणियों के मामले में दरों में अधिक वृद्धि की गई थी और निम्न श्रेणी के मामले में कम वृद्धि की गई थी और अधिकतम उपभोक्ता निम्न श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार गत वर्ष में जो कम वृद्धि की गई थी, हमें उसको भी तो पूरा करना था। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर सभा को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लिखित उत्तर में कुछ और कहा गया है, आंकड़े कुछ और है। इस प्रकार, सभा को जानबूझ कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यह कुछ ओर नहीं, बल्कि सभा को गुमराह करने की कोशिश हो सकती है। फिर, उन्होंने यह कैसे कहा, "निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ सुनिश्चित करने के लिये"?

[हिन्दी]

आपने सोचा कि इसे यहां पर कोई नहीं पढ़ेगा?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगयूया नायडू : महोदय, उत्तर तथ्यों पर आधारित है। अधिसूचना में कुछ उच्चतर दरें ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है। इन्हें इस का उचित ढंग से उत्तर देने दें। कृपया इनकी बात में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इनके पास से कोई जवाब नहीं आया है। इसलिये इस प्रश्न को पोस्टपोंड किया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको भी उत्तर में इतनी ही रुचि दिखानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं प्रथम भाग का उत्तर दूंगा। 1991 में 100 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के मामले में 48 प्रतिशत वृद्धि की गई थी और 100 से 200 यूनिट तक की खपत करने वालो के मामले में 56 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पहले आपने क्या किया था और दिल्ली ओर अन्य स्थानों पर अब क्या हो रहा है, इन्हें इसका तुलनात्मक ब्यौरा नहीं चाहिये। ये तो यह चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से शुल्क दरों में वृद्धि की है, उसका औचित्य क्या हैं।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैनें पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है। **(व्यवधान)** मैं अब भी इसको स्पष्ट कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें अनुमति दें कि ये अपनी बात पूरी कर सकें।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, मैं इसके कारणों को स्पष्ट कर रहा हूं। 1991 में 200 से 300 श्रेणी के मामले में 100 प्रतिशत वृद्धि की गई थी और 300 से अधिक की श्रेणी के मामले में, 167 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। विगत संशोधन में हमने उच्च श्रेणियों के मामले में काफी ज्यादा वृद्धि की थी और अब हमने थोड़ी और भी वृद्धि की है। 1 से 100 श्रेणी के मामले में यानि की निम्नतम श्रेणी के मामले में हमने केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि की है यानि 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है। 100 से 200 श्रेणी के मामले में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है और 200 से 300 श्रेणी के मामले में, कमी की गई हैं। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपको इस सभा का बचाव करना चाहिये। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह गरीबों का सवाल है। इसको इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन्हें अपनी बात पूरी करनें दें।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं उचित उत्तर दे रहा हूं। जहां तक उत्तर के भाग घ से च में वर्णित बातों का संबंध है डेसू ने दो श्रेणियां बनाने की बात कही थी–यानि 0 से 50 यूनिट की श्रेणी और 50 से 100 यूनिट तक की श्रेणी।

अंतिम अधिसूचना में इसे हटा दिया गया और 100 यूनिट तक रियायत दी गई।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं, महोदय।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपको इस बात को स्पष्ट करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है और ये लोग और अधिक प्रश्न करते दिखाई देते हैं। मैं आपको आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा। आप इसकी सूचना दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लेटर बक्स सुविधा

*44. **श्री पंकज चौधरी** :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक गांवों में अभी तक लैटर बक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की, राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन गांवों में लेटर बक्स की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). ऐसे गांवों की राज्यवार सख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जिनमें लेटर बॉक्स नहीं हैं।

(ग) से (ङ). वर्तमान लक्ष्य ऐसे सभी गांवों में लेटर बॉक्स लगाने का है, जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है। इस लक्ष्य को दो वर्षों के भीतर प्राप्त कर लेने की आशा है।

विवरण

ऐसे गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा जहां लैटरबॉक्स नहीं हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	ऐसे गांवों की संख्या जहां लैटरबॉक्स नहीं हैं।
1.	असम	13,388
2.	आंध्र प्रदेश	11,007
3.	बिहार	56,861
4.	दिल्ली	शून्य
5.	गुजरात	361
6.	हरियाणा	299
7.	हिमाचल प्रदेश	13,140
8.	जम्मू और कश्मीर	3,745
9.	कर्नाटक	3,302
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	43,526
12.	महाराष्ट्र	70,246
13.	गोवा	91
14.	अरुणाचल प्रदेश	2,688
15.	मणिपुर	शून्य
16.	मेघालय	1,567
17.	मिजोरम	187
18.	नागालैंड	123
19.	त्रिपुरा	1,473
20.	उड़ीसा	28,720
21.	पंजाब	734

1.	2.	3.
22.	राजस्थान	14,075
23.	तमिलनाडु	2,913
24.	उत्तर प्रदेश	34,841
25.	सिक्किम	174
26.	पश्चिम बंगाल	17,327
	योग :	3,20,788

नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री की यात्रा

*45. **श्री मुमताज अंसारी** :

श्री राजेश कुमार :

क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा भारतीय नेताओं के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच वाणिज्य के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री महामहिम आर.एफ.एम. लूबर्स ने 26 से 28 अक्तूबर, 1993 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की तथा माननीय लोक सभा अध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री और उद्योग राज्य मंत्री से मुलाकात की।

नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री के साथ हुइ बातचीत में शामिल विषय थे–यूरोप तथा दक्षिण एशिया की हाल ही की घटनाएं, निरस्त्रीकरण, आंतकवाद तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में वृद्धि। राजनीतिक स्तर पर इन विचार-विमर्शो से एक दूसरे की समस्याओं तथा दृष्टिकोणों को और अधिक समझने में मदद मिली है। आर्थिक स्तर पर इस यात्रा से आर्थिक संबंध मजबूत तथा घनिष्ठ होने की उम्मीद है।

नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री के साथ 21 सदस्यीय उच्च स्तरीय डच व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल आया था। डच व्यावसायियों को भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में बताया गया और उन्होंने भारतीय

व्यावसायियों के साथ विस्तार में विचार-विनिमय किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का स्वागत किया और अपने इस गंभीर विचार से अवगत कराया कि वे भारत के आर्थिक सुधारों से उत्पन्न नए अवसरों की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे।

नीदरलैण्ड के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान वाणिज्यिक संबंधों से संबद्ध कोई भी करार सम्पन्न नहीं हुआ।

[अनुवाद]

अमरीकी अधिकारी द्वारा काश्मीर पर वक्तव्य

*46. **श्री रूप चन्द पाल** :

श्री सुधीर गिरि :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण एशियाई मामलों के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा काश्मीर पर हाल ही में दिए गए वक्तव्य की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमरीका की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में किसी अन्य देश ने भी काश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (च). वाशिंगटन स्थित फारेन प्रैस सेंटर में 28 अक्तूबर 1993 को दक्षिण एशियाई संवाददाताओं को पृष्ठभूमि की सूचना देते समय दक्षिण एशियाई मामलों की अमरीकी सहायक विदेश सचिव ने विदेश सचिव राबिन रैफल ने कश्मीर के दर्जे को सन्देहास्पद बताया। उन्होंने कहा कि अमरीका की सरकार विलय के दस्तावेज को मान्यता नहीं देती है तथा सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर को विवादास्पद प्रदेश मानती है जिसके दर्जे को अभी तय किया जाना है। उन्होंने कश्मीर के विवाद को हल करने में शिमला समझौते की प्रभावकारिता पर संदेह व्यक्त किया तथा उभारत में आंतकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका को कम महत्व दिया।

2. कश्मीर के संबंध में अमरीकी अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर सरकार ने अमरीकी सरकार को एक डीमार्श जारी किया जिसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि अमरीका की स्थिति में यह तो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है उसे भारत में कितनी गंभीर चिंता से देखा जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया कि जब अमरीका भारत में आतंकवाद को विदेशी समर्थन की सच्चाई की अनदेखी करता है तो उससे पाकिस्तान को इस बात का प्रोत्साहन मिलता है कि वह भारत में अपना हस्तक्षेप जारी रखें। विदेश मंत्री ने भी एक वक्तव्य जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा तथा हम यह बात स्वीकार नहीं करते हैं कि कश्मीर

के दर्जे के बारे में किसी भी व्यक्ति को संदेह करने का अधिकार है। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि अमरीका ने यह घोषणा बिल्कुल उस समय की थी जब इस बात का आभास हो रहा था कि हजरतबल दरगाह के भीतर घुसे सशस्त्र आतंकवादी उन असैनिक व्यक्तियों को छोड़ने ही वाले थे जिन्हें उन्होंने बंधक बनाकर रखा हुआ था।

3. 1 नवम्बर, 1993 को अन्तरिम उत्तर के बाद अमरीका के विदेश अवर सचिव (राजनीतिक मामले) पीटर टर्नोफ ने 2 नवम्बर, 1993 को हमारे राजदूत रे के साथ मुलाकात में अमरीका के अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट तथा आधिकारिक स्थिति का बयान किया।

4. इसके अतिरिक्त 4 नवम्बर, के लिखित पत्र में अवर सचिव टर्नोफ ने हमारे राजदूत को अमरीका की प्राधिकृत स्थिति की सूचना दी। अमरीका की इस ज्ञात स्थिति कि "चार दशकों से भी अधिक समय से अमरीका की बराबर यह स्थिति रही है कि पूर्व जम्मू-कश्मीर रियायत विवादास्पद प्रदेश है" की पुष्टि करते हुए टर्नोफ ने यह कहा कि "अमरीका का विचार है कि जैसा कि शिमला समझौते में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत कश्मीर के विवाद को हल करने का सबसे बढ़िया माध्यम है। जहां तक व्यावहारिक पक्ष का संबंध है अमरीका का विचार है कि द्विपक्षीय बातचीत की इस प्रक्रिया में कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।" टर्नोफ के पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि "यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि विवाद से सम्बद्ध पक्ष कश्मीर के दर्जे को तय करने वाले विभिन्न दस्तावेजों, संकल्पों, करारों की व्याख्या अलग-अलग करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से तथा सद्भावना तथा ईमानदारी से की जाने वाली बातचीत के जरिए इन मतभेदों को कम करके अन्ततः दूर कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त अमरीका सदैव ही भारत की प्रादेशिक अखण्डता का समर्थन करता रहा है।" टर्नोफ ने यह बात भी दोहराई की कि "अमरीकी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि भारत के साथ पहले से ही चले आ रहे उनके अच्छे संबंधों को सुदृढ़ किया जाए तथा क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मसलों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाए।

5. ब्रिटेन के विदेश मंत्री डगलस हर्ल्ड ने 15-16 नवम्बर, तक अपनी भारत यात्रा के दौरान यह स्पष्ट किया कि अमरीका की सहायक सचिव रैफल ने विलय के दस्तावेज की वैधता पर जो संदेह व्यक्त किया है उसे ब्रिटेन की सरकार किसी भी तरह से उपयोगी नहीं मानती है। लगभग पांच दशक पहले जो घटनाएं घटी उनके संबंध में विधिक तर्क-वितर्क आज के संदर्भ में कश्मीर के मसले के किसी राजनीतिक समाधान की परिधि के बाहर है। बताया जाता है कि डगलस हार्ड ने यह कहा है कि "मेरा यह विचार नहीं है कि विधिक तर्क-वितर्कों से कोई समाधान निकलेगा बल्कि समाधान तो राजनीतिक उपायों से निकल सकता है जिनकी रूपरेखा तय करने की मैने कोशिश की है, लेकिन इस बात पर भी सहमति है कि ये कदम अन्यों को उठाने हैं।"

6. सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत के महत्वपूर्ण हितों पर प्रभाव पड़ता हो। जम्मू-कश्मीर के दर्जे के बारे में जो नकारात्मक बातें हैं उनसे केवल भारत सरकार के इस संकल्प को और बल मिलेगा कि भारत की प्रादेशिक एकता और अखण्डता की रक्षा करें।

ट्रक मालिकों की हड़ताल

*48. **श्री सी.पी.मुदाह गिरियप्पा :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूरे देश में ट्रक मालिकों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ओर इसके परिणाम-स्वरूप कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का ट्रक मालिकों के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(क) और (ख). ट्रक चालकों के पथकर, चुंगी को समाप्त करने तथा अन्य मामलों की मांग करते हुए 31 जुलाई से 6 अगस्त, 1993 तक और मिश्रित शुल्क को 5000/- रुपए से कम करके 3000/- रुपए करने की मांग को लेकर 16 सितम्बर, से 28 सितम्बर, 1993 तक दोबार राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। हड़ताल के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) तथा (घ). सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन के आधार पर ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल वापिस ली गयी थी कि परिवहन विकास समिति की एक विशेष वेठक एक अक्तूवर, 1993 को आयोजित की जाएगी। परिवहन विकास परिषद की विशेष वैठक एक अक्तूबर, 1993 को हुई। परिवहन विकास परिषद ने पारित किया कि हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को मिश्रित शुल्क के रूप में 5000/- रुपए वसूल करने पर सहमत थे, को छोड़कर सभी राज्यों में राष्ट्रीय परमिटों के लिए 3000/- रुपए का मिश्रित शुल्क लगाने हेतु द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए।

प्रधान मंत्री की चीन यात्रा

*49. **डा. कृपासिंधु भोई :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने चीन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी चीन के नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या मुख्य परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के वीच किन्हीं समझोतों पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक समझोते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा उनके

क्रियान्वयन के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). प्रधानमंत्री श्री पी. वी.नरसिंहराव ने सितम्बर 6.9.1993 तक चीन की यात्रा की थी। चीन के पालिट ब्यूरो की स्थायी समिति के सात सदस्यों के साथ उन्होंने आपसी हितों के व्यापक विषयों पर चर्चा की।

2. प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की जिसमें उच्च स्तरीय दौरे, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, शिक्षा एवं संस्कृति क्षेत्रों में सहयोग तथा आदान-प्रदान एवं सीमा का प्रश्न शामिल था। क्षेत्रीय मसले जैसे भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध जिसमें पाकिस्तान की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के प्रति हमारी चिंता और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जैसे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई। इन चर्चाओं से यह आभास मिला कि दोनों पक्षों में इस बातचीत को जारी रखने और दोनों देशों के बीच सहमति के क्षेत्र को बढ़ाने के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की। यह यात्रा द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी रही चूंकि बहुधुर्वीय विश्व में शक्ति के स्वतंत्र केन्दों जैसे चीन और भारत के बीच आपसी सहमति की अपनी अलग ही महत्वता है। द्विपक्षीय रूप में यह यात्रा भारत के सबसे बड़े पड़ोसी देश के साथ स्थायी शांति की ओर प्रयास के लिए जानी जाएगी। सरकार इस प्रयास के जारी रहने की आशा रखती है।

3. इस यात्रा के दौरान चार करारों पर हस्ताक्षर हुए एक करार भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमा पर शांति बनाए रखने से संबंधित था। पर्यावरण सुरक्षा के मामले में सहयोग से सम्बद्ध करार, रेडियो और टेलीविजन में सहयोग के सम्बद्ध करार, शिपकिला दर्रे के जरिए सीमावर्ती व्यापार के विस्तार से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

4. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थायित्व से सम्बद्ध करार एक समर्थकारी करार है जिसके अनुसार दोनों देश विश्वासोत्पादक उपाय करेंगे जैसे बलों की पुनः तैनाती, सैनिक-अभ्यासों की पूर्व सूचना देना, हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण रोकने के लिए उपाय करना तथा सीमा पर तैनात कमांडरों की और अधिक नियमित तथा जल्दी-जल्दी बैठकें करना। एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जा रहा है जो इन प्रबंधों की रूपरेखा तय करेगा तथा जहां नियंत्रण रेखा तय करने के बारे में मतभेद हैं वहां नियंत्रण रेखा की सही स्थिति तय करेगा। इस करार का सीमा संबंधी प्रश्न पर दोनों देशों की अपनी-अपनी स्थितियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि इस विशेषज्ञ दल की शीघ्र ही बैठक होगी।

5. पर्यावरण संरक्षण से सम्बद्ध करार द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ जैविक भिन्नता, सार्वभौमिक जलवायु में परिवर्तन तथा ओजोन परत की संरक्षण जैसे सार्वभौमिक पर्यावरण मसलों पर सहयोग की रूपरेखा तय करता है। विशेषज्ञों तथा आंकड़ों के आदान-प्रदान एवं सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं, विचार गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण परियोजनाओं के जरिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए जो उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तय किए गए हैं उनमें अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन, पर्यावरण शिक्षा तथा विधान से सम्बद्ध क्षेत्र शामिल हैं। रेडियो और टेलीविजन में सहयोग से सम्बद्ध करार में गीत-संगीत तथा रेडियो टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान एवं टेलीविजन प्रतिनिधिमंडलों तथा प्रसारण दलों के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था है। सीमावर्ती व्यापार से सम्बद्ध प्रोतोकोल में यह व्यवस्था है कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती व्यापार के लिए अतिरिक्त मार्ग के रूप में शिपकिला दर्रे का प्रयोग किया जाएगा। व्यापार, हाट, हिमाचल प्रदेश के किन्नोर जिले के नामग्या तथा तिब्बत के जिऊबा में लगाये जायेंगे। उम्मीद है कि शिपकिला दर्रे के जरिए सीमावर्ती व्यापार 1994

में बहाल हो जाएगा तथा अन्य दो करारों के प्रावधानों को भी कार्यरूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय श्रमिक

*50. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों को परेशान किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो 1992 और 1993 के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने श्रमिकों को देश में वापस लाया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जी हां।

•(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाएं

*51. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर अनियोजित विकास और अतिक्रमण के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कुछ राज्य सरकारों ने मुम्बई राजमार्ग अधिनियम, 1955 के समरूप कानून बनाए हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ अवैध बस्तियों का निर्माण और अतिक्रमण सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कई कारणों में से एक है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). जी हां। राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1992 के लिए संघ सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन पिछले ही गत वर्ष में भेजा जा चुका है।

बिजली की कमी

*52. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न भागों में कृषि, घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में हो रही कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय बिजली की मांग और आपूर्ति कितनी-कितनी है;

(ग) बिजली की आपूर्ति में इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में बिजली की आपूर्ति की कमी को दूर करने हेतु सरकार का क्या-क्या उपाय करने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ग). ऊर्जा की बिक्री के अनुसार 1988-89 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान देश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं/यूटिलिटीज द्वारा उपभोग की गई विद्युत का ब्यौरा निम्नवत है :

ऊर्जा की बिक्री (मिलियन यूनिट)

वर्ष	जोड़	घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक	ट्रेक्शन	कृषि	अन्य
1988-89	160196.43	24767.67	9915.17	75411.64	3772.26	38879.37	7451.32
		(15.46)	(6.19)	(47.08)	(2.35)	(24.27)	(4.65)
1989-90	175410.95	29576.75	9548.08	80694.32	4069.66	44055.95	7474.23
		(16.86)	(5.44)	(46.00)	(2.32)	(25.12)	(4.26)
1990-91	190357.39	31982.37	11180.99	84248.96	4112.38	50321.40	8551.29
		(16.80)	(5.8)	(44.24)	(2.16)	(26.44)	(4.49)
1991-92	207644.79	35853.70	12031.61	87288.57	4519.56	58557.17	9394.09
		(17.2)	(5.79)	(42.04)	(2.78)	(28.20)	(4.52)
1992-93	220670.74	39581.19	12379.97	89488.45	5584.81	63773.49	9862.83
		(17.94)	(5.61)	(40.55)	(2.53)	(28.90)	(4.47)

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल बिक्री की प्रतिशतता का द्योतक हैं।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि सभी क्षेत्रों में उपभोग की मात्रा बढ़ रही है लेकिन उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। घरेलू तथा कृषि उपभोग को प्रतिशतता की मात्रा बढ़ रही है जबकि औद्योगिक उपभोग की प्रतिशतता की मात्रा घट रही है। अतः ऐसा कहना उचित नहीं है कि घरेलू श्रेणी हेतु ऐसी प्रवृत्ति है कि कम विद्युत सप्लाई की जा रही है।

कृषि क्षेत्र के उपभोग की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो कि देश के लिये विकास का प्रमुख क्षेत्र है। कुछ वृहद् उद्योग कर्भी अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित कर रहे हैं ताकि राज्य ग्रिड द्वारा सप्लाई की गई विद्युत की आपूर्ति की जा सके।

(ख) अप्रैल, 93–अक्तूबर, 93 के दौरान राज्यवार विद्युत सप्लाई की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1993-94 के लिए 4439.25 मे.वा. की क्षमता जोड़े जाने के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। इसमें 954.65 मे. वा. जल विद्युत, 3264.6 मेगावाट ताप विद्युत और 220 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत शामिल है जिसमें से अप्रैल-नवम्बर, 1993 के दौरान 973.9 मेगावाट की क्षमता चालू की जा चुकी है। राज्यवार/परियोजना वार ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार किये जाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :-. विद्यमान विद्युत उत्पादन प्रणाली से इष्टता विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन हेतु प्रचार की व्यवस्था करना तथा निकटवर्ती राज्यों एवं प्रणालियों से सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था करना।

विवरण -1

अप्रैल, 93–अक्टूबर, 93 के लिए वस्तुतः विद्युत सप्लाई की स्थिति

(आंकड़े मि.यू.निवल में)

क्षेत्र/राज्य	अप्रैल, 93 - अक्टूबर, 1993			
प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	422	422	0	0.0%
दिल्ली	6685	6571	114	1.7%
हरियाणा	7025	6499	526	7.5%
हिमाचल प्रदेश	914	914	0	0.0%
जम्मू व कश्मीर	1945	1673	272	14.0%
पंजाब	12190	11717	473	3.9%
राजस्थान	8495	8051	444	5.2%
उत्तर प्रदेश	18895	16917	1978	10.5%
जोड़ उ. क्षेत्र	56571	52764	3807	6.7%

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	17025	16234	791	4.6%
मध्य प्रदेश	12355	11765	590	4.8%
महाराष्ट्र	25615	24425	1190	4.6%
गोवा	495	492	3	0.6%
जोड़ (प. क्षेत्र)	55490	52916	2574	4.6%
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	16035	15106	929	5.8%
कर्नाटक	12350	9552	2798	22.7%
केरल	4520	4430	90	2.0%
तमिलनाडु	15515	15077	438	2.8%
जोड़ (द. क्षेत्र)	48420	44165	4255	8.8%
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	4955	3331	1574	31.0%
दा.घा.निगम	4530	3964	566	12.5%
उड़ीसा	5140	4530	610	11.9%
पश्चिम बंगाल	7480	7029	451	6.0%
जोड़ (पू. क्षेत्र)	22105	18904	3201	14.5%
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	88.1	58.4	29.7	33.7%
असम	1409.8	1303.3	106.5	7.6%
मणिपुर	165.9	163.4	2.5	1.5%
मेघालय	157.2	157.2	0.0	0.0%
मिजोरम	66.4	64.9	1.5	2.3%
नागालैण्ड	86.5	85.5	1.0	1.2%
त्रिपुरा	156.1	138.3	17.8	11.4%
जोड़ (उ.पू.क्षेत्र)	2130.0	1971.0	159.0	7.5%
अखिल भारत	184706	170720	13986-0	7-6%

करने की परिकल्पना है।

(ङ) राजधानी के इर्द-गिर्द राष्ट्रीय क्षेत्र के कस्बों में अपेक्षाकृत प्रतीक्षा अवधि कम होने से दिल्ली में टेलीफोन के लिए भीड़ कम होने की संभावना है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन

*59. **श्री राम नाईक** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान जवाहर लाल नेहरू पत्तन का अनुमानित कार्यनिष्पादन क्या रहा;

(ख) कम कार्यनिष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस पत्तन से प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने की अपेक्षा थी और यहां प्रतिदिन वस्तुतः कितने घंटे कार्य हुआ; और

(घ) इस पतन की अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन की वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 की उत्पादकता नीचे दर्शाई गयी है :

कार्गो	1990-91	1991-92	1992-93
कन्टेनर (टी ई यू/क्रेन/घण्टा)	9.2	10.1	9.6
शुष्क बल्क (एम टी/जहाज/दिन)	2202	3028	2915

(ख) कम उत्पादकता के संक्षिप्त कारण निम्नलिखित हैं :

कन्टेनर टर्मिनल

(1) कन्टेनर हैंडलिंग उपकरणों में अन्तर्निहित कमियों के कारण ये सामान्य से अधिक बार खराब रहे।

(2) भोजन-अवकाश और पारी बदलने के समय अत्यधिक समय का बेकार होना।

(3) कन्टेनर हैंडलिंग उपकरणों के अभाव के कारण।

बल्क टर्मिनल

(1) पारी बदलने के समय तथा भोजनावकाश के समय अत्यधिक समय का बेकार होना।

(2) बल्क हैंडलिंग उपकरण में अंतर्निहित कमियों के कारण।

(3) कार्गो की आर्द्रताग्राहिता के कारण, उत्पादकता विशेष रूप से मानसून के समय प्रभावित होती है।

(ग) प्रतिदिन पत्तन में 22 1/2 घंटे कार्य किया जाना अपेक्षित है। पिछले तीन वर्षो से पत्तन में औसत 18 घंटे प्रतिदिन कार्य हो रहा है।

(घ) उत्पादकता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

कन्टेनर टर्मिनल

(1) उपकरण की डिजाइन संबंधी कमियों का पता लगाने और उपकरणों की अनुरक्षणीयता और विश्वसनीयता में सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के प्रयोजन से इनकी तकनीकी संपरीक्षा की गयी थी। इसके सुझाव लागू किए जा रहे हैं और भंग-काल कम करने के लिए परिवर्तन किए गए हैं।

(2) अतिरिक्त उपकरण किराए पर लिया गया है।

(3) यार्ड के बेहतर नियोजन के लिए अतिरिक्त यार्ड क्षेत्र में खड़ंजा डाला जा रहा है।

(4) पारी बदलने/भोजनावकाश के समय निर्बाध रूप से कार्य जारी रखे जाने के लिए मजदूर संघों से बातचीत की जा रही है, जिससे कम समय बेकार होगा तथा उत्पादकता बढ़ेगी।

(5) कन्टेनर टर्मिनल के कामकाज का अध्ययन करने तथा उत्पादकता के स्तर में सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए पै. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टी सी एस) को नियुक्त किया गया है।

बल्क टर्मिनल

(1) उपकरण की विवश्सनीयता और अनुरक्षणीयता का विश्लेषण करने तथा उनमें सुधार हेतु किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सुझावों के लिए तकनीकी परीक्षा की गयी थी। सुझाए गए परिवर्तन चरणबद्ध रूप में किए जा रहे हैं।

(2) बैगिंग प्लांट प्रचालनों को ठेके पर दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

नदियों की नौगम्यता

*60. **श्री के. प्रधानी** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पड़ने वाले यमुना के भाग को नौवहन योग्य बनाने की संभावनाओं का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश की कुछ अन्य नदियों में भी नौचालन संबंधी सुविधाओं का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में कोई अध्ययन भी कराया गया है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) यूंकि यमुना का राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने की नदी के रूप में पता नहीं लगाया गया है, इसलिए नौचालन हेतु इसे विकसित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की है। तथापि,

नवम्बर, दिसम्बर, 1988 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दिल्ली में वजीराबाद बराज से ओखला बराज तक 23 कि. मी. तक यमुना में जल-सर्वेक्षण किया गया था। अध्ययन से 0.3 मीटर से 14 मीटर तक की गहराई की नौगम्यता का पता लगा और नौचालन की न्यूनतम गहराई जहां आवश्यक हो, निकर्षण से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन की यमुना विकास परियोजना में नौगमन अपेक्षाओं को उपयुक्त रूप से शामिल करके अगली आवश्यक कार्यवाही हेतु उन्हें जनवरी, 1999 में भेज दी गयी थी।

(ख) तथा (ग). जी हां,। राष्ट्रीय जनमार्गो के रूप में घोषित किए जाने पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (एन टी पी सी) द्वारा मालूम किए 10 जलमार्गों में से गंगा, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी तटीय नहर में अध्ययन किए गए थे और इन्हें क्रमशः 1986, 1988 और 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया था। सुन्दरबन, गोदावरी, कृष्णा, महानदी/ब्राह्मणी और नर्मदा में भी अध्ययन किए गए थे। यद्यपि सुन्दरबन पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति आदि के अध्यधीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अन्य चार नदियों पर पर्याप्त जल अथवा कार्गो की कम मात्रा अथवा दोनों के कारण तुरन्त जलमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया गया। गोवा तथा तापी नदियों का अभी अध्ययन किया जाना है।

पूर्व तटीय नहर में कलकत्ता से पारादीप तक और पश्चिमी तटीय नहर में विलोन से कोवलम तक अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

381. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें लगाने हेतु स्थान और इनकी क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक चालू किया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) केरल सर्किल में वर्ष 1993-94 के दौरान तीन नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। ये एक्सचेंज हैं :

(1) पुन्नापाड़ा - 512 आईएलटी (अलेप्पी)

(2) नीलामेल - 256 पोर्ट सी-डॉट (रैक्स) क्यूलोन

(3) पुलियामाला - 128 पोर्ट सी-डॉट आरएएक्स (इदूक्की)

(ग) पुन्नापाड़ा में एक्सचेंज पहले ही चालू किया जा चुका है। 1993-94 की चौथी तिमाही के दौरान नीलामेल, पुलियामाला में नए एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

परिवहन नीति

382. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञों ने देश की परिवहन नीति की समीक्षा करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता और प्रबंधन सेवा विभाग ने देश के वर्तमान परिवहन परिदृश्य एवं महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करने के लिए और इसकी परिवहन संबंधी आवश्यकताओं का मूल्याकंन करने के प्रयोजन से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक परिवहन आवश्यकता मूल्याकंन मिशन को लगाया है। इस मिशन की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता

383. **श्री परसराम भारद्वाज** :

श्री बी. देवराजन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य स्वीकार किए जाने के पक्ष में हैं;

(ख) क्या इस मुद्दे पर कुछ अन्य देश भी भारत के पक्ष में हैं; और

(ग) यदि हां, तो डच प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की भूमिका के संबंध में दिये गये सुझाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 47/62 के अनुपालन में सुरक्षा परिषद की संरचना की संभावी समीक्षा पर सदस्य राज्यों की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो पत्र लिखा है उसके उत्तर में नीदरलैण्ड ने भारत का उल्लेख नहीं किया है इस समय किसी देश विशेष की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा रहा है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने सामान्य संदर्भ में ही कहा है कि सुरक्षा परिषद् का विस्तार किए जाने की जरूरत है।

समाचार पत्र उद्योग

384. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्र उद्योग की समस्याओं की जानकारी है जैसा कि 22 सितम्बर, 1993 को नई दिल्ली में इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में बताई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लघु समाचार पत्रों विशेषकर भाषा, साप्ताहिकों की अर्थक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). सरकार को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी (आईएनएस) की 22.9.1993 को आयोजित वार्षिक आम बैठक पर समाचार पत्र रिपोर्टों के बारे में जानकारी है। समाचार पत्र रिपोर्टों में आई.एन.एस. द्वारा अखबारी कागज आयात नीति को और उदार बनाने की मांग पर जोर दिया गया था। वर्तमान में स्वदेशी अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि कई बार प्रभावित हुई तथा समाचार पत्र उद्योग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली कुछ विशिष्ट मदों पर सीमा शुल्क को कम करने की भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की मांग पर भी रिपोर्टों में प्रकाश डाला गया।

सरकार अपनी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा तथा इसके विकास की नीति के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों में अखबारी कागज की सरल उपलब्धता को सुनिश्चित करने के अलावा लघु तथा मझौले समाचार पत्रों को प्रत्यायन के लिए विशेष विचार, सरकारी विज्ञापन, स्थानीय रूप से प्रासंगिक घटनाक्रम लेख, फोटोग्राफ आदि उपलब्ध करवाने जैसी अधिक से अधिक सेवा उपलब्ध करवाती है परंतु चूंकि प्रेस सरकार के नियंत्रण में नहीं है इसलिए एक जीवनक्षम तथा स्वावलम्बी प्रेस प्रकाशकों की प्रबन्धात्मक कौशल पर अत्यधिक निर्भर करती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में एस. टी. डी./पी. सी. ओ.

385. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1992-93 के दौरान कितने आई.एस.डी./एस.टी.डी., पी.सी.ओ. एकक स्थापित किये गये; और

(ख) सरकार ने इस अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की और इनसे कितना धन अर्जित किया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) राजस्थान में 1992-93 के दौरान स्थापित किए गए आई.एस.डी./एस.टी.डी., पी.सी.ओ. की संख्या 1341 है।

(ख) 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा इस पर खर्च की गई राशि 1,78,40,310 रु. है और इनसे अर्जित की गई राशि 17,19,01,946 रु. है।

[अनुवाद]

भारत–पाक क्रिकेट मैच

386. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लंदन में आयोजित भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय समर्थकों पर हमला किया और भारतीय ध्वज जलाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बर्तानिया के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बर्तानिया की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) "गावस्कर एकादश" तथा "इमरान एकादश" के बीच एक क्रिकेट मैच क्रिस्टल पैलेस, लंदन में 30 अगस्त, 1993 को खेला गया था। मैच समाप्त होने में थोड़ी देर पहले ही, कुछ पाकिस्तानी समर्थक मैदान में घुस आए। पिच को नुकसान पहुंचाया, विकेट तोड़ डाले तथा भारतीय खिलाड़ियों को डराने-धमकाने की कोशिश की जिसके परिणामतः मैच स्थगित कर दिया गया। बाद में उपद्रवियों ने भारतीय झण्डा भी जलाया।

(ग) जी हां। इस वारदात में पूर्व ही लंदन में हमारे हाई कमीशन ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए सचेत कर दिया था कि पाकिस्तानी तत्व मैच में गड़बड़ी फैला सकते है। वारदात के बाद हमारे हाई कमीशन ने मामले को तत्काल, ब्रिटेन की सरकार के साथ उठाया और अनुरोध किया कि उपद्रव मचाने तथा डराने-धमकाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार ने अलग से भी इस मामले को नई दिल्ली स्थिति ब्रिटेन के हाई कमीशन के साथ उठाया था।

(घ) ब्रिटेन के प्राधिकारियों ने इस वारदात पर गहरा खेद प्रकट किया था, पुलिस ने एक फौजदारी मामला दर्ज किया था और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

सिंगापुर जेल में भारतीय श्रमिक

387. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की ओर से पुनर्वास सहायता उपलब्ध न कराये जाने के कारण कई मजदूर सिंगापुर की जेलों में पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). सिंगापुर में गैर कानूनी प्रवास के कारण वहां की जेल में 30 अक्टूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार 251 ऐसे लोग थे जो भारतीय राष्ट्रिकता का दावा करते हैं। उनमें से कुछ लोगों को यात्रा दस्तावेज की जरूरत है

जो उन्हें तभी जारी किए जा सकते हैं जब भारत के संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों अथवा भारत की राज्य सरकारों के परामर्श से उनकी भारतीय राष्ट्रीकता की पुष्टि हो जाए। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के बाद उन्हें सिंगापुर की सरकार वापस भारत भेज सकती है।

ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि भारतीय श्रमिकों का शरारती तत्वों द्वारा शोषण किया जाता है। रोजगार संबंधी धोखाधड़ी के मामलों की सूचना उपचारी कार्यवाही के लिए संबंधित ऐजेन्सियों को दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

388. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1991-92 के अन्त तक कितने गांवों में डाकघर नहीं थे;

(ख) राज्य में अलग-अलग श्रेणियों के डाकघर वाले गांवों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ग) इस समय डाकघर सहित गांवों की जिलावार संख्या क्या है; और

(घ) खोले जाने वाले डाकघरों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) उत्तर प्रदेश में 31.3.92 को ऐसे गांवों की संख्या 90285 थी जिनमें डाकघर नहीं थे।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वर्तमान वार्षिक योजना 1993-94 के दौरान सर्किल के लिए 93 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 12 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

टेलिफोन कनैक्शन

389. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 को टेलिफोन कनैक्शन हेतु सर्कल-वार कितने आवेदन लंबित थे;

(ख) जनवरी से सिंतबर, 1993 के दौरान कितने अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने कनैक्शन लगाए गए;

(घ) 1 अक्टूबर 1993 को कितने आवेदन लंबित थे; और

(ङ) कितने आवेदन एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क), (ग) और (घ). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल/जिले का नाम	भाग(क) 1.1.93 को लंबित आवेदनों की संख्या	भाग(ख) जनवरी-सित.,93 के दौरान प्राप्त अतिरिक्त आवेदनों की संख्या	भाग(ग) 1.10.93 तक प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या	भाग(घ) 1.10.93 को लंबित आवेदनों की संख्या	भाग(ङ) 1.10.93 एक वर्ष से अधिक से लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	186905		57606		199466
2.	असम	14471		12250		12951
3.	बिहार	36302		33369		48812
4.	गुजरात	231468		72410		241387
5.	हरियाणा	89186		25414		76616
6.	हिमाचल प्रदेश	15104		7181		17204
7.	जम्मू एवं कश्मीर	22382		2142		23672
8.	कर्नाटक	191602		53311		199522
9.	केरल	296227		64528		325913
10.	मध्य प्रदेश	108220		67225		95648
11.	महाराष्ट्र	264880		56728		287604
12.	उत्तर पूर्व	7796		8895		7823
13.	उड़ीसा	9837		9535		11070

1	2	3	4	5	6	7
14.	पंजाब	179380		27179	204578	
15.	राजस्थान	178973		46768	193928	
16.	तमिल नाडु	189668		41996	225680	
17.	उत्तर प्रदेश	149636		64554	157735	
18.	पश्चिम बंगाल	16906		8621	22283	
19.	बम्बई	221282		91087	218758	
20.	कलकत्ता	54509		20609	68757	
21.	दिल्ली	379035		65807	355260	
22.	मद्रास	104359		18025	115534	

पेप्सी के विरुद्ध धोखाधड़ी

390. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो भारतीय-अमरीकी निवेशकों ने कथित रूप से उन्हें धोखाधड़ी में लिप्त होने के कारण संघीय जिला न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो पेप्सी के विरुद्ध मुख्य-मुख्य क्या आरोप लगाए गए हैं;

(ग) क्या पेप्सी भी पहले धोखाधड़ी के कई मामलों में लिप्त रही थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). मैसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड ने सूचना दी है कि एक बॉलटर के खिलाफ दो भारतीय अमरीकियों द्वारा संघीय जिला अदालत में दायर एक मुकदमा लंवित है। इसमें पेप्सी फूड्स लिमिटेड का उल्लेख सह प्रतिवादी के रूप में किया गया है। इन्हीं दो भारतीय अमरीकियों ने ऐसा ही मुकदमा कैलीफोर्निया की एक और उच्च अदालत में दायर किया था जहां उसे खारित कर दिया गया।

[हिन्दी]

विद्युत की खपत

391. **श्री उदय प्रताप सिंह** :

श्री विश्वेश्वर भगत :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1993 को प्रत्येक राज्य में और पूरे देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत कितनी थी;

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विद्युत की आवश्यकता की तुलना में कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार प्रतिव्यक्ति विद्युत की खपत संलग्न विवरण में दी गई है। जून, 1993 तक के आंकड़ें अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में वास्तव में की गई बिजली की पूर्ति संबंधी स्थिति निम्नवत हैं :

अवधि-अप्रैल-अक्टूबर, 1993

(आंकड़ें मि.यू. निवल में)

	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
आवश्यकता	18895	12355
उपलब्धता	16917	11765
कमी	1978	590
प्रतिशत	10.5	4.8

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी का मुख्य कारण विद्युत उपलब्धता की अपेक्षा विद्युत की मांग का अधिक होना है।

(ग) उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता में सुधार के लिए किए जा रहे

विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : विद्यमान विद्युत उत्पादन प्रणाली से ईष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, वितरण एवं पारेषण हानि में कमी करना, प्रभावी भार प्रबन्धत एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय करना एवं पड़ोसी राज्यों और प्रणालियों से सहायता उपलब्ध कराना।

विवरण

(यूटिलिटीज एवं गैर-यूटिलिटीज)

(कि.वा.आ.में)

क्षेत्र/राज्य का नाम	1992-93*
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	506.68
हिमाचल प्रदेश	207.33
जम्मू व कश्मीर	186.40
पंजाब	680.56
राजस्थान	247.56
उत्तर प्रदेश	178.93
चंडीगढ़	707.24
दिल्ली	823.91
उप-जोड़	282.44
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	525.11
मध्य प्रदेश	278.44
महाराष्ट्र	444.01
गोवा	545.12
दमन और दीव	1014.70
दादर और नगर हवेली	1172.93
उप-जोड़	404.83

क्षेत्र/राज्य का नाम	1992-93*
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	304.50
कर्नाटक	304.89
केरल	194.41
तमिलनाडु	365.56
पांडिचेरी	855.06
लक्षद्वीप	182.80
उप-जोड़	307.76
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	112.29
उड़ीसा	286.04
प. बंगाल	157.75
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	169.72
सिक्किम	113.93
उप-जोड़	158.25
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	
असम	90.91
मणिपुर	105.04
मेघालय	127.78
नागालैण्ड	72.85
त्रिपुरा	58.53
अरुणाचल प्रदेश	66.67
मिजोरम	71.53
उप-जोड़	89.15
जोड़ (अखिल भारत)	281.48

*अनन्तिम

गुजरात में विद्युत क्षेत्र के लिए अनुदान

392. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए गुजरात में विद्युत क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान गुजरात में विद्युत क्षेत्र में. सुधार लाने के लिए आरंभ की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). जी, नहीं। वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, उत्राण ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 (45 मेगावाट) को जुलाई, 1993 में चालू कर दिया गया है और ककरापाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट-2 को दिसम्बर, 1993 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में माइक्रोवेब स्टेशन को उड़ा देना

393. **श्री गुरूदास कामत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में माइक्रोवेब स्टेशन को उड़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नक्सलवादियों की ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) 20.10.93 को प्रातः वीरावल्ली माइक्रोवेव रिपीटर को जो कि हैदराबाद वारंगल 140 मेगा-बिट्स प्रति सेकेण्ड डिजिटल माइक्रोवेब प्रणाली का एक भाग है, उग्रवादियों ने बम से उड़ा दिया। उग्रवादी परिसर में घुस गए और उन्होंने खिड़की से पहरेदार/मजदूर को बन्दूक दिखाकर धमकाया। इस बीच तीन उग्रवादी मुख्य फाटक तोड़कर उपस्कर-कक्ष में घुस गए और उपस्कर कक्ष के अन्दर तीन बम रख दिए। उग्रवादियों ने मजदूर को बाहर निकाल दिया और उसके बाद बम विस्फोट हुआ। माइक्रोवेब उपस्कर, वेव गाईड और वातानुकूलन यंत्र पूरी तरह नष्ट हो गए अगला दरवाजा पूरी तरह टूट गया और भवन के दीवालों तथा छत में भी दरारें आ गईं।

(ग) मार्च, 93 में दूरसंचार आयोग तत्कालीन अध्यक्ष ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, को यह लिखा था कि राज्य में महत्वपूर्ण दूरसंचार संस्थापनाओं को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। स्थायी तौर पर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु ग्यारह दूरसंचार केन्द्रों को चुना गया और उनमें से आठ को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वीरावल्ली में, जिसे पहले एक संवेदनशील स्थल नहीं माना गया था, चौबीस घंटे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आन्ध्र प्रदेश में सभी संवेदनशील संस्थापनाओं में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु राज्य सरकार के साथ निकट संपर्क रखा जा रहा है।

चण्डीगढ़ में डाकघर

394. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में इस समय सेक्टरवार कार्यरत डाकघरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेक्टर 24, 28, 45, 38, 41, 43 और मलोया कालोनी में नये डाकघर खोलने की निरन्तर मांग की जा रही है और वर्तमान मानदण्डों के अनुसार सेक्टर 38, 45 और मलोया कालोनी संबंधी प्रस्ताव उचित पाये गये थे और स्वीकृति हेतु सरकार को भेजे गये थे;

(ग) यदि हां, तो आवश्यक स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने विभागोत्तर उप-डाकघर/शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता पर विचार किया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) चण्डीगढ़ में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों का सेक्टरवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) चण्डीगढ़ के सेक्टर 24, 28, 38, 41, 43, 44, 45 तथा मालोया कालोनी में डाकघर खोलने के अनुरोध प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई। प्राथमिक जांच से यह पता चला कि ऊपर उल्लिखित अधिकांश स्थानों में डाकघरों खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता। तथापि, मालोया कालोनी, सेक्टर 38 और सेक्टर 44 में डाकघर खोलने के प्रस्तावों की विस्तृत जांच की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की नीति शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोलने की नहीं है।

विवरण

चण्डीगढ़ में मौजूदा डाकघरों का ब्यौरा

क्र.सं.	सेक्टर	डाकघर का नाम
1.	सेक्टर-1	1. न्यू सेक्रेटरिएट पोस्ट आफिस
2.	सेक्टर-1	2. विधान सदन पोस्ट आफिस
3.	सेक्टर-2	1. हाई कोर्ट पोस्ट आफिस
4.	सेक्टर-7	1. राज भवन पोस्ट आफिस
5.	सेक्टर-8	1. सेक्टर-8 पोस्ट आफिस
6.	सेक्टर-9	1. सेक्टर-9 पोस्ट आफिस
7.	सेक्टर-9	2. मिनी सेक्रेटरिएट पोस्ट आफिस

8.	सेक्टर-9	3. सीडीए वेस्टर्न कमांड पोस्ट आफिस
9.	सेक्टर-10	1. सेक्टर-10 पोस्ट आफिस
10.	सेक्टर-11	1. सेक्टर-11 पोस्ट आफिस
11.	सेक्टर-12	1. पी.जी.आई. पोस्ट आफिस
12.	सेक्टर-12	2. इंजीनियरिंग पोस्ट आफिस
13.	सेक्टर-13	1. पंजाब यूनिवर्सिटी
14.	सेक्टर-15	1. सेक्टर-15 पोस्ट आफिस
15.	सेक्टर-16	1. सेक्टर-16 पोस्ट आफिस
16.	सेक्टर-17	1. बस स्टैंड पोस्ट आफिस
17.	सेक्टर-17	2. चण्डीगढ़ जीपीओ
18.	सेक्टर-18	1. सेक्टर-18 पोस्ट आफिस
19.	सेक्टर-19	1. सेक्टर-19 पोस्ट आफिस
20.	सेक्टर-20	1. सेक्टर-20 पोस्ट आफिस
21.	सेक्टर-21	1. सेक्टर-21 पोस्ट आफिस
22.	सेक्टर-22	1. सेक्टर-22 पोस्ट आफिस
23.	सेक्टर-23	1. सेक्टर-23 पोस्ट आफिस
24.	सेक्टर-26	1. ग्रेन मार्किट पोस्ट आफिस
25.	सेक्टर-27	1. सेक्टर-27 पोस्ट आफिस
26.	सेक्टर-29	1. सेक्टर-29 पोस्ट आफिस
27.	सेक्टर-31	1. सेक्टर-31 पोस्ट आफिस
28.	सेक्टर-34	1. सेक्टर-34 पोस्ट आफिस
29.	सेक्टर-36	1. सेक्टर-36 पोस्ट आफिस (विभागीय भवन का निर्माण होने तक अस्थायी तौर से बंद)
30.	सेक्टर-40	1. सेक्टर-40 पोस्ट आफिस
31.	सेक्टर-46	1. सेक्टर-46 पोस्ट आफिस
32.	सेक्टर-47	1. सेक्टर-47 पोस्ट आफिस

33. इंस्ट्रियल एरिया पोस्ट आफिस

34. न्यू इंस्ट्रियल एरिया पोस्ट आफिस

35. राम दरबार पोस्ट आफिस आईएमई एरिया फेस-11

36. गवर्नमेंट प्रेस पोस्ट आफिस

पासपोर्ट कार्यालयों में रिक्त पद

395. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पासपोर्ट कार्यालयों में रिक्त पद न भरे जाने के कारण पासपोर्ट के लिए आवेदनपत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या में वृद्धि विभिन्न कारणों से हुई, जैसे कि 1991 और 1992 में नए आवेदन-पत्रों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी, पासपोर्ट पुस्तिकाओं की उपलब्धता में कमी और कर्मचारियों की संख्या में कमी।

(ख) और (ग). केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों में रिक्तियां होती रही हैं, इन रिक्तियों को नियमानुसार पदोन्नति, भर्ती अथवा पात्र अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा रहा हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सोया संयंत्र

396. **श्री बारेलाल जाटव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** 16 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नया सोया संयंत्र स्थापित करने और किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

397. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक कितने प्रतिशत टेलिफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1993 के दौरान किन-किन स्थानों पर नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) जिलावार उन ग्राम पंचायतों का ब्यौरा क्या है जहां 1991-92 के दौरान टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) स्थानों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

मध्य प्रदेश में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम इस प्रकार हैं

31.10.93 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों की कुल संख्या	1953
(1) 7वीं योजना के दौरान :	
(क) 31.3.85 को चालू टेलीफोन एक्सचेंज	629
(ख) 85-90 के दौरान खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज	463
(ग) संस्थापना का प्रतिशत	73.6
(11) 90-93 के दौरान	
(क) 31.3.90 को चालू एक्सचेंज	1092
(ख) 90-93 के दौरान खोले गए एक्सचेंज	861
(ग) संस्थापना का प्रतिशत	78.5%

विवरण-2

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
1.	दातरेंगा	रायपुर	4.	दौराना	गुना
2.	मुरिया	राजनंदगांव	5.	गोपालिया	गुना
3.	पेंची	गुना	6.	गझीबधोत	शिवपुरी

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
7.	पांडूला	भोरेना	13.	चामरीखुर्द	सिवनी
8.	गायत्री नगर	देवास	14.	बरेठा	नरसिंहपुर
9.	दतियागांव	धार	15.	बगोली	बालाघाट
10.	नवासा	धार	16.	मिरगपुर	बालाघाट
11.	सेजावाता	रतलाम	17.	शाहपुर	माण्डला
12.	कालरबंकी	सिवनी	18.	ककैया	माण्डला

विवरण-3

1991-92 के दौरान जिन ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं उनके जिलावार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	उन ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जहां 1991-92 में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई	क्र.सं.	जिला	उन ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जहां 1991-92 में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई
1.	बालाघाट	68	14.	गुना	72
2.	बस्तर	204	15.	ग्वालियर	112
3.	बेतूल	42	16.	होशंगाबाद	83
4.	भिण्ड	25	17.	इन्दौर	85
5.	भोपाल	65	18.	जबलपुर	172
6.	विलासपुर	225	19.	झबुआ	57
7.	छत्तरपुर	98	20.	खाण्डवा	84
8.	छिन्दवाड़ा	82	21.	खरगोन	145
9.	दमोह	64	22.	माण्डला	51
10.	दतिया	44	23.	मन्दसौर	103
11.	देवास	43	24.	मोरेना	101
12.	धार	82	25.	नरसिंहपुर	87
13.	दुर्ग	90	26.	पन्ना	10

1	2	3	1	2	3
27.	रायगढ़	150	36.	सतना	101
28.	रायपुर	265	37.	सिहोर	85
29.	रायसेन	76	38.	सिवनी	49
30.	राजगढ़	41	39.	शहडोल	55
31.	राजनंदगांव	88	40.	शाजापुर	112
32.	रतलाम	54	41.	शिवपुरी	32
33.	रिवा	57	42.	सीधी	54
34.	सागर	151	43.	टिकमगढ़	76
35.	सरगुजा	45	44.	उज्जैन	125
			45.	विदिशा	95

[अनुवाद]

केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

398. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन क्षेत्रों के लिए विदेशी निवेशकों और अनिवासी भारतीयों से कोई निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख). मंत्रालय ने केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया है किन्तु मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना स्कीमों के अन्तर्गत ऐसे अध्ययन कराने के लिए राज्य सरकारों आदि को सहायता दी जाती है। ऐसे अध्ययन करने के लिए सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय की आठवीं योजना स्कीमों जिनका सार संलग्न है, में खाद्य उद्योगों के विकास के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों हेतु सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम है। इन स्कीमों के अन्तर्गत 1992-93 में मछली के लिए कोल्ड चेन की स्थापना हेतु केरल को 75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए योजना स्कीम के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ). सरकार को गहन समुद्री मात्स्यिकी परियोजनाओं के लिए विदेशी/अनिवासी भारतीय इक्विटी भागीदारी वाले दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है और दूसरे पर केरल में समन्वित बागवानी विकास की एक स्कीम के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 28.7 लाख ई.सी.यू. की सहायता मंजूर की है। इस कार्यक्रम में अधिक कीमत वाली बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने, इन फलों ओर सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक प्रसंस्करण उद्योग के विकास आदि की परिकल्पना है। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान और विकास घटक, विस्तार सेवाएं, विपणन सहायता आदि की भी परिकल्पना है। केरल सरकार ने सूचना दी है कि परियोजना का काम कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

विवरण

योजना स्कीमों का सार

(क) खाद्यान्न प्रसंस्करण सेक्टर

1. फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई.आई.टी., खड़गपुर।
2. धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर।
3. प्रादेशिक प्रसार सेवा केन्द्र।
4. अनुसंधान और विकास स्कीमें।
5. चावल मिलिंग मशीनरी और अनुषंगी उपकरण परीक्षण केन्द्र।
6. चावल मिलों का आधुनिकीकरण।
7. खाद्य इंजीनियरी केन्द्र स्थापित करना।

(ख) फल और सब्जी प्रसंस्करण

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की स्कीम।
2. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने में सहायता के लिए योजना।
3. प्रसंस्करणकर्त्ताओं और उत्पादकों के बीच बैकवर्ड लिंकेज सुदृढ़ करने की स्कीम/जांच केन्द्र।
4. खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सहायता स्कीम।
5. हाप्स के विकास और प्रसंस्करण के लिए सहायता।
6. प्रसंस्कृत खाद्यों पर और विपणन सहायता की व्यवस्था के लिए व्यापक विज्ञापन।
7. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास।

(ग) मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण

1. राष्ट्रीय पशुधन उत्पाद विकास परिषद की स्थापना।

2. सुअर मांस प्रसंस्करण का विकास।

3. भेड़, बकरी और खरगोश मांस के प्रसंस्करण का विकास।

4. पाल्ट्री और अण्डा प्रसंस्करण का विकास।

5. भैंस मांस प्रसंस्करण का विकास।

6. निर्यात के लिए मांस के भण्डारण और ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।

7. विपणन सुविधा का विकास।

8. मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास।

9. मांस प्रसंस्करण तथा विशेष पैकेजिंग के लिए अनुसंधान और विकास।

(घ) मत्स्यन और मछली का प्रसंस्करण

1. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और इसके प्रसंस्करण में भागीदारी हेतु सहायता।

2. गहरे समुद्र में मछली पकड़न वाले पोत की खरीद हेतु ऋण पर ब्याज राजसहायता प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान।

3. विविधिकृत मत्सयन के लिए सहायता।

4. तट रक्षक बल के लिए संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था करके भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिये योजना।

5. कोल्ड चेन की स्थापना के लिए स्कीम।

6. टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण के लिए स्कीम।

7. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता।

8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण।

(ङ) उपभोक्ता उद्योग

1. सोया उत्पादों और भारतीय पारंपरिक खाद्यों और पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास स्कीम।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश।

   क. मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड।

   ख. नेरामक।

(च) सचिवालय आर्थिक सेवाएं

1. नोडल एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए स्कीम।
2. फल एंव सब्जी प्रसंस्करण के विकास के लिये सूचना, प्रशिक्षण, शिक्षा और क्वालिटी पद्धति के लिए फल एवं सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय को मजबूत बनाने की स्कीम।
3. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए स्कीम।
4. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम।
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निष्पादन पुरस्कारों के लिये स्कीम।

[हिन्दी]

टेपों की चोरी

399. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 9 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन में टेपों की चोरी के संबंध में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें लिप्त पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में 29.7.93 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच की गई थी और यह पाया गया था कि वीडियो लाईब्रेरी के कार्य संचालन में कुछ कमियां थीं। इसके परिणामस्वरूप दो दैनिक वेतन कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी गई हैं और दो पुस्तकालयाध्यक्षों को चेतावनी दी गई है तथा लाईब्रेरी इंचार्ज को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बीच सहायक महानिदेशक (सुरक्षा) द्वारा भी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय तार अधिनियम, 1885

400. **श्री मोहन रावले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

रेडियो पेजिंग सेवा

401. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **सचांर मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्ताइस नगरों में रेडियो पेजिंग सेवाएं एवं सेल्युलर लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय यह मामला किस चरण में है; और

(ग) प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। 27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा और 8 शहरों में सेल्युअर सचल सेवा फ्रेंचाइज आधार पर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग.) जहां तक रेडियो पेजिंग सेवा का प्रंबध है, 27 शहरों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और पात्रता के मानदण्डों के आधार पर सभी बोलियों का मूल्याकंन किया गया तथा छंटनी करके एक सूची तैयार की गई। सभी सूचीबद्ध बोलीदाताओं को वित्तीय निविदाएं जारी की गई। इसी बीच सूची में शामिल न किए गए कुछ बोलीदाताओं ने चंडीगढ़ और दिल्ली के उच्च्व न्यायालयों में सिविल रिट याचिकाएं दायर कीं और चंडीगढ़ के उच्च्व न्यायालय ने इस पर स्थगनादेश दिया था। चंडीगढ़ उच्च्व न्यायालय में यह मामला अब खारिज हो गया है तथा दिल्ली उच्च्व न्यायालय ने कोई स्थगनादेश नहीं दिया है। वित्तीय निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं और इस समय उनका मूल्याकंन किया जा रहा है। दिल्ली उच्च्व न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है और न्यायालय के निर्णयाधीन है।

जहां तक सेल्युलर संचल टेलिफोन सेवा का संबंध है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के प्रत्येक शहर में दो-दो अर्थात् कुल आठ बोलीदाताओं को अनंतिम तौर पर चुना गया था। कुछ असफल बोलीदाताओं ने दिल्ली उच्च्व न्यायालय में सिविल रिट याचिकाएं दायर कीं। अनंतिम तौर पर चुने गए आठ बोलीदाताओं की सूची में, दिल्ली उच्च्व न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए, संशोधन किया गया था। इस समय कुछ असफल बोलीदाताओं ने सर्वोच्च्व न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं और इस मामले पर सुनवाई चल रही है।

उत्तर प्रदेश में पुल

402. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है जिन पर या तो कोई पुल नहीं है अथवा खराब स्थिति में हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग पर चंदवाक में पुल गिर गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन पुलों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए कोई धन स्वीकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा और इस कार्य हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) संवैधानिक दृष्टि से यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा उनके रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। शेष सभी सड़कों/पुलों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से गुजरने वाले ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, जिन पर पुल नहीं हैं अथवा जो बुरी दशा में है, शून्य है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में पन-बिजली परियोजनाएं

403. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में नदियों पर चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ पन-विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). बिहार में इस समय 6 जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बिहार में जल-विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला/नदी	चालू करने की समय सूची
1.	पूर्वी गंडक नहर 3x5 मे.वा.	पश्चिमी चंपारन गंडक	2/94, 3/94, 5/94
2.	सोन पश्चिमी नहर 4x1.65 मे.वा.	रोहताश सोन	वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान पहले ही चालू कर दी गई हैं।
3.	सोन पूर्वी नहर 2x1.65 मे.वा.	औरंगाबाद, सोन	2/95 (1994-95), 3/95
4.	चांडिल एल.बी.सी. 2x4	सिंहभूम, सुबरनरेखा	1995-96
5.	उत्तरी कोयल 2x12 मे.वा.	पलामू; कोयल	1995-96

6.	कोयल कारो (एनएच्पीसी) 4x172.5 मे.वा.+1x2 मे.वा.	रांची, गुमला और सिंहभूम; दक्षिणी कोयल एवं उत्तरी कोयल	2001-2002

[अनुवाद]

गुजरात में खनिज पदार्थों की खोज

404. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग ने पिछले तीन वर्षों में गुजरात में खनिजों और धातुओं की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सर्वेक्षण किया गया तथा इस अवधि के दौरान वहां पाये गये धातुओं और खनिजों की अनुमानित मात्रा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पंचमहल व बनासकांठा जिलों में मैंगनीज, टंगस्टन, बेस मेटल (पी बी-जेड एन-सी यू), जामनगर जिले में स्वर्ग, बनासकांठा जिले में वोलास्टोनाइट, कच्छ जिले के मुदिया, प्रानपुर व फुलेरा डेम क्षेत्र व गुजरात के भड़ूच जिले के राजपरदी व वास्तान क्षेत्र में लिग्नाइट हेतु सर्वेक्षण व खोज कार्य किए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व अन्य संगठनों ने गुजरात के भावनगर व कच्छ जिले के राननधरो, अकिमोता, उमरसर, मातानोमध, लाखापेत, जल्पा, हामला क्षेत्र में लिग्नाइट के 432.71 मिलियन टन क्षमता के भंडार खोजे हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्य खनिजों के बारे में खोज के परिणाम इतने उत्साहवर्धक नहीं हैं।

(ग) . कच्छ व भड़ूच जिले में लिग्नाइट निक्षेपों के विदोहन का कार्य राज्य सरकार के एक उपक्रम, गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन

405. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 26 अक्टूबर, 1993 को दिल्ली में 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। वर्ष 1993-94 के लिए दूरसंचार विभाग ने 26.10.1993 को विदेश संचार निगम लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) (1) दस्तावेज में कंपनी के उद्देश्यों, 1993-94 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण निष्पादन पेरामीटरों से सम्बद्ध लक्ष्यों तथा सरकार द्वारा कंपनी को दी जाने वाली शक्तियों के और अधिक प्रत्यायोजन तथा अन्य सहायता का विशेष उल्लेख किया गया है।

(2) समझौता-ज्ञापन के अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) भारत में वी एस एन एल गेटवे से विश्व भर में समुद्र, पृथ्वी तथा हवाई प्रयोक्ताओं के लिए बिजनेस नेटवर्क 64 के बी पी एस सेवा आदि जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं सहित समग्र दूरसंचार सेवाओं की योजना बनाना तथा उन्हें प्रदान करना।

(2) प्रौद्योगिकी के सतत उन्नयन सेवा निष्पादन तथा ग्राहकों में उच्चस्तर बनाये रखने और उनकी अपेक्षाओं पर तत्काल ध्यान देकर ग्राहक के विश्वास को प्राप्त करना और उसे पूर्णतः बनाए रखना।

(3) सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करना।

(4) विदेश दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में वृद्धि करना।

[हिन्दी]

गुजरात में डाक और तार घर

406. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय डाक और तार घरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) क्या डाक घरों और तार घरों की वर्तमान संख्या जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गत दो वर्षो के दौरान ऐसे डाक और तार घरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डाक और तार घरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार वर्तमान संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं। डाक घर औचित्य तथा धनराशि की उपलब्ध के आधार पर खोले जाते हैं।

(ग) पिछले दो वर्षो के दौरान 192 डाक घर तथा 7 तार घर खोले गए हैं।

विवरण

डाक-तार घरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या	तारघरों की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	अहमदाबाद	564	26	27
2.	अमरेली	325	104	45
3.	बनासकांठा (पालनपुर)	448	36	70
4.	भरूच	496	91	46
5.	भावनगर	470	71	63
6.	डांग्स	56	4	3
7.	गांधीनगर	80	55	6
8.	जामनगर	388	86	61
9.	जूनागढ़	539	182	69
10.	खेड़ा (नादियाड़)	622	172	106
11.	कच्छ (भुज)	50	77	93
12.	मेहसाणा	601	146	98
13.	पंचमहल (गोदरा)	531	121	57
14.	राजकोट	505	111	84
15.	साबरकांठा (हिम्मतनगर)	563	92	88
16.	सूरत	635	106	56
17.	सुरेन्द्र नगर	335	87	51
18.	वदोदरा	671	84	57
19.	वलसाड	555	107	43

[अनुवाद]

संसद सदस्यों द्वारा दिल्ली से ट्रंक काल

407. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने संसद सदस्यों ने उनके मंत्रालय/उनसे शिकायत की है कि दिल्ली में अपने टेलीफोन से ट्रंक-काल बुक कराने पर वे कई महीनों तक अपने गृह नगर के लोगों से बातचीत नहीं कर पाते;

(ख) यदि ऐसा है, तो जून से अक्तूबर, 1993 तक ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने शिकायतवार क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में ठेके के वाहन

408. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चार्टर्ड बसों के रूप में ठेके के वाहन अवैध रूप से बिना रोक-टोक के चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिवहन विभाग का प्रवर्तन पक्ष उन बसों को अभियोजित करता है जो मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत कंट्रैक्ट कैरिज परमिटों की शर्तो का उल्लंघन करती हैं अथवा परमिटों के बगैर चलती हैं।

आकाशवाणी/दूरदर्शन, दिल्ली से विभिन्न भाषाओं में समाचार

409. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र से हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रतिदिन कितने समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं; और इनकी अवधि कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में आकाशवाणी और दूरदर्शन से क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार बुलेटिनों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आकशवाणी/दूरदर्शन, दिल्ली से समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

भाषा	समाचार बुलेटिनों की कुल संख्या	अवधि
आकाशवाणी		
घरेलू सेवा :		
हिन्दी	24	2 घ. 40 मि.
अंग्रेजी	22	2 घ. 30 मि.
उर्दू	03	30 मि.
संस्कृत	02	10 मि.
क्षेत्रीय भाषाएं	38	6 घ. 20 मि.
विदेश सेवा :		
हिन्दी	05	50 मि.
अंग्रेजी	10	1 घ. 12 मि.
उर्दू	06	50 मि.
भारतीय भाषाएं	06	55 मि.
दूरदर्शन		
हिन्दी	05	53 मि. से 55 मि.
अंग्रेजी	04	45 मि.
उर्दू	01	05 मि.

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम का कार्य–निष्पादन

410. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से विभिन्न राज्यों में राज्य सड़क परिवहन उपक्रम का कार्य निष्पादन संतोषप्रद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के कार्यकरण की हाल ही में मंत्री स्तर पर पुनरीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निवल लाभ और हानि, वाहनों की उत्पादकता और स्टाफ की उत्पादकता से संबंधित सूचना संलग्न विवरण 1, 2 और 3 में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का निबल लाभ/वाणिज्यिक लाभ

(करोड़ रु.)

राज्य सड़क परिवहन निगम	1990-91 वास्तविक आंकड़े	1991-92 वास्तविक आंकड़े	1992-93 संशो. अनु.
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	-11.92	-31.13	-57.20
2. अरुणाचल प्रदेश	-2.41	-1.80	-1.97
3. असम	-15.36	-17.81	-24.02
4. बिहार	-22.74	-26.87	-49.70
5. गोवा (कंडबा)	0.34	-0.31	-0.67
6. गुजरात	4.29	0.92	-78.93

1	2	3	4
7. हरियाणा	-18.97	-10.22	10.60
8. हिमाचल प्रदेश	-15.41	-18.38	-25.57
9. जम्मू और कश्मीर	-15.90	-16.83	-21.50
10. कर्नाटक	1.30	-19.09	-38.44
11. केरल	-30.99	-39.54	-32.04
12. मध्य प्रदेश	0.24	0.27	-2.09
13. महाराष्ट्र	5.58	-26.72	-9.67
14. मणिपुर	-1.46	-1.70	-1.86
15. मेघालय	-1.69	-1.71	-1.20
16. मिजोरम	-3.47	-3.92	-4.36
17. नागालैंड	-4.10	-4.13	-5.14
18. उड़ीसा	-12.09	-11.77	-7.30
19. पंजाब रोडवेज	-30.26	-25.05	-16.59
20. पेप्सू स. प. नि.	-20.88	-17.89	-11.50
21. राजस्थान	-8.59	-13.96	5.44
22. सिक्किम	-0.87	-0.73	-2.61
23. 38. तमिलनाडु	-42.28	-21.33	-29.57
39. त्रिपुरा	-3.12	-3.49	-4.00
40. उत्तर प्रदेश	-40.42	-33.43	-10.29
41. कलकत्ता रा. प. नि.	-23.79	-21.65	-17.86
42. उत्तरी बंगाल	-5.75	-7.34	-9.81
43. दक्षिणी बंगाल रा.प.नि.	-3.98	-3.30	-0.85
कुल :	-324.70	-350.99	-428.20

विवरण-2

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में वाहनों की उत्पादकता

(प्रति दिन प्रति बस कि.मी.)

राज्य सड़क परिवहन	1990-91 वास्तविक आंकड़े	1991-92 वास्तविक आंकड़े	1992-93 संशो. अनु.
आन्ध्र प्रदेश	273	282	286
अरुणाचल प्रदेश	108	106	102
असम	120	128	140
बिहार	69	74	86
गोवा (कडंबा)	230	236	240
गुजरात	260	273	283
हरियाणा	269	283	300
हिमाचल प्रदेश	159	183	178
जम्मू एवं कश्मीर	38	47	64
कर्नाटक	255	260	276
केरल	229	233	245
मध्य प्रदेश	202	205	210
महाराष्ट्र	230	242	249
मणिपुर	46	71	76
मेघालय	92	96	100
मिजोरम	70	67	84
नागालैंड	101	93	94
उड़ीसा	204	218	214
पंजाब रोडवेज	225	236	238
पेप्सू स.प.नि.	236	252	260

राजस्थान	194	248	266
सिक्किम	70	72	72
तमिलनाडू	335	346	359
त्रिपुरा	153	124	113
उत्तर प्रदेश	204	213	220
कलकत्ता	128	139	146
उत्तरी बंगाल रा.प.नि.	226	242	222
दक्षिणी बंगाल रा.प.नि.	139	130	140
अखिल भारतीय औसत	241	253	263

स्त्रोत : वार्षिक योजना 1993-94 पर विचार विमर्श

विवरण-3

स्टाफ की उत्पादकता

(प्रतिदिन/प्रति कामगार द्वारा अर्जित राजस्व कि.मी.)

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम	वास्तविक आंकड़े 1990-91	वास्तविक आंकड़े 1991-92	1992-93 संशोधित अनुमान
आंध्र प्रदेश	33.0	34.6	34.0
अरुणाचल प्रदेश	21.4	21.9	22.4
असम	15.9	16.4	18.3
बिहार	9.3	10.4	11.9
गोवा (कादम्बा)	31.4	32.7	36.4
गुजरात	38.8	39.8	43.1
हरियाणा	48.7	50.2	53.1
हिमाचल प्रदेश	34.0	35.0	33.3
जम्मू तथा कश्मीर	9.9	12.3	14.9
कर्नाटक	39.0	38.0	40.0

केरल	25.0	26.2	29.0
मध्य प्रदेश	26.1	25.7	26.3
महाराष्ट्र	30.6	32.2	33.7
मणिपुर	8.0	8.0	12.0
मेघालय	17.2	17.4	19.5
मिजोरम	9.0	9.0	9.0
नागालैंड	15.1	14.3	15.7
उड़ीसा	23.0	27.0	27.0
पंजाब रोडवेज	42.2	43.8	45.3
पेप्सू आर.टी.सी.	43.2	45.9	48.0
राजस्थान	26.9	34.9	38.6
सिक्किम	20.2	20.9	20.9
तमिलनाडू	43.2	44.9	47.9
त्रिपुरा	12.0	10.2	9.0
उत्तर प्रदेश	28.8	29.8	30.6
कलकत्ता एस.टी.सी.	11.6	13.1	14.3
उत्तरी बंगाल एस.टी.सी.	30.5	30.2	30.5
दक्षिण बंगाल एस.टी.सी.	22.0	24.0	22.5
अखिल भारतीय औसत	33.0	34.8	36.3

स्त्रोत : वार्षिक योजना 1993-94 पर विचार विमर्श।

टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

411. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में बहुत शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस तरह की हैं और सरकार ने इन एक्सचेंजों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

पोंग डेम से विस्थापित व्यक्ति

412. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोंग डेम विस्थापितों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति का गठन कब तक कर दिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). पोंग बांध के विस्थापितों की शिकायतों के निवारण हेतु मशीनरी का विकास करने के लिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकारों द्वारा राज्य स्तर की समिति तथा जिला स्तर की समितियों का गठन किए जाने के लिए 16.10.93 को निर्णय लियां गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

विवरण

पोंग बांध के विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए एक मशीनरी/समितियों का गठन

पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित समय-समय पर प्राप्त हुई विभिन्न शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य स्तर की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न अधिकारी शामिल होंगे :

	राजस्थान		हिमाचल प्रदेश
1.	मुख्य सचिव	1.	मुख्य सचिव
2.	प्रमुख सचिव (राजस्व)	2.	वित्तीय आयुक्त तथा सचिव (राजस्व)
3.	सचिव (सिंचाई)	3.	सचिव (सिंचाई)
4.	आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास (सीएडी)	4.	सम्भागीय आयुक्त, कांगड़ा
5.	कोलोनाइजेशन आयुक्त (बीकानेर)	5.	उप आयुक्त (आर एण्ड आर) तलवाड़ा
6.	कलैक्टर, गंगानगर जिला		

समिति की बैठक प्रत्येक छः महीने में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता क्रमवार प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के लिए जिला स्तर की समितियों का भी निम्नवत् गठन किया गया है :

राजस्थाान		हिमचल प्रदेश	
गंगानगर जिला			
1.	कलैक्टर, गंगानगर	1.	उप आयुक्त, कांगड़ा
2.	पुलिस अधीक्षक, गंगानगर	2.	उप आयुक्त (आर एण्ड आर) तलवाड़ा
3.	सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता (सिंचाई)		
4.	उप खंडीय अधिकारी (सी) राय सिंह नगर		
5.	उप खंडीय अधिकारी (सी) सूरतगढ़		
बीकानेर और जैसलमेर जिले			
1.	आयुक्त, कोलोनाइजेशन	1.	उप आयुक्त, कांगड़ा
2.	पुलिस अधीक्षक बीकानेर/जैसलमेर	2.	उप आयुक्त (आर एण्ड आर) तलवाड़ा
3.	कमाण्ड क्षेत्र विकास विभाग का एक अधिकारी जो कि कार्यपालक इंजीनियर के स्तर से नीचे स्तर का नहीं होना चाहिये।		

यह समिति दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच करेगी और यदि किसी मुद्दे का समाधान किया जाना सम्भव नहीं हो पाया तो ऐसा मुद्दा राज्य स्तर की समिति को भेजा जाएगा।

इस समिति की बैठकों का आयोजन दो महीने में एकबार क्रमशः गंगानगर और बीकानेर में किया जाएगा। अब कभी भी आवश्यक समझा गया तो समिति की बैठक कांगड़ा जिले में भी की जाएगी।

बिहार ताप विद्युत केन्द्र

413. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के बिहार ताप विद्युत केन्द्र से निकलने वाली राख के कारण कथांरा कोल फोल्ड क्षेत्र के निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र के निवासियों को समस्याओं को हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या उपय

किये हैं अथवा करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। दामोदर घाटी निगम (डीबीसी) के बोकारो ताप विद्युत केन्द्र "क" से उत्पन्न प्रदूषण के फलस्वरूप कथांरा कोलफील्ड क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ख) बोकारो ताप विद्युत केन्द्र "क" 35 वर्ष से अधिक पुराना है। इसलिये विद्यमान सुविधाओं की सहायता से निःसरण दर की मानक मानदण्ड प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं है।

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा दोषपूर्ण यूनिटों की शेष क्रियाशील अवधि और यू एस सहायता से इसके आर्थिक व्यावहारिकता के बारे में व्यापक अध्ययन कार्य किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इन अध्ययन कार्यों के निष्कर्षों के आधार पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक उपयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

बंगलादेश के साथ अंतर्देशीय जलपार वाहन और व्यापार

414. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और बंगलादेश.की बीच अंतर्देशीय जल पार वाहन और व्यापार संबंधी बातचीत की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वार्ता के दौरान क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 13-14 सितम्बर, 1993 को भारत और बंगलादेश के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के फलस्वरूप भारत और बंगलादेश के बीच अन्तर्देशीय जल पारगमन और व्यापार संबंधी समझौते का दिनांक 4.10.93 से 3.10.95 तक 2 वर्षों की और अवधि के लिए नवीरकण कर दिया गया है।

समझौते के अधीन भारतीय जलयानों के लिए बंगलादेश में विनिर्दिष्ट जलमार्गों के जरिए पारगमन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। बंगलादेश सरकार भारतीय पारगमन जलयानों द्वारा प्रथमतः प्रयोग किए जाने वाले दो विनिर्दिष्ट खंडों का रख-रखाव करने के लिए भी सहमत हो गई है। इस प्रयोजन के लिए बंगलादेश को 1993-94 में 137 लाख टके और 1994-95 में 150 लाख टके देने के लिए समझौता हुआ है। समझौते में दोनों देखों द्वारा अंतर्देशीय यातायात 50:50 के आधार पर बांटने की भी व्यवस्था है।

(ग) यह दिनांक 4.10.1993 से कार्यान्वित हो चुका है और दिनांक 3.10.95 तक लागू रहेगा।

अभ्रक खानें

415. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1985, 1990 और 1992 के दौरान अभ्रक की कितनी खानें चालू थीं और इन खानों में काम करने वालों की संख्या कितनी थी और इसी अवधि के दौरान अभ्रक उद्योग में काम करने वालों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या यह उद्योग अब व्यवहार्य नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) 1980, 1985, 1990-91 से 1991-92 के दौरान अभ्रक खानों और इनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :

सूचित खानों की संख्या		औसत दैनिक कर्मचारी
1980 -	275	6,662
1985 -	166	4,222
1990-91	137	2,942
1991-92	133	2,840

(ख) और (ग). इस समय उद्योग मंदी के दौर, अभ्रक का प्रतिस्थापन और इसके उत्पाद के कारण समस्या का सामना कर रहा है तथा गहरी खानें प्रचालन एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो रही हैं।

इस उद्योग का पुनरुद्धार व अभ्रक पेपर जैसे मूल्यवान मदों का उत्पादन करके और अभ्रक पर आधारित सामग्री का पृथक करके, भारतीय अभ्रक और इसके उत्पादों के लिए नया निर्यात बाजार का पता लगा कर तथा तकनीकी सुधार करके अभ्रक व अभ्रक उत्पादों का रूप बदलकर किया जा सकता है।

सी-डॉट एक्सचेंज

416. **श्री निर्मल कांति चटर्जी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ट्रंक मीडिया 30 चैनल बी.एच.एफ. सिस्टम और 512 आई.एल.टी. अथवा 512 सी-डॉट एक्सचेंज स्थापित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। माननीय संसद सदस्यों से इलेक्ट्रानिक

एक्सचेंजों के संस्थापना तथा कुछ स्थानों पर 30 चैनल यू.एच.एफ. प्रणालियों का इस्तेमाल करके एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ मांग प्राप्त हुई है।

(ख) उपर्युक्त मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो और संसाधन उपलब्ध हों।

उड़ीसा में डाकघर

417. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा में डाक और तारघरों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान डाक और तारघरों की संख्या, जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान जिलावार कितने नये डाकघर और उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

418. **श्री लाल बाबू राय** :

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडलाइन बसों तथा एस. टी. ए. के अन्तर्गत चलने वाली अन्य बसों से 30 अक्तूबर, 1993 तक दिल्ली में कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनके क्या कारण थे:

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ग) रेड लाइन बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र दिल्ली सरकार (परिवहन विभाग) ने सूचित किया है कि अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 30 अक्तूबर, 1993 तक रेड लाइन बसों से हुई 568 दुर्घटनाओं में 101 लोग मारे

गए हैं।

(ग) रेड लाइन बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली तथा दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

विवरण

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली और दिल्ली पुसिल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. सार्वजनिक सेवा की बसों के ड्राइवरों के लिए नवम्बर, 1992 में पुनर्श्चया पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। बसों के ड्राइवरों की दक्षता परीक्षा ली गई। 1080 ड्राइवरों को अगस्त, 1993 तक परिवहन विभाग के सरकारी मोटर चालन प्रशिक्षण स्कूल में पुनर्श्चया पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया या वे उन्होंने इसे स्कूल में दक्षता परीक्षा पास की।

2. दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक शिकायत कक्ष स्थापित किया है और अप्रैल, 1993 से नवम्बर, 1993 तक के बीच की अवधि में ऐसी 82 रेडलाइन बसों के परमिटों को निलम्बित/रद्द किया गया जिनसे सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इसके अतिरिक्त समय सारिणी का पालन न करने और रूटों का उल्लंघन करने तथा दुर्व्यवहार की शिकायतों पर भी 17 रेड लाइन बसों के परमिट निलम्बित/रद्द किए गए। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस ने 1.1.93 से 30.10.93 तक विभिन्न अपराधों के लिए 65972 रेड लाइन वस ड्राइवरों को अभियोजित किया। परिवहन विभाग द्वारा अगस्त, 1993 तक रेड लाइन बसों के विरुद्ध 22000 अभियोजन किए गए। दिनांक 1.10.92 से 31.8.93 तक रेड लाइन बसों के अति तीव्र गति के 2982 मामलों में कागजातों को परिबद्ध किया गया।

3. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने तथा वाहन की उपयुक्तता से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा उपाए किए गए हैं।

4. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी निम्नलिखित उप्राए किए हैं :

1. यातायात नियमों तथा विनियमों का कड़ा और सख्त प्रवर्तन।

2. अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाने, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और लाल बत्ती पार करने आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।

3. नोटिस जारी करके उल्लंघनकर्ताओं का नियमित अभियोजन।

4. दुर्घटना बहुल क्षेत्र में यातायात संकेत/ब्लिंकर लगाना।

5. दुर्घटना बहुल क्षेत्र में अधिक यातायात पुलिसकर्मी तैनात करना।

6. राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते-फिरते विशेष जांच-काय।

7. अत्याधुनिक उपकरण अर्थात् अल्को मीटर और राडार गन के जरिए अभियोजन।

गुजरात के पार्सलों की चोरी

419. **श्री काशीराम राणा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विभिन्न प्रधान डाकघरों से कई पार्सल चोरी चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से विदेशी पार्सल कितने हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख). हालांकि यह सच नहीं है कि कई पार्सल चोरी हो गए, तथापि 1991-92 के दौरान, गुजरात सर्किल में तीन ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिली जिनमें पार्सल तो प्राप्त हुए थे लेकिन उनका उसके बाद हुए निपटान का पता नहीं चल पाया।

(ग) तीनों मामलों में से किसी में भी कोई विदेशी पार्सल शामिल नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च). इन मामलों में हुए नुकसान की वसूली दोषी कर्मचारियों से कर ली गई है तथा संबंधित पक्षों के दावों का निपटारा भी कर दिया गया है।

दूरसंचार विस्तार योजना

420. **श्री एन. के. बालियान** :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें कुल कितना खर्च आयेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1993-94 में उत्तर प्रदेश में स्विचन क्षमता में 1.47 लाख लाइनों की

निवल वृद्धि करने, 10,000 पंचायत टेलीफोन, 200 टेलेक्स प्रदान करने और तहसील मुख्यालयों में एस टी डी प्रदान करने के लिए उपयुक्त संचारण स्कीमों की योजना है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 446 करोड़ रुपए है।

राज्यों को बिजली की सप्लाई

421. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय पूल से राज्यों के लिए बिजली की सप्लाई हेतु क्या नीति अपनायी है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय पूल से प्रत्येक राज्य को कितनी बिजली सप्लाई की गयी;

(ग) क्या राज्यों को मांग के अनुसार बिजली की सप्लाई नहीं की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) केन्द्रीय पूल से राज्यों को विद्युत सप्लाई किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में राज्यवार आंवटित विद्युत मात्रा की तुलना में वस्तुतः प्राप्त की गई विद्युत का ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय क्षेत्र से प्रत्येक राज्य की विद्युत की सप्लाई केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार की जा रही है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों में 15% विद्युत जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में रखा जाता है, उस विद्युत सामान्यतः क्षेत्र के विभिन्न लाभभोगियों के बीच समय-समय पर आनुपातिक प्रतिशतता कमी के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।

विवरण - 1

क. केन्द्रीय क्षेत्र ताप/परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत का आवंटन किए जाने के लिए मानदण्ड

1. समय-समय पर प्रत्येक राज्य की आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15% विद्युत केन्द्र के स्वामित्व में अनावंटित रखी जाती है।

2. 10% विद्युत उस राज्य को आंवटित की जाती है जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थित होता है।

3. शेष 75% विद्युत को क्षेत्र के राज्यों के बीच, (जिस राज्य में परियोजना स्थित होती है) उस राज्य समेत उनके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा और विगत के पांच वर्षो के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय योजना सहायता के अनुसार आवंटित किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी समुचित आवंटनों द्वारा की जाती है।

ख. केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत के आंवटन के लिए वर्तमान मानदण्ड

1. 15% विद्युत उत्पादन क्षमता को केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में "आनावंटित" रखा जाएगा जिसे समग्र आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए क्षेत्र के अंतर्गत अथवा क्षेत्र के बाहर आंवटित किया जाएगा।

2. विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा में से 12% विद्युत को क्षेत्र के उन राज्यों (उस राज्य समेत जिसमें जल विद्युत परियोजना स्थित है) जिनमें परियोजना को विशेष स्थल पर स्थापित करने के कारण जल मग्नता, आबादी के विस्थापन जैसी परेशानियां पैदा हुई, इस प्रकार की परेशानियों के परिणाम के अनुरूप विद्युत निःशुल्क सम्भारित की जाएगी। इस प्रयोजन हेतु "उत्पादित ऊर्जा" की गणना वस स्तर पर अर्थात् अनुपंगी खपत को छोड़कर लेकिन संचारण हानियों को हिसाब में न लेते हुए की जाती है। 12% निःशुल्क विद्युत आवंटन के प्रयोजन हेतु परिशानियों के परिमाण का अनुमान सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लगाया जायेगा।

3. शेष (73%) विद्युत को क्षेत्र के राज्यों के बीच, क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय योजना सहायता तथा गत पांच वर्षो के दौरान राज्य द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा के आधार पर आंवटित किया जाएगा।

विवरण - 2

वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से वास्तविक

आहरण के साथ-साथ राज्यवार हकदारी

(सभी आंकड़े मि.यू.में)

राज्य का नाम	हकदारी	वास्तविक आहरण
उत्तरी क्षेत्र		
बेरास्थूल/सलाल/सिंगरौली/रिहन्द/औरेया/अन्ता/एनएपीपी/ऊंचाहार/दादरी/टनकपुर		
दिल्ली	4895.9	3489.0
हरियाणा	3230.0	3935.8
हिमाचल प्रदेश	349.3	436.3
जम्मू व कश्मीर	3080.6	2432.3
पंजाब	4535.8	3528.9
राजस्थान	4242.3	4994.1
उत्तर प्रदेश	11081.4	12930.5
चंडीगढ़	236.3	121.0
बिहार	-	279.9

राज्य का नाम	हकदारी	वास्तविक आहरण
बीबीएमबी	-	0.5
जोड़	32151.6	32151.6
पश्चिमी क्षेत्र		
कोरबा/विन्ध्याचल/क्वास/केएपीपी		
गुजरात	4721.0	4268.5
मध्य प्रदेश	7051.1	8774.3
महाराष्ट्र	5008.9	5573.4
गोवा	1423.2	588.0
जोड़	19204.2	19204.2
दक्षिणी क्षेत्र		
रामागुंडम/एमएपीपी/नैवेली-2		
आन्ध्र प्रदेश	5017.4	6782.6
कर्नाटक	3538.4	3609.5
केरल	2333.7	1231.5
तमिलनाडु	6578.7	5844.6
गोवा	217.4	217.4
जोड़	17685.6	17685.6
पूर्वी क्षेत्र		
फरक्का एसटीपीएस/चुंखा ज.वि.परियोजना		
बिहार	1302.2	2177.3
डी.पी.सी.	1045.0	1078.2
उड़ीसा	644.0	548.7
पश्चिम बंगाल	1558.3	772.1
सिक्किम	53.1	26.3
असम	-	-
जोड़	4602.6	4502.6

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र

लोकतक (एनएचपीसी खाण्डेगांव/कोपिली/नीपको)

अरुणाचल प्रदेश	79.4	41.4
असम	576.9	834.0
मणिपुर	241.3	253.6
मेघालय	146.4	6.1
मिजोरम	99.9	73.0
नागालैण्ड	121.4	113.7
त्रिपुरा	127.6	71.1
जोड़	1392.9	1392.9

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

422. **श्री अन्ना जोशी** :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

प्रो. राम कापसे :

श्री प्रकाश वी. पाटिल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में नयी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विचाराधीन उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है;

(ख) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु न्यूनतम समय सीमा निर्धारित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). ब्यौरा निम्नवत है :

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
	जल विद्युत	
1.	भिवपुरी पम्पड़ स्टोरेज स्कीम (90 मे.वा.)	यद्यपि के.वि.प्रा. द्वारा मई, 1991 में स्कीम को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है तथापि कृष्णा नदी के जल का पश्चिम की ओर व्यवर्तन किये जाने के संबंध में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच समझौते न हो पाने के कारण इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
2.	चिकालधारा पम्पड़ स्टोरेज स्कीम (4x100 मे.वा.)	राज्य सरकार द्वारा स्कीम को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए के.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया गया है।
	ताप विद्युत	
3.	दभोल के समीप नौका स्थित विद्युत संयंत्र (110 मे.वा.)	निजी क्षेत्र में परियोजनाओं को क्रियान्वित किये जाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु के.वि.प्राधिकरण को प्रस्तुत किया है। के.वि. प्राधिकरण ने कुछेक शर्तों के अधीन दभोल परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
4.	दभोल सोसोपोटी (2015 मे.वा.)	
5.	खापरखेड़ा टीपीएस (2.210 मे.वा.) यूनिट 5x6	

(ग) उपरोक्त प्रस्तावों में से दभोल सीसीजीटी (695 मे.वा.) के प्रथम सोपान को आठवीं योजना के अंतिम वर्ष 1997 में चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

(घ) और (ङ). विद्युत स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किया जाना, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता कुछ सांविधिक तथा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों की अन्य स्वीकृतियां और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित उत्तर/स्पष्टीकरण समयानुसार प्रस्तुत किये जाने पर निर्भर करता है। इसलिए इन परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने में कितना समय लगेगा इसका अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है। इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना पर्याप्त वित्तीय आबंटन की उपलब्धता, निर्माताओं द्वारा उपस्कर को समय पर सप्लाई किया जाना तथा परियोजना प्राधिकारियों के समुचित प्रबंध पर निर्भर करता है। विद्युत परियोजनाओं को समयानुसार पूरा किये जाने और निलंबित मुद्दों का समाधान किये जाने के लिये के.वि.प्राधिकरण विभिन्न राज्यों में संबंधित परियोजना प्राधिकारियों के साथ आवधिक रूप से बैठकें आयोजित कर रहा है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन का विज्ञापन संबंधी बकाया

423. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राम विलास पासवान :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन का विज्ञापन राजस्व बहुत अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान आकशवाणी और दूरदर्शन के बकाया विज्ञापन राजस्व में कितनी वार्षिक वृद्धि हुंयी हैं;

(ग) बकाया राशियों की वसूली न होने के क्या कारंण हैं;

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवाओं के मद में देय राशि की वसूली करने के लिये वर्तमान प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) सरकार का बकाया राशियों को किस प्रकार वसूल करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) और (ख). बकाया राशि की मात्रा में सतत रूप से समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्षो के दौरान विज्ञापन राजस्व संबंधी बकाया राशियां निम्नानुसार हैं:

	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1991-92	28.73 लाख रुपये	9.41 करोड़ रुपये
1992-93	32.66 लाख रुपये	5.38 करोड़ रुपये

*इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर बकाया 5.46 करोड़ की राशि शामिल है।

(ग) विज्ञापन एजेंसियों के प्रत्यायन तथा परिचारी क्रेडिट सुविधा संबंधी प्रणाली में बकाया होना स्वाभाविक है। चूककर्ता एजेंसियों से बकाया राशि की वसूली सख्ती से की जाती है।

(घ) प्रत्यायित एजेंसियां 45 दिन की क्रेडिट अवधि की पात्र हैं। विलम्ब से भुगतान किए जाने पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। किसी एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार समय पर भुगतान न किए जाने पर वह एजेंसी स्वतः ही अप्रत्यायित हो जाती है। किसी भी विवाद की स्थिति में मामले को एकमात्र मध्यस्थ को भेज दिया जाता है। मध्यस्थ के अधिनिर्णय सक्षम न्यायालय में आदेश हेतु दायर किए जाते हैं।

(ङ) बकाया राशि के समय पर भुगतान सहित बैंक गारन्टी को भुनाने/चूककर्ता/पथभ्रष्ट एजेंसियों के अप्रत्यायन, मध्यस्थता तथा कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित करने हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सभी अनुबन्धात्मक उपबंधों का आश्रय ले रहे हैं। उन एजेंसियों के लिए काली सूची तैयार करने का भी

निर्णय लिया गया है जो 6 महीने के अन्दर अपनी पिछली बकाया राशि का भुगतान नहीं करते।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

424. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आज की तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिला-वार और श्रेणी-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान राज्य में जिला-वार और श्रेणी-वार कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ग) 1993-94 में कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में विशेषतः गांधी नगर जिले में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार करने का है; और

(ङ) . यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31.10.93 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या जिला-वार और श्रेणीवार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले 3 वर्षो के दौरान, जिलावार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या भी संलग्न विवरण में दी गई है।

श्रेणीवार जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) 81000

(घ) जी हां।

(ङ) गुजरात दूर संचार सर्किल में 1,26,616 लाइनों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिनमें से 375 लाइनों की वृद्धि गांधी नगर जिले में करने का प्रस्ताव है।

विवरण

31.10.93 की स्थिति के अनुसार जिलावार और श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची और पिछले 3 वर्षों के दौरान जिलावार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्रं. सं.	जिले का नाम	टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 31.10.93 की स्थिति के अनुसार			प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या		
		ओवाईटी	विशेष	सामान्य	90-91	91-92	92-93
1.	अहमदाबाद	2949	4331	46864	9190	9416	19271
2.	गांधी नगर	12	49	2451	339	1707	1470
3.	वड़ौदा	3951	3412	32976	301	2934	7850
4.	राजकोट	248	289	12553	527	3250	4073
5.	सूरत	6738	3584	44433	2287	7912	12001
6.	नडियाड	22	91	4462	1984	3015	6001
7.	भावनगर	634	532	10564	1631	827	1697
8.	भुज (कच्छ)	219	59	6110	840	1536	2708
9.	बलसाड़	1274	192	11104	665	2095	3273
10.	डांग	1	-	20	-	7	59
11.	जामनगर	7	213	2852	603	1644	1288
12.	जूनागढ़	79	96	4461	1056	2260	1245
13.	अमरेली	51	71	1990	270	415	710
14.	मेहसाणा	465	320	13032	1906	3333	3535
15.	हिम्मतनगर	6	67	2797	666	1003	2515
16.	पालनपुर	32	61	4916	665	1333	3920
17.	सुरेन्द्र नगर	21	98	2059	333	460	1653
18.	भडुच	472	154	4675	2719	2593	3501
19	गोधरा	78	106	3096	601	223	2505
	जोड़	17259	13725	211415	26583	45963	79275

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्ड

425. **श्री दत्ता मेघे** :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य के विद्युत बोर्ड के वर्तमान लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिजली के दुरुपयोग और चोरी के कितने मामले प्रकाश में आये/दर्ज किये गये;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त (ख) के संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी; और

(घ) घाटे में चल रहे बोर्डों को लाभ अर्जन करने वाला बनाने तथा देश में बिजली के दुरुपयोग और चोरी को रोकने के लिए सरकार के क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों के वर्ष 1992-93 के परीक्षित लेखे अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1991-92 के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों के लाभ/हानि और आर्थिक सहायता एवं निर्माण अवधि के दौरान ब्याज को शामिल करने के पश्चात् 31.3.1992 को स्थिति के अनुसार संचयी लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने और इनकी हानियों की मात्रा को कम करने के लिये राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे युक्तिसंगत टैरिफ, ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का नियमित रूप से भुगतान करना, संयंत्र भार अनुपात में सुधार करना तथा पारेषण एवं वितरण सबधी हानियों की मात्रा को कम करना आदि जैसे उपाय करें। 8 तथा 9 जनवरी, 1993 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन में भौतिक और वित्तीय दोनों दृष्टिकोण से सुधार किये जाने के साधनों पर भी विचार-विमर्श किया गया था और एक कार्यवाही योजना अपनायी गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक सहायता की बकाया राशि का सोनापबद्ध रूप से परिसमापन करना, बकाया देय राशियों की मात्रा को कम करना, टैरिफ को युक्ति संगत बनाना, न्यूनतम कृषि टैरिफ का निर्धारण करना तथा मीटर के जरिये विद्युत सप्लाई करना आदि शामिल है। इसके अलावा बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।

विवरण

31.3.1993 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1991-91 के लिए राज्य बिजली बोर्डो के लाभ/हानि तथा आर्थिक सहायता और निर्माण के दौरान ब्याज को शामिल करने के बाद संचयी हानि/लाभ के ब्यौरों के संबंध में दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड	1991-91	31.3.92 की स्थिति के अनुसार संचयी
1.	आन्ध्र प्रदेश	84.44	313.64
2.	विहार	-113.72	-1103.13
3.	गुजरात	70.85	25.38
4.	हरियाणा	-228.15	-944.93
5.	हिमाचल प्रदेश*	2.73	-111.80
6.	कर्नाटक	24.30	-157.40
7.	केरल	-34.73	-139.51
8.	मध्य प्रदेश	83.97	481.29
9.	महाराष्ट्र	125.19	351.67
10.	उड़ीसा	24.74	309.24
11.	पंजाब	2.72	-309.89
12.	राजस्थान	61.80	-644.47
13.	तमिलनाडु	83.38	407.55
14.	उत्तर प्रदेश	54.00	-394.29
15.	प. बंगाल	-92.22	-531.04
16.	असम	-174.58	-1131.25
17.	मेघालय	8.80	-18.79

* निर्माण के दौरान ब्याज

दिल्ली के लिए स्वायत्तशासी विद्युत बोर्ड की स्थापना

426. **श्री ताराचंद खंडेलवाल** :

श्री जी. देवराय नायक :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में विद्युत उत्पादन खरीद, आपूर्ति और वितरण स्वायत्त-शासी विद्युत बोर्ड को सौपनें का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बोर्ड को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और काम करना शुरू कर देगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य बिजली बोर्ड के पैटर्न पर दिल्ली के लिए एक स्वायत्तशासी बिजली बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। समग्र प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का दूरदर्शन पर प्रसारण

427. **डा. एस. पी. यादव** :

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत और पाकिस्तान के बीच इंग्लैंड में अगस्त, 1993 में खेले गये क्रिकेट मैच के दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण के लिये विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना क्रिकेट मैच का प्रसारण करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन अथवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास कोई विरोध-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन ने मैचों का प्रसारण किया था।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रेनाइट भंडारों की खोज

428. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में ग्रेनाइट भंडारों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं, चूंकि ग्रेनाइट एक गौण खनिज है, जो संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और मुम्बई में टेलीफोन तारों की चोरी

429. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलिफोन केबलों की चोरी करने के संबंध में दिल्ली और मुम्बई में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन्हें क्या सजा दी गयी;

(ख) इस प्रकार की चोरी के मामलों में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए क्या तरीका अपनाया गया;

(ग) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान (अब तक) दिल्ली, मुंबई और गुजरात में इस तरह की कितनी घटनाएं घटी हैं;

(घ) इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई समुचित व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों की जेलों में भारतीय नागरिक

430. **श्री एम. रमन्ना राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों की जेलों में बंद पड़े भारतीय नागरिकों को देश-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें शीघ्र रिहा कराने के लिए सरकार ने देश-वार क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जैसे ही विदेश में किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी की जानकारी भारतीय मिशन/केन्द्र को मिलती है, गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रिक को परामर्श की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। संबंधित भारतीय मिशन/केन्द्र से कोंसली अधिकारी बंदी व्यक्ति से मिलकर उसकी गिरफ्तारी के कारण तथा परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास करता है। जहां जरूरी होता है मिशन शीघ्र तथा उचित मुकदमें अथवा सजा की समीक्षा के लिए मामले को मेजवान सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाता है। भारतीय मिशन/केन्द्र इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जेल में भारतीय बंदियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	जेल में भारतीयों की संख्या	
1.	बहरीन	119	
2.	ईराक	1	
3.	कुवैत	52	
4.	ओमान	66	(दोष सिद्धि के बाद)
5.	कतार	56	
6.	संयुक्त अरब अमीरात	500	(लगभग)
7.	यमन	5	
8.	सऊदी अरब	किसी अवधि - विशेष में बंदियों की वास्तविक संख्या और विवरण ज्ञात नहीं है क्योंकि सऊदी प्राधिकारी जेलों में भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या के बारे में भारतीय मिशन को नियमित सूचना नहीं देता है। तथापि सऊदी विदेश कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए एवं जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या निम्न अनुसार है :	

1991	1992	1993 (30 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार)
478	496	867

अहमदाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में रिक्त पद

431. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोटं कार्यालय, अहमदाबाद में अनेक पद बड़े लंबे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय में श्रेणी-वार कितने पद अभी भी रिक्त पड़े हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लोगों को होने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या अहमदाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद में रिक्त पदों का विवरण संलगन विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में अधीक्षक, सहायक एवं उच्च श्रेणी लिपिक के पद, जिनमें अहमदाबाद स्थिति पासपोर्ट कार्यालय के पद भी शामिल हैं, पदोन्नति द्वारा भर दिए गए हैं। अवर श्रेणी लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्तियां
1.	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी	1	--	1
2.	सहायक पासपोर्ट अधिकारी	1	--	1
3.	जन संपर्क अधिकारी	2	1	1
4.	अर्धीक्षक	3	4	+1
5.	सहायक	6	15	+9
6.	उच्च श्रेणी लिपिक	23	14	9
7.	अवर श्रेणी लिपिक	39	30	9
8.	आशुलिपिक	1	--	1
9.	वर्ग "घ" के पद	9	8	1

|हिन्दी|

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

432. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों में वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के नये केन्द्रों की स्थापना की गयी है और ऐसे प्रत्येक नये केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) (1) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई नया आकाशवाणी केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।

(2) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में तीन दूरदर्शन परियोजनाएं चालू की गई जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्र का नाम	परियोजना एवं उसकी शाक्ति
1.	1991-92	चुक	ट्रांसपोजर (10 वॉट)
2.	1991-92	मसूरी	ट्रांसपोजर (10 वॉट)
3.	1992-93	बरेली	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि. वॉट)

(ख) और (ग). जी, हां। विवरण संलग्न है :

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	परियोजना एवं उसकी शक्ति	लक्ष्यित तारीख
	स्वीकृत परियोजनाएं		
	आकाशवाणी		
1.	मसूरी	रिले केन्द्र (2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर)	तकनीकी रूप से तैयार।
2.	उत्तरकाशी	रिले केन्द्र (1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर)	03/1994

3.	पिथौरागढ़	-तथैव-	03/1995
4.	चमोली	रेडियो स्टेशन (1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर)	03/1995
5.	पौड़ी/श्रीनगर	-तथैव-	03/1995
6.	अलीगढ़	रिले केन्द्र (2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर)	03/1995
	दूरदर्शन		
1.	सिकन्दरपुर	एल.पी.टी	1993-94
2.	चम्पावत	एल.पी.टी.	-तथैव-
3.	कोटद्वार	एल.पी.टी.	-तथैव-
4.	मोहमदाबाद	एल.पी.टी.	-तथैव-
5.	चोखटिया	वी.एल.पी.टी.	-तथैव-
6.	डीडीहाट	वी.एल.पी.टी.	-तथैव-
7.	जोशीमठ	वी.एल.पी.टी.	-तथैव-
8.	मऊ	एच.पी.टी.	-तथैव-
9.	अल्मोड़ा	एल.पी.टी.	-तथैव-
10.	न्यू टेहरी	एल.पी.टी.	-तथैव-
11.	हल्द्वानी	एल.पी.टी.	-तथैव-
12.	महोबा	एल.पी.टी.	-तथैव-
13.	मऊ रानीपुर	एल.पी.टी.	1994-95
14.	गंज़दूवांरा	एल.पी.टी.	-तथैव-
15.	औरैया	एल.पी.टी.	-तथैव-
16.	नौगढ़	एल.पी.टी.	-तथैव-
17.	बागेश्वर	वी.एल.पी.टी.	-तथैव-

परियोजनाएं जिनके लिए स्थलों को वार्षिक योजना 1993-94 में अनुमोदित कर दिया गया है जिसके संबंध में वित्तीय स्वीकृतियों संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

दूरदर्शन

एच.पी.टी., सितापुर

एच.पी.टी., बलरामपुर

एच.पी.टी., अटारा/बांदा

एल.पी.टी., रडोली

एल.पी.टी., कासगंज

एल.पी.टी., कर्ण प्रयाग

एल.पी.टी., नानपारा

एल.पी.टी., एटा

एल.पी.टी., बसौत

एल.पी.टी., सिराकोटा वैकुन्थम

एल.पी.टी., लालगंज

एल.पी.टी., बागोकर

वी.एल.पी.टी., देवप्रयाग

वी.एल.पी.टी., चमोली

वी.एल.पी.टी., लैन्सडाउन

वी.एल.पी.टी., बिन्सार

वी.एल.पी.टी., प्रतापनगर

पी.जी.एफ., मऊ

पी.जी.एफ., इलाहाबाद

पी.जी.एफ., मथुरा

पी.जी.एफ., वाराणसी

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र

433. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना करने संबंधी योजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कुल लागत क्या है तथा योजना में धन राशि की क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) योजना का लागत लाभ अनुपात क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने उड़ीसा में "कलिंगा स्टील्स (इण्डिया) लिमिटेड" नामक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए विदेशी निवेश संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संयंत्र की स्थापना उड़ीसा सरकार और कापरो ग्रुप लिमिटेड के डा. स्वराजपाल के बीच हुए समझौते ज्ञापन के अनुसरण में की जा रही है। जारी की गई मंजूरी के अनुसार अनुमानित परियोजना लागत 6400 करोड़ रुपए है जो 1600 करोड़ रुपए के

साम्या और 4800 करोड़ रुपये के ऋण द्वारा पूरी की जाएगी। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि साम्या और ऋण निम्नानुसार है :

साम्या 1600 करोड़ रुपए में निम्नलिखित शामिल हैं :

		करोड़ रुपए
(क)	कॉपरो ग्रुप	270
(ख)	उड़ीसा सरकार और इससे संबद्ध	150
(ग)	म्युचुवल फण्ड	50
(घ)	अन्य संबद्ध	170
		640

शेष 960 करोड़ रुपए की साम्या आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चरों के जरिए उगाही जाएगी।

ऋण 4800 करोड़ रूपए में निम्नलिखित शामिल हैं :

		करोड़ रुपए
(क)	अपरिवर्तनीय डिबेन्चर	960
(ख)	सप्लायरों से ऋण	600
(ग)	निर्माण के दौरान व्याज	1210
(घ)	मियादी ऋण	2030
		4800

(ग) और (घ). उड़ीसा सरकार ने बताया है कि परियोजना के लागत लाभ-अनुपात का पता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने और विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के बाद ही चल पाएगा।

डाभोल विद्युत संयंत्र

434. **श्री शांताराम पोटदुखे** :

श्री राम कापसे :

क्या **विद्युत मंत्री** 9 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने महाराष्ट्र में डाभोल में विद्युत संयंत्र को पूरा करने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के प्रथम सोपान को वर्ष 1997 में चालू किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"सार्क" देशों के साथ संबंध

435. **डा. सुधीर राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने "सार्क" देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये देश-वार क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है;

(ख) क्या इन देशों के साथ व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में कोई सुधार हुआ है;

(ग) क्या इन देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : देशवार सूचना इस प्रकार है :

पाकिस्तान

(क) 19 अक्तूबर, 1993 को प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों को अपने बधाई संदेश में भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू तथा कश्मीर से सम्बद्ध मसलों सहित पारस्परिक हित-चिन्ता के सभी मामलों पर एक विस्तृत और सतत् द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव किया है। अपने उत्तर में प्रधानमंत्री सुश्री भुट्टो ने कहा है कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच गंभीर और सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। 24 नवम्बर को एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने यह घोषणा की थी कि भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक एक जनवरी से 3 जनवरी, 94 तक इस्लामाबाद में होगी।

(ख) भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार में अवरोध का मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान, भारत के साथ भेदभावरहित व्यापार करने के लिए उदासीन रहा है। हमारी आयात व्यवस्था के अनुसार पाकिस्तान से आयात को पूर्णतः किसी अन्य देश से आयात की बराबरी का दर्जा दिया जाता है लेकिन पाकिस्तान की व्यापार नीतियों में भारत के खिलाफ भेदभाव बरता जाता है क्योंकि पाकिस्तान की आयात नीति केवल कुछ ही वस्तुओं का भारत से आयात करने की इजाजत देती है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। पाकिस्तान के साथ संपन्न सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की अवधि समाप्त हो चुकी है।

भूटान

(क) भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंध सुव्यवस्थित ढग से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 21-22 अगस्त, 1993 तक भूटान की यात्रा की और भूटान के कुरिचु में एक अन्य पन-बिजली परियोजना के लिए करार पर आद्याक्षर हुए।

(ख) व्यापार आकड़ों से पता चलता है कि वे वर्ष के पूर्वार्द्ध में वढ़े हैं।

(ग) और (घ). भूटान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान करार तो नहीं हैं लेकिन सांस्कृतिक आदान-प्रदान नियमित रूप से हो रहा है।

नेपाल

(क). नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंध सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं।

(ख) अप्रैल, 1993 से संशोधित व्यापार व्यवस्था के परिणामतः व्यापार बढ़ा है। व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि वे वर्ष के पूर्वार्द्ध में बढ़े हैं।

(ग) और (घ). नेपाल के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान करार तो नहीं है लेकिन नियमित तथा सक्रिय सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो रहा है।

बंगलादेश

(क) भारत सरकार आपसी परामर्श तथा सहयोग के माध्यम से बंगलादेश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) . भारत और बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार निरन्तर बेहतर हो रहा है। 92-93 में बंगलादेश के साथ 1054 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ।

(ग) और (घ). भारत और बंगलादेश के बीच एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है जिसके अनुसार सक्रिय सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो रहा है।

श्रीलंका

(क) श्री रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने मई, 1993 में श्री लंका के नये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, जून, 1993 में भारत यात्रा पर आए थे : उनकी इस यात्रा से श्रीलंका की नई सरकार के साथ उपयोगी विचार-विमर्श हुआ। नवम्बर, 1993 में कोलम्बो में अधिकारी स्तर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संयुक्त आयोग की आगामी बैठक के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री सिफारिशों पर विचार करेंगे।

(ख) 1989 में दोनों देशों के बीच 650 लाख अमरीकी डालर मूल्य का व्यापार हुआ था जबकि 1992 में यह व्यापार बढ़कर 3130 लाख अमरीकी डालर हो गया है। दोनों देशों के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच नियमित रूप से सम्पर्क होता रहा है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सहयोग के क्षेत्रों का विविधीकरण करना रहा है।

(ग) और (घ). 1992-94 के वर्षों के लिए अक्तूबर, 1991 में एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम संपन्न हुआ था।

मालदीव

(क) वर्तमान वर्ष के दौरान विदेश राज्यमंत्री श्री सलमान खुर्शीद तथा रेल मंत्री ने मालदीव की यात्रा की है। मालदीव से उनके विदेश मंत्री तथा न्यायमंत्री भारत की यात्रा पर आये। दोनों पक्षों से उच्चस्तरीय यात्रायें भी शीघ्र होगीं।

(ख) दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में बेहतरी लाने के प्रयास जारी हैं।

(ग) और (घ). दिसम्बर, 1992 में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न होने के परिणामतः सांस्कृतिक आदान-प्रदान का कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

राज्य बिजली बोर्डो को और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय राशि

436. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को राज्य बिजली बोर्डो की ओर से देय राशि इस समय तीन हजार करोड़ रुपयों से भी अधिक है;

(ख) यदि हां तो इतनी बड़ी देय राशि के जमा होने तथा उसकी वसूली के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य बिजली बोर्डो से इन देशों की वसूली तथा देशों के पुनः बकाया न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगयूया नायडू) : (क) जी, हां। 31.10.1993 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डो की ओर एनटीपीसी की प्रभार समेत बकाया राशि 3130.70 करोड़ रुपये है।

(ख) एनटीपीसी की राज्य बिजली बोर्डो की ओर इतनी बड़ी मात्रा में जमा बकाया राशि होने का कारण एनटीपीसी के मासिक ऊर्जा बिलों का समय-समय पर पूर्ण रूप से भुगतान न किया जाना है। एनटीपीसी द्वारा संबंधित राज्य सरकारों और क्षेत्रीय बिजली बोर्डो को प्रमुख चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डो के संबंध में इस आशय का उल्लेख भी किया गया है कि वे बिजली का भुगतान न तो पूर्ण रूप से और न ही समय पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्य बिजली बोर्डो द्वारा आवंटन के आधार पर विद्युत आहरण जारी रखा है। और बकाया राशि का स्तर धीरे-धीरे बढ़ता गया है।

(ग) भुगतानों के बारे में राज्य बिजली बोर्डो और संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से कार्यवाही किये जाने के अलावा इन बकाया राशियों की वसूली और वसूली की राशि को बढ़ने से रोकने के लिए जब कभी भी संभव हुआ है निम्नलिखित उपाय भी किये गये हैं :

1. केन्द्रीय विनियोजन से वसूल करके बकाया राशियों का समायोजन करना।

2. राज्य बिजली बोर्डो द्वारा किये गये भुगतानों के अनुरूप सप्लाई बन्द करना अथवा सीमित सप्लाई के द्वारा विद्युत सप्लाई का नियंत्रण करना है।

[हिन्दी]

पुश बटन टेलीफोन

437. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पुश बटन टेलीफोनों में क्या-क्या सुधार किये गये हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान किये गये ऐसे सुधार का मण्डल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस सुधार अभियान के अन्तर्गत मण्डल-वार क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) क्षेत्रीय इकाईयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, दूरसंचार विभाग की केन्द्रीकृत एजेन्सी ने डायलिंग यूनिट और पी सी बी में आशोधन किए हैं। उपकरणों की उचित पैकिंग ओर ढुलाइ (ट्रांसपोर्टेशन) सहित, गुणवत्ता जांचने के तरीकों में भी सुधार किया गया था।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों द्वारा आपूरित पुश बटन टेलीफोनों की गुणवत्ता की विभाग के गुणवत्ता आश्वासन सर्किल द्वारा लगातार एवं सतत रूप से जांच की जा रही है, जिसके कार्यालय देश भर में हैं। सभी दूरसंचार सर्किल अलग-अलग अपनी समस्यायें केवल गुणवत्ता आश्वासन सर्किल को ही भेजते हैं।

(ग) जैसा ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित है।

[अनुवाद]

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का निजीकरण

438. **श्री चित्त बसु** :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को निजी क्षेत्र की एक फर्म को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). "इस्को" के आधुनिकीकरण में निजी भागीदारी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने अभ्यावेदन दिया है। अगस्त, 1993 में पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा का एक सर्वदलीय शिष्टमंडल इस्पात मंत्री से मिला और उसने मांग की कि 'इस्को' का आधुनिकीकरण निजी भागीदारी के बिना स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाए।

संसाधनों की कमी के कारण "सेल" द्वारा "इस्को" का आधुनिकीकरण करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए सरकार "इस्को" के आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सम्भावनाओं की जांच कर रही हैं।

हीरो कप मैचों का प्रसारण

439. **श्री के.एच. मुनियप्पा** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरो कप के सी.ए.बी. हीरक जयन्ती समारोह मैचों के प्रसारण की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन ने कुछ मैचों का प्रसारण नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ विदेशी टेलीविजन नेटवर्क इन मैचों का सीधा प्रसारण करने के इच्छुक थे; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें प्रसारण की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) किसी अन्य एजेन्सी के साथ हुए अनुबंध के कारण मैचों को कवर नहीं किया गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) क्योंकि भारत में प्रसारण, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है इसलिए भारत से प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई।

गुजरात में नये विद्युत संयंत्र

440. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) . गुजरात राज्य के लिए 30 सितम्बर, 1993 तक विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

. (ख) क्या केन्द्रीय सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गुजरात में नये विद्युत संयंत्र स्थापित करने के संबंध में कोइं प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ये संयंत्र किन-किन जिलों में स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगयुया नायडू) : (क) चालू वर्ष के दौरान सितम्बर, 1993 तक गुजरात राज्य के लिए निर्धारित विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निम्नवत है :

(मि.यू. में)

क्र.सं.	गुजरात बिजली बोर्ड	लक्ष्य
1.	ताप विद्युत	12200
2.	जल विद्युत	467
3.	न्यूक्लो	80
	जोड़ :	12747

(ख) से (घ). आठवीं योजना (1992-97) के दौरान गुजरात राज्य में निम्नलिखित स्वीकृत परियोजनाओं को चालू किये जाने का कार्यक्रम हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	जिला
1.	कदामा यूनिट 3-4 (ज.विद्युत)	120.00	पंचमहल
2.	कच्छ लिग्नाइट यूनिट-3 (ता. विद्युत)	70.00	कच्छ
3.	सिक्का यूनिट-2 (ताप विद्युत)	120.00	जाम नगर
4.	उत्राण गैस आधारित टीपी (गैस)	78.00	सूरत
5.	कवास सीसीजीटी (गैस)	538.00	सूरत

6.	ककरापाड़ (न्यू क्लोय)	440.00	सूरत
7.	गांधार सीसीजीटी (गैस)	615.00	भरूच

इसके अलावा गुजरात को अंतर्राज्यीय सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना (1450 मे.वा.) से उत्पादित विद्युत में से 16% अपने हिस्से के रूप में प्राप्त करेगा।

ब्रिटिश विदेश मंत्री की यात्रा

441. **श्री रवि राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी ओर भारतीय नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था; और

(ख) उन्होंने सरकार के साथ किन प्रमुख विषयों पर चर्चा की थी और चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) विचार-विमर्श किए गए मुख्य मसलों में आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग, भारत-पाक आर्थिक संबंधों का विस्तार, भारत-पाक संबंध, जम्मू तथा कश्मीर में स्थिति एवं मानवाधिकारों से संबंधित विकास शामिल थे, इस बातचीत के परिणामतः एक-दूसरे ने पारस्परिक हित चिन्ताओं तथा दृष्टिकोणों को बेहतर ढंग से समझा। यात्रा के परिणामस्वरूप व्यापार, पूंजी-निवेश और संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन आर्थिक संबंधों की सम्भावनाओं में भी वृद्धि हुई।

ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका और कनाडा द्वारा वीजा जारी करने संबंधी निर्देश

442. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, अमरीका और कनाडा ने दूसरे देशों में अपने राजनयिक मिशनों को यह निर्देश जारी किया है कि वे किसी भी अविवाहित व्यक्ति को अपने देशों में आने के लिए प्रवेश पत्र न दें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से भारत के वास्तविक छात्रों एवं अध्येताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसे कोई आंतरिक निर्देश नहीं आए हैं जो यू.के. अमरीका एंव कनाडा की सरकारों ने अपने भारत स्थित मिशनों को इस आशय से जारी किए हों।

(ख) विदेशों में आप्रवासन विनियमों को सामान्य रूप से और अधिक कड़ा तो बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक छात्र और विद्वान जो किसी देश विशेष के ऐसे विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, उनको छात्र वीजा मिल जाता है।

(ग) सरकार को इस संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि विदेशी मिशनों द्वारा वीजा प्रदान किया जाना उसका संप्रभु विशेषाधिकार है।

इराक में कुवैत के युद्धबंदी

443. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत ने 1991 के कुवैत के युद्धबंदियों को छोड़ने तथा सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करते हुए दोनों देशों के बीच सीमा का सम्मान करने के लिए इराक को राजी करने के लिए भारत से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) सरकार बराबर यह मांग करती रही है कि इन दो मसलों के संबंध में सुरक्षा परिषद् के सभी संगत संकल्पों का कड़ाई से पालन किया जाए।

केरल की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

444. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(ग) राज्य की उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशी सहायता मिल रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	पुयाकुट्टी जल विद्युत परियोजना (240 मे.वा.)	तकनीकी-आर्थिक और निवेश संबंधी स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं। वन संबंधी स्वीकृति के लिये परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
2.	आदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (160 मे.वा.)	क्योंकि संशोधित प्रस्ताव में सिविल कार्य के क्षेत्र ओर ऊर्जा संबंधी लाभों में परिवर्तन किया जाना निहित है, इसलिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईवी) से एक नई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुरोध

	किया है। केरल सरकार को केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संबंधी स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।
3. कसारगोड़े में डीजी केन्द्र (60 मे.वा.)	के.वि. प्राधिकरण ने परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है लेकिन अब केएसईवी द्वारा स्थल परिवर्तन किया जाना तथा पुनः स्वीकृतियां प्राप्त करना अपेक्षित है।
4. कोजीकोडे में डीजी विद्युत संयंत्र (120 मे.वा.)	केएसईवी पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी अध्ययन कार्य कर रहा है तत्पश्चात् तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये इसके द्वारा परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने के लिए समय परियोजना रिपोर्ट और तदन्तर्गत ब्यौरों के प्रस्तुतीकरण के समय पर निर्भर करेगा।

(ग) लोअर परियार जल विद्युत परियोजना (3x60 मे.वा.) का क्रियान्वयन विश्व बैंक की सहायता से केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। परियोजना को 1995-96 में चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

दूरदर्शन द्वारा हिंसक कार्यक्रमों का प्रसारण

445. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : .

(क) क्या दूरदर्शन का विचार इसके द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाई जा रही हिंसा में कमी करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). आमतौर पर दूरदर्शन कार्यक्रमों में हिंसा के दृश्य नहीं होते। दूरदर्शन इस संबंध में भी पर्याप्त सावधानी बरतता है कि इसके चैनलों पर प्रसारित होने वाली फिल्मों में अत्यधिक हिंसा वाले दृश्य न हों।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम में पेंशन योजना

446. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम में पेंशन योजना लागू करने हेतु निरन्तर मांग की जाती रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग के पहलुओं पर विचार किया है;

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). नवम्बर, 1992 में सरकार ने दि0प0नि0 में 3.8.1981 से दि.प.नि. की ओर से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचालित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार के नमूने पर पेंशन योजना लागू करने की संस्वीकृति दी थी। तथापि दि.प.नि. तथा जीवन बीमा निगम के बीच योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ मतभेदों के कारण इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अब दि.प.नि. ने योजना को स्वयं कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है और उनका प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में विद्युत परियाजनाएं

447. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पन-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करवाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं;

(ख) संघ सरकार द्वारा अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है और इनमें से कितनों को अभी मंजूरी दी जानी है; और

(ग) सभी प्रस्तावों को स्वीकृत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) दो।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु, महेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मे.वा.) और तवा जल विद्युत परियोजना (12 मे.वा.) दो मैसर्स महेश्वर जल विद्युत निगम लि. जो कि मैसर्स एस. कुमार द्वारा प्रायोजित है, और मैसर्स हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट (एच.इ.जी.) को सौंपी गई हैं। इन दोनों परियोजनाओं को राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के रूप में, लगभग सभी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं जिनको निजी प्रायोजकों को हस्तांतरित किया जाना है। निजी प्रायोजकों के द्वारा प्रस्तुत महेश्वर जल विद्युत परियोजना हेतु संशोधित प्रस्ताव, के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी और लागत संबंधी पहलू को मद्देनजर रखते हुए स्वीकृति प्रदान किए जाने योग्य पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में बिजली की कमी

448. **श्री हरिभाई एम. पटेल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं तथा नौंवी पंचवर्षीय योजनाओं में गुजरात में विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी कमी आने का पूर्वानुमान लगाया गया है;

(ख) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए नयी परियोजनाओं के लिए कोई कोयला अनुबंध किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी को कैसे पूरा किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगयुया नायडू) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के चौंदहवे विद्युत सर्वेक्षण पर आधारित गुजरात में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का पूर्वानुमान, 8 वीं योजना (1996-97) के अंतिम वर्ष में निम्नानुसार हैं :

	वास्ततमकालीन	ऊर्जा (मि.कि.वा.आ.)
आवश्यकता	5487	33645
उपलब्धता	3802	27645
कमी	-1685	-6000
प्रतिशत	-30.7	-17.8

नौंवी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

(ख) कोयला/लिग्नाईट लिकेजिज क्रमशः सिक्का विस्तार यूनिट-2 और कच्छ लिग्नाईट यूनिट-3 के लिए दे दिए गए हैं।

(ग) कमी की स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार करने के लिए गुजरात राज्य में आठवीं योजना के दौरान लाभ हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं :

	स्कीम का नाम	कुल अधिष्ठाापित (मे.वा.)	आठवीं योजना (1992-97) के दौरान प्राप्त लाभ	चालू करने संबंधी सम्भावित कार्यक्रम
1.	कदाना-2 यूनिट-3 व 4	2x60	120	1995-96
2.	सिक्का विस्तार यू.-2	1x120	120	1992-93
3.	कच्छ लिग्नाईट	1x70	70	1996-97
4.	उत्राण सीसीजीटी	3x33+1x45	78	1992-93
5.	सरदार सरोवर	6x200+5x50	232	1995-96
	(16% हिस्सा)			80 मेगावाट
				1996-97
				152 मेगावाट

उपरोक्त परियोजनाओं से आठवीं योजना के दौरान 620 मेगावाट के लाभ के अलावा गुजरात को आठवीं योजना के दौरान सम्भावित चालू होने वाली केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से इसके हिस्से की समुचित विद्युत सप्लाई की जाएगी।

कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शन

449. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और कोडागु जिलों में बड़ी संख्या में आवेदक टेलिफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में बहुत दिनों से हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) 1.11.93 की स्थिति के अनुसार दक्षिण कन्नड़ जिले में 24255 और कोडागु जिले में 2367 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ग) इस वर्ष के दौरान लगभग 10000 नए कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है। आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार बड़ी टेलिफोन प्रणालियों में टेलिफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि 2 वर्ष तक घटायी जानी है और आठवीं योजना अवधि (92-97) के अंत तक, ग्रामीण/जनजातिय क्षेत्रों में व्यवहारिक मांग होने पर टेलिफोन प्रदान किए जाने हैं। तदनुसार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा साथ ही ग्रमीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जा रहे हैं और 31 मार्च, 1995 तक प्रत्येक पंचायत गांव में एक-एक टेलिफोन प्रदान किया जाना है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट के लिए लंबित आवेदन

450. **श्री देवी बक्स सिंह** :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 को पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट कार्यालयवार कितने आवेदन लंबित थे;

(ख) जनवरी-सितम्बर, 1993 के दौरान कार्यालयवार पासपोर्ट के कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने आवेदनों को अन्तिम रूप से निपटाया गया;

(घ) कितने आवेदनों को रद्द किया गया है;

(ङ) कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(च) 30 सितम्बर, 1993 को कितने आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही थी; और

(छ) उसमें ऐसे कितने आवेदनों को शामिल किया गया है जो तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख), (ङ) और (च). सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(छ) सूचना इस फार्मेट में नहीं रखी जाती है। तथापि संलग्न विवरण-2, कालम-5 एक माह से अधिक समय से लंबित आवेदन पत्रों की संख्या दर्शाता है।

विवरण-1

पासपोर्ट कार्यालयों में लम्बित आवेदन पत्र

1.1.1993 की स्थिति के अनुसार (सभी आंकड़े अनंतिम हैं)

क्र.सं.	केन्द्र	बकाया आवेदन पत्र
1.	अहमदाबाद	40437
2.	बंगलौर	18504
3.	बरेली	11092
4.	भोपाल	3188
5.	भुवनेश्वर	2978
6.	बम्बई	47349
7.	कलकत्ता	23483
8.	चंडीगढ़	82499
9.	कोचीन	62679
10.	दिल्ली	34024
11.	गोवा	2074
12.	गुवाहाटी	3663
13.	हैदराबाद	37459
14.	जयपुर	50861
15.	जालंधर	16026

16.	कोजीकोड	168942
17.	लखनऊ	87406
18.	मद्रास	65417
19.	नागपुर	827
20.	पटना	42993
21.	त्रिची	157081
22.	त्रिवेन्द्रम	83853
		1142835

विवरण-2

जनवरी से 1 अक्तूबर 1993 तक पासपोर्ट के लिये नये आवेदन पत्रों की स्थिति

(सभी आंकड़े अनन्तिम हैं)

कार्यालय	प्राप्ति	जारी	1.10.93 की स्थिति के अनुसार पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की जा रही है।	एक माह से अधिक समय से बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अहमदाबाद	85853	103015	23055	11211
बंगलौर	87459	65547	40586	23112
वरेली	46476	50830	6872	2912
भोपाल	19833	19165	4034	1221
भुवनेश्वर	7037	7873	2237	610
बंबई	159503	154991	51676	19527
कलकत्ता	31459	40509	13403	5820
चंडीगढ़	57683	68338	72086	62662
कोचीन	90721	140496	12385	11172

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दिल्ली	99545	99503	33881	12610
गोवा	12631	12066	2592	145
गुवाहाटी	6014	6894	2781	1699
हैदराबाद	158093	167095	26859	12928
जयपुर	51523	87336	14056	8800
जालंधर	64219	80130	83392	73547
कोजीकोड़	150659	2552266	61146	52552
लखनऊ	99455	102299	83293	66840
मद्रास	119570	161772	23162	19862
नागपुर	10093	9609	1362	57
पटना	34848	35932	42104	38531
त्रिची	160682	258307	56552	36354
त्रिवेन्द्रम	95307	157441	20862	10814
	1648663	2084414	678376	472986

[अनुवाद]

बंगलादेश द्वारा गंगा जल बंटवारे के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना

451. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

श्री चित्त बसु :

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री बीर सिंह महतो :

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश, गंगाजल बंटवारे के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं;

(ग) क्या बंगलादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में अपने हाल के भाषण में यह मुद्दा उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां। बंगलादेश ने गंगाजल के बंटवारे के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा खाद्य तथा कृषि संगठन जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है।

(ख) भारत सरकार ने इस विषय को बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया है और इसे इस बात से अवगत कराया है कि बंगलादेश जो इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश कर रहा है, वह भारत को अस्वीकार्य है और भारत सरकार ने यह भी कहा कि भारत ऐसे किसी मामले पर कोई समझौता नहीं करेगा जिसमें हमारी महत्वपूर्ण हित में निहित हों।

(ग) जी हां। बंगलादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा ज़िया ने गंगाजल के बंटवारे का मसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 48 वें अधिवेशन के दौरान 1 अक्तूबर, 1993 को उठाया।

(घ) अपनी सिद्धान्तगत स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत द्विपक्षीय बातचीत के जरिए बंगलादेश के साथ जल के उचित, दीर्घावधिक तथा व्यापक प्रबन्ध करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत इस विषय पर बंगलादेश के साथ सकारात्मक द्विपक्षीय बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहेगा।

चीन के साथ प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान

452. **श्री राम कापसे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच कोई समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत पलवराइज्ड कोल इन्जेक्शन ब्लास्ट फर्नेस प्रोद्योगिकी का चीन से भारत को और डी. आर. आई.(स्पंज आयरन) प्रौद्योगिकी का भारत से चीन को अंतरित किया जाना है;

(ख) क्या उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड और सी.एम.आई.ई.सी. के बीच चीन को कोयला आधारित स्पंज आयरन प्रौद्योगिकी देने संबंधी और एक समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी अंतरण से संबद्ध प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड ने धमन भट्टियों में उपयोग करने के लिए चूर्णित कोयला धूलि अन्तः क्षेपण प्रणाली के क्षेत्र में चीन से भारत को प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए चीन की बीझिंग सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च इनकारपोरेशन ऑफ आयरन एंड स्टील (सी.ई.आर.आई.एस) के साथ एक लाइसेंस करार किया है। धातुकर्मीय कोयले की खपत में कमी करने के लिए धमन भट्टियों में इस प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाया गया है।

चीन में कोयले पर आधारित स्पंज लोहा उद्योग को विकसित करने के लिए चीन के मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने भारत से प्रौद्योगिकी के आयात के लिए सितम्बर, 1993 में उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड (ओ.एस.आई.एल.) के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इसमें लोह अयस्क के कोयला आधारित प्रत्यक्ष अपचयन की मूलभूत और विस्तृत इंजीनियरी भी शामिल है।

[हिन्दी]

दिल्ली में नये डाकघर

453. **श्री राम पाल सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, विशेषरूप से पूर्वी दिल्ली में आवश्यकता के अनुरूप डाकघर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजधानी में ओर अधिक डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां तथा कब खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग). जी नहीं। किन्तु, दिल्ली में वार्षिक योजना 1993-94 के अन्तर्गत 6 और विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। स्थानों के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तथापि इन्हें 31.3.1994 तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित है।

[अनुवाद]

कलकत्ता टेलीफोन के अंतर्गत खराब पड़े टेलीफोन

454. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन के अंतर्गत कई सौ टेलीफोन विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन टेलीफोनों को पुनः चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) कुछ टेलीफोन लंबे समय से खराब पड़े हैं। ऐसे टेलीफोनों का प्रतिशत कलकत्ता टेलीफोंस में कार्यरत कुल टेलीफोनों की संख्या का मात्र 0.7% है।

(ख) इस वर्ष वर्षा ऋतु अक्तूबर, 1993 के अंत तक चलती रही। बरसात और इसके साथ-साथ विभिन्न उपयोगिता एजेंसियों द्वारा भूमिगत केबल को अत्यधिक क्षति पहुचांए जाने के फलस्वरूप बहुत ज्यादा केबिल फॉल्ट हुए, तथा हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद इन्हें पुनः चालू करने में ज्यादा समय लग रहा है।

(ग) फॉल्टों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त अनुरक्षण कार्मिकों को काम पर लगाया गया है। इन्हें शीघ्र ठीक करने के लिए अनुरक्षण कार्मिक कार्य के सामान्य घंटों के अतिरिक्त तथा छुट्टियों के दिन भी काम कर रहे हैं।

निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं :

(क) बाहरी क्षतियों से भूमिगत केबिलों की सुरक्षा के लिए व्यापक पैमाने पर भूमिगत केबिल डक्ट का निर्माण-कार्य प्रारंभ किया गया है।

(ख) पुरानी मियाद समाप्त तथा मरम्मत न किए जाने योग्य पेपर कोर केबिलों को जेली भरे केबिलों से बदला जा रहा है।

(ग) विभिन्न उपयोगिता एजेंसियों से बेहतर समन्वय रखा जा रहा है ताकि केबिलों को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

(घ) थर्मो-श्रिंक ज्वाइंटिंग किट्स और मोड्यूलर कनेक्शनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि केबिलों के जोड़ न खुलें।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग

455. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उन की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है; और

(ग) असम में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर फिलहाल चल रहे कार्य का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) असम राज्य में 13 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी कुल लंबाई 2296 कि.मी. है।

(ख) 6.74 प्रतिशत।

(ग) असम में फिलहाल विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 224.92 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल कार्यों संबंधी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

दूरसंचार विभाग को समाप्त करना

456. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दूरसंचार नीति के तहत दूरसंचार विभाग को समाप्त करने की कोई पहल की है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कर्मचारी फालतू हो जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बाल चलचित्र

457. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी किस्मों के बाल चलचित्रों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या अच्छे बाल चलचित्रों के निर्माण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (ग). सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय बाल एंव युवा चलचित्र केन्द्र की स्थापना बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली और उपयोगी फिल्मों के निर्माण, प्राप्ति एवं प्रदर्शन करने हेतु की गयी है। सरकार द्वारा निर्मुक्त अनुदान सहायता से राष्ट्रीय बाल एंव युवा चलचित्र केन्द्र वर्ष में लगभग 4 फीचरों फिल्मों तथा 4 लघु फिल्मों क़ा निर्माण करता है। रा. बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र द्वारा मिर्मित बाल फिल्मों की गुणवत्ता में हाल के वर्षो में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। राष्ट्रीय बाल एंव युवा चलचित्र केन्द्र की अभयम्, तारू, बल्लूशाह, मुझसे दोस्ती करोगे, साइकिल तथा लावण्य प्रीति नामक फिल्मों ने हाल के वर्षो में पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रीय बाल एंव युवा चलचित्र केन्द्र अच्छी फिल्मों के संग्रहकों को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली विदेशी फिल्मों के अधिकार भी प्राप्त करता है।

गुजराज में टेलीफोन संचालन

458. **डा. खुशीराम डुंगरीमल जेस्वाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में जिला तथा ग्राम स्तर पर टेलीफोन संचालन अधिकतर क्रियाशील नहीं रहते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्यरत हैं; और

(घ) गुजरात के प्रत्येक गांव में कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जायेंगे और इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 756 इलेक्ट्रॉनिक एक्सेचेंज काम कर रहे हैं।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन देने की परिकल्पना है। इस दिशा में लक्ष्यों के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

459. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की अर्थक्षमता में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की अर्थक्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड वर्ष 1987-88 से 1992-93 तक, निरन्तर लाभ अर्जित करता रहा है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान तांबे के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट व अस्पष्ट बाजार परिस्थितियों से तांबा धातु के खुले तौर पर आयात के बावजूद, इसके अनुमानित मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण नकद हानि होने की आशंका है। इसके अलावा, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड कुछ अर्न्तनिहित समस्याओं जैसे अयस्कों की खराब किस्म, देश में कापर अयस्क के ज्ञात सीमित भंडार, प्रचालन का निम्नस्तर व ऊंची लागत का भी सामना कर रहा है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने एक संशोधित योजना तैयार की है जिसमें राजस्थान के खेतड़ी कापर कम्पलेक्स में आयातित तांबा सांद्रकों पर आधारित प्रगालक क्षमता का 31000 टन वार्षिक से बढ़ाकर एक लाख टन वार्षिक तक विस्तार व पूर्वी क्षेत्र में सुरदा व राखा तथा पश्चिमी क्षेत्र में कोलीहान में स्थित कापर खानों का विस्तार व खर्चीली खानों को बंद करना व कार्मिक शक्ति को तर्कसंगत बनाए रखने की परिकल्पना की गई ताकि कंपनी की प्रचालन क्षमता में सुधार लाया जा सके।

[अनुवाद]

संस्कृत में समाचार

460. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर संस्कृत में समाचार प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (ग). जनसांख्यिकीय स्वरूप, प्रसारण समय, संसाधनों तथा जनशक्ति संबंधी कठिनाइयों सहित विभिन्न कारणों से राष्ट्रीय नेटवर्क पर संस्कृत में समाचार बुलेटिन प्रसारित करना संभव नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में एस.टी.डी. सुविधा

461. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिले में 1 नवम्बर, 1993 तक किन-किन स्थानों पर एस.टी.डी. और सामूहिक टेलीफोन करने की प्रणाली की स्थापना की गई है;

(ख) मालवन, देवगढ़, राजापुर, लेजा और देरूद्ध में एस.टी.डी. प्रणाली कब से शुरू कर दी जायेगी; और

(ग) किन-किन स्थानों पर 1 नवम्बर, 1993 तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थापना की गई है और निकट भविष्य में किन-किन स्थानों पर ऐसी एक्सचेंजों की स्थापना की जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिलों में जिन स्थानों को एस.टी.डी. प्रदान की गई, उनके नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। इन दोनों जिलों में ग्रुप डायलिंग स्थापित नहीं की गइ है।

(ख) मालवान, देवगढ़, राजापुर, लाजा और देवरूख में प्रस्तावित एस.टी.डी. चालू करने में लगने वाला समय संलग्न विवरण-2 में दिखाया गया है।

(ग) सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में जिन स्थानों को 1 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान किये गए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-3 में दिये गए हैं। जिन स्थानों को 31 मार्च, 1995 तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदान करने का प्रस्ताव है, उनके नाम संलग्न विवरण-4 में दिए गए हैं।

विवरण-1

(क) सिन्धु दुर्ग तथ रत्नागिरी जिलों में 1 नवम्बर, 1993 तक जिन स्थानों को एस.टी.डी. प्रदान की गई, उनके नाम

	सिन्धु दुर्ग		रत्नागिरि
1.	कुडाल	1.	रत्नागिरी
2.	सावंतवाडी	2.	खेड
3.	वेंगरूला	3.	लोटे
4.	कांकावली	4.	चिपलुन
		5.	डापोली

(ख) इन दो जिलों में ग्रुप डायलिंग स्थापित नहीं की गई है।

विवरण-2

एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य

केन्द्र	प्रस्तावित तिथि
मालवान	मार्च, 1994
देवगढ़	मार्च, 1995
राजापुर	मार्च, 1995
लाजा	मार्च, 1995
देवरूख	मार्च, 1995

विवरण-3

सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों (महाराष्ट्र) में उन स्थानों के नाम जहां इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदन किए गए हैं (1 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	स्थान का नाम	क्र.सं.	स्थान का नाम
	सिन्दुदुर्ग जिला		
1.	देवगढ़	2.	मितभाव
3.	मोण्ड	4.	शिरगांव
5.	विजय दुर्ग	6.	वाडा
7.	कनकावली	8.	कसारडा
9.	खारेपाटन	10.	नन्दगांव
11.	फोण्डाघाट	12.	संगावे
13.	कसल	14.	मनगांव
15.	खपेन	16.	अचारा
17.	कडा	18.	मालवान
19.	मसुरे	20.	अम्बोली
21.	अरोण्डा	22.	बांडा
23.	मेडसी	24.	दोदामार्ग

25. कमलवीर
26. रेडी
27. सावंतवाडी
28. शिरोडा .
29. वेमवदाडी
30. तलावाडा
31. वेंगुरला

रत्नागिरी जिला

1. अलोर
2. गोखडपोली
3. मालडीली
4. मार्गटखाने
5. पोफार्ली
6. सावारडा
7. डामोल
8. डापोली
9. हरनाई
10. पंचनदी
11. गुहागर
12. हेउवी
13. शुगार टाली
14. तालावली
15. फुरूस
16. खेड
17. लोटे
18. मुम्बांक
19. सवानस
20. शिव-बुडरूक
21. भामबेड
22. लाजा
23. सतावली
24. मण्डनगढ़
25. आदिवारे
26. जैतापुर
27. नाटा
28. ओनी
29. पांचाल
30. राजापुर
31. सगावे
32. बसानी
33. हरचेरी
34. हटखम्भा
35. जयगढ़
36. जकादेवी
37. करंजारी
38. खण्डाला
39. मालगुण्ड
40. नेवारे
41. पाली
42. पवास

43. पुरानागढ़	44. सैतवाडा
45. अम्बेत	46. देवरूख
47. कडवाई	48. मखजन
49. नयरी	50. सखरणा
51. संगमेश्वर	

विवरण - 4

उन स्थानों के नाम जहां मार्च, 1995 तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदान किए जाने हैं।

सिन्धुदुर्ग जिला	रत्नागिरी जिला
1. ताले बाजार	1. चिपलुन
	2. मुरमाई
	3. लटवान
	4. लावेल
	5. रत्नागिरि
	6. तालावली

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के मथुरा/आगरा में दूरदर्शन स्टुडिया की स्थापना

462. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मथुरा अथवा आगरा में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र की स्थापना करने का है अथवा इस क्षेत्र के वर्तमान दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (ग). आगरा तथा मथुरा जिले मौजूदा टी.वी. नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह कवर किए जाते हैं। इसलिए आगरा तथा मथुरा में कार्यरत टी.वी. ट्रांसमीटरों की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि मथुरा में सीमांत कार्यक्रम निर्माण सुविधा उपलब्ध करने की परिकल्पना है जो इस उद्देश्य के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

श्रीलंका में जातीय समस्या

463. **श्री अंन्बारासु इरा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका ने अपने देश में जातीय समस्या का उपयुक्त राजनैतिक समाधान निकालने के लिए किसी सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई राजनैतिक हल निकालने हेतु पहल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि श्रीलंका की एकता, सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की परीधि के भीतर रहते हुए श्रीलंका के तमिलों की वैध आकांक्षाएं पूरी हों। हम बातचीत के जरिए ऐसे किसी राजनीतिक समाधान का समर्थन करते हैं जिसमें वे सभी पक्ष शामिल हों जिन्होंने हिंसा का रास्ता न अपनाया हो।

केरल में चेनगन्नूर में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर

464. **प्रो. पी.जे.कुरियन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के अलेप्पी जिले में चेनगन्नूर में प्रस्तावित कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) यह कब से चालू होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) और (ख). 1993-94 की वार्षिक योजना के अंतर्गत, केरल के अलेप्पी जिले में चेंगानूर में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित ट्रांसमीटर के लिए उपयुक्त स्थल का पता लगाया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को औपचारिक रूप से अनुमोदित किए जाने के बाद इस प्रकार की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है।

[हिन्दी]

सरकारी सेवाओं में अधिक्रमण

465. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिक्रमण को सरकारी सेवा में बड़ा दण्ड मानती है;

(ख) क्या सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करने तथा उसके अधिक्रमण से पहले उससे स्पष्टीकरण मांगने का प्रावधान है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में सैकड़ों कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस दिए अथवा उनसे स्पष्टीकरण मांगे विना उनका अधिक्रमण कर दिया गया है;

(घ) क्या उनमें से अधिकांश कर्मचारी समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, और इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक के लिए विश्व बैंक से सहायता

466. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक में विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण/वित्तीय सहायता देने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक को समझाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). विश्व बैंक द्वारा कर्नाटक विद्युत परियोजनाओं 1 और 2 के तहत अपनी ऋण सहायता रद्द कर दी गई है। कर्नाटक पावर कारपोरेशन हेतु प्रारक्षित ऋण 1.8.93 से और कर्नाटक बिजली बोर्ड हेतु प्रारक्षित ऋण 25.10.93 से रद्द कर दिए गए थे। विश्व बैंक की विचारधारा कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ऋण प्रसंविदा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, के कारण इन ऋणों को रद्द कर दिया गया था।

(घ) विभिन्न प्रसंविदाओं के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, केन्द्रीय सरकार की सहायता से ऋण रद्द किए जाने से पहले कर्नाटक सरकार द्वारा समय-समय पर समुचित प्रयास किए गए थे। ऋणों को रद्द किए जाने से सम्बन्धित अपने निर्णय पर पुनः विचार किए जाने के लिए उन्होंने बैंक के साथ सम्पर्क स्थापित किया।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

467. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री जी. देवराय नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 23 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3903 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी माध्यम एककों तथा संगठनों, जिसमें अन्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय शामिल है, की सेवाओं तथा संवर्गों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए श्री यू.सी.अग्रवाल (सेवानिवृत्त सचिव, कार्मिक विभाग) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 16.11.1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) तथा (ग). रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

केरल में अल्पुजा बाई-पास का निर्माण

468. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अल्पुजा बाई-पास फेस-दो के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में चांदी के अयस्क की खोज

469. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चांदी के अयस्क की खानों की खोज करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

[हिन्दी]

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक चांदी की कितनी खानों की पहचान कर ली गई है और वे कहां-कहां पर हैं; और

(घ) इस संबंध में अव तक क्या प्रगति की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के भारक क्षेत्र में चांदी अयस्क निक्षेपों के गवेषण का कार्य किया है जिसमें बघेरा ब्लाक के माताजी का खेड़ा क्षेत्र में विस्तृत मानचित्रण, ड्रिलिंग व सैम्पलिंग शामिल हैं। खोज के आधार पर 435 ग्राम/टन औसत ग्रेड वाले लगभग 36,000 टन इन-सीट चांदी अयस्क स्त्रोतों का आकलन किया गया है।

(ग) और (घ). राजस्थान में अभी तक कार्य योग्य चांदी की खानों का पता नहीं चला है। हालांकि, राजस्थान में चांदी को हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रगालकों पर उपोत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा रहा है।

तमिलनाडु में बाई पासों का निर्माण

470. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में निर्माण हेतु प्रस्तावित तथा इस समय निर्माणाधीन बाई पासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू हो जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	बाईपास का नाम	स्वीकृत लागत राशि (लाख रु. में)	मार्च 93 तक का खर्च (लाख रु. में)	पूरा होने की लक्षित तारीख	वर्ष 1993-94 का बजट प्रावधान (लाख रु. में)
क : निर्माणाधीन					
1.	मद्रास बाई-पास रा.रा.5, 45 (एल.ए.)	398.00	283.17	दिसम्बर, 93	1.28
2.	वानियामवड़ी बाई-पास, रा.रा.46 (निर्माण)	24.70	15.98	दिसम्बर, 93	9.02
3.	वैलोर बाई-पास, रा.रा.46 (एल.ए)	39.40	34.19	दिसम्बर, 93	11.02
4.	[illegible] बाइ-पास, रा.रा.7 (एल.ए)	83.11	0.07	मार्च, 95	20.00
ख : प्रस्तावित					
5.	कोयम्बतूर बाई-पास रा.रा.7 मामूली निधियां आवंटित होने के कारण इस समय कार्य शुरू करना संभव नहीं है।				

राज्यों को अनुदान

471. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों का मूल कार्य प्रारम्भ करने और मरम्मत के लिए राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने कितना अनुदान दिया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार राज्यों ने कितनी धनराशि की माग की और उन्हें कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ग) क्या अपर्याप्त केन्द्रीय अनुदान के आवंटन के कारण महाराष्ट्र सहित अनेक राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने में कठिनाइ हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान मूल कार्यों तथा मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए आवश्यकता और किया गया आवंटन नीचे दर्शाया गया है

(करोड़ रु.)

वर्ष	मूल (विकास) कार्य		रख-रखाव और मरम्मत	
	आवश्यकता	आवंटन	आवश्यकता	आवंटन
1990-91	394.15	337.25	257.91	150.32
1991-92	450.47	374.84	291.29	163.41
1992-93	647.48	419.37	330.00	165.14

(ग) और (घ). संसाधनो के अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा उनके रख-रखाव के लिए निर्धारित मान के अनुसार पूरी निधियां उपलब्ध नहीं हैं। महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य उपलब्ध निधियों में से राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखते हैं।

[हिन्दी]

संथाल परगना तथा हजारी बाग में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर

472. **श्री साइमन मरांडी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संथाल परगना और हजारीबाग कमीशनरी (बिहार) में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर उच्च शक्ति के टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ग) साहिबगंज जिले में किन-किन स्थानों पर टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) ये ट्रांसमीटर कब से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). वर्तमान में बिहार के साहिबगंज जिले में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में कोट्टायम जिले में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

473. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कोट्टायम जिले में कंजीरापल्ली ताल्लुक में दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ट्रांसमीटर केन्द्र की क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ स्थल का चयन कर लिया गया है;

(घ) क्या कोट्टायम जिले में ऐसे अन्य स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग). : जी, हां। 1993-94 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत केरल के कोट्टायम जिले के कंजीरापल्ली में एक अति अल्प शक्ति (2x10 वा.) ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है। प्रस्तावित ट्रांसमीटर के लिए उपयुक्त स्थल का पता लगाया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के अनुमोदन पर वास्तविक कार्यान्वयन निर्भर करेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम के भूखंड (प्लाट)

474. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं में खाली पड़े भूखंडों का वाणिज्यिक उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). सरकार दिल्ली परिवहन निगम की पुनर्स्थापना के लिए एक अन्तः सम्बद्ध, पैकेज को अंतिम रूप दे रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दि.प.नि. के डिपुओं में उपलब्ध भूमि के वाणिज्यिक विकास का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

खनन वित्त निगम

475. **श्री के. प्रधानी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलग से खनन वित्त निगम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम की स्थापना का क्या उद्देश्य है और इस योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस निगम की स्थापना कब तक हो जाएगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अजमेर में टी.वी. ट्रांसमीटर

476. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान के अजमेर में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया था तथा उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी और उसकी क्षमता क्या होगी;

(ग) क्या उक्त टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ङ) इसका कार्य कब से शुरू किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। राजस्थान में अजमेर में उच्च्च शक्ति का एक 10 कि.वा. टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए स्थल को दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। तथापि, इस स्कीम के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जानी है।

(ग) से (ङ). पूर्व में तारागढ़ फोर्ट में पता लगाए गए स्थल के संबंध में स्वीकृति नहीं दी गई थी क्योंकि उक्त स्थल तक पहुंच-मार्ग के निर्माण में अत्यधिक लागत निहित थी। उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। औपचारिक रूप से अनुमोदित किए जाने के बाद इस प्रकार की बड़ी परियोजना को पूरा करने में, स्कीम की कम से कम 3-4 वर्ष का समय लगता है।

उत्तर प्रदेश में दुग्ध संयंत्र

477. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु आहार आदि के तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में दुग्ध संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संयंत्र पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करती। दुध-उत्पादों पर लाइसेंस खत्म करने से लेकर अब तक सरकार को उत्तर प्रदेश में दुग्ध-प्रसंस्करण और दूध से बनने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए 265 औद्योगिकी उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 36 ज्ञापनों में दूध से बनने वाली वस्तुओं के साथ-साथ वेबी फूड का उत्पादन करने की इच्छा व्यक्त की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 9.95 करोड़ रु. के पूंजी निवेदश वाली एक परियोजना शुरू की गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

478. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जायेंगे और इस प्रयोजनार्थ कुल कितना निवेश किया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने स्वयं कोई अध्ययन नहीं किया है लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों/अन्य संस्थानों संगठनों की आगे और विकास करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए सहायता उपलब्ध करा रहा है। कर्नाटक में ऐसे अध्ययन करने के लिए 7,99,000 रु. की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) उदारीकरण के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित 53 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें 226 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसस्करण उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें बनाई हैं। आठवीं योजना के दौरान लागू करने के लिए बनाई गई स्कीमें संलग्न विवरण में दी गई हैं। भेड़, बकरी, भैंस एवं सूअर के

मांस के विकास के लिए 284 लाख रुपये की कुल लागत वाली एक परियोजना का पता लगाया गया है। बंगलौर पशु खाद्य निगम, बंगलौर को 71 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी है।

विवरण

योजना स्कीमों का सार

(क) खाद्यान्न प्रसंस्करण सेक्टर

1. फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई.आई.टी., खड़गपुर।
2. धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर।
3. प्रादेशिक प्रसार सेवा केन्द्र।
4. अनुसंधान और विकास स्कीमें।
5. चावल मिलिंग मशीनरी और अनुषंगी उपकरण परीक्षण केन्द्र।
6. चावल मिलों का आधुनिकीकरण।
7. खाद्य इंजीनियरी केन्द्र स्थापित करना।

(ख) फल और सब्जी प्रसंस्करण

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की स्कीम।
2. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने में सहायता के लिए योजना।
3. प्रसंस्करणकर्त्ताओं और उत्पादकों के बीच बैकवर्ड लिंकेज सुदृढ़ करने की स्कीम/जांच केन्द्र।
4. खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु सहायता स्कीम।
5. हाप्स के विकास और प्रसंस्करण के लिए सहायता।
6. प्रसंस्कृत खाद्यों पर और विपणन सहायता की व्यवस्था के लिए व्यापक विज्ञापन।
7. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास।

(ग) मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण

1. राष्ट्रीय पशुधन उत्पाद विकास परिषद की स्थापना।
2. सुअर मांस प्रसंस्करण का विकास।
3. भेड़, बकरी और खरगोश मांस के प्रसंस्करण का विकास।
4. पाल्ट्री और अण्डा प्रसंस्करण का विकास।
5. भैंस मांस प्रसंस्करण का विकास।

6. निर्यात के लिए मांस के भण्डारण और दुलाई के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास।

7. विपणन सुविधा का विकास।

8. मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास।

9. मांस प्रसंस्करण तथा विशेष पैकेजिंग के लिए अनुसंधान और विकास।

(घ) मात्स्यिकी और मछली प्रसंस्करण

1. गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण में भागीदारी के लिये सहायता।

2. गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था के लिए सहायता अनुदान।

3. विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सहायता।

4. तट रक्षक बल के लिए संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था करके भरतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए योजना।

5. कोल्ड चेन की स्थापना के लिए स्कीम।

6. टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण के लिए स्कीम।

7. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता।

8. भारतीय मात्स्की सर्वेक्षण।

(ङ) उपभोक्ता उद्योग

1. सोया उत्पादों और भारतीय पारंपरिक खाद्यों और पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास स्कीम।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश।

   क. मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड।

   ख. नेरामक।

(च) सचिवालय आर्थिक सेवाएं

1. नोडल एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए स्कीम।

2. फल एंव सब्जी प्रसंस्करण के विकास के लिए सूचना, शिक्षा, प्रशिक्षण और क्वालिटी पद्धति के लिए फल एवं सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय को मजबूत बनाने की स्कीम।

3. राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनियों में भाग लेने की स्कीम।

4. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम।

5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निष्पादन पुरस्कारों के लिए स्कीम।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

479. **श्री राम नाईक** : क्या **संचार मंत्री** 23 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3926 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नीति निर्माण में जनता की भागीदारी" का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त सुझाव को लागू करने के लिए वर्तमान क़ानून में संशोधन करना अथवा नया विधान बनाना आवश्यक है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) भारतीय डाकघर अधिनियम की जांच करने तथा उसमें आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नीति सलाहकार बोर्ड के गठन की भी सिफारिश की है जिसमें देश में डाक सेवाओं से संबंधित नीति विषयक मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए सार्वजनिक व्यक्ति तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हों।

(ख) चूंकि, जो सिफारिश की गई है, वह एक कानूनी पहलू है, सिफारिश डाकघर अधिनियम को पुनरीक्षण के संदर्भ में की गई है।

(ग) तथापि, समिति की जो सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, उनमें नीति सलाहकार बोर्ड के गठन की सिफारिश शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात के अस्पतालों में टेलीफोन

480. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, अस्पतालों में कितने निःशुल्क टेलीफोन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान "ट्रिप" सुविधा उपलब्ध करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) गुजरात के शहरों के उन सभी जिला तथा बड़े अस्पतालों में, जहां आपातकालीन रोगियों को भर्ती किया जाता है, कुल 31 निःशुल्क टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है। चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, अतः वहां प्रदान किए गए निःशुल्क टेलीफोनों की संख्या शून्य है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बाल चलचित्र महोत्सव

481. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल चलचित्र महोत्सव, 1994 उड़ीसा में आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस चलचित्र महोत्सव के आयोजन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) यह महोत्सव कब से शुरू हो जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (ग). रा. बा. एवं यु. चलचित्र केन्द्र जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, प्रत्येक दो वर्षों में एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाल एंव युवा फिल्म समारोह आयोजित करता है। इस प्रकार का अगला समारोह नवम्बर, 1995 में आयोजित किया जाएगा तथापि, रा.बा. एंव युवा चलचित्र केन्द्र की जिला-स्तरीय फिल्म समारोह की स्कीम के अंतर्गत नवम्बर, 1993 के अंत में उड़ीसा में ऐसे समारोहों का एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो जनवरी, 1994 तक चलेगा। राष्ट्रीय बाल एंव युवा चलचित्र केन्द्र द्वारा 1994-95 के दौरान ऐसे समारोहों के माध्यम से उड़ीसा के लगभग 10 जिलों में लगभग 5 लाख बच्चों को कवर किए जाने की आशा है।

निम्नलिखित जिलों के कवर किये जाने की संभावना है :

1. बौण्डा खोण्डमल
2. बोलगैर
3. काला हांडी
4. कोरापुट
5. पुरी
6. कटक
7. खुर्दा
8. सुन्दरगढ़
9. बेहरामपुर
10. धनकनाल

(ग) इस संधि का क्रियान्वयन 1993 में यथा संशोधित प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के उपबन्धों के जरिए किया जाएगा।

(घ) और (ङ). इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है जिसमें भगोड़े अपराधियों की यू.के. से प्रत्यर्पण की मांग की गई हो।

राष्ट्रीय परमिट योजना

501. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रक मालिकों के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़ी खानें

502. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जनवरी, 1992 को जारी अधिसूचना के अनुसार देश में बहुत सी खानें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों के बन्द होने से उत्पादन और राजस्व में कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इन खानों के श्रमिकों के पुर्नवास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

फिल्मों का चयन

503. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन उपग्रह चैनलों पर प्रसारण हेतु फिल्मों के चयन के संबंध में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन उपग्रह चैनलों पर कुल कितनी हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा

की फिल्में प्रसारित की गई, इन फिल्मों के लिए फिल्म निर्माताओं को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; तथा उसकी दरें कितनी थीं; और

(ग) मुख्य तथा उपग्रह चैनलों पर प्रसारण हेतु कुल कितनी फिल्में चुनी गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) इन चैनलों के लिए हिन्दी/क्षेत्रीय फिल्मों का चयन करने हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं:-

1. फिल्म को "अव्यवस्क" प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

2. फिल्म परिवार के देखने योग्य होनी चाहिए।

3. फिल्में मनोरंजक/शिक्षाप्रद होनी चाहिए।

(ख) दिनांक 29.11.93 तक 107 हिन्दी तथा 13 क्षेत्रीय भाषा की फिल्में प्रसारित की गई हैं। विशेष रूप से इन चैनलों के लिए फिल्मों के प्रसारण अधिकार प्राप्त करने के लिए 30,85,000/- रु. की राशि व्यय की गई।

(ग) क्योंकि दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाने हेतु फिल्मों का चयन एक सतत प्रक्रिया है जो समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसलिए कोई आंकड़े नहीं दिए जा सकते।

[अनुवाद]

बवाना गैस आधारित विद्युत परियोजना

504. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी बोलीदाता कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने बवाना स्थित 450 मेगावाट कम्बाइंड साइकिल गैस आधारित विद्युत परियोजना हेतु निविदा में भाग लिया था;

(ख) उस कम्पनी का ब्यौरा क्या है जिसे परियोजना का काम सौंपा गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोलीदाता कम्पनियों के मूल्यांकन तथा चयन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा बवाना में एक संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु आमंत्रित प्रस्तावों में से, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जो कि परियोजना के परामर्शदाता हैं, के द्वारा छः उद्यमियों की सूची बनायी गई है। तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निम्नलिखित चार पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गयी :

1. आसिया ब्राउन बोवेरी-एनटीपीसी (एबीबी-एनटीपीसी)

2. सीएमएस एनर्जी, अमरीका स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि. (एसपीएल)

3. कूलजोयन, अमेरिका औ.र डीसीएल, भारत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. आर आई एल अंवानी समूह से संवंधित

4. मैसर्स नार्दर्न इंजीनियरिंग इनकोरपोरेटेड (एनईआई) अमरीका।

उपरोक्त सभी चार प्रायोजकों और उनके सह प्रायोजकों को सुसंगत अनुभव होने के कारण परामर्शदाता के रूप में के.वि.प्रा. द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में महत्त्व दिया गया है।

(ग) और (घ). डेसू द्वारा मामले में और कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का प्रसारण-क्षेत्र

505. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं;

(ख) 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में दूरदर्शन केन्द्रों और उप-केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक केन्द्र और उप-केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर बिहार में अतिरिक्त संख्या में उप-केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). जवकि गोंडा में अल्प शक्ति के एक टी.वी. ट्रांसमीटर (एल.पी.टी.) की स्थापना संवंधी कार्य पूरा हो गया है, सुपाल में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का कार्य चल रहा है और इसे 1994-95 के दौरान पूरा कर दिया जाने की संभावना है। इसके अलावा, विहार के मधुबनी जिले में फुलपरास में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है।

विवरण

(क) से (ग). दूरदर्शन नेटवर्क

(30.9.93 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्माण केन्द्र	उ.शा.ट्र.	अ.शा.ट्र.	अ.अ. शा.ट्र.	ट्रांसपोजर	कुल ट्रांसपोजर	जनसंख्या कवर हुई
1.	असम	3	3	9	0	2	14	82.0
2.	आंध्र प्रदेश	1	5	28	0	2	35	79.4
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	1	2	16	0	19	44.4
4.	बिहार	2	5	26	0	1	32	91.7
5.	गोवा	1	1	0	0	0	1	99.9
6.	गुजरात	2	3	28	1	0	32	76.8
7.	हरियाणा	0	0	5	0	0	5	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1	6	5	2	14	58.7
9.	जम्मू और कश्मीर	2	3	2	15	1	21	90.4
10.	केरल	1	2	13	0	0	15	86.3
11.	कर्नाटक	1	4	25	0	0	29	68.8
12.	मध्य प्रदेश	1	6	47	0	1	54	60.1
13.	मेघालय	2	2	1	1	0	4	97.2
14.	महाराष्ट्र	2	5	38	0	1	44	81.7
15.	मणिपुर	1	1	1	3	0	5	66.4
16.	मिजोरम	0	1	0	2	0	3	53.1
17.	नागालेण्ड	1	1	2	3	1	7	47.2
18.	उड़ीसा	2	3	22	0	1	26	77.0
19.	पंजाब	1	3	4	0	1	8	99.9
20.	राजस्थान	1	2	36	1	2	41	61.6
21.	सिक्किम	0	0	1	3	0	4	63.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तमिलनाडु	1	2	23	0	3	28	91.3
23.	त्रिपुरा	1	1	0	0	1	2	93.3
24.	उत्तर प्रदेश	2	8	43	10	4	65	92.4
25.	पश्चिम बंगाल	1	4	13	2	0	19	96.0
26.	दिल्ली	1	1	0	0	0	1	99.9
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	2	6	0	8	99.0
28.	दमण और दीव	0	0	1	1	0	2	99.9
29.	पांडिचेरी	1	0	1	3	0	4	99.9
30.	लक्षद्वीप समूह	0	0	0	9	0	9	99.0
31.	चंडीगढ़	0	0	1	0	0	1	99.9
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	1	0	1	43.6
	राष्ट्रीय	31	68	380	82	23	553	83.6

टिप्पणी : 1. कवरेज आंकड़ों में सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं (सीमावर्ती क्षेत्रों में संतोषजनक अभिग्रहण के लिए उन्नत एन्टीना तथा बूस्टर आवश्यक है)।

2. भू-भाग संबंधी परिस्थितियों को शामिल नहीं किया गया।

शीर्षक :

1. उ.शा.ट्र. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
2. अ.शा.ट्र. अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
3. अ.अ.शा.ट्र अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

किसानों को बिजली की सप्लाई

506. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य के किसानों को बिजली की सप्लाई के लिए अनुदान देने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) इस कार्य हेतु राज्यवार अब तक कितना धन उपलब्ध कराया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगयुया नायडू) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को बिजली की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अनुदान राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इसलिए वर्ष 1993-94 के दौरान कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गति नियंत्रक

507. **श्री जीवन शर्मा** :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च-न्यायालय ने 30 सितम्बर, 1993 तक सभी श्रेणियों की बसों में गति नियंत्रकों को लगाने के लिए निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन निर्देशों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) न्यायालय के निर्देशों का बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वयन करने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). उक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को उठाना

508. **श्री एस.बी.सिदनाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र के दौरान कश्मीर घाटी में मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन संबंधी मुद्दों को उठाने के संबंध में समन्वित प्रयास करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में ओ.आई.सी. के पक्षपातपूर्ण तथा तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए विचारों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। सरकार के 19.10.93, 27.10.93 तथा 26.11.93 के वक्तव्य इस संदर्भ में संलग्न हैं।

विवरण-1

श्री नगर की हजरतवल की मस्जिद की घटनाओं पर कल ओ.आइ.सी. के महासचिव ने जो वक्तव्य दिया था उसे भारत सरकार ने देखा है। यह एक तरफ वक्तव्य है और तथ्यों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया है। आगजनी तथा मस्जिद के दर्शनार्थ आने-जाने वालों को डराने-धमकाने के कुकृत्यों के लिए वे आतंकवादी ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने मस्जिद को अपवित्र ही नहीं किया बल्कि उसे उड़ाने की धमकी भी दी है जैसा कि हमने पहले कहा है। सरकार के पास इस बात का साक्ष्य है कि उन आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा हथियार तथा सहायता दी गई है। ओ.आई.सी. के महासचिव ने केवल इसी तथ्य की अनदेखी नहीं की है कि तनाव को बढ़ाने के लिए ये आतंकवादी ही जिम्मेदार हैं बल्कि उन्होंने भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्वीकार्य अभिमत और बेवजह सिफारिशें की हैं। हम इन बेवजह बिना सोचे समझे तथा पक्षपातपूर्ण उल्लेखों पर खेद व्यक्त करते हैं तथा अस्वीकार करते हैं।

विवरण - 2

हजरतवल स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर 25 अक्तूबर, 1993 को न्यूयार्क में राजदूत स्तर की इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक वक्तव्य भेजा। भारत सरकार को खेद है कि वक्तव्य में स्थिति को पूर्णतः तोड़-मरोड़ कर ही पेश नहीं किया गया है बल्कि इसकी विषय वस्तु का वास्तविक स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। पाकिस्तान के स्थायी-प्रतिनिधि का पत्र और उसके साथ संलग्न वक्तव्य उग्रवाद, आतंकवाद, हिंसा को भड़काना या जारी रखना तथा जानबूझ कर कानून तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, दरगाह इसके प्रांगणों और पवित्र अवशेष की उग्रवादियों द्वारा क्षति पहुंचाना और क्षति पहुंचाने की धमकी देना और यह तथ्य कि कतिपय व्यक्तियों को परिसरों के भीतर बन्धक बना कर रखने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

एक बार फिर, हमें खेद व्यक्त करना है कि पाकिस्तानी भड़काव के अधीन भारत के विरुद्ध अपने इरादों की पूर्ति के लिए पाकिस्तान ने इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन को अपने पक्ष में कर लिया प्रतीत होता है। इस्लामी देशों के संगठन को यह बात भी याद रखनी होगी कि इसी प्रकार की परिस्थितियों में उसके कुछ सदस्यों ने क्या कार्यवाही की जब पवित्र स्थलों पर कब्जा कर लिया गया था।

विवरण-3

ओ.आई.सी. के महासचिव के 25 नवम्बर के वक्तव्य के संदर्भ में भारत सरकार इस बात पर चल देना चाहेगी कि भारतीय सुरक्षा बल अत्यधिक संयम बरत रहे हैं और उग्रवाद तथा आतंकवाद को दबाने तथा कश्मीर में भोले-भाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने दायित्व निभाते रहेंगे।

केवल उन्हीं व्यक्तियों को नजरबंद किया गया हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उग्रवाद, आतंकवाद, शांति भंग करने तथा कानून के शासन के उल्लंघनों से जुडे हैं। इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन के महासचिव के इस प्रकार के आरोप अन्यायपूर्ण हैं और तथ्यों से उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

हमें आश्चर्य है कि ओ.आई.सी. के महासचिव ने हजरतवल दरगाह से सशस्त्र व्यक्तियों तथा उग्रवादियों को शान्तिपूर्वक बेदखल करने का कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही उन्होंने विदेशी समर्थन से कश्मीर में कार्यरत आतंकवादियों से अपील की है कि वह अपनी जघन्य गतिविधियां छोड़ दें और अपने हथियार डाल दें तथा ऐसी कोई अपील मानवाधिकारों के लिए महासचिव की घोषित चिन्ता तथा भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय विचार-विमर्श की सफलता के लिए अधिक समीचीन होती।

जहां तक ओ.आई.सी. के राज्यों के साथ भारत के संबंधों का सवाल है, ओ.आई.सी. के महासचिव को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने राजनीतिक प्रायोजन को लेकर भारत की जो निंदा की तथा कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर पूर्णतः दुराग्रह पूर्ण और एक तरफा प्रारूप संकल्प पेश करने की जो कोशिशें की हैं, उन पर ओ.आई.सी. के अधिकांश नहीं तो बहुत से सदस्यों को असुविधाजनक तथा दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिजली की मांग

509. **श्री बलराज पासी** :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और नवम्बर, 1993 तक उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त राज्यों में बिजली की वास्तविक मांग कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्यों में बिजली की मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) अपेक्षित ब्यौरा निम्नवत् है :

सकल ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
1990-91	38288	2000
1991-92	43916	1859
1992-93	47266	1899
अप्रैल-नवम्बर, 93	32435	1306

(ख) विगत के 3 वर्षों के दौरान तथा अक्तूबर, 93 तक (उपलब्ध अद्यतन सूचना) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा की आवश्यकता और इसकी उपलब्धि के बारे में ब्यौरा निम्नवत् है :

ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता

(निवल मि. यू.)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		हिमाचल प्रदेश	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1990-91	29940	26758	1475	1459
1991-92	31540	28280	1456	1446
1992-93	32415	29118	1531	1531
अप्रैल-अक्तूबर, 93	18895	16917	914	914

(ग) विद्युत की मांग और इसकी उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में से शामिल हैं, विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय करना तथा निकटवर्ती राज्यों एवं प्रणालियों से सहायता की व्यवस्था करना। ऋतुनिष्ट भार में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत में से, क्षेत्र की भागीदार प्रणालियों में सम्बन्धित प्रतिशत कमी की आनुपातिक मात्रा में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को विद्युत आवंटित कर गई है। अनावंटित विद्युत में से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इस समय 7% और 5% विद्युत आबंटित की गई है।

हजरतबल दरगाह के संबंध में संकल्प

510. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हजरतबल दरगाह के आसपास से सेना की घेराबंदी उठाने के संबंध में पाकिस्तान की "नेशनल असेम्बली" में पास किए गए प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अपना विरोध जताया है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) 1 नवम्बर, 1993 को पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र ने हजरतबल दरगाह पर एक संकल्प पारित किया था।

(ख) सरकार को इस संदर्भ में कोई विशिष्ट विरोध प्रकट नहीं किया तथापि हमारे सरकारी प्रवक्ता ने 17 अक्तूबर, 1993 को यह कहा था कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पाकिस्तान हजरतबल के मसले पर हर संभव मंच पर वक्तव्य देगा और संकल्प रखेगा और उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार का यह मानना है कि ऐसे दुष्प्रचारपूर्ण वक्तव्य सफेद झूठ ही नहीं बल्कि अस्वीकार्य भी हैं।

(ग) खेद का विषय है कि पाकिस्तान ने हजरतबल दरगाह के संबंध में अनेक भड़काऊ तथा कड़े वक्तव्य जारी किए।

गोदियों का विकास

511. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान किन-किन गोदियों का विकास कार्य प्रगति पर है;

(ख) उस पर कितना धन खर्च होगा; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त आय होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान सभी महापत्तनों नामतः कलकत्ता, हल्दिया, बंबई, जवाहर लाल नेहरू, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, कांडला, मुरगांव, पारादीप, न्यू मंगलौर और तूतीकोरिन में विकास किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान विकास कार्यों पर लगभग 450 लाख रु. खर्च होने की संभावना है।

(ग) निर्माण कार्यों पर हुए खर्च के फलस्वरूप पत्तन की अतिरिक्त आय को पहले से नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि यह अनेक घटकों जैसे वास्तविक यातायात के आवागमन आदि पर निर्भर है इसके अतिरिक्त कल्याण योजनाओं आदि जैसे सभी विकास कार्यों पर आय नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

टेलीफोन उपकरणों का रख-रखाव

512. **श्री ताराचंद खंडेलवाल** :
श्री जी. देवराय नायक :
श्री गुरूदास कामत :
श्री दी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री राम कापसे :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राहकों के टेलीफोन उपकरण न लगाने और उनका रख-रखाव न करने का निर्णय लिया है जैसाकि 13 अक्तूबर, 1993 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा किया गया वक्तव्य

513. **डा. एस. पी. यादव** :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भारत में नियुक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा कश्मीर के संबंध में दिये गये वक्तव्य की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी हां। यह बताया जाता है कि मद्रास में (1.9.93) संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने दावा किया था कि शिमला समझोता पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू तथा कश्मीर का मामला उठाने से नहीं रोकता है। पाकिस्तान उच्चायुक्त ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मामले पर द्विपक्षीय बातचीत का इच्छुक है।

पाकिस्तान कश्मीर से सम्बद्ध मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के जो प्रयास कर रहा है उनसे शिमला समझौते का उल्लघंन तो होता ही है साथ ही उनसे द्विपक्षीय संबंध भी दुष्प्रभावित होते हैं।

सरकार सभी मतभेदों को पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्वक और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापक बातचीत का प्रस्ताव किया है। पाकिस्तान ने इस पेशकश को स्वीकार किया है दोनों देशों के विदेश सचिवों की 1-3 जनवरी, 1994 को इस्लामाबाद में बैठक होगी।

[हिन्दी]

गुजरात की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

514. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

श्री खेलनराम जांगड़े :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और मध्य प्रदेश को गैस की सप्लाई से संबंधित कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं मंजूरी के लिए 30 जून, 1993 तक केन्द्रीय सरकार के पास लंबित थीं और ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी गैस अथवा अतिरिक्त गैस की मांग की गई है;

(ख) ऐसे प्रस्ताव किस तारीख से लंबित हैं; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित मात्रा समेत गैस की सप्लाई के लिए सरकार की मंजूरी हेतु लंबित पड़ी गुजरात तथा मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) सरकार की मंजूरी हेतु लंबित स्कीमों पर तभी विचार किया जा सकता है जब इन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तथा वित्तपोषण व्यवस्था समेत आवश्यक निवेशों/अनुमोदनों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

विवरण

क्र.स.	परियोजना का नाम व क्षमता	व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख	गैस आवश्यकताएं	अभ्युक्ति
गुजरात				
1.	पिपावाव संयुक्त साईकिल गैस टरबाइन चरण-I (615 मे.वा.)	10/89	2.25 एमसी एमडी	इस परियोजना को मार्च, 1991 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2.25 एमसीएमडी गैस की पुष्टि करने की शर्त पर तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। प्रस्तावित स्कीम के लिए गैस लिंकेज सुनिश्चित नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश

2. ग्वालियर संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन (200 मे.वा.)	6-7/93	0.75 एमसी एमडी	यह स्कीम सितंबर, 1992 में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को लौटाई गई पहले की 817 मे.वा. के स्थान पर है क्योंकि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट गैस की उपलब्धता तथा मांग के प्रक्षेपणों के अनुसार नई स्कीमों के लिए गैस की सप्लाई हेतु एच.बी.जे. पाइपलाइन में अधि-शेष गैस उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में संयंत्र को तब तक नेफ्था पर प्रचालित किये जाने का प्रस्ताव है जब तक गैस उपलब्ध नहीं हो जाती। इस स्कीम को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि अनिवार्य निवेशों/स्वीकृतियों में से किसी को भी सुनिश्चित नहीं किया गया है।

स्वीडन के राजा की यात्रा

515. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के राजा ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत के दौरान कौन-कौन से द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श हुआ तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या सरकार ने विस्तृत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त प्रयास तथा आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु उस देश को कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीडन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां, स्वीडन के नरेश 10 से 18 अक्तूबर, 1993 तक भारत की राजकीया यात्रा पर आए थे।

(ख) इस राजकीय यात्रा के दौरान उनके साथ आए स्वीडन के विदेश मंत्री तथा हमारे विदेश मंत्री के बीच वातचीत हुई थी। यूरोप तथा दक्षिणी एशिया की क्षेत्रीय घटनाओं और निरस्त्रीकरण से संबंध मसलों, आतंकवाद एवं मानवाधिकारों पर विचार-विनियम हुआ था। इस बातचीत से दोनों पक्षों

को एक-दूसरे की हित-चिंताओं ओर दृष्टिकोणों को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिली। स्वीडन नरेश के साथ भारत आए स्वीडन के उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल तथा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बीच जो क्रियाकलाप हुए उनके परिणामतः द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की सभावनाएं भी बेहतर बनी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन

516. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार महानगरों में गत तीन वर्षो के दौरान वर्ष-वार नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षासूची में कुल कितने लोग थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के निपटारे हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) चार महानगरों में पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या वर्षवार नीचे दी गई है :

प्रतीक्षा सूची

	31.3.91	31.3.92	31.3.93
बंबई	231373	213470	210867
दिल्ली	297146	317143	340360
कलकत्ता	41170	43917	66295
मद्रास	73233	91509	109352

(ख) वर्षवार प्रदान किए गए चालू कनेक्शन।

शहर	इन वर्षो के दौरान प्रदान किए गए टेलिफोन कनेक्शन		
	90-91	91-92	92-93
बंबई	46260	92125	107168
दिल्ली	62009	84710	83558

कलकत्ता	10184	15544	26208
मद्रास	13753	12177	21979

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्यों के अनुसार इस योजना अवधि के अंत तक बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटा कर दो वर्ष तक कम करना तथा ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना शामिल है। तद्नुसार, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक्सचेजों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

इस्पात पर उच्च लेवी

517. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सेकेण्डरी इस्पात इलेक्ट्रिक फर्नेस इण्डस्ट्री निविष्टियों पर उच्च लेवी और आयातित इस्पात खुरचनों की लागत में वृद्धि के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन औद्योगिक एककों की वित्तीय जैव्यता के पुनरुद्धार/सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). लघु इस्पात संयंत्रों (विद्युत चाप भट्ठी इकाइयों) का निष्पादन विभिन्न कारणों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है : जैसे मांग में मंदी, विद्युत की कमी और आदान लागतों में वृद्धि, इसमें स्क्रैप के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि भी शामिल है। इस उद्योग ने विभिन्न राहतों के लिए अभ्यावेदन दिया है और उन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

518. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी दिल्ली में कार्यरत एस.टी.डी./पी.सी.ओ. केन्द्रों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इससे कुल कितनी राशि की आय हुई;

(ग) क्या सरकार को इससे राजस्व-वंचना की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दिल्ली टेलीफोन में 2259 एस.टी.डी. पी.सी.ओ. काम कर रहे हैं।

(ख) 1992-93 के दौरान पी.सी.ओ. से अर्जित कुल आय की राशि 34.53 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पत्तन और गोदी श्रमिकों का पारिश्रमिक

519. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तनों में कार्यरत पत्तन और गोदी श्रमिकों की मजूरी में संशोधन करने के लिए "विशेषज्ञ समिति" गठित करने का कोई प्रस्ताव है; ओर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख). महापत्तनों के श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के दिनांक 1.1.93 से वेतन ढांचे और सम्बद्ध मामलों की जांच करने के लिए दिनांक 22 जून, 1993 को एक द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति का गठन किया गया है।

नये चैनल

520. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों तथा पांच नये चैनलों, जिन्हें प्रस्तावित "प्रसार भारती" के नियंत्रण में लाया जा रहा है, के "वाया मीडिया" राज्य नियंत्रण के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). मंत्रालय द्वारा अंतरिम व्यवस्था सहित उपग्रह चैनलों की पूर्ण रूप से समीक्षा की जा रही है।

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

521. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

(ग) इस संधि का क्रियान्वयन 1993 में यथा संशोधित प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के उपबन्धों के जरिए किया जाएगा।

(घ) और (ङ). इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है जिसमें भगोड़े अपराधियों की यू.के. से प्रत्यर्पण की मांग की गई हो।

राष्ट्रीय परमिट योजना

501. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रक मालिकों के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बन्द पड़ी खानें

502. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जनवरी, 1992 को जारी अधिसूचना के अनुसार देश में बहुत सी खानें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों के बन्द होने से उत्पादन और राजस्व में कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इन खानों के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

फिल्मों का चयन

503. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन उपग्रह चैनलों पर प्रसारण हेतु फिल्मों के चयन के संबंध में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन उपग्रह चैनलों पर कुल कितनी हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा

की फिल्में प्रसारित की गई, इन फिल्मों के लिए फिल्म निर्माताओं को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; तथा उसकी दरें कितनी थी; और

(ग) मुख्य तथा उपग्रह चेनलों पर प्रसारण हेतु कुल कितनी फिल्में चुनी गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) इन चैनलों के लिए हिन्दी/क्षेत्रीय फिल्मों का चयन करने हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं:-

1. फिल्म को "अव्यवस्क" प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

2. फिल्म परिवार के देखने योग्य होनी चाहिए।

3. फिल्में मनोरंजक/शिक्षाप्रद होनी चाहिए।

(ख) दिनांक 29.11.93 तक 107 हिन्दी तथा 13 क्षेत्रीय भाषा की फिल्में प्रसारित की गई हैं। विशेष रूप से इन चैनलों के लिए फिल्मों के प्रसारण अधिकार प्राप्त करने के लिए 30,85,000/- रु. की राशि व्यय की गई।

(ग) क्योंकि दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाने हेतु फिल्मों का चयन एक सतत प्रक्रिया है जो समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी आवश्यकता पर निर्भर करती है। इसलिए कोई आंकड़े नहीं दिए जा सकते।

[अनुवाद]

बवाना गैस आधारित विद्युत परियोजना

504. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी बोलीदाता कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने बवाना स्थित 450 मेगावाट कम्बाइंड साइकिल गैस आधारित विद्युत परियोजना हेतु निविदा में भाग लिया था;

(ख) उस कम्पनी का ब्यौरा क्या है जिसे परियोजना का काम सौंपा गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोलीदाता कम्पनियों के मूल्यांकन तथा चयन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा बवाना में एक संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु आमंत्रित प्रस्तावों में से, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जो कि परियोजना के परामर्शदाता हैं, के द्वारा छः उद्यमियों की सूची बनायी गई है। तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निम्नलिखित चार पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गयी :

1. आसिया ब्राउन बोवेरी-एनटीपीसी (एबीबी-एनटीपीसी)

2. सीएमएस एनर्जी, अमरीका स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि. (एसपीएल)

3. कूलजोयन, अमेरिका और डीसीएल, भारत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. आर आई एल अंवानी समूह से संबंधित

4. मैसर्स नार्दर्न इंजीनियरिंग इनकोरपोरेटेड (एनईआई) अमरीका।

उपरोक्त सभी चार प्रायोजकों और उनके सह प्रायोजकों को सुसंगत अनुभव होने के कारण परामर्शदाता के रूप में के.वि.प्रा. द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में महत्व दिया गया है।

(ग) और (घ). डेसू द्वारा मामले में और कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का प्रसारण-क्षेत्र

505. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं;

(ख) 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार देश में दूरदर्शन केन्द्रों और उप-केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक केन्द्र और उप-केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर बिहार में अतिरिक्त संख्या में उप-केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). जबकि गोंडा में अल्प शक्ति के एक टी.वी. ट्रांसमीटर (एल.पी.टी.) की स्थापना संबंधी कार्य पूरा हो गया है, सुपाल में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का कार्य चल रहा है और इसे 1994-95 के दौरान पूरा कर दिया जाने की संभावना है। इसके अलावा, बिहार के मधुबनी जिले में फुलपरास में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है।

विवरण

(क) से (ग). दूरदर्शन नेटवर्क

(30.9.93 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्माण केन्द्र	उ.शा.ट्र.	अ.शा.ट्र.	अ.अ. शा.ट्र.	ट्रांसपोजर	कुल ट्रांसपोजर	जनसंख्या कवर हुई
1.	असम	3	3	9	0	2	14	82.0
2.	आंध्र प्रदेश	1	5	28	0	2	35	79.4
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	1	2	16	0	19	44.4
4.	बिहार	2	5	26	0	1	32	91.7
5.	गोवा	1	1	0	0	0	1	99.9
6.	गुजरात	2	3	28	1	0	32	76.8
7.	हरियाणा	0	0	5	0	0	5	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1	6	5	2	14	58.7
9.	जम्मू और कश्मीर	2	3	2	15	1	21	90.4
10.	केरल	1	2	13	0	0	15	86.3
11.	कर्नाटक	1	4	25	0	0	29	68.8
12.	मध्य प्रदेश	1	6	47	0	1	54	60.1
13.	मेघालय	2	2	1	1	0	4	97.2
14.	महाराष्ट्र	2	5	38	0	1	44	81.7
15.	मणिपुर	1	1	1	3	0	5	66.4
16.	मिजोरम	0	1	0	2	0	3	53.1
17.	नागालैण्ड	1	1	2	3	1	7	47.2
18.	उड़ीसा	2	3	22	0	1	26	77.0
19.	पंजाब .	1	3	4	0	1	8	99.9
20.	राजस्थान	1	2	36	1	2	41	61.6
21.	सिक्किम	0	0	1	3	0	4	63.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तमिलनाडु	1	2	23	0	3	28	91.3
23.	त्रिपुरा	1	1	0	0	1	2	93.3
24.	उत्तर प्रदेश	2	8	43	10	4	65	92.4
25.	पश्चिम बंगाल	1	4	13	2	0	19	96.0
26.	दिल्ली	1	1	0	0	0	1	99.9
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	2	6	0	8	99.0
28.	दमण और दीव	0	0	1	1	0	2	99.9
29.	पांडिचेरी	1	0	1	3	0	4	99.9
30.	लक्षद्वीप समूह	0	0	0	9	0	9	99.0
31.	चंडीगढ़	0	0	1	0	0	1	99.9
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	1	0	1	43.6
	राष्ट्रीय	31	68	380	82	23	553	83.6

टिप्पणी : 1. कवरेज आंकड़ों में सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं (सीमावर्ती क्षेत्रों में संतोषजनक अभिग्रहण के लिए उन्नत एन्टीना तथा बूस्टर आवश्यक है)।

2. भू-भाग संबंधी परिस्थितियों को शामिल नहीं किया गया।

शीर्षक :

1. उ.शा.ट्र. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
2. अ.शा.ट्र. अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
3. अ.अ.शा.ट्र अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

किसानों को बिजली की सप्लाई

506. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य के किसानों को बिजली की सप्लाई के लिए अनुदान देने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) इस कार्य हेतु राज्यवार अब तक कितना धन उपलब्ध कराया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगयया नायडू) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को बिजली की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अनुदान राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इसलिए वर्ष 1993-94 के दौरान कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गति नियंत्रक

507. **श्री जीवन शर्मा** :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च-न्यायालय ने 30 सितम्बर, 1993 तक सभी श्रेणियों की बसों में गति नियंत्रकों को लगाने के लिए निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन निर्देशों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) न्यायालय के निर्देशों का बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वयन करने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). उक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे को उठाना

508. **श्री एस.बी.सिदनाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र के दौरान कश्मीर घाटी में मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन संबंधी मुद्दों को उठाने के संबंध में समन्वित प्रयास करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में ओ.आई.सी. के पक्षपातपूर्ण तथा तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए विचारों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। सरकार के 19.10.93, 27.10.93 तथा 26.11.93 के वक्तव्य इस संदर्भ में संलग्न हैं।

विवरण-1

श्री नगर की हजरतवल की मस्जिद की घटनाओं पर कल ओ.आई.सी. के महासचिव ने जो वक्तव्य दिया था उसे भारत सरकार ने देखा है। यह एक तरफ वक्तव्य है और तथ्यों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया है। आगजनी तथा मस्जिद के दर्शनार्थ आने-जाने वालों को डराने-धमकाने के कुकृत्यों के लिए वे आतंकवादी ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने मस्जिद को अपवित्र ही नहीं किया बल्कि उसे उड़ाने की धमकी भी दी है जैसा कि हमने पहले कहा है। सरकार के पास इस बात का साक्ष्य है कि उन आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा हथियार तथा सहायता दी गई है। ओ.आई.सी. के महासचिव ने केवल इसी तथ्य की अनदेखी नहीं की है कि तनाव को बढ़ाने के लिए ये आतंकवादी ही जिम्मेदार हैं बल्कि उन्होंने भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्वीकार्य अभिमत और बेवजह सिफारिशें की हैं। हम इन वेवजह बिना सोचे समझे तथा पक्षपातपूर्ण उल्लेखों पर खेद व्यक्त करते हैं तथा अस्वीकार करते हैं।

विवरण - 2

हजरतवल स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर 25 अक्तूबर, 1993 को न्यूयार्क में राजदूत स्तर की इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक वक्तव्य भेजा। भारत सरकार को खेद है कि वक्तव्य में स्थिति को पूर्णतः तोड़-मरोड़ कर ही पेश नहीं किया गया है बल्कि इसकी विषय वस्तु का वास्तविक स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। पाकिस्तान के स्थायी-प्रतिनिधि का पत्र और उसके साथ संलग्न वक्तव्य उग्रवाद, आतंकवाद, हिंसा को भड़काना या जारी रखना तथा जानबूझ कर कानून तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, दरगाह इसके प्रांगणों और पवित्र अवशेष की उग्रवादियों द्वारा क्षति पहुंचाना और क्षति पहुंचाने की धमकी देना और यह तथ्य कि कतिपय व्यक्तियों को परिसरों के भीतर बन्धक बना कर रखने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

एक बार फिर, हमें खेद व्यक्त करना है कि पाकिस्तानी भड़काव के अधीन भारत के विरुद्ध अपने इरादों की पूर्ति के लिए पाकिस्तान ने इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन को अपने पक्ष में कर लिया प्रतीत होता है। इस्लामी देशों के संगठन को यह बात भी याद रखनी होगी कि इसी प्रकार की परिस्थितियों में उसके कुछ सदस्यों ने क्या कार्यवाही की जब पवित्र स्थलों पर कब्जा कर लिया गया था।

विवरण-3

ओ.आई.सी. के महासचिव के 25 नवम्बर के वक्तव्य के संदर्भ में भारत सरकार इस बात पर चल देना चाहेगी कि भारतीय सुरक्षा बल अत्यधिक संयम बरत रहे हैं और उग्रवाद तथा आतंकवाद को दबाने तथा कश्मीर में भोले-भाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने दायित्व निभाते रहेंगे।

केवल उन्हीं व्यक्तियों को नजरबंद किया गया हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उग्रवाद, आतंकवाद, शांति भंग करने तथा कानून के शासन के उल्लंघनों से जुडे हैं। इस्लामी देशों के संगठन के सम्मेलन के महासचिव के इस प्रकार के आरोप अन्यायपूर्ण हैं और तथ्यों से उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

हमें आश्चर्य है कि ओ.आई.सी. के महासचिव ने हजरतबल दरगाह से सशस्त्र व्यक्तियों तथा उग्रवादियों को शान्तिपूर्वक बेदखल करने का कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही उन्होंने विदेशी समर्थन से कश्मीर में कार्यरत आतंकवादियों से अपील की है कि वह अपनी जघन्य गतिविधियां छोड़ दें और अपने हथियार डाल दें तथा ऐसी कोई अपील मानवाधिकारों के लिए महासचिव की घोषित चिन्ता तथा भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय विचार-विमर्श की सफलता के लिए अधिक समीचीन होती।

जहां तक ओ.आई.सी. के राज्यों के साथ भारत के संबंधों का सवाल है, ओ.आई.सी. के महासचिव को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने राजनीतिक प्रायोजन को लेकर भारत की जो निंदा की तथा कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर पूर्णतः दुराग्रह पूर्ण और एक तरफा प्रारूप संकल्प पेश करने की जो कोशिशें की हैं, उन पर ओ.आई.सी. के अधिकांश नहीं तो बहुत से सदस्यों को असुविधाजनक तथा दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिजली की मांग

509. **श्री बलराज पासी** :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और नवम्बर, 1993 तक उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त राज्यों में बिजली की वास्तविक मांग कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्यों में बिजली की मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) अपेक्षित ब्यौरा निम्नवत् है :

सकल ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
1990-91	38288	2000
1991-92	43916	1859
1992-93	47266	1899
अप्रैल-नवम्बर, 93	32435	1306

(ख) विगत के 3 वर्षो के दौरान तथा अक्तूबर, 93 तक (उपलब्ध अद्यतन सूचना) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा की आवश्यकता और इसकी उपलब्धि के बारे में ब्यौरा निम्नवत् है :

ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपलब्धता

(निवल मि. यू.)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		हिमाचल प्रदेश	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1990-91	29940	26758	1475	1459
1991-92	31540	28280	1456	1446
1992-93	32415	29118	1531	1531
अप्रैल-अक्तूबर, 93	18895	16917	914	914

(ग) विद्युत की मांग और इसकी उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में से शामिल हैं, विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एंव वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय करना तथा निकटवर्ती राज्यों एवं प्रणालियों से सहायता की व्यवस्था करना। ऋतुनिष्ट भार में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत में से, क्षेत्र की भागीदार प्रणालियों में सम्बन्धित प्रतिशत कर्मी की आनुपातिक मात्रा में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को विद्युत आवंटित कर गई है। अनावंटित विद्युत में से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इस समय 7% और 5% विद्युत आबंटित की गई है।

हजरतबल दरगाह के संबंध में संकल्प

510. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हजरतबल दरगाह के आसपास से सेना की घेराबंदी उठाने के संबंध में पाकिस्तान की "नेशनल असेम्बली" में पास किए गए प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अपना विरोध जताया है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) 1 नवम्बर, 1993 को पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र ने हजरतवल दरगाह पर एक संकल्प पारित किया था।

(ख) सरकार को इस संदर्भ में कोई विशिष्ट विरोध प्रकट नहीं किया तथापि हमारे सरकारी प्रवक्ता ने 17 अक्तूबर, 1993 को यह कहा था कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पाकिस्तान हजरतबल के मसले पर हर संभव मंच पर वक्तव्य देगा और संकल्प रखेगा और उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार का यह मानना है कि ऐसे दुष्प्रचारपूर्ण वक्तव्य सफेद झूठ ही नहीं बल्कि अस्वीकार्य भी हैं।

(ग) खेद का विषय है कि पाकिस्तान ने हजरतवल दरगाह के संबंध में अनेक भड़काऊ तथा कड़े वक्तव्य जारी किए।

गोदियों का विकास

511. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान किन-किन गोदियों का विकास कार्य प्रगति पर है;

(ख) उस पर कितना धन खर्च होगा; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त आय होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान सभी महापत्तनों नामतः कलकत्ता, हल्दिया, बंबई, जवाहर लाल नेहरू, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, कांडला, मुरगांव, पारादीप, न्यू मंगलौर और तूर्तीकोरिन में विकास किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान विकास कार्यों पर लगभग 450 लाख रु. खर्च होने की संभावना है।

(ग) निर्माण कार्यों पर हुए खर्च के फलस्वरूप पत्तन की अतिरिक्त आय को पहले से नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि यह अनेक घटकों जैसे वास्तविक यातायात के आवागमन आदि पर निर्भर है इसके अतिरिक्त कल्याण योजनाओं आदि जैसे सभी विकास कार्यों पर आय नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

टेलीफोन उपकरणों का रख-रखाव

512. **श्री ताराचंद खंडेलवाल** :

श्री जी. देवराय नायक :

श्री गुरूदास कामत :

श्री टी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री राम कापसे :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राहकों के टेलीफोन उपकरण न लगाने और उनका रख-रखाव न करने का निर्णय लिया है जैसाकि 13 अक्तूबर, 1993 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा किया गया वक्तव्य

513. **डा. एस. पी. यादव** :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भारत में नियुक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा कश्मीर के संबंध में दिये गये वक्तव्य की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी हां। यह बताया जाता है कि मद्रास में (1.9.93) संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने दावा किया था कि शिमला समझोता पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू तथा कश्मीर का मामला उठाने से नहीं रोकता है। पाकिस्तान उच्चायुक्त ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मामले पर द्विपक्षीय बातचीत का इच्छुक है।

पाकिस्तान कश्मीर से सम्बद्ध मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के जो प्रयास कर रहा है उनसे शिमला समझौते का उल्लघंन तो होता ही है साथ ही उनसे द्विपक्षीय संबंध भी दुष्प्रभावित होते हैं।

सरकार सभी मतभेदों को पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्वक और द्विपक्षीय वातचीत के माध्यम से हल करने के लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापक वातचीत का प्रस्ताव किया है। पाकिस्तान ने इस पेशकश को स्वीकार किया है दोनों देशों के विदेश सचिवों की 1-3 जनवरी, 1994 को इस्लामाबाद में वैठक होगी।

[हिन्दी]

गुजरात की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

514. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री विश्वेश्वर भगत :

श्री खेलनराम जांगड़े

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और मध्य प्रदेश को गैस की सप्लाई से संबंधित कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं मंजूरी के लिए 30 जून, 1993 तक केन्द्रीय सरकार के पास लंबित थी और ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी गैस अथवा अतिरिक्त गैस की मांग की गई है;

(ख) ऐसे प्रस्ताव किस तारीख से लंबित हैं; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित मात्रा समेत गैस की सप्लाई के लिए सरकार की मंजूरी हेतु लंबित पड़ी गुजरात तथा मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) सरकार की मंजूरी हेतु लंबित स्कीमों पर तभी विचार किया जा सकता है जब इन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तथा वित्तपोषण व्यवस्था समेत आवश्यक निवेशों/अनुमोदनों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

विवरण

क्र.स.	परियोजना का नाम व क्षमता	व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख	गैस आवश्यकताएं	अभ्युक्ति
गुजरात				
1.	**पिपावाव संयुक्त साईकिल गैस टरबाइन चरण-1** (615 मे.वा.)	**10/89**	**2.25 एमसी एमडी**	**इस परियोजना को मार्च, 1991 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2.25 एमसीएमडी गैस की पुष्टि करने की शर्त पर तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। प्रस्तावित स्कीम के लिए गैस लिंकेज सुनिश्चित नहीं की गई है।**

मध्य प्रदेश

2. ग्वालियर संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन (200 मे.वा.)	6-7/93	0.75 एमसी एमडी	यह स्कीम सितंबर, 1992 में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को लौटाई गई पहले की 817 मे.वा. के स्थान पर है क्योंकि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट गैस की उपलब्धता तथा मांग के प्रक्षेपणों के अनुसार नई स्कीमों के लिए गैस की सप्लाई हेतु एच.बी.जे. पाइपलाइन में अधि-शेष गैस उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में संयंत्र को तब तक नेफ्था पर प्रचालित किये जाने का प्रस्ताव है जब तक गैस उपलब्ध नहीं हो जाती। इस स्कीम को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि अनिवार्य निवेशों/स्वीकृतियों में से किसी को भी सुनिश्चित नहीं किया गया है।

स्वीडन के राजा की यात्रा

515. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के राजा ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत के दौरान कौन-कौन से द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श हुआ तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या सरकार ने विस्तृत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त प्रयास तथा आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु उस देश को कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीडन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां, स्वीडन के नरेश 10 से 18 अक्तूबर, 1993 तक भारत की राजकीया यात्रा पर आए थे।

(ख) इस राजकीय यात्रा के दौरान उनके साथ आए स्वीडन के विदेश मंत्री तथा हमारे विदेश मंत्री के बीच वातचीत हुई थी। यूरोप तथा दक्षिणी एशिया की क्षेत्रीय घटनाओं और निरस्त्रीकरण से संबंध मसलों, आतंकवाद एवं मानवाधिकारों पर विचार-विनियम हुआ था। इस बातचीत से दोनों पक्षों

को एक-दूसरे की हित-चिंताओं और दृष्टिकोणों को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिली। स्वीडन नरेश के साथ भारत आए स्वीडन के उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल तथा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बीच जो क्रियाकलाप हुए उनके परिणामतः द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाएं भी बेहतर बनी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन

516. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार महानगरों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षासूची में कुल कितने लोग थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के निपटारे हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) चार महानगरों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या वर्षवार नीचे दी गई है :

प्रतीक्षा सूची

	31.3.91	31.3.92	31.3.93
बंबई	231373	213470	210867
दिल्ली	297146	317143	340360
कलकत्ता	41170	43917	66295
मद्रास	73233	91509	109352

(ख) वर्षवार प्रदान किए गए चालू कनेक्शन।

शहर	इन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलिफोन कनेक्शन		
	90-91	91-92	92-93
बंबई	46260	92125	107168
दिल्ली	62009	84710	83558

कलकत्ता	10184	15544	26208
मद्रास	13753	12177	21979

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्यों के अनुसार इस योजना अवधि के अंत तक बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटा कर दो वर्ष तक कम करना तथा ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना शामिल है। तद्नुसार, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

इस्पात पर उच्च लेवी

517. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सेकेण्डरी इस्पात इलेक्ट्रिक फर्नेस इण्डस्ट्री निविष्टियों पर उच्च लेवी और आयातित इस्पात खुरचनों की लागत में वृद्धि के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन औद्योगिक एककों की वित्तीय जैव्यता के पुनरुद्धार/सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). लघु इस्पात संयंत्रों (विद्युत चाप भट्ठी इकाइयों) का निष्पादन विभिन्न कारणों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है : जैसे मांग में मंदी, विद्युत की कमी और आदान लागतों में वृद्धि, इसमें स्क्रैप के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि भी शामिल है। इस उद्योग ने विभिन्न राहतों के लिए अभ्यावेदन दिया है और उन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

518. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी दिल्ली में कार्यरत एस.टी.डी./पी.सी.ओ. केन्द्रों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इससे कुल कितनी राशि की आय हुई;

(ग) क्या सरकार को इससे राजस्व-वंचना की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दिल्ली टेलीफोन में 2259 एस.टी.डी. पी.सी.ओ. काम कर रहे हैं।

(ख) 1992-93 के दौरान पी.सी.ओ. से अर्जित कुल आय की राशि 34.53 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पत्तन और गोदी श्रमिकों का पारिश्रमिक

519. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख पत्तनों में कार्यरत पत्तन और गोदी श्रमिकों की मजूरी में संशोधन करने के लिए "विशेषज्ञ समिति" गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख). महापत्तनों के श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के दिनांक 1.1.93 से वेतन ढांचे और सम्बद्ध मामलों की जांच करने के लिए दिनांक 22 जून, 1993 को एक द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति का गठन किया गया है।

नये चैनल

520. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों तथा पांच नये चैनलों, जिन्हें प्रस्तावित "प्रसार भारती" के नियंत्रण में लाया जा रहा है, के "वाया मीडिया" राज्य नियंत्रण के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). मंत्रालय द्वारा अंतरिम व्यवस्था सहित उपग्रह चैनलों की पूर्ण रूप से समीक्षा की जा रही है।

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

521. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के विद्युत क्षेत्रों को ऋण देने के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन शर्तों को मान लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका सामान्य विद्युत दरों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की विद्युत दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों अथवा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संस्थाओं पर वर्तमान बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इन बकाया राशियों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगयुया नायडू) : (क) से (ग). भारत में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए विश्व बैंक समेत बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा कुछ उपाय सुझाए गए हैं। इनमें राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी.) द्वारा सांविधिक लाभांश की दर प्राप्त किया जाना, अपने टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाना और अपनी बकाया राशियों को समयानुसार वसूल करना शामिल हैं। इन मुद्दों के बारे में केन्द्रीय सरकार कुछ समय से चिन्तित है और केन्द्र सरकार द्वारा आवधिक रूप से आयोजित राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन समेत विभिन्न स्तरों पर इन पर विचार-विमर्श भी किया गया है। राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय एवं भौतिक कार्य निष्पादन में सुधार हेतु एक कार्य योजना अपनाने समेत अनेक उपचारी उपाय किए गए हैं।

(घ) 31.10.1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन निगम को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय बकाया राशियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) केन्द्रीय एजेंसियों को बकाया देय में कमी लाने के लिए किए गए उपायों में से एक निर्णय यह लिया गया है कि राशियों की वसूली हेतु राज्यों को दी जा रही केन्द्रीय सहायता में से इसका विनियोजन कर लिया जाए।

विवरण

31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत निगमों की और बकाया देय राशियां

(रुपये करोड़ में)

क्रं. सं.	रा.बि.बो. /राज्य	आरईसी 10/93	एनटीपीसी 10/93	नीपको 10/93	डीवीसी 10/93	एनएचपीसी 10/93	पीएफसी 10/93	पीजीसी 10/93
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.01	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30.03
2.	असम	27.37	0.00	88.49	0.00	30.62	0.00	9.00

3. अरुणाचल प्रदेश	0.10.	0.00	1.31	0.00	0.00	0.17	0.00
4. बिहार .	134.94	448.01	0.00	469.57	16.06	15.36	25.53
5. गुजरात	0.22	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
6. गोवा	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. हरियाणा	5.29	370.37	0.00	0.00	88.55	2.22	35.46
8. हिमाचल प्रदेश	0.04	13.57	0.00	0.00	18.20	0.00	.3.48
9. जम्मू एवं कश्मीर	0.27	149.53	0.00	0.00	40.54	0.04	15.73
10. कर्नाटक	1.27	40.91	0.00	0.00	0.00	2.17	13.55
11. केरल	4.35	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
12. मध्य प्रदेश	72.93	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
13. महाराष्ट्र	0.86	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
14. मणिपुर	0.00	0.00	5.67	0.00	20.52	0.05	1.98
15. मेघालय	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
16. मिजोरम	0.00	0.00	1.34	0.00	0.06	0.00	0.18
17. नागालैण्ड	0.02	0.00	3.07	0.00	1.38	0.00	0.30
18. उड़ीसा	60.19	37.66	0.00	0.00	4.87	0.00	14.89
19. पंजाब	0.35	50.11	0.00	0.00	18.96	0.22	28.16
20. राजस्थान	15.40	196.93	0.00	0.00	1.74	0.00	44.65
21. सिक्किम	0.25	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22. तमिलनाडु	0.51	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97
23. त्रिपुरा	0.07	0.00	4.18	0.00	1.94	0.00	0.69
24. उत्तर प्रदेश	213.22	561.69	0.00	0.00	1.87	6.19	128.10
25. पं.बंगाल	58.14	68.59	0.00	117.00	10.32	3.22	6.91
26. डेसू	0.00	248.73	0.00	0.00	13.33	0.00	39.61
27. डीवीसी	0.00	159.74	0.00	0.00	23.14	0.00	17.53
28. डीएनएच	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

29. यूटीसी	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30. नीपको	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00
31. दमन एवं दीव	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
32. पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
33. को-आप्रेटिव्स	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
34. राज्य सरकारें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	618.32	3131.12	104.06	586.57	298.07	29.64	460.54

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र निगमों का राज्य बिजली बोर्डों की तरफ बकाया संचित राशियां - 5220.82 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

गंगा नदी में नौवहन सुविधाएं

522. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय योजना किस स्तर पर है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के इलाहाबाद-हल्दिया खण्ड (1620 कि.मी.) को अक्तूबर, 1986 से राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1 घोषित कर दिया गया है तथा इसे यात्री व कार्गो यातायात के लिए विकसित किया जा रहा है। हल्दिया-पटना खण्ड में नौचालन चैनल को विकसित करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 2.63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की स्कीमें प्रगति पर हैं।

पटना और कलकत्ता में टर्मिनलों के निर्माण की स्कीमों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा ये प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, निजी प्रचालकों को एक वर्ष के लिए आई डब्ल्यू टी के 2 जलयान बिना भाड़ा प्रभारों के दिए जाने की एक स्कीम तथा आधारिक संरचना की सुविधाओं की अनुपलब्धता के लिए क्षतिपूर्ति हेतु आई डब्ल्यू टी द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग एक और दो पर ढोए गए कार्गो पर 10 पैसे प्रतिटन कि.मी. की दर से दिए जाने की भी एक स्कीम को मंजूरी दी गयी है।

[अनुवाद]

फिल्मों, वृत्तचित्रों, टी.वी. सीरियलों आदि का आयात

523. **श्री के. एच. मुनियप्पा** :

श्री वी. कृष्ण राव :

श्री कोडाकनी गौडाना शिवप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो में कितनी फिल्मों, वृत्तचित्रों, टेलिविजन सीरियलों और एनीमेशन फिल्मों का आयात किया गया; और

(ख) तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन आयातित सेलुलाएड एवं वीडियो फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणपत्र दिया गया, उनकी संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा आयातित फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों (सीरीज) टी.वी. धारावाहिकों और ऐनिमेशन फिल्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान आयातित सेलुलाएड एंव वीडियो फिल्मों का ब्यौरा, जिन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणपत्र दिया गया।

	सेलुलाएड फिल्में			वीडियो फिल्में		
वर्ष	फीचर फिल्मों के अलावा अन्य लम्बी फिल्में	फीचर फिल्में	लघु फिल्में	फीचर फिल्मों के अलावा अन्य लम्बी फिल्में	फीचर फिल्में	लघु फिल्में
1991	165	124	211	-	5	704
1992	198	80	116	7	3	622
1993 (अक्तूबर, 93 तक)	91	146	146	3	5	313
योग	454	350	573	10	13	1649

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा आयातित विदेशी कार्यक्रम

1. फिल्में :	1. ब्लेक ब्यूटी
	2. थ्री मस्केटीयर्स
	3. काउण्ट आर्फ मोंटेक्रिस्टी
2. वृत्तचित्र (सीरीज)	1. हॉकी टेक्नीक्स एंड टेक्टिक्स
	2. मैजिक बॉल
	3. एक्सप्रेडीशन्स टू एनीमल किंगडम
	4. दि व्हाई एण्ड वेयरफोर्स
	5. इको-लॉजिको
	6. गेट टू नो योअर बॉडी
	7. मार्को पोलो
	8. ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स
	9. पेले - दि गेम ऑफ बिलियन
3. धारावाहिक :	1. दि फार पेविलियंस
	2. डैम्प्से एण्ड मेकपीस
	3. गाला नंबर्स 3+4
	4. लुडविंग वैंन
	5. प्रोग - एन्क्राइम डिटेक्शन
	6. डेरिक

		7.	पीटर्स ट्वाय वॉक्स
4.	ऐनिमेशन फिल्में :	1.	पिंगु
		2.	किड्स फर्स्ट

कश्मीर के संबंध मं यूनाइटेड किंगडम का दृष्टिकोण

524. **श्री रवि राय** : **क्या विदेश मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1993 के "दि स्टेट्समैन" में कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के संवंध में यूनाइटेड किंगडम के सरकार की दृष्टिकोण के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस देश के विदेश तथा राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव ने भारत और पाकिस्तान से इस संबंध में द्विपक्षीय वातचीत फिर से आरंभ करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो यूनाइटेड किंगडम के इन संकेतों के संवंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) 5 नवम्बर, 1993 को ब्रिटिस पार्लियामेंट के अंडर सेक्रेटरी ने हाउस ऑफ कामन्स में एक बयान में कहा कि "1948 और 1950 में ब्रिटेन ने जिन संकल्पों का समर्थन किया था उनका अनुपालन न तो भारत ने किया और न ही पाकिस्तान ने वल्कि घटनाक्रम में किसी सीमा तक उनका उल्लघंन ही किया गया है। हमें विश्वास है कि कश्मीर विवाद को भारत और पाकिस्तान के बीच केवल शान्तिपूर्ण ढंग से समझौते द्वारा हल किया जा सकता है जैसाकि 1972 के शिमला समझौते के अन्तर्गत प्रावधान है। हमने दोनों देशों से द्विपक्षीय बातचीत के लिए आग्रह किया है।"

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार निरन्तर इस बात को मानती रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच सभी मसले शिमला समझौते के अनुसार केवल शान्तिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा हल किए जा सकते है। भारत पाकिस्तान के वीच विदेश सचिव स्तर पर 1-3 जनवरी, 1994 तक बातचीत का कार्यक्रम पहले ही निश्चित कर दिया गया है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन

525. **श्री प्रकाश बी. पाटील** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा दक्षेश को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निभाई गई/निभाई जाने वाली भूमिका का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि "सार्क" क्षेत्रीय सहयोग का एक माध्यम है जिसका उद्देश्य दक्षिणी एशिया के लोगों के हित कल्याण का संवर्द्धन करना है और इसी उद्देश्य को लेकर भारत ने "सार्क" क्रियाकलापों में स्थित किसी आपत्ति के सहभागिता के माध्यम से अन्य सदस्य-राज्यों को अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान से अवगत कराया है। भारत ने सदैव ही अपने वित्तीय अंशदान की तत्काल अदायगी की है जो कि इस संघ के साझे खर्चों का लगभग 32 प्रतिशत है।

हमारा यह विचार रहा है कि "सार्क" को चाहिए कि वह महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग के और अधिक सारगर्भित क्षेत्रों में प्रवेश करें और ऐसा करते समय दक्षिण एशिया के लोगों के लिए स्वयं को और अधिक सार्थक बनाए। "सार्क" सदस्य राज्यों ने अप्रैल, 1993 के दोरान दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार प्रवंध सम्पन्न किया और उन्होंने दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार प्रवंध को कार्यात्मक रूप देने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाए हैं। भारत इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

कायमकुलम ताप संयंत्र

526. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

प्रो. पी.जे. कुरियन :

श्री पी.सी. थामस :

श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या **विद्युत मंत्री** 26 जुलाई, 1993 के अतारांकित प्रश्न सं. 37 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच केरल में कायमकुलम ताप परियोजना के निर्माण के वित्तीयस्त्रोत पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). अब तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए

वित्तीय वचनबद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना को ओवरसीज इकोनोमिक को-ओप्रेशन फण्ड (ओईसीएफ) जापान को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने और मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए सप्लाई आर्डर दिए जाने के बाद ही प्रचालन संबंधी कार्यक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डरों का वितरण

527. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मनीआर्डर वितरित नहीं किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो मनीआर्डरों की चोरी तथा उनके वितरण में गड़बड़ी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डरों के मिलने में विलंब/भुगतान न होने की शिकायतें यदा-कदा प्राप्त होती हैं।

(ख) मनीआर्डरों में न तो हेरा फेरी होती है और न ही वे चोरी होते हैं। कभी कभी ये ट्रांजित खो जाते हैं। जब कभी मनीआर्डर का भुगतान न होने की शिकायत मिलती है, तो तुरन्त छानबीन की जाती है और मनीआर्डर की अनुलिपि जारी कर उसका भुगतान कर दिया जाता है। मनीआर्डरों के भुगतान की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

डाक वितरण व्यवस्था

528. **श्री अरविंद त्रिवेदी** :

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह मास के दौरान दिल्ली एवं अन्य राज्यों में डाक वितरण व्यवस्था में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाक वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग). हालांकि, यह सत्य नहीं है कि दिल्ली तथा अन्य राज्यों में डाक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है, जबकि तथ्य यह है कि अधिकांश शहरी क्षेत्रों में डाक की मात्रा में वृद्धि और वितरण के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण डाक वितरण व्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव है। विभाग में डाकियों तथा छंटाई डाकियों के अतिरिक्त पदों की मंजूरी का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के साथ उठाया हुआ है।

[अनुवाद]

बिहार में बीयर उद्योग

529. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में बिहार शरीफ, जहानाबाद, गया, बक्सर, पटना, छपरा में बीयर प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) सरकार बीयर यूनिटों की स्थापना नहीं करती। लेकिन गया और पटना में बीयर बनाने की यूनिटें स्थापित करने के लिए आशय पत्र देने संबंधी आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). इन सभी आवेदन पत्रों को मैसर्स बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त एक आवेदन पत्र को छोड़कर, नामंजूर कर दिया गया है।

[हिन्दी]

नसीराबाद महू रोड

530. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने नसीराबाद (राजस्थान) से महू (म.प्र.) तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इस संबंध में विभिन्न संस्थाओं ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ओर विभिन्न अन्य प्राधिकरणों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रश्नगत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सीमित निधियां आवंटित होने के कारण फिलहाल मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सहित किसी भी राज्य में किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना कठिन है।

टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

531. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 अक्तूबर, 1993 तक कितने प्रतिशत टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है; और

(ख) 1993 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये हैं, जिला-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1.4.93 से 31.10.93 के दौरान देश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रतिशत 17.03 है। 31.10.93 तक देश में एक्सचेंजों की कुल संख्या में से इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या का प्रतिशत 76.83% है।

(ख) 1.1.93 से 31.10.93 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 96 है। जिला-वार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1.1.93 से 31.10.93 के दौरान उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	केन्द्र का नाम	क्र.सं.	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1.	आगरा	1. जैनगारा			15. कालिनअर
		2. बड़ौत			16. करताल
		3. संजय प्लेस			17. खापाटा
2.	इलाहाबाद	4. भरवाडी (11)			18. पहाड़ी
		5. मनझानपुर			19. सरधाना
		6. हांडिया (11)			20. शिवरामपुर
		7. फाकामऊ (11)			21. मानिकपुर (11)
		8. हनुमानगंज	5.	बलिया	22. टिंअुवाड़ी (11)
3.	अलीगढ़	9. लोढा			23. दोक्ती
		10. नाजलपुर	6.	बरेली	24. बरेली (11)
		11. रायपुर दलपतपुर	7.	बदायू	25. गुनोर
		12. हाथरस (11)	8.	देहरादून	26. नयागांव
4.	बांदा	13. भाउरी			27. देहरादून
		14. छिला			28. मसूरी (11)

क्र.सं.	जिले का नाम	केन्द्र का नाम	क्र.सं.	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
9.	देवरिया	29. बचोवघाट	19.	ललितपुर	54. राजघाट
10.	इटावा	30. बसरेहर	20.	लखनऊ	55. बिजनौर
11.	फैजाबार	31. फफूंद	21.	महाराजगंज	56. निचलौल
		32. अमानीगंज			57. थूधीबारी
		33. कोटवासड़क	22.	मैनपुरी	58. किसनी
		34. टांडा (11)	23.	मथुरा	59. पतलौनी
		35. नेवादा			60. कोसी कलान (11)
		36. अकबरपुर(II)	24.	मऊनाथाभंजन	61. सेमरी जमालपुर
		37. जलालपुर (11)	25.	मेरठ	62. वाउन्डरी रोड
12.	फिरोजाबाद	38. नगलागुलाल			63. मेहलका
13.	गाजियाबाद	39. छोलस			64. सलवा
		40. लोनी (11)			65. सरूरपुर
		41. मोदीनगर			66. सिसाली
		42. राजनगर डी-2	26.	मुजफ्फरनगर	67. भोपा
14.	गोरखपुर	43. बालपुर			68. गढ़ीपुखता
		44. भानपुर	27.	नैनीताल	69. बेतालपुर
		45. कोखई			70. लालपुर
		46. महावीर छप्परा	28.	पौड़ी	71. दुर्गापुरी
15.	हमीरपुर	47. छाम			72. घुरधरी
		48. महोवा (11)			73. कलिया सौड़
16.	झांसी	49. परीक्षा			74. किशनपुरी
		50. रक्षा	29.	प्रतापगढ़	75. विश्वनाथगंज
17.	जौनपुर	51. सिगरामऊ			76. फतेहपुरा
18.	कानपुर	52. डेरापुर			77. गरवारा
		53. पानकी			78. कांथौला (रानीगंज)

क्र.सं. जिले का नाम	केन्द्र का नाम	क्र.सं. जिले का नाम	केन्द्र का नाम
	79. कटरामेहर्दीगंज		88. कलक्षनपुर
	80. मदेरिया		89. कोरवा
	81. मनधाता		90. पांडेबाबा
	82. सांगीपुर	32. उन्नाव	91. सोहरामऊ
30. सीतापुर	83. मचासा	33. फरूखाबाद	92. फतेहगढ़ (11)
	84. बिसवां (11)	34. लखीमपुर	93. गोला (11)
31. सुल्तानपुर	85. बंधवाकंला	35. हरदोई	94. संदीला (11)
	86. धामौर	36. वाराणसी	95. पहाड़िया (11)
	87. गोसाईगंज	37. चमोली	96. केदारनाथ

सरैकी भाषा के कार्यक्रमों का प्रसारण

532. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की विदेश सेवा सरैकी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करती है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम की प्रसारण अवधि एक साल से अधिक समय से अपरिवर्तित रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की प्रसारण अवधि न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरैकी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरैकी कार्यक्रम की अवधि को कार्यक्रम संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण नहीं बढ़ाया जा सका।

(घ) और (ङ). सरैकी कार्यक्रमों के लिए समय स्लॉट का चयन, आकाशवाणी, सूरतगढ़ पर इसका पुनः प्रसारण तथा कार्यक्रम का स्वरूप–इन सभी की मंशा, सीमा पार के लक्ष्यित श्रोतागणों में इन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना है।

[अनुवाद]

इस्पात उद्योग

533. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग पर इस्पात के मूल्य में वृद्धि तथा उदार आयात नीति के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस्पात उद्योग के संदर्भ में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद स्थिति को पुनः लाने/पुनः प्राप्त करने तथा इस्पात उद्योग को विदेशी इस्पात माल से असमान प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). देश में इस्पात उद्योग, मांग में मंदी का सामना कर रहा है। तथापि, आयात नीति के उदारीकरण के बाद इस्पात के आयात में वृद्धि नहीं हुई हैं, अपितु पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इसके आयात में कमी आई है।

प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया की यात्रा

534. **श्री विलास मुत्तेमवार** :

श्री गोपी नाथ गजपति :

श्री के. प्रधानी :

डा. कृपासिंधु भोई :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान किए गए प्रत्येक समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस देश के साथ और अच्छे व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में व्यापार संबंध स्थापित किए गए हैं तथा किन क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों में और विस्तार का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां। प्रधानमंत्री ने 9 से 11 सितम्बर, 1993 तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की।

(ख) यात्रा के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें होटल निर्माण तथा प्रबंध में द्विपक्षीय सहयोग, पर्यटक सैरगाहों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम, कोरिया से भारत तथा भारत से कोरिया जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

देने, और पर्यटन से संबद्ध प्रचार के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध समझौता ज्ञापन में रसायनों, इलैक्ट्रानिक्स, पार्लामर्स, और प्लास्टिक, वस्त्र तथा परिधान आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग तथा संयुक्त अनुसंधान तथा वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकीविदों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है: सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (1993-95) पर भी हस्ताक्षर हुए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोरिया में भारतीय भाषाओं तथा भारत में कोरियाई भाषा के समर्थन, ऐतिहासिक अनुसंधान में सहयोग, विद्वानों के आदान-प्रदान कोरिया में भारतीय अध्ययन और भारत में कोरियाई अध्ययन के संवर्द्धन, कोरियाई राष्ट्रिकों के लिए हिंदी पठन-पाठन के लिए छात्रवृत्तियों के प्रावधान, कोरिया में हिन्दी अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, खेलकूद दलों के आदान-प्रदान, दूरदर्शन आकाशवाणी तथा कोरिया गणराज्य के टेलीविजन और रेडियो संगठनों के वीच सहयोग, आदि की बात कही गई है।

(ग) जी, हां। हमारे सुझाव पर दोनों देशों ने इस बात के लिए सहमति व्यक्त की कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था का संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे जिसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों को तय करना है जिनमें दोनों देश परस्पर सहयोग कर सकें, अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठक को संबोधित किया जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षो में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करके 6000 करोड़ रुपए तक पहुंचा देना है। प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य के महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठनों के प्रमुखों से भी अलग-अलग बातचीत की और इस मुलाकता का उद्देश्य भारत में अपनी गतिविधियों का प्रसार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना था।

(घ) 1992 में भारत-कोरिया गणराज्य का द्विपक्षीय व्यापार 2,900 करोड़ रुपये मूल्य का था जिसमें से भारतीय निर्यात 1,525 करोड़ रुपये की कीमत का था। भारत ने प्रमुखतः रसायन, रंजकों और रंजक द्रव्यों, कच्ची धातु, खनिज, ईधन, रेशम, एल्युमिनियम तथा लोहा बॉयलर ओर विद्युत मशीनों, काफी, चाय तथा मसालों, मानव निर्मित तन्त्र, खर्ली आदि का निर्यात किया। कोरिया से जिन वस्तुओं का आयात हुआ उनमें रसायन, प्लास्टिक तथा रबड़ उत्पाद, मानव निर्मित फाइबर, कांच तथा कांच का सामान, लोहा तथा इस्पात, सिक्के, तांवा, विद्युत मशीनें, जहाज, नावें तथा तैरने वाली संरचनाएं आदि शामिल थी। भारत और कोरिया गणराज्य संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 1994 के शुरू में होगी जिसमें व्यापार संबंधों को और आगे विस्तार करने के बारे में विचार किया जाएगा।

कलकत्ता में डाक-निकासी

535. **श्री चित्त बसु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सर्किल में जी.पी.ओ. कलकत्ता और रेल डाक सेवा कार्यालय में डाक थैलों की पूरी दैनिक निकासी नहीं की जाती है जिससे डाक वितरण में अनियमितता और अनिश्चितता आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो शीघ्र और नियमित डाक वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख). जी नहीं। आमतौर पर ऐसा नहीं है। तथापि, बंद/हड़ताल/नागरिक उपद्रवों के कारण और विभाग के नियंत्रण के बाहर के अन्य कारणों की वजह से पश्चिम वगाल सर्किल में जीपीओ/आरएमएस कार्यालयों में कुछ डाक इकट्ठी हो जाती है। डाक का नियमित वितरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डाक अधिकारी दैनिक आधार

पर डाक पारेषण/वितरण की मानीटरिंग करते हैं।

गुवाहाटी में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को टेलीफोन कनेक्शन

536. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी में अक्तूबर, 1993 तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के एन.ओ.वाई.टी. -- एस.एस. श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) इन लोगों को कब तक टेलीफोन दे दिये जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मंजूर किए गए गैर-ओ.वाई.टी./एस.एस. श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की संस्थापना के कुल 29 मामले लंबित हैं। इन्हें मार्च, 1994 तक निपटा दिये जाने की संभावना है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यकरण

537. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण की दशा खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेवाओं के उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख). महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण की दशा खराब नहीं है। तथापि, पिछली बरसात में, बड़ी संख्या में भूमिगत केबल खराब हो जाने से कई ग्राहक प्रभावित हुए थे जिससे सेवाओं में कुछ समय के लिए गड़बड़ी रही और ग्राहकों में असंतुष्टि रही। तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई करने से इसके भूमिगत केबलों की मरम्मत कर दी गई थी और अब सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई हैं।

(ग) एम टी एन एल दिल्ली ने कई ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं जहां ग्राहकों की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं और उन्हें निपटाने के लिए उन केन्द्रों में उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। दूरसंचार मुख्यालय में भी हमने एक लोक शिकायत कक्ष खोला हुआ है जो डाक भवन, नई दिल्ली में निदेशक (लोक शिकायतं) के अधीन काम कर रहा है। जिन ग्राहकों को एम टी एन एल और दूरसंचार विभाग की दिल्ली से बाहर की अन्य क्षेत्रीय इकाइयों से संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता है वे अपनी शिकायत को दूर करने के लिए लिखित शिकायतें भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाक एवं तार घर

538. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितने डाकघरों एवं तार घरों की स्थापना की गई;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य से उनकी संख्या कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक की उपलब्धियां क्या हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) **डाकघर**

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 364 डाकघर खोले गए।

तारघर

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में खोले गए तारघरों की कुल संख्या 35 है।

(ख) **डाकघर**

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 के दौरान डाकघर खोलने के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, इन तीन वर्षों में योजना के अंतर्गत 118 डाकघर खोले गए। तथापि, 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमशः 235 तथा 184 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में क्रमशः 23 और 233 डाकघर खोले गए, जो कुल मिलाकर 364 होते हैं।

तारघर

जी नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों तथा ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर तारघर खोले जाने थे, जहां तारघर खोलने का औचित्य बनता है। लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

(ग) **डाकघर**

वर्ष 1988-89 के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में रह गई कमियों के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे :

(1) वर्ष 1984 से नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध।

(2) महानिदेशक (डाक) तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों से पद सृजित करने की शक्तियां वापस लेना।

(3) डाकघर खोलने के प्रत्येक मामले को वित्त मंत्रालय भेजने और उससे अनुमति प्राप्त करने में लगने वाला समय।

(4) किसी नए डाकघर की मंजूरी तथा उसको खोलने के बीच अंतर्निहित समय अंतराल के कारण कभी-कभी डाकघर का खोला जाना अगले वित्तीय-वर्ष में चला जाता है।

तारघर

उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) **डाकघर**

मध्य प्रदेश में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा विभागीय उप-डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति निम्नानुसार है;

वर्ष	लक्ष्य		लक्ष्य प्राप्ति	
	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1992-93	55	5	55	5
1993-94	35	5	11	शून्य
				(अब तक खोले गए)

तारघर

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार नवसृजित जिला मुख्यालयों में तारघर खोले जाने हैं। चूंकि कोई जिला सृजित नहीं हुआ है, अतः अभी तक कोई तारघर नहीं खोला गया है।

माइक्रोवेव प्रणाली में सुधार

539. **श्री विशेश्वर भगत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा माइक्रोवेव प्रणाली में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में गत एक वर्ष का मंडल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन सुधारों के अंतर्गत किए गए कार्यों का मंडल-वार ब्योरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) डिजीटल माइक्रोवेव प्रणालियों के प्रयोग से मौजूदा एनालॉग प्रणालियों में वृद्धि करके/उन्हें बदलकर माइक्रोवेव प्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कुल 27 सूक्ष्म तरंग प्रणालियां चालू की गई सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ग) 1991-92 के दौरान चालू की गई माइक्रोवेव प्रणालियों के सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

इन प्रणालियों के चालू होने से 1991-92 में 82 स्थानों को और 1992-93 में 55 स्थानों को विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा गया।

विवरण-1

1992-93 के दौरान चालू की गई सूक्ष्मतरंग प्रणालियों का सर्किलवार* ब्यौरा

क्रं.सं.	सर्किल का नाम	प्रणालियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	गुजरात	1
3.	हिमाचल प्रदेश	1
4.	कर्नाटक	2
5.	केरल	4
6.	महाराष्ट्र	3
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	उड़ीसा	1
9.	पंजाब	1
10.	राजस्थान	1
11.	तमिलनाडु	4
12.	उत्तर प्रदेश	4
13.	पश्चिम बंगाल	2

विवरण-2

1991-92 के दौरान चालू की गई सूक्ष्मतरंग प्रणालियों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्रं.सं.	सर्किल का नाम	प्रणालियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	2
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	केरल	4
6.	एमटीएनएल (नई दिल्ली)	1
7.	महाराष्ट्र	4
8.	उड़ीसा	3
9.	पंजाब	1
10.	राजस्थान	2
11.	तमिलनाडु	2
12.	उत्तर प्रदेश	8
13.	पश्चिम बंगाल	4

[अनुवाद]

चकमा शरणार्थियों की बैठक

540. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश भारत से 56,000 चकमा शरणार्थियों को वापस लेने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उक्त देश में वापस भेजने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां। बंगलादेश की सरकार दोनों पक्षों के उपलब्ध रिकार्ड और संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर चट्टगांव

पहाड़ी क्षेत्रों के सभी जन-जातीय बंगलादेशी शरणार्थियों को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) चकमा तथा अन्य जनजातीय शरणार्थियों को बंगलादेश वापस बुलाने के लिए बंगलादेश की सरकार ने वापस आ रहे परिवारों के लिए विभिन्न रियायतों की घोषणा की है। समग्र रूप से हमारा मूल्यांकन यह है कि शरणार्थियों के वापसी के लिए इस समय बंगलादेश का माहौल पहले की अपेक्षा बहुत अनुकूल है। तथापि चकमा शरणार्थी नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी वापसी की पूर्व-शर्त के रूप में बंगलादेश की सरकार उनकी उन मांगों को मान ले जो उन्होनें मई, 1993 में बंगलादेश की सरकार को प्रस्तुत की थी।

बंगलौर दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषा में समाचार

541. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन पर प्रतिदिन कितने समय तक क्षेत्रीय भाषा में समाचार प्रसारित किया जाता हैं;

(ख) क्या वर्तमान समाचार बुलेटिन में पूरे कर्नाटक के महत्वपूर्ण समाचार शामिल नहीं किए जाते;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या बंगलौर दूरदर्शन पर कन्नड़ भाषा में प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन का प्रसारण आरंभ करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर सांय 7.30 बजे कन्नड़ में 15 मिनट का प्रतिदिन क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है।

(ख) बंगलौर से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में कर्नाटक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं तथा विकास को कवर करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

542. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक राज्यवार कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ख) क्या शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई लक्ष्य रखे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) सितम्बर, 1993 के अंत तक अभी भी विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों का राज्यवार प्रतिशत संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य संबंधित राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा समग्र संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य बिजली बोर्डों की सलाह से योजना आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान 3210 गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

क्रं.सं.	राज्य का नाम	30.9.93 की स्थित के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.46
3.	असम	2
4.	बिहार	29.67
5.	गोवा	-
6.	गुजरात	-
7.	हरियाणा	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4.67
10.	कर्नाटक	-
11.	केरल	-
12.	मध्य प्रदेश	8.07
13.	महाराष्ट्र	-
14.	मणिपुर	15.43
15.	मेघालय	51.17
16.	मिजोरम	21.00
17.	नागालैण्ड	-

18.	उड़ीसा	29.75
19.	पंजाब	-
20.	राजस्थान	19.70
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	-
23.	त्रिपुरा	30.50
24.	उत्तर प्रदेश	25.00
25.	पं. बंगाल	25.00
	जोड़ (राज्य)	15.12
	जोड़ (संघ शांसित क्षेत्र)	-
	जोड़ (अखिल भारत)	15.09

उपग्रह चैनलों पर कार्यक्रम

543. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के मैट्रो तथा अन्य उपग्रह चैनलों पर प्रसारित किये जा रहे अधिकांश कार्यक्रम चलचित्रों पर आधारित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश की विरासत में प्राप्त संस्कृति के अनुरक्षण एवं संरक्षण हेतु इन कार्यक्रमों की समीक्षा करने और युवा पीढ़ी के हितों की रक्षा करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या दूरदर्शन का विचार जनवरी 1994 तक 21 चैनल शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). ज़ी, हां। इस संबंध में एक व्यापक समीक्षा की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों में डाकघर

544. **श्री के. प्रधानी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों में डाकघर सुविधा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य यदि कोई हैं तो उसको प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा सर्किल में केवल 240 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें डाकघर सुविधा नहीं है।

(ख) ऐसी ग्राम पंचायतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ). उन ग्राम पंचायतों में डाकघर खोले जाते हैं जो संलग्न विवरण-II में दिए गए मानदंडों को पूरा करती हैं।

आठवीं योजना अवधि के दौरान विभाग का 500 विभागीय उप-डाकघर तथा 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 116 विभागीय उप-डाकघर तथा 635 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को वर्ष 1992-93 में मंजूरी दी गई। चालू वर्ष में 600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 100 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। डाकघर निर्धारित मानदंडों के अनुसार लक्ष्य ओर धनराशि की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

विवरण-I

ऐसी ग्राम पंचायतों का राज्यवार ब्यौरा जहां डाकघर सुविधा नहीं है

क्रं.सं.	राज्य का नाम	ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं
1.	असम	20178
2.	आंध्र प्रदेश	5851
3.	बिहार	3012
4.	दिल्ली	79
5.	गुजरात	5183
6.	हरियाणा	3176

7.	हिमाचल प्रदेश	395
8.	जम्मू और कश्मीर	430
9.	कर्नाटक	192
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	12932
12.	महाराष्ट्र	14209
13.	गोवा	21
14.	अरूणाचल प्रदेश	3385
15.	मणिपुर	746
16.	मेघालय	940
17.	मिजोरम	398
18.	नागालैंड	940
19.	त्रिपुरा	2347
20.	उड़ीसा	240
21.	पंजाब	6940
22.	राजस्थान	713
23.	तमिलनाडु	3082
24.	उत्तर प्रदेश	57817
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य
26.	सिक्किम	-वही-

विवरण-2

शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड व मार्गदर्शी सिद्धान्त

(1) **जनसंख्या**

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

एक ग्राम-समूह (जिसमें वह गांव भी शामिल है जहां डाकघर खोलने का प्रस्ताव है) की जनसंख्या 3000 ।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में :

किसी एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या एक ग्राम-समूह की जनसंख्या 1000 ।

(2) **दूरी**

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा नजदीकी डाकघर से दूरी कम से कम 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में :

पहाड़ी इलाकों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जो ऊपर दी गई है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों के आधार पर ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(3) **अनुमानित आय**

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33 1/3 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

545. **श्री राम नाईक** : क्या **संचार मंत्री** 23 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3982 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं जिन्हें पुरानी योजना के अनुसार अभी भी एक रुपया प्रति कॉल प्रभारित करने दिया जा रहा है;

(ख) क्या ये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र, टेलीफोन प्रयोक्ताओं के साथ अनावश्यक विवाद न होने देने के लिए अपने परिसरों पर इस बात की सूचना दर्शाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने ऐसे सभी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को इस बात का पालन करने के अनुदेश दिये हैं; और

(घ) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का निरीक्षण किया गया तथा कितने केन्द्रों को रद्द किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में दाल प्रसंस्करण मिलों की स्थापना

546. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में दाल प्रसंस्करण मिलों की स्थापना की गयी है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अंतर्गत पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किये गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, हां, गुजरात में दाल प्रसंस्करण मिलों की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग). दाल संसाधित्रों (प्रोसेसरों) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अंतर्गत 1993-94 के लिए 2.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 2.00 लाख रुपये केन्द्र का और 0.70 लाख रुपये राज्य का हिस्सा है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डाक बचत योजनाएं

547. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ डाक बचत योजनाएं समाप्त कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है; और

(ग) जमाकर्त्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सामाजिक सुरक्षा बचत पत्रों की बिक्री 3 साल पूर्व 31 अगस्त, 1990 से बंद कर दी गई थी। राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 के बदले 1.10.92 से राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 शुरू की गई।

(ख) ओर (ग). सामाजिक सुरक्षा बचत पत्रों की बिक्री इस योजना की घटती हुई लोकप्रियता को ध्यान में रखकर बंद की गई थी। राष्ट्रीय बचत योजना 1987 को, कर नियमों में किए गए परिवर्तनों और निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 द्वारा बदला

गया। इस नई योजना में आयकर अधिनियम की धारा 88 तथा 80(एल) के अंतर्गत कर में रियायत मिलती है।

अमेरिका में भारतीय

548. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1993 के दौरान अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हुए अत्याचारों के संबंध में अब तक कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को उस देश के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल भाटिया) : (क) से (घ). अमरीका में भारतीय अपराध के शिकार होते रहें हैं लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उनके भारतीय होने के कारण उन पर अत्याचार हो रहे हों।

बारंगल आकाशवाणी केन्द्र

549. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आकाशवाणी केन्द्रों का वर्गीकरण "स्थानीय" और "गैर-स्थानीय" केन्द्र के रूप में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वर्गीकरण के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या बारंगल आकाशवाणी केन्द्र का "स्थानीय" आकाशवाणी केन्द्र और कोठागुडेम केन्द्र का "गैर-स्थानीय" केन्द्र के रूप में वर्गीकरण किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; जिसमें कोठागुडेम आकाशवाणी केन्द्र के स्थान पर बारंगल केन्द्र को गैर स्थानीय पूर्व विकसित आकाशवाणी केन्द्र में बदलने की मांग की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी, बारंगल एक स्थानीय रेडियो केन्द्र है और आकाशवाणी, कोठागुडेम एक उप-क्षेत्रीय रेडियो केन्द्र है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्तमान में बारंगल स्थानीय रेडियो केन्द्र को उप-क्षेत्रीय केन्द्र में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टेलीकम्यूनीकेशन कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम

550. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संचार मंत्री** यह-बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीकम्यूनीकेशन कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड ने सऊदी अरब तथा कुवैत में भारतीय दूरसंचार तथा सॉफ्टवेयर की जानकारी देने के लिए इन देशों में संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख). जी, हां। सऊदी अरब में, टी सी आई एल ने मैसर्स नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन्स कंपनी लिमिटेड (एल ए टी ई एल) और श्री सालेह अली अब्दुल रहमान अल-तुर्की के सहयोग से "टी सी आई एल सऊदी कंपनी लिमिटेड" नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। इस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 2 मिलियन एस आर और प्रारम्भ में प्रदन्तपूंजी एक मिलियन एस आर है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में टी सी आई एल का हिस्सा 40% है।

2. कुवैत में, टी सी आई एल का मैसर्स अहमद यूसफ वेहवेहानी एस्टेब्लिश्मेंट (ए वाई बी) के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने का प्रस्ताव है। कंपनी की प्रस्तावित प्रदन्त पूंजी 1,00,000 के डी है। टी सी आई एल का हिस्सा 49% है।

डी.ए.वी.पी. के पास लंबित समाचार पत्रों के बिल

551. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1993 को दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) पर विभिन्न समाचार-पत्रों को देय कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) ऐसी बकाया राशि का भुगतान कब से लंबित पड़ा है; और

(ग) बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). 31.5.93 की स्थिति के अनुसार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पास कुल 55,233 बिल भुगतान के लिए लंबित थे। इन बिलों में से 450 बिल अप्रैल, 85 से अगस्त, 91 तक की अवधि, 38,533 बिल सितम्बर, 91 से मार्च, 93 तक की अवधि और 16,250 बिल अप्रैल, 93 से मई, 93 तक की अवधि से संबंधित हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान, बकाया संबंधी अवधि को कम किए जाने तथा संबंधित पार्टियों को 7 से 45 दिन की युक्तिसंगत अवधि में उनका भुगतान किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सुव्यवस्थित उपाय किए गए हैं। बिलों से संबंधित कार्य 1.4.93 से कम्प्यूटर पर किया जा रहा है और हाल ही में एक सुपर मिनी कम्प्यूटर भी स्थापित किया गया है।

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा संयुक्त उद्यम

552. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन का विचार कुछ विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं और नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा उनके साथ अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). काकीनाड़ा, आंध्रप्रदेश में एक 208 मे.वा. गैस आधारित विद्युत केन्द्र के क्रियान्वयन के लिए स्थापित एक निजी उत्पादन कंपनी स्पैक्ट्रम पावर जैनरेशन लि. (एस.पी.जी.एल.) में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इक्विटी भागीदारी हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने स्पैक्ट्रम टेक्नोलोजीज, यू. एस.ए. इन्कारपोरेशन, न्यूयार्क को सहयोगी कंपनियों समेत उनके साथ तथा जया फूड इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद के साथ "प्रोमोटर एग्रीमैंट" पर हस्ताक्षर किये हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इस संयुक्त उपक्रम में इक्विटी एस.पी.जी.एल. की कुल इक्विटी का 10% होगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने एक विद्युत परियोजना के विकास के लिए ए.बी.बी., स्विटजरलैण्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं तथा इसके प्रत्युत्तर में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बवाना में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की गैस आधारित परियोजना के बारे में लिखा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा ए.बी.बी. छंटे हुए परियेजना प्रस्तावकों में से एक है तथा इन्होंने फरवरी, 1993 में दि.वि.प्र.सं. को संयुक्त रूप से एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव भाव निवेदित किए हैं तथा निवेदित भावों का मूल्याकंन किया जा रहा हैं। संयुक्त उपक्रम विद्युत परियोजनाओं में भागीदारी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के उद्देश्य ये हैं :-

(क) यद्यपि, विद्युत परियोजनाओं के लिए जे.पी.सी. की इक्विटी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की भागीदारी कम परिमाण की है, तथापि इससे इस क्षेत्र में निवेश हेतु निजी पार्टियों में विश्वास बढ़ेगा जिससे इस क्षेत्र के वाणिज्यिकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस तरह विद्युत क्षेत्र के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा जिससे इस संगठन को भी लाभ होगा।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम दोनों कोयला तथा गैस आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना में विकसित अपनी सिद्ध की हुई तकनीकी तथा प्रबन्धन दक्षता पर आधारित परियोजना क्रियान्वयन में योगदान दे सकेगा।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अपने कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के अपेक्षित बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश तथा अपने निजी संसाधनों के परिसीमित होने पर विचार करते हुए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अधिक परियोजनाओं को प्रोन्नत करने के लिए इन संसाधनों को औचित्यपूर्ण ढंग से प्रयोग कर सकेगा अन्यथा यह प्रत्याशित निजी विद्युत विकास परिदृश्य के समनुरूप अपनी परियोजनाओं को अपने हाथ में ले सकेगा। इस तरह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम क्षेत्र में निजी उद्योग की अधिक भागीदारी के लिए सरकार की नीति के सफल क्रियान्वयन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकेगा।

पुंयाकुट्टी जल विद्युत परियोजना

553. **श्री पी.सी. थॉमस** : क्या **विद्युत मंत्री** 15 मार्च, 1993 के अतारांकित प्रश्न सं. 2658 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पुयाकुट्टी जल विद्युत परियोजना को लागू करने में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). केरल सरकार द्वारा परियोजना में निहित वन भूमि की अन्यत्र व्यवस्था हेतु पर्यावरण व वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद ही पुंयाकुट्टी जल विद्युत परियोजना 2x120 मे.वा. को क्रियान्वयन हेतु हाथ में लिया जा सकेगा।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र

554. **श्री मुमताज अंसारी :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने देश के विद्युत क्षेत्र में निवेश प्राप्त करने हेतु हाल ही में कुछ देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों/विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जो विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए सहमत हो गई हैं;

(ग) ये विद्युत परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर लगाई जाएंगी;

(घ) क्या विदेशी निवेशकों ने पूंजी निवेश के बदले में कुछ रियायतें अथवा शर्तें रखी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). देश के विद्युत क्षेत्र में निवेश करने हेतु अनुरोध करने के लिए विद्युत मंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने यू.के. और यू.एस.ए. का दौरा किया था। विदेशी निजी कंपनियों द्वारा जिन परियोजनाओं को अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च). यद्यपि निवेश के बदले में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई गई है अथवा रियायत की मांग की गई है तथापि विशेष विद्युत परियोजनाओं में निवेश के बारे में अथवा विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने संबंधी स्कीम के बारे में विचार-विमर्श के दौरान, संदर्शी विदेशी निवेशकों ने कुछेक स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध किया था। ये मुद्दे उसी प्रकार के हैं जैसाकि भारतीय प्रवर्तकों समेत अन्य प्रवर्तकों द्वारा उठाए गए हैं। सरकार द्वारा इनका समुचित रूप से समाधान कर दिया गया है।

विवरण

विदेशी निजी कंपनियों की अभिव्यक्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अंनतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये में)	कम्पनी का नाम
1.	जैग्रूपाडु जीवीपीपी/(गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (गैस)	866.00	जीवीके इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यू.एस.ए
2.	काकीनाडा जीवीवीपी/(गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेश (अनिवासी भारतीय)	200.00 (गैस)	654.85	स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड
3.	विशाखापट्टनम टीपीएस/आन्ध्र प्रदेश	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2x500) (कोयला)	3000.00	अशोक लीलैण्ड एण्ड नेंशनल पावर (यू.के.)
4.	कामेंग एचईपी/अरूणाचल प्रदेश	भारतीय/विदेशी	600.00 (हाईडल)	1800.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लिमिटेड स्नोवी माउंटेन्स इंजीनियरिंग (आस्ट्रेलिया)
5.	खारसांग जीबीपीपी/अरूणाचल प्रदेश	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	48.00 (गैस)	168.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लिमिटेड स्नोवी माउंटेन्स इंजीनियरिंग
6.	अम्गुरी जीबीपीपी/(असम)	विदेशी	360.00 (गैस)	1280.00	नार्दरन इंजीनियरिंग इन्क.. आगरा इण्डस्ट्रीज
7.	गंधार जीबीपीवी/गुजरात	विदेशी/भारतीय	615.00 (गैस)	2389.43	गुजरात टोर्रेंट एनर्जी कारपो.लि.
8.	हिसार टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	500.00	1000.00	कांजेंर्ट्रिक्स इन्क, यूएसए

			(2x250) (कोयला)		
9.	यमुनानगर टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	1000.00 (4x250) (कोयला)	3500.00	ईजनबर्ग ग्रुप आफ कम्पनीज, यूएसए
10.	हिब्रा एचईपी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (हाईडल)	708.50	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यूएसए
11.	धामबाड़ी एचईपी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (हाईडल)	245.00	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यूएसए
12.	मंगलौर टीप्रीएस/कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कांजेंट्रिक्स इन्क.यू.एस.ए.
13.	मंगलौर टीपीएस/कर्नाटक	भारतीय/विदेशी	300.00 (कोयला)	900.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नेशनल पावर (यू.के)
14.	अलमाट्टी डैम एचईपी/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	600.00 (हाईडल)	1800.00	एशिया पावर कम्पनी लिमिटेड (टापको) यूएसए, कर्नाटक पावर कारपोरेशन
15.	होस्पैट टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1x500) (कोयला)	1350.00	होक इन्टरकोंटिनेंटल लिमिटेड यूएसए
16.	रायचूर चरण-5 टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इन्ट, इन्क. (नार्थ-ईस्ट एनर्जी) यूएसए कर्नाटक पावर कारपोरेशन
17.	थ्रीक्कारीपुर टीपीपी/केरल	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	1480.00	एम.ए.अल-मजरूई जन. ट्रेडिंग एस्ट. यूएई स्कैप्युपुर पावर कम्पनी, यूएसए

18.	दभोल सीसीजीटी (एलएनजी)/महाराष्ट्र	विदेशी	1920.00 (एलएनजी)	8480.00	एन्रोन पावर डैवलपमेंट कारपोरेशन एण्ड जन. इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, यूएसए
19.	खापरखेड़ा टीपीएस यूनिट 5 एवं 6/महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1632.00	एरान्को लाईन शिपिंग कम्पनी (माल्टा/सिंगापुर) आर.आर. एसोसिएट्स
20.	उमरेद टीपीएस/महाराष्ट्र	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00	इस्पात एल्लोयज लि./मित्सुई (जापान)
21.	तलचेर टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलाजीज, यूएसए
22.	कमलांगा (धनकलाल टीपीएस)/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	इन्टरनेशनल इक्विटी पार्टनर्स, एलपी यूएसए
23.	इब घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	2025.60	ए ई एस कारपोरेशन, यूएसए
24.	इब घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (कोयला)	10500.00 यूएसए	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कम्पनीज,
25.	डुबरी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी/भारतीय	500.00 (2x250) (कोयला)	1548.00	कलिंगा पावर कारपोरेशन/नार्थ-ईस्ट एनर्जी सर्विसिज इन्क. यूएसए/उड़ीसा सरकार

26.	लापांगा टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1750.00	पायनीयर एनर्जी इन्क. यूएसए/डयूक इंजीनियरिंग सर्विसिज
27.	बरसिंगसर टीपीएस/राजस्थान	विदेशी	240.00 (2x120) (लिग्नाईट)	585.73	कोलेमैन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम)
28.	कुड्डलूर टीपीएस/तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	इन्टरनेशनल कन्ट्राक्टिंग एण्ड मार्केटिंग कारपेरेशन, यूएसए
29.	पिल्लईपैरूमलनैल्लूर सीसीजीटी/तमिलनाडु	विदेशी	300.00 (गैस) (2x100+1x100)	429.49	पी.विजयकुमार रेड्डी, माकोवस्की एसोसिएट्स, यूएसए
30.	जीरो यूनिट (एनएलजी)/तमिलनाडु	विदेश (अनिवासी भारतीय)	210.00 (1x210) (लिग्नाईट)	750.00	एसटी पावर सिस्टम्स इन्क.
31.	जायाम्कोण्डम लिग्नाईट टीपीएस/तमिलनाडु	विदेशी/भारतीय	1500.00 (3x500) (लिग्नाइट)	4500.00	जायाम्कोण्डम लिग्नाइट पावर कारपो. (टीडको,मक्नैल्सी भारत
32.	सागरदीघी टीपीएस/प. बंगाल	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्राइवेट लि. सीएमए कारपेरेशन एण्ड डब्ल्यू वीएसईवी
33.	डान्कुनी जीबीपीपी/पं बंगाल	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00 (गैस)	40.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलाजिज
			21289.00	69471.30	

गुजरात में टी.वी. रिले केन्द्र

555. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में सावर, कुन्डला, राजूला और कोडीनार में दस किलोवाट क्षमता के टी.वी. रिले केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि 1993-94 की वार्षिक योजना के अंतर्गत गुजरात के राजूला में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के अनुमोदन पर वास्तविक कार्यान्वयन निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में महामस्तकाभिषेक का प्रसारण

557. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में श्रवणबेलागोला में महामस्तकाभिषेक समारोह का आयोजन 19 दिसम्बर, 1993 को किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समारोह का सीधा प्रसारण करने का है;

(ग) क्या "चामुन्द्राय" के योगदान तथा बाहुबली और महामस्तकाभिषेक के लिए उसकी प्रांसगिकता पर एक टेलीफिल्म के निर्माण की मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). टेलीफिल्म के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु सावधानी-पूर्वक विचार करने के पश्चात् इसको दूरदर्शन द्वारा स्वीकार करने के योग्य नहीं पाया गया।

राजनयिकों को निष्कासित किया जाना

558. **श्री एस.बी. सिदनाल** :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्यवाही में कुछ भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान कितने भारतीय राजनयिकों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार ने 18 अक्तूबर, 1993 को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन से तीन अधिकारियों को तथा बंबई स्थित पाकिस्तान के प्रधान कोंसलावास से एक अधिकारी को वापस भेजने के लिए कहा क्योंकि वे ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न थे जो राजनयिक एवं कोंसली कार्मिकों के स्तर के अनुरूप नहीं थे।

(ग) और (घ). पाकिस्तान ने 18 अक्तूबर, 1993 को कराची स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास के चार अधिकारियों को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए कहा ओर यह आरोप लगाया कि उनके क्रियाकलाप उनके कोंसली हैसियत के अनुरूप नहीं थे। सरकार ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों के खिलाफ यह आरोप पूर्णतः बेबुनियाद हैं।

(ङ) पाकिस्तान की सरकार ने पिछले तीन वर्षों में चार विभिन्न अवसरों पर नौ भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है।

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध

559. **श्री ताराचंद खंडेलवाल :**

श्री जी. देवराय नायक :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री अम्बारासु इरा :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर बनाने के लिए बातचीत करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई सम्पर्क किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने गत छह माह में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस विवाद को सुलझाने के लिए नई शुरूआत करने क. और

(ड.) यदि हां, तो उक्त भाग (ख), (ग) और (घ) से संबंधित ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ङ). 19 अक्तूबर, 1993 को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को अपने संदेश में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी हित चिंता के सभी मसलों पर, जिसमें जम्मू और कश्मीर से संबंधित मस्ले भी शामिल हैं, विस्तृत एवं सतत् द्विपक्षीय विचार-विमर्श का प्रस्ताव किया था।

पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने यह उत्तर दिया था कि पाकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए कश्मीर तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सार्थक विचार-विमर्श के लिए तैयार है।

भारत तथा पाकिस्तान की सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 1993 को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में इस बात की पुनः पुष्टि की गई थी कि शिमला समझौते के अनुरूप दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर का विचार-विमर्श इस्लामाबाद में 1 से 3 जनवरी, 1994 तक होगा।

[हिन्दी]

सिंगापुर में भारतीय श्रमिक

560. **श्री मृत्युन्जय नायक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1993 के दौरान सिंगापुर में एक डकैती में कुछ भारतीय श्रमिक मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मृतकों के शवों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं;

(ग) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को कोई अनुग्रह राशि दी है अथवा इस संबंध में सिंगापुर सरकार से कोई अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) सिंगापुर में 17.9.93 को डकैती की एक वारदात में दो भारतीय उस समय मारे गए जब अज्ञात व्यक्तियों ने एक निर्माण कंपनी के निर्माण स्थल को लूटने का प्रयास किया। निर्माण कार्य करने वाले कारीगर के रूप में नियोजित तीन भारतीयों पर, जो उस समय निर्माण स्थल कार्यालय में सो रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण किया। एक भारतीय राष्ट्रिक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई जबकि

दूसरे की मृत्यु अस्पताल में हुई। तीसरा भारतीय बच गया। मृत व्यक्तियों के नाम हैं : वलैसामी अरियन, उम्र 31 वर्ष और चोकालिंगम अरूमुगम, उम्र 30 वर्ष। मृत व्यक्तियों के शव नियोक्ता द्वारा तत्काल हवाई जहाज से भारत भेज दिए गए थे। सिंगापुर स्थित हमारे हाई कमीशन ने आवश्यक परामर्शी सेवाएं प्रदान कीं।

(ग) सिंगापुर की सरकार मृत भारतीयों के परिवार को विधि सम्मत उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के बाद, बीमा राशि का भुगतान करेगा। सिंगापुर स्थित भारत हाई कमीशन ने 19 नवम्बर, 1993 को इन मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों से अनुरोध किया है कि वे इस बात का दस्तावेजी प्रमाण पेश करें वे मृतकों के विधि सम्मत उत्तराधिकारी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाहनों के मीटर

561. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में बड़ी संख्या में तिपहिया वाहनों तथा टैक्सियों के मीटर ज्यादा किराया दर्शाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया, और

(ग) ऐसे तिपहिया वाहनों तथा टैक्सियों के चालकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) : जी नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि पिछले 6 महीने में ऐसे किसी मामले का पता नहीं लगा। तथापि, इस अवधि में प्रवर्तन स्टाफ ने दिल्ली यातायात पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अचानक छापे मारे/जांच की और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की सड़कों पर 5907 टैक्सियों और आटोरिक्शा की जांच/निरीक्षण किया गया। इनमें से 1407 टैक्सी और आटोरिक्शा ऐसे थे जिनके भाड़ा-मीटर आवधिक रूप से सत्यापित नहीं हुए थे और जिनमें विभाग द्वारा लगाई गई सील टूटी हुई मिली। दिल्ली पुलिस ने मौके पर ही उनका चालान कर दिया। जिन मामलों में चालक, मामले से सहमत नहीं होता, इन मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा चालन अदालत में भेज दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में पुलों की मरम्मत

562. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितने पुल ढहे;

(ख) इस बीच उनमें से कितने पुलों की मरम्मत की जा चुकी है और शेष पुलों की मरम्मत कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) मरम्मत कार्यों पर कुल कितना खर्च होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई पुल ध्वस्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान का विश्व के देशों से भारत पर दबाव डालने के लिए अनुरोध

563. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ भारत द्वारा ठोस वार्ता आरंभ करने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पत्र द्वारा आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उपरोक्त पहल के संबंध में किसी देश से पत्र अथवा संदेश प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार शिमला समझौते के प्रति बचनबद्ध है जिसके अन्तर्गत भारत-पाकिस्तान के बीच सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक तरीके से तथा द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाना है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जाली ड्राइविंग लाइसेंस

565. **श्री गुरुदास कामत** :

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1993 को द पायनियर में "90% रेडलाइन ड्राइवर्स हैव फेक लाइसेंसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने 28 अक्तूबर, 1993 को किए गए एक सर्वेक्षण के जरिए समाचार की जांच की। सर्वेक्षित 613 बसों में से केवल 33 ड्राईवरों के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से भिन्न अन्य राज्यों द्वारा जारी लाईसेंस पाए गए। सर्वेक्षण के समय 16 ड्राइवरों के पास लाईसेंस नहीं थे। उन्हें अभियोजित किया गया।

(ग) परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ड्राईविंग लाईसेंसों के उपबंधों सहित मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन की आवधिक जांच करती है।

गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड

566. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितनी बिजली उत्पादित की;

(ख) क्या कुल उत्पादित बिजली राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी; और

(ग) यदि नहीं, तो गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को उपरोक्त अवधि में बिजली की सप्लाई करने वाले केन्द्रीय विद्युत घरों के नाम क्या हैं तथा सप्लाई की गई बिजली की मात्रा कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान गुजरात राज्य बिजली बोर्ड द्वारा, ऊर्जा का उत्पादन क्रमशः 17434 मि. यू. 18123 मि.यू. और 20304 मि.यू. था।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान गुजरात में विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

	1990-91	1991-92	1992-93
आवश्यकता	23305	25505	26500
उपलब्धता	22358	24417	25712
कमी	947	1088	788
%	4.1	4.3	3.0

(ग) पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से गुजरात द्वारा विद्युत की हकदारी की अपेक्षा वस्तुतः प्राप्त की गई विद्युत का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(सभी आंकड़े मि.यू. में)

केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्र का नाम	1990-91		1991-9_		1992-93	
	हकदारी	वास्तविक आह.ण	हकदारी	वास्तविक आहरण	हकदारी	वास्तविक आहरण
कोरवा/विन्ध्याचल ग्सटीपीएस	3552.9	3518.6	4318.1	4171.7	4174.9	3812.6
तारापुर एपीएस	859.2	859.2	772.2	772.2	876.3	876.3
कवास जीपीपी	-	-	-	-	531.5	448.8
काकरापार एपीपी	-	-	-	-	14.6	7.1

राष्ट्रीय मीडिया नीति

567. **श्री के. एच. मुनियप्पा** :

श्री वी. कृष्ण राव :

श्री के. जी. शिवप्पा :

क्य **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रोय मीडिया नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). इस समय, किसी प्रकार की राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार किए जाने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस विषय पर एक स्थितिपरक दस्तावेज/वर्किंग पेपर तैयार किए जाने हेतु इस मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की एक उप-समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में प्रचार-माध्यम विशेषज्ञों के विचार जानने के लिए उनसे भी परामर्श किया जाना है।

भारत-पाक वार्ता

568. **श्री रवि राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की लिमासूल में बैठक हुई थी तथा उन्होंने वहां विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक के क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के दौरान 24.10.93 को भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने लीमासोल में मुलाकात

की। विदेश सचिव ने सरकार की यह पेशकश पुनः दोहराई कि जम्मू-कश्मीर के मसले के सभी पहलुओं सहित आपसी हित चिंता के विषयों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सतत और व्यापक बातचीत होनी चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की 1-3 जनवरी, 1994 तक इस्लामाबाद में बैठक होगी।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी उद्योग

569. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** :

श्री राम कापसे :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग की रूग्णता के कारणों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित मुरारी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उम्मीद है कि समिति अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत कर देगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्य निष्पादन

570. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (प्रस्तावित) के दौरान कितना लाभ [illegible] कया;

(ख) इस [illegible] में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इकाइयों का तुलनात्मक उत्पादन कितना था; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में वर्ष वार विभिन्न इकाइयों में लगायी गयी मानव शक्ति का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) का 1991-92, 1992-93 के दौरान लाभ तथा 1993-94 के लिए अनुमानित लाभ इस प्रकार हैं :-

वर्ष	कर-पूर्व लाभ
	(करोड़ रुपये)
1991-92	367.30
1992-93	423.40
1993-94 (अनुमानित)	120.00

(ख) स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के एकीकृत इस्पात संयंत्रों का 1991-92, 1992-93 के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा 1993-94 के लिए अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है :-

वर्ष	उत्पादन (हजार टन)
1991-92	8028
1992-93	8335
1993-94 (योजना)	8600

(ग) 1.4.1991, 1.4.1992 तथा 1.4.93 की स्थिति के अनुसार स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की विभिन्न इकाइयों में जन शक्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	संयंत्र/इकाई	1.4.1991	1.4.1992	1.4.1993
(क)	**इस्पात संयंत्र**			
	भिलाई इस्पात संयंत्र	58406	57613	55975
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	29223	28823	29753
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	31701	31105	30523
	बोकारो इस्पात संयंत्र	47992	48341	48228
	मिश्र इस्पात संयंत्र	6834	6779	6888
	सेलम इस्पात संयंत्र	1360	1365	1344
	उप-योग (क)	175516	174026	172711
(ख)	**केन्द्रीय इकाइयां**			
	केन्द्रीय विपणन	4383	4301	4160
	कच्चा माल प्रभाग	18574	18450	18410

प्रगति प्रभाग	611[illegible]	[illegible]	5597
अन्य केन्द्रीय इकाइयां	2438	2486	2506
उप-योग (ख)	31510	31185	30673
योग (क + ख)	207026	205211	203384

विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद के कर्मचारी

571. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 1993 के दौरान विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद के कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी ट्रेड यूनियन ने इस बात से अवगत कराया है कि भारतीय विश्व कार्य परिषद की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है और उन्होंने यह मांग की है कि परिषद को पुनः सक्रिय बनाने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि सरकार इसे अपने अधिकार में ले ले। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय विश्व कार्य परिषद एक स्वायत निकाय है और ऐसी स्वायत निकायों को अपने अधिकार में लेने की सरकार की नीति नहीं है। तथापि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसका कार्य भारतीय विश्व कार्य परिषद को पेश आ रही समस्याओं की छानबीन करना तथा उनका समाधान सुझाना होगा। चूंकि, भारतीय विश्व कार्य परिषद एक स्वायत निकाय है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए किसी पर्यवेक्षी और सलाहकार समिति का गठन ऐसे संगठन के अनुरोध पर ही किया जा सकता है। इस समय सरकार परिषद के शासी निकाय को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास कर रही है कि वह एक संकल्प पारित करे जिसमें एक ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के लिए सरकार से अनुरोध किया गया हो। यदि यह समिति स्थापित हो जाती है तो वह ट्रेड यूनियन की शिकायतों, मांगों और आरोपों की जांच कर सकती है।

आतंकवादियों का सीमापार प्रशिक्षण

572. **श्री विलास मुत्तेमवार** :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्र संघ को आतंकवादी तत्वों को सीमापार, (पाकिस्तान) से आश्रय, प्रशिक्षण धन, उपकरण, हथियार प्राप्त करने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर राष्ट्रसंघ तथा अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास को विफल करने के लिए राष्ट्रसंघ में राजनयिक प्रयास भी शुरू कर दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) भारत सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसमें आपसी तौर पर सभी मसलों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श की व्यवस्था है। इस प्रकार सरकार ने पाकिस्तान से संबंधित मसलों को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की पहल नहीं की। तथापि, जब कभी भी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मंचों पर कश्मीर मसले को उठाया, हमने यह बात स्पष्ट की कि पाकिस्तान ने आतंकवादी तत्वों को निरंतर आश्रय, पैसा, हथियार और उपकरण दिए हैं।

(ख) से (घ). भारत सरकार द्वारा किए गए राजनयिक प्रयासों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान को आवश्यक समर्थन नहीं मिला और उसने आखिरकार कश्मीर में मानवाधिकारों पर यू.एन.जी.ए. की तृतीय समिति में प्रस्तावित संकल्प को पटल पर न रखने का निर्णय लिया।

भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग

573. **श्री चित्त बसु** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग को एक वाणिज्यक संगठन में परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में डाक सुविधाएं

574. **श्री बी. डेका** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के सभी गांवों में डाकघर की सुविधा उपलब्ध करायी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुविधा जिलावार कितने गांवों में उपलब्ध करायी गयी है और कितने गांवों में यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं करायी गई?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसे गांवों की जिलावार संख्या, जहां डाकघर हैं और जहां डाकघर नहीं हैं, संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

असम के उन गांवों की जिलावार संख्या का ब्यौरा, जहां डाकघर है और जहां डाकघर नहीं हैं

क्र.सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां डाकघर हैं	उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं
1.	बेरपेटा	188	848
2.	बोंगईगांव	115	764
3.	कछार	241	748
4.	दारांग	151	1167
5.	धेमगी	74	1037
6.	धुब्री	126	1168
7.	डिब्रूगढ़	112	1174
8.	गोलपाड़ा	95	650
9.	गोलाघाट	188	803
10.	हेलाकांडी	92	215
11.	जोरहाट	139	639
12.	कामरूप	205	1095
13.	करबी अंगलोंग	126	2380
14.	करीमगंज	127	757
15.	कोकराझार	101	925
16.	मोरीगांव	89	552
17.	नालबाड़ी	256	528
18.	एन.सी.हिल्स	67	455
19.	उत्तर लखीमपुर	170	951
20.	नौगांव	229	1231
21.	शिबसागर	240	612

1	2	3	4
22.	शोणितपुर	198	484
23.	तिनसुखिया	178	995

दूरसंचार विभाग (डॉट) का पुनर्गठन

575. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग को छह निगमों में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन कार्य की मुख्य बातें क्या हैं और देश में वर्तमान दूरसंचार व्यवस्था में इससे कितना सुधार आएगा; और

(ग) इसके वित्तीय ढांचा का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रेस सूचना ब्यूरो

576. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ बड़े शहरों में प्रेस सूचना ब्यूरो कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न समाचारपत्रों/पत्रकार संघों और जनप्रतिनिधियों का कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) समाचार पत्रों को प्रमाणिक सरकारी सूचना देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय के पास विभिन्न स्थानों सहित कुछ बड़ें शहरों में कार्यालय खोलने की स्कीम है। तथापि स्कीम का कार्यान्वयन धनराशि की उपलब्धता आदि पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस संक्षिप्त विवरणों के जरिए समाचारपत्रों को अधिप्रमाणिक सरकारी सूचना उपलब्ध की जाती है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन

577. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **संचार मंत्री** चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन के बारे में 16 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 में चंडीगढ़ में प्रस्तावित एक्सचेंज क्षमता के विस्तार का कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) लागू नहीं होता।

नेटवर्क मनोरंजन संबंधी कराधान

578. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल टी.वी. संचालकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि नेटवर्क मनोरंजन संबंधी किसी भी कराधान के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) मनोरंजन कर राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

सोना निकालना

579. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खोजी गयी सोने की खानों में सोना निकालने का कार्य गत दो वर्षों के दौरान शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी मात्रा में सोना निकाला जा चुका है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान, कोई नई स्वर्ण खान आरंभ नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

"नमस्कार सेवा"

580. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका की तरह "नमस्कार सेवा" का विस्तार एस.टी.डी. पर विश्व के अन्य भागों में भी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख). विश्व के अन्य भागों में एस.टी.डी. पर "नमस्कार सेवा" का विस्तार करना दो देशों के द्विपक्षीय करार पर निर्भर करता है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन पर विचार किया जाएगा

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पन-बिजली परियोजनाएं

581. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथोरागढ़ जिलों में स्थापित की गई अथवा किए जाने वाली पन-बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार तथा वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगयुया नायडू) : (क) इस समय सोबला पन-बिजली परियोजना (2 3 मे.वा.) उत्तर प्रदेश के जिला पिथोरागढ़ में क्रियान्वयनाधीन है और उ. प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ जिले में कोई अन्य पन-बिजली परियोजना स्थापित नहीं की जा रही है और न ही स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा सोबला पन-बिजली परियोजना के लिये 4.2 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। ब्यौरा निम्नानुसार है :

	उ.प्र. सरकार द्वारा आबंटित (रुपये लाख में)
1990-91	शून्य
1991-92	220
1992-93	200.5

(ग) परियोजना की सघन रूप से मानीटरिंग की जा रही है और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकार के साथ बैठक आयोजित की गई है।. परियोजना को वर्ष 1993-94 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

रेडियो पेजिंग सर्विस

582. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो पेजिंग सर्विस शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो रेडियो पेजिंग शुरू करने के पीछे मुख्य विचार क्या है; और

(ग) इसे कब से शुरू करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) रेडियो पेजिंग सेवा का उद्देश्य मुख्य कार्यक्रम को प्रभावित किए बिना आंकड़े संकेतों के सम्प्रेषण के लिए आकाशवाणी के एफ.एम. ट्रांसमीटरों पर उपलब्ध क्षमता का उपयोग करना है।

(ग) इस समय सेवा को शुरू करने की कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

583. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन लगाने के लिए जिला-वार प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्ति थे;

(ख) क्या वहां वर्तमान एक्सचेंजों में और अधिक टेलीफोन लाइन जोड़ने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां तो एक्सचेंज-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीफोन विभाग का विचार हैदराबाद में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हैदराबाद में 31 दिसम्बर, 1992 तक की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है। उपलबध होते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

दूरसंचार प्रणाली

584. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रणाली का रूपान्तरण करके इसे सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, बौद्धिक व ज्ञान प्रदत्त प्रणाली बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पारादीप के निकट कोयला प्रबंधन और परिवहन परियोजना

585. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप के निकट कोयला प्रबन्धन और परिवहन परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है अथवा अधिगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने लोग विस्थापित किये जायेंगे; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). जमीन का अधिग्रहण बहुत पहले किया गया था। पत्तन न्यास द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय अतिक्रमणकारी पहले ही मौजूद थे। लगभग 1700 परिवारों को विस्थापित किए जाने की संभावना है। पत्तन न्यास, उड़ीसा सरकार के मत्स्य विभाग और राज्य प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए गए हैं। चूंकि पुनर्वास प्रयोजन के लिए क्षेत्र पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं इसलिए पत्तन इस कारणवश किसी समस्या का सामना नहीं कर रहा है।

स्विस दल का पंजाब दौरा

586. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड की एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने पंजाब का दौरा किया है जैसा कि 15 सितम्बर, 1993 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) स्विटजरलैंड के न्याय तथा पुलिस मंत्रालय के दो- सदस्यों के दल ने 8 से 15 सितम्बर, 1993 तक भारत यात्रा की ताकि स्विटजरलैंड में शरण की मांग करने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में संगत जानकारी एकत्र की जा सके।

(ख) इस यात्रा का उद्देश्य भारत का स्तर "सुरक्षित देश" के रूप में बनाए रखना था जिसके आधार पर स्विटजरलैंड सरकार भारत से शरण मांगने वाले आवेदकों के इन दावों को अस्वीकार करती रही है कि उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाए।

स्विटजरलैंड दल ने विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए तथा चंडीगढ़ और अमृतसर की यात्रा भी की थी।

दूरदर्शन के नए चैनल

588. **श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा** :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दूरदर्शन द्वारा शुरू किये गये नए-चैनलों का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन क्षेत्रों में डिश-एन्टेना के बिना इन चैनलों के कार्यक्रमों को देखा जा सकता है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक से अधिक राज्यों में डिश एन्टेना के बिना मेट्रो चैनल सहित इन नए चैनलों के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :

1. मेट्रो (मनोरंजन चैनल) :- यह चैनल स्थलीय रूप से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, और लखनऊ में उपलब्ध है।
2. खेल चैनल
3. व्यापार समाचार तथा सामयिकी चैनल
4. ज्ञानवर्धक चैनल
5. संगीत चैनल

वर्तमान में ये चैनल स्थलीय रूप से केवल दिल्ली में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग). मैट्रो चैनल के स्थलीय प्रसारण के विस्तार हेतु अभिनिर्धारित किए गए कुछ शहर हैं- भोपाल, कटक, अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद, थिरुवनन्तपुरम, बंगलौर तथा जयपुर।

केरल में पासपोर्ट कार्यालय

589. **श्री पी. सी. थामस** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोचीन, त्रिवेन्द्रम और कालीकट के पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यकुशलता

में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट जारी करने की गति में कितना विकास हुआ है;

(ग) 15 नवम्बर, 1993 को इनमें से प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(घ) एक महीने में औसतन कितने पासपोर्ट जारी किए गये और प्रत्येक कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लिया गया;

(ङ) पासपोर्टों को तत्काल जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जायेंगे; और

(च) क्या सरकार का विचार 15 नवम्बर, 1993 को कार्य की स्थिति पर विचार करते हुए इन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 15 नवम्बर, 1993 को इन पासपोर्ट कार्यालयों में जो नए पासपोर्ट आवेदन लंबित थे उनकी संख्या इस प्रकार है:

कोचीन	-	20,168
कोजीकोड़	-	54,149
त्रिवेन्द्रम	-	13,754

(घ) इन कार्यालयों द्वारा 1993 में प्रतिमाह जो पासपोर्ट जारी किए गए, जनवरी से सितम्बर, 1993 के आंकड़ों के आधार पर उनकी संख्या लगभग इस प्रकार है:

कोचीन	-	15,600
कोजीकोड़	-	28,400
त्रिवेन्द्रम	-	17,500

प्रत्येक कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला अनुमानित समय, कार्यभार कर्मचारी संख्या इत्यादि के आधार पर अलग-अलग होता है। आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण होने की स्थिति में 15 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित कार्यालयों में पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला अनुमानित समय इस प्रकार था:

कोचीन	-	9 सप्ताह
कोजीकोड़	-	13 सप्ताह
त्रिवेन्द्रम	-	5 सप्ताह

(ङ) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने में शीघ्रता के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ ये उपाय भी शामिल है: कर्मचारी संख्या में बढ़ोत्तरी, पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आपूर्ति में वृद्धि, प्रोत्साहन योजना और उत्पादकता बढ़ाने और विलम्ब कम करने के लिए प्रणाली एंव क्रिया विधि की समीक्षा।

(च) सरकार कार्यभार के आधार पर समय-समय पर कर्मचारी संख्या का मूल्यांकन करती है और यथा संभव अपेक्षित कर्मचारियों की तैनाती करती है।

प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा

590. **श्री के. प्रधानी** :

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 1993 में ईरान की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो ईरानी नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत में कौन-कौन से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) जिस द्विपक्षीय समझौते/संधि/विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये गये उसका मोटे तौर पर ब्यौरा क्या है और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां,।

(ख) प्रधान मंत्री और ईरान के नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों की गहन समीक्षा की और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को तय किया और क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विशेषकर खाड़ी हिन्द महासागर तथा मध्य एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

प्रधान मंत्री की इस यात्रा से भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं तथा आपसी हित चिन्ता के अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसलों पर और अच्छी समझबूझ बनी है।

(ग) प्रधान मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें शीत युद्ध युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख मसलों पर दोनों देशों के विचारों का उल्लेख है।

प्रधान मंत्री की इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापन भी सम्पन्न हुए जिनमें से एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्धित है तथा दूसरा भूतल परिवहन और पारगमन सुविधाओं में सहयोग के सम्बन्ध में है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन में इस बात की व्यवस्था है कि एक दूसरे के यहां और अधिक संख्या में वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल भेजे जायेंगे तथा वैज्ञानिक कार्यशालाओं/विचारगोष्ठियों

आदि का आयोजन किया जाएगा। भूतल परिवहन और पारगमन सुविधाओं में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन में इस बात की व्यवस्था है कि सड़कों, रेल तथा पत्तन से सम्बद्ध आधारभूत संरचना का मिलकर विकास किया जाएगा जिसका उद्देश्य मध्य एशिया के राज्यों के साथ भारत और ईरान के व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

[हिन्दी]

इस्पात उद्योग के लिए स्थायी समिति का गठन

591. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात उद्योगों के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति का उद्देश्य इस्पात उद्योग की स्थिति की समीक्षा करना और मध्यम कालिक तथा दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित विभिन्न नीतिगत उपाय करने के लिए सरकार से सिफारिश करना है।

(ग) समिति का गठन दिनांक 15 अक्तूबर, 1993 के सरकारी आदेश संख्या 10 (20)/92-सेल के अन्तर्गत किया गया था।

[अनुवाद]

उत्तरी पावर ग्रिड का ठप्प होना

592. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **विद्युत मंत्री** 9 अगस्त, 1993 के तारांकित प्रश्न सं. 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6/7 जून, 1993 की रात को उत्तरी क्षेत्र की ग्रिड में गड़बड़ी के कारणों की जांच करने हेतु गठित समिति ने इस बीच अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी गड़बड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इन निष्कषों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समिति द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सिंगरौली 400 के.वी. स्विचयार्ड

की बस खराब हो जाने की इस गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है। तथापि, समिति का यह विचार है कि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे क्षेत्रीय ग्रिड को मध्य अवधि में पूर्णतः दोष विहिन बनाया जा सके। तथापि, समिति ने विभिन्न अल्प, मध्य तथा दीर्घ कालीन सिफारिशें की हैं जैसे दिल्ली के लिये आईलैंडिंग स्कीम में संशोधन करना, ग्रिड व्यवस्था बनाये रखना, कैपेसिटर लगाना, पारेषण व वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के बीच त्वरित संप्रेषण (इन्सटेट स्पीच कम्यूनिकेशन) सुविधा प्रदान करना, थर्मोविजन कैमरे का नियमित उपयोग करना आदि। इन सिफारिशों का क्रियान्वयन किये जाने के लिए इन्हें संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में लाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा कश्मीर मामले पर मध्यस्थता का प्रस्ताव

593. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने संगठन के कार्य के संबध में सितम्बर, 1993 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :

"......मैंने यह भी कहा है कि यदि दोनों देश अनुरोध करते हैं तो मैं चिरस्थायी समाधान की खोज को सुविधा जनक बनाने के लिए भरकस प्रयास करने को तैयार हूं। "सरकारी प्रवक्ता का वक्तव्य जिसमें भारत सरकार का उत्तर निहित है, इस धारणा की पुनःपुष्टि की गई है कि ऐसी बातचीत शिमला समझोते के भाव और भाषा के अनुरूप द्विपक्षी आधार पर की जानी चाहिए और इस संबंध में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

अमरीकी कम्पनी द्वारा चाकलेट का निर्माण

594. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका आधारित बहुराष्ट्रीय कम्पनी को भारत में चाकलेट निर्माण इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कम्पनी इस संबंध में किन-किन शर्तों पर सहमत हुई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख). मैसर्स मार्स इन्कार्पोरेटड, अमरीका को कोको पर आधारित कन्फेक्शनरी इसमें लघु उद्योग के लिए आरक्षित उत्पाद शामिल नहीं हैं, बनाने के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। कम्पनी की प्रदत्त पूंजी में 10.00 मिलियन अमरीकी डालर की 100% विदेशी इक्विटी होगी। यह मंजूरी निम्नलिखित शर्तों पर दी गई है :

(क) लाभांश की अदायगी के कारण बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को निर्यात से होने वाली आय द्वारा संतुलित किया जाएगा;

(ख) काम शुरू करने से कम से कम 5 वर्ष तक कोई लाभांश बाहर नहीं भेजा जाएगा और सारी आय का भारत में पुनः निवेश किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

595. **श्री बाबू हरि चौरे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को विशेष रूप से राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो मंचवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य सदस्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या भावी नीति बनायी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ). जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के तौर-तरीके तय करने और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सफाया करने के उपायों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्य में भारत सक्रियता से भाग लेता रहा है। इस संबंध में पारित संकल्पों में आतंकवाद के सभी रूपों की जिसमें राज्य-प्रायाजित अथवा राज्य सहायता प्राप्त अथवा दुष्प्रेरित आतंकवाद भी शामिल है, स्पष्ट रूप से निन्दा की गई। ये संकल्प भारत सहित सभी प्रतिनिधि मंडलों के व्यापक समर्थन एवं सर्वसम्मति के आधार पर तैयार किए गए हैं। भारत ने इस मसलें को 1992 में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में तथा 1993 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भी सफलतापूर्वक उठाया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की वित्तीय स्थिति

596. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इस समय संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एनटीपीसी को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगयुया नायडू) : (क) और (ख). राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बकाया राशियों का भुगतान न करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा नई परियोजनाओं के लिये निधियां उपलब्ध कराया जाना एक बाधा सिद्ध हो रही है।

(ग) बाजार के उधार प्राप्त करने के माध्यम से वर्ष 1993-94 के पूंजीगत कार्यक्रम के लिए निधियां उपलब्ध होने की संभावना है। अन्य उपायों में ये शामिल हैं; केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से वसूली करना, तत्काल भुगतान करवाने हेतु राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के साथ कार्यवाही

करना तथा चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में केन्द्रीय परियोजनाओं से होने वाली विद्युत आपूर्ति का नियंत्रण/अपवर्तन करना।

अमानुल्ला खान का प्रत्यर्पण

597. **श्री मोहन रावले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेल्जियम से अमानुल्ला खान का प्रत्यर्पण कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) अमानुल्ला खान के बेल्जियम से प्रत्यपर्ण का औपचारिक अनुरोध 29 अक्टूबर, 1993 को बेल्जियम की सरकार से किया गया है।

(ख) इस मामले पर आगे विचार वेल्जियम के अपीली-न्यायालय द्वारा किया जाना है।

रेड लाइन बसें

598. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** रेड लाइन बसों के बारे में 16 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3030 के उत्तर तथा 6.9.93 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एस टी ए डांसेज टू रेड लाइन ट्यून" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 3000 एस टी ए बसों को चलाने की योजना संबंधी पुस्तिका में यह कहा गया था कि बस मालिकों के अनुरोध पर बसों के मार्ग में परिवर्तन किया जा सकता है/आगे वढ़ाया जा सकता है/अन्य मार्गों पर चलाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो बस मालिकों के अनुरोध पर 974 रेड लाइन बसों के मार्ग में परिवर्तन करने का क्या कारण हैं;

(ग) उक्त समाचार के तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या इस मामलें की जांच करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने व्यक्तियों के पास इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक बस मार्ग हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विवरणिका में यह व्यवस्था है कि रूट यात्रियों की आवश्यकताओं, यातायात की स्थितियों और अन्य संगत तथ्यों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन के अध्यधीन होंगे।

(ख) कुछ रूट कार्यक्षम नहीं थे। जल भूतल परिवहन मंत्रालय और रा.प.प्रा. में अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि रूट परिवर्तित किए जाने चाहिए। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आर आई टी ई एस से रिपोर्ट प्राप्त होने तक आंबटित रूटों को अस्थायी तौर पर उपयुक्त रूप से संशोधित किया

जाए और इस तरह प्रचालकों के अनुरोध और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूटों को बढ़ाया गया। उनकी दिशा बदल दी गयी।

(ग) दिल्ली के परिवहन विभाग ने सूचित किया है कि समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि रूटों में आर्थिक विचार से परिवर्तन नहीं किया गया है और रूटों का इस्तेमाल नियमित रूप से यात्रियों द्वारा किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त पश्चिमी दिल्ली में बसों की संख्या 600 से बढ़ाकर 1100 नहीं की गयी थी लेकिन रूटों का विस्तार करके 600 से 800 की गयी थी। जून, 1993 से किसी रूट का विस्तार नहीं किया गया है।

(घ) उक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योजना के तहत केवल एक व्यक्ति को एक परमिट प्रदान किया गया है, इसलिए एक व्यक्ति के पास एक से अधिक रूट होने का प्रश्न नहीं उठता।

वैष्णो देवी मन्दिर तक सड़क का निर्माण

599. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माता वैष्णों देवी मन्दिर बोर्ड, जिसके अध्यक्ष जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं, ने यात्रियों के लाभ के लिए कटरा में बेस कैम्प से गुफा मन्दिर तक मोटर जाने योग्य सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). प्रश्नगत सड़क, केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं आती। तथापि, यह पता चला है कि माता वैष्णव देवी मन्दिर बोर्ड, ताराकोट पहाड़ी से होते हुए कटरा से भवन तक साफ मौसम के मानक वाली 2.0 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मोटर जाने योग्य सड़क के निर्माण को वित्त पोषित कर रहा है।

(ग) और (घ). हाल ही में कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है।

गंगाजल के बंटवारे पर त्रिपक्षीय बातचीत

600. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश नदियों के पानी के मामले में चर्चा में नेपाल को शामिल करने और इस मुद्दे पर त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करने पर भी जोर दे रहा है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी, हां। नेपाल

में भण्डारण बांधों के निर्माण का सुझाव देकर 1978 के बाद से बंगलादेश, नदी के पानी से संबंधित मसले को त्रिपक्षीय बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। नेपाल ने ऐसी बातचीत में शामिल होने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई है। सरकार बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श के जरिए जल के बंटवारे के संबंध में न्याय संगत, दीर्घावधि और व्यापक प्रबंध निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

इजराइल के साथ संबंध

601. **डा. रमेश चन्द्र तोमर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इजरायल के साथ आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ख) राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद इजरायल के साथ इस संबंध में कितनी आधिकारिक स्तर की वार्तायें हुई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) इजरायल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक करार तथा आर्थिक सहयोग से संबंद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ। इसके बाद सांस्कृतिक करार के अनुसरण में वर्ष 1994-96 के वर्षो के लिए सितम्बर, 1993 में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए थे। व्यापार करार तथा दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार के मसौदों का आदान-प्रदान किया जा चुका है जिन्हें यथासमय अंतिम रूप दिया जाएगा।.

(ख) जनवरी, 1992 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद इजरायल और भारत में अब तक अधिकारी स्तर की लगभग 20 वार्ताए हो चुकी हैं। (जिनमें मंत्री स्तरीय वार्ताएं भी शामिल हैं)। इन वार्ताओं में कृषि, पर्यटन, विज्ञान और प्रोद्योगिकी नागर विमानन, सांस्कृतिक तथा व्यापार के क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग

602. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान राज्य में पुराने राष्ट्रीय राजमार्गो को चौड़ा करने संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षो में उत्तर प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्गो को चौड़ा किए जाने के लिए 107.88 करोड़ रुपये लागत के 9 प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) 104.21 करोड़ रुपए के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है। 5 प्रस्ताव मंजूरी दिए

बिना उत्तर प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग को लौटा दिए गए हैं और एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

श्रीलंका द्वारा समुद्री सीमा में नौकाएं चलाने पर प्रतिबंध

603. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामयूया :

श्री बी. देवराजन :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री एन. डेनिस :

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने मन्नार से त्रिंकोमाली तक समुद्री सीमा में नौकाएं चलाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में हाल ही में कोई अध्यादेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को उस देश के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उस देश की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोली चलाये जाने की कितनी घटनाएं हुई तथा प्रत्येक घटना में कितने मछुआरे मारे गये; और

(च) सरकार ने प्रत्येक घटना के संबंध में तथा इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ). 1.9.1993 को श्रीलंका की सरकार ने एक सुरक्षा अध्यादेश प्रख्यापित किया, जिसमें श्रीलंका के प्रादेशिक समुद्र में एक निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा की गई जो पश्चिमी समुद्री तट पर मन्नार से लेकर पूर्वी समुद्री तट पर त्रिन्कोमलाई तक है। श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि यह कार्रवाई उसने सुरक्षा संबंधी कारणों से की है। भारत सरकार ने इस विनियम पर अपनी चिंता व्यक्त की है और श्रीलंका की सरकार को यह स्पष्ट किया है कि इस विनियम से भारतीय जलयानों की सीधी यात्रा के अधिकार में हस्तक्षेप होता है और यह विनियम कच्ची दीपू द्वीप तक पहुंचे के संबंध में हमारे मछेरों के उन पारम्परिक अधिकारों के खिलाफ है जिनकी गारंटी भारत तथा श्रीलंका के बीच सम्पन्न 1974 तथा 1976 के करारों के अधीन दी गई है।

17.9.1993 को श्रीलंका की सरकार ने नए उपायों के जरिए उपर्युक्त अध्यादेश का अधिक्रमण

किया जिनमें कच्चा टीवू तक पहुंचने के संबंध में भारतीय मछेरों के पारम्परिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। तथापि, नए उपायों से भी हमारी चिंताएं समाप्त नहीं होती हैं और इसलिए इस मामले को सरकार ने पुनः श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है। इस समय इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

(ङ) और (च). पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय मछेरों पर श्रीलंका की नौसेना द्वारा कथित गोली चलाए जाने की कुल 11 वारदातें सरकार की जानकारी में आई हैं। सरकार ने प्रत्येक वारदात को कड़ाई से श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है। श्रीलंका की सरकार ने इन वारदातों में से केवल एक वारदात में ही श्रीलंका के नौसेना द्वारा गोली चलाए जाने की पुष्टि की है और कहा है कि यह वारदात 1-2 सितम्बर, 1993 की रात्रि में हुई थी तथा इसमें दो भारतीय मछेरे जान से मारे गए थे। श्रीलंका के प्राधिकारियों के अनुसार यह वारदात पहचान की गलती से हुई थी इस मामले पर दोनों सरकारों के बीच 15.10.93 को दिल्ली में विदेश सचिवों के स्तर पर विचार-विमर्श हुआ था। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति प्रकट की थी कि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए प्रभावी उपाए करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

वाइस मेल सर्विस

604. **श्री महेश कनोडिया** :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई "वॉइस मेल सर्विस" शुरू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कब से और यह किस हद तक सफल हुई है;

(ग) इससे इस समय कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसके प्रचार के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग). वॉयस मेल सर्विस दिल्ली और बम्बई में 15 अगस्त, 1992 से चलाई गई है। अब तक दिल्ली में 305 ग्राहकों ने और बम्बई में 355 ग्राहकों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। यह सेवा सफलतापूर्वक प्रदान की जा रही है। फ्रैंचाइज आधार पर यह सेवा प्रदान किए जाने के लिए पंजीकृत कम्पनियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(घ) और (ङ). प्रेस, विज्ञपनों और प्रदर्शनियों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन के लिए सातवीं योजना परिव्यय

605. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की 20 वर्ष की रूपरेखा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार तथा परिवर्तन हेतु सातवीं योजना परिव्यय कितना है;

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ग) क्या सातवीं योजना में परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को खर्च कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गो के विस्तार और सुधार के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1494.11 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई थी।

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 1902 कि.मी. लम्बाई तक वृद्धि की गई थी।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय राजमार्गो से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर 1481.68 करोड़ रु. खर्च किए गए जो सातवीं योजना के दौरान किए गए आवंटनों के लगभग हैं।

कश्मीर पर टिप्पणी

606. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी राजदूत ने एक वक्तव्य में पाकिस्तान पर कश्मीर में उग्रवादियों की सहायता करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार को हाल ही में छपी इस आशय की खबरों की जानकारी है कि पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत ने अमरीका पर यह आरोप लगाया है कि वह कश्मीर में कार्यरत आतंकवादियों को सहायता दे रहा है। ऐसा बताया जाता है कि अक्तूबर, 1993 के अंत में पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत ने यूनियन को संबोधित

करते हुए पाकिस्तान की अंग्रेजी भाषी यूनियन करते हुए ऐसा कहा था।

(ग) हाल ही के वक्तव्यों के बावजूद तथ्य यह है कि 14 जुलाई, 1993 को अमरीका के विदेश मंत्री ने तथ्यों तथा कानून की पूर्ण समीक्षा करने के बाद यह तय किया कि उपलब्ध सूचना से अब इस बात का पता लगाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कार्यो को बार-बार सहायता देता रहा है।

विद्युत परियोजनाएं

607. **डा. डी. बेंकटेश्वर राव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वित्त वर्ष के आरम्भ तक प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता सहित कितने विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का विचार है;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(ग) ये परियोजनाएं किन राज्यों में स्थापित की जायेंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). 1993-94 के दौरान जिन विद्युत परियोजनाओं को चालू किये जाने का कार्यक्रम है इन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि संबंधी कार्यक्रम

क्र.सं.	परियोजना का नाम तथा यूनिट संख्या	ज.वि./ता.वि./न्यूक्लीय	राज्य/संगठन	क्षमता (मे.वा.)	अद्यतन अनुमानि लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	पम्पोर जीटी-1	ता.वि.	जे.एंड के.	25	142.00
2.	पम्पोर जीटी-2	ता.कि.	जे.एंड के.	25	
3.	सलाल एसटी-2-2	ज.वि.	जे.एंड के/एनएचपीसी	115	308.95
4.	सलाल एसटी-2-3	ज.वि.	जे.एंड के/एनएचपीसी	115	
5.	चमेरा एसटी-1-1	ज.वि.	हि.प्र/एनएचपीसी	180	2400.00
6.	चमेरा एसटी-1-2	ज.वि.	हि.प्र/एनएचपीसी	180	
7.	चमेरा एसटी-1-3	ज.वि.	हि.प्र/एनएचपीसी	180	
8.	दादरी एसटी-1	ता.वि.	उ.प्र./एनटीपीसी	146.5	979.20
9.	दादरी एसटी-2	ता.वि.	उ.प्र./एनटीपीसी	146.5	
10.	टांडा-4	ता.वि.	उ.प्र.	110	475.91
11.	अनपारा "बी"-4	ता.वि.	उ.प्र.	500	3825.00

1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	जोड़
	जल विद्युत	770	-	-	770
	ताप विद्युत	293	660	-	953
	न्यूक्लीय	-	-	-	-
	जोड़	1063	660	-	1723
पश्चिमी क्षेत्र					
12.	उमाण एसटी-1	ता.वि.	गुजरात/जीईएस	45	227.04
13.	वीरसिंहपुर-2	ता.वि.	म.प्र.	210	
14.	उराण डब्ल्यू.एच.-1	ता.वि.	महाराष्ट्र	120	
15.	उराण डब्ल्यू.एच.-2	ता.वि.	महाराष्ट्र	120	845.00
16.	ट्राम्बे सीसीजीटी जी टी-1	ता.वि.	महाराष्ट्र/निजी	100	510.00
17.	ककरापाड़-2	न्यूक्लीय	गुजरात/एनपीसी	220	745.00
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	जोड़
	जल विद्युत			-	-

1	2	3	4	5	6
	ताप विद्युत	-	495	100	595
	न्यूक्लीय	220	-	-	220
	जोड़	220	495	100	815
दक्षिणी क्षेत्र					
18.	पेन्ना अहोविलम-1	ज.वि.	आं.प्र.	10	18.60
19.	पेन्ना अहोविलम-2	ज.वि.	आं.प्र.	10	
20.	अपर सिलेरू चरण 2-1	ज.वि.	आं.प्र.	60	54.30
21.	अपर सिलेरू चरण 2-2	ज.विं.	आं.प्र.	60	
22.	रायलसीमा-1	ता.वि.	आं.प्र.	210	1273.00
23.	येलाहांका डीजी सैट-1	ता.वि.	कर्नाटक	21.32	282.98
24.	येलाहांका डीजी सैट-2	ता.वि.	कर्नाटक	21.32	
25.	येलाहांका डीजी सैट-3	ता.वि.	कर्नाटक	21.32	
26.	येलाहांका डीजी सैट-4	ता.वि.	कर्नाटक	21.32	
27.	येलाहांका डीजी सैट-5	ज.वि.	कर्नाटक	21.32	
28.	मालापुर-1	ज.वि.	कर्नाटक	4.5	20.40

1	2	3	4	5	6
29.	मालापुर-2	ज.वि.	कर्नाटक	4.5	
30.	कलाडा-1	ज.वि.	केरल	7.5	14.37
31.	कलाडा-2	ज.वि.	केरल	7.5	
32.	नैवेली-7	ता.वि.	तमिलनाडु/एनएलसी	210	941.57
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	जोड़
	जल विद्युत	-	164.0	-	164.0
	ताप विद्युत	210	316.6	-	526.6
	न्यूक्लीय	-	-	-	-
	जोड़	210	480.6	-	690.8
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
33.	कहलगांव-2	ता.वि.	बिहार/एनटीपीसी	210	1855.19
34.	तेनुघाट-1	ता.वि.	बिहार	210	835.00
35.	पूर्वी गंडक-1	ज.वि.	बिहार	5	52.56
36.	पूर्वी गंडक-2	ज.वि.	बिहार	5	
37.	पूर्वी गंडक-3	ज.वि.	बिहार	5	

1	2	3	4	5	6
38.	सोन पश्चिमी नहर-3	ज.वि.	बिहार	1.65	32.00
39.	फरक्का-5	ता.वि.	प.बंगाल/एनटीपीसी	500	603.65
40.	कोलाघाट-4	ता.पि.	प.बंगाल	210	1120.00
41.	अपर रॉगनीचू-3	ज.वि.	सिक्किम	2	828.32
42.	अपर रॉगनीचू-4	ज.वि.	सिक्किम	2	
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	जोड़
	जल विद्युत	-	20.65	-	20.65
	ताप विद्युत	710	420.0	-	1130.0
	न्यूक्लीय	-	-	-	-
	जोड़	71	440.65	-	1150.65
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र					
43.	लाकवा जीटी-5	ता.वि.	असम	20	90.30
44.	लाकवा जीटी-6	ता.वि.	असम	20	
45.	लाकवा जीटी-7	ता.वि.	असम	20	

1	2	3	4	5	6
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	जोड़
जल विद्युत		-	-	-	-
ताप विद्युत		-	60	-	60
न्यूक्लीय		-	-	-	- -
जोड़		-	60	-	60
अखिल भारत					
		केन्द्रीय	राज्य	निज़ी	जोड़
जल विद्युत		770	134.65	-	954.65
ताप विद्युत		1213	1951.6	100	3264.6
न्यूक्लीय		220.00	-	-	220.00
जोड़		2203	2136.25	100	4439.25

अखबारी कागज आयात नीति

608. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचारपत्र समिति ने सरकार से अखबारी कागज आयात नीति को अधिक उदार बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय समाचार पत्र समिति के प्रमुख के इस अनुरोध की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग). भारतीय समाचारपत्र सोसायटी द्वारा अखबारी कागज के आयात संबंधी नीति को और अधिक उदार बनाए जाने की मांग की जाती रही है। प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा और स्वदेशी अखबार उद्योग की उन्नति संबंधी अपनी नीति के अनुरूप सरकार द्वारा अखबारी कागज के आयात संबंधी अपनी उदारीकृत नीति को पहले ही 1 अप्रैल 1992 से लागू किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बकाया राशि का भुगतान

609. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की ओर गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि. तथा कोल इण्डिया लि. की गैस तथा कोयले की आपूर्ति की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या बकाया राशि अदा न करने के कारण गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि. ने राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों को गैस की आपूर्ति बन्द कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप उत्तरी ग्रिड में कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है;

(ङ) क्या राष्ट्रयी ताप विद्युत निगम द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करना ही दिल्ली तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व विद्युत संकट का मुख्य कारण है;

(च) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में कोई जांच कराने का आदेश दिया है और दोषी अधिकारियों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि. तथा कोल इण्डिया लि. की राशि का भुगतान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) एवं (ख). जी, हां।

दिनों 29.11.93 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की ओर मै. गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जी ए आई एल) का 81.02 करोड़ रुपये और कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल) का 78.72 करोड़ रुपये बकाया है।

(ग) और (घ). जी, हां। गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जी ए आई एल) ने उत्तर प्रदेश में दादरी अवस्थिति राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गैस पावर परियोजना को आपूर्ति रोक दी थी। उत्तर प्रदेश में औरेया जीपीपी और राजस्थान में अन्ता जीपीपी के लिए भी गैस की आपूति सीमित कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्र के इन संयंत्रों में 244.87 मि.यू. उत्पादन की हानि हुई थी।

(ङ) जी, नहीं। गैस आपूर्ति में कमी के बावजूद भी एनटीपीसी द्वारा समग्र उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप था।

(च) से (ज). एनटीपीसी की ओ मैसर्स गेल एवं सी आई एल (जीएआईएल एण्ड सीआईएल) की बकाया राशि मुख्यतः राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एनटीपीसी के देयों का भुगतान न करने के कारण उत्पन्न हुई। इसके बावजूद, एन टी पी सी द्वारा मे. गेल एण्ड सी आई एल की बकाया राशियों को सोपानवद्ध ढंग से कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

610. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1993 के "इंडियन एक्सप्रेस" में सड़क दुर्घटनाओं तथा रेड लाइन बसों के संबंध में प्रकाशित विभिन्न समाचारों की ओर आकृष्ट कियागया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में रेड लाइन सेवा सितम्बर,1992 में शुरू की गई थी। अब इन बसों की संख्या 2350 हो गई है। अंधाधुंध और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 30 अक्तूबर, 1993 तक रेड लाइन बसों से हुई 568 दुर्घटनाओं में 101 लोग मारे गए हैं।

(ग) रेड लाइन बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली तथा दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

विवरण

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली और दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. सार्वजनिक सेवा की वसों की ड्राइवरों के लिए नवम्बर, 1992 में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। बसों के ड्राइवरों की दक्षता परीक्षा ली गई। 1080 ड्राइवरों को अगस्त, 1993 तक

परिवहन विभाग के सरकारी मोटर चालन प्रशिक्षण स्कूल में पुनर्श्चया पाठ्यक्रम का पशिक्षण दिया गया था वे उन्होंने इसे स्कूल में दक्षता परीक्षा पास की।

2. दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक शिकायत कक्ष स्थापित किया और अप्रैल, 1993 से नवम्बर, 1993 तक के बीच की अवधि में ऐसी 82 रेड लाइन बसों के परमिटों को निलम्बित/रद्द किया गया जिनसे सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इसके अतिरिक्त समय सारिणी का पालन न करने और रूटों का उल्लंघन करने तथा दुर्व्यवहार की शिकायतों पर भी 17 रेड लाइन बसों के परमिट निलम्बित/रद्द किए गए। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस ने 1.1.1993 से 30.10.1993 तक विभिन्न अपराधों के लिए 65972 रेड लाइन बस ड्राइवरों को अभियोजित किया। परिवहन विभाग द्वारा अगस्त, 1993 तक रेड लाइन बसों के विरुद्ध 22000 अभियोजन किए गए। दिनांक 1.10.92 से 31.8.93 तक रेड लाइन बसों के अति तीव्र गति के 2982 मामलों में कागजात को परिबद्ध किया गया।

3. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने तथा वाहन की उपयुक्तता से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चत करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा उपाए किए गए हैं।

4. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी निम्नलिखित उपाए किए हैं :

   1. यातायात नियमों तथा विनियमों का कड़ा और सख्त पर्वतन।
   2. अंधाधुंध और लापरवाही से गाडी चलाने, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और लाल बत्ती पार करने आदि के विरुद्ध विशेष अभियान।
   3. नोटिस जारी करके उल्लंघन कर्ताओं का नियमित अभियोजन।
   4. दुर्घटना बहुल क्षेत्र में यातायात संकेत/ब्लिंकर लगाना।
   5. दुर्घटना बहुल क्षेत्र में अधिक यातायात पुलिसकर्मी तैनात करना।
   6. राष्ट्रीय राजमार्गो पर चलते-फिरते विशेष जांच-कार्य।
   7. अत्याधुनिक उपकरण अर्थात् अल्को मीटर और राडार गन के जरिए अभियोजन।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, रेल दुर्घटनाओं का मामला बहुत गंभीर है, इसके बारे में सदन को शीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : रेल मंत्री कहां हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी सवाल उठाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन पर चर्चा करने के लिए जरूर समय दिया जाएगा, पर एक के बाद एक मानीय सदस्य अपनी बात कहें, सब लोग एक साथ उठकर बात करेंगे तो नहीं होगा। शायद बीच के पीरियड में आप भूल गए होंगे कि हमने यह डिसाइड किया था कि 15-20 मिनट तक यह एक्टीविटी होगी, उसके बाद बाकी का काम चलेगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आधा घंटा।

अध्यक्ष महोदय : जिस विषय को आज नहीं लिया जा सकेगा, उसको कल भी लिया जा सकता है, इसलिए कृपया इस चीज को ध्यान में रख कर सब लोग कोआपरेट कीजिए। सायक्लोन का मसला बहुत अहम है, इसके बाद दूसरे विषय लेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. जी. नारायण (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, चक्रवाती तूफानों और बाढ़ के कारण तमिलनाडु में जन-धन की अपार हानि हुई है। तमिलनाडु के लोग पिछले 20 दिनों से दो बार चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कल तथा परसों चक्रवात ने 30 से अधिक जानें ले लीं। चक्रवात नागापट्टीनाम तथा थंजाबूर जिलों में आया तथा आधार-भूत सुविधाएं तबाह कर दी और हजारों पेड़ उखाड़ दिये। धान की खड़ी फसल को काफी क्षति पहुंची। हजारों लोग बेघर हो गये हैं। लगभग 30,000 झोंपड़ियाँ पूरी तरह नष्ट हा गई।

केवल तटीय जिलों में ही नहीं बल्कि बल्लालट तथ रामेसमय पदयाचिअर जिलों में भी दूरसंचार तथा विधुत प्रणालियां पूरी तहर प्रभावित हुई हैं। नागपट्टीनाम जिले में जाना बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि संपर्क-सड़कों में बहुत सी दरारें हैं तथा उखड़े हुए पेड़ों से भी सड़क अवरोध बन गए हैं। सारे नागापट्टीनाम जिले में यातायात पर सबसे अधिक असर हुआ है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर जा रही हैं। मुख्य मंत्री ने मृतकों के निकट संबंधी को 10,000 रुपये देने की स्वीकृति पहले ही दे दी है। दस दिन पहले नीलगिरी जिले में कूनूर के पास भूस्खलन के कारण 70 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गये। अनेकं झोंपड़ियाँ बह गई। यातायात बिल्कुल ठप्प हो गया। मदुरई जिलें में, हमारे 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। खड़ी फसल, सड़कों तथा पुलों को भारी क्षति पहुंची है। अतः प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमें एक मुश्त 500 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की जरूरत है। स्थिति का जायजा लेने तथा इसके कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक केन्दीय दल तुरन्त तमिलनाडु भेजा जाना चाहिये। मैं केन्द्रीय सरकार से राहत कार्य के लिए तुरन्त वित्तीय सहायता दिये जाने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरे विचार से चर्चा में कुछ समय लगेगा। मैं इसकी अनुमति दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

12.04 म.प.

मंत्री का परिचय

अध्यक्ष महोदय : आपकी अनुमति से, मैं प्रधान मंत्री को नये मंत्री का परिचय कराने की अनुमति देता हूं।

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : महोदय, मैं अपने वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी का परिचय वल्कि पुनः परिचय कराता हूं।

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : महोदय, मेरे मित्र द्वारा उठाए गए मामले के संबंध में मैंने अभी-अभी श्री बलराम जी से तत्काल वहां जाने का अनुरोध किया है। जब कार्य चल रहा है तो बाहर से लोगों का जाना ठीक नहीं है क्योंकि उससे वहां चल रही व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है। माननीय सदस्य ने कहा है कि मुख्य मंत्री भी कल दौरे पर जा रही हैं और उसके कुछ दिन बाद महोदय, मेरा भी वहां जाना हो सकता है। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयबाड़ा) : महोदय, आंध्र प्रदेश में धान की फसल को क्षति पहुंची है। **(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, मैंने कदम उठायें हैं। मैंने अपने दल के राहत-आयुक्त को पहले ही सक्रिय होने के लिए कह दिया है। वह सूचना प्राप्त करके रिपोर्ट देंगे। मैं स्वयं वहां जाऊंगा तथा हम इन सब बातों को समन्वित करेंगे।

दूसरे लातूर, जहां भूकम्प आया था की स्थिति के बारे में मैं कल एक वक्तव्य दूंगा ताकि हम उस पर भी पूर्ण चर्चा कर सकें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक अंतरिम वक्तव्य है। हम इस पर बाद में विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, तीन बम विस्फोट हो चुके हैं। कल जब राजधानी एक्सप्रेस मुम्बई से दिल्ली आ रही थी तो उस समय गाड़ी में बम-विस्फोट हुआ। पुनः हावड़ा से दिल्ली के बीच अन्य बम-विस्फोट हुआ। तीसरी गाड़ी में आग लगी थी। ये गंभीर बातें है। पिछले एक वर्ष में मुम्बई उपनगरीय गाड़ियों में 12 बम-विस्फोट हो चुके हैं और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। मेरे विचार से रेलवे की सुरक्षा का समुचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अतः मैं मांग करता हूं कि इन घटनाओं के बारे में तथा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था के बारे रेल मंत्री को अवश्य एक वक्तव्य देना चाहिये क्योंकि अगर यह राजधानी एक्सप्रैस, जहां प्रत्येक यात्री की जांच की जाती है, में ऐसा होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहां सुरक्षा नहीं है। अतः, मैं रेल मंत्री से वक्तव्य देने की मांग करता हूं तथा महोदय, आपको पूर्ण चर्चा की अनुमति देनी चाहिये क्योंकि बहुत सी दुर्घटनायें हो चुकी हैं। मुम्बई में बड़ी गंभीर दुर्घटना हुई थी, जिसमें 26 महिलों की मृत्यु हो गई थी। अतः रेलवे में हुई इन दुर्घटनाओं तथा बम-विस्फोटों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिये तथा मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये ताकि चर्चा लाभप्रद बन सके। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ती चटर्जी (दमदम) : महोदय, आपने उन्हें बुलाकर बहुत अच्छा किया क्योंकि वह सुबह इसी मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे थे। अब हमारे अधिकांश सांसद, जिन्होंने कल अपनी बात शुरू की थी तथा जिन्होंने सुबह यहां पहुंचना था पहुंच नहीं पायें हैं, वे 2 बजे के बाद पहुंचेंगे। अब यह इस मायने में भी बहुत गंभीर मामला है कि 6 दिसम्बर से यह मुम्बई से दिल्ली, हावड़ा से दिल्ली तथा हैदराबाद से, मैं नहीं जानता, कहां-कहां हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि अस्थिरता फैलाने वाली ताकतें, जिन्हें निर्वाचन में दबा दिया गया था, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं और महोदय, हम चाहते हैं कि रेल मंत्री महोदय को हमें इस सब के बारे में सूचित करना चाहिये। उन्होंने रेल गाडियों में सुरक्षा का बड़ा सही प्रश्न उठाया है। हवाई-अड्डों पर सुरक्षा-उपाय बहुतायत में हैं लेकिन इन गाड़ियों और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कुछ भी नहीं हैं। अतः हमारा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे यहाँ आयें और यह स्पष्ट करें कि वह भविष्य में किस प्रकार की व्यवस्थायें और सुरक्षा उपाय करने जा रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस विषय पर वक्तव्य देंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, लेकिन वहां पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और दो घंटे तक घायलों को नहीं संभाला गया। . ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : इस सदन में .....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

12.11 म.प.

6 दिसम्बर को अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किए जाने के बारे में

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज 6 दिसम्बर है और ऐसा पवित्र दिन था जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था लेकिन उसी दिन बावरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया गया। आज हमें इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में सेक्युलर गवर्मेंट कायम हो चुकी है इसलिए मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की घटना को एक साल हो

** कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया है लेकिन भारत सरकार ने अयोध्या विवाद को निपटाने में कोई पहल नहीं की है।

यह हमारा भारत सरकार के ऊपर चार्ज है। इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने बार-बार इस सदन में मांग की कि जो आपने धारा 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस रेफर किया है उसको बदलकर धारा 138 (2) के तहत रेफर करें। जिससे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सके, राय न दे।

हमें याद है कि प्रधान मंत्रीजी ने इसी सदन में रेकार्ड पर कहा था कि चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह तैयार नहीं थी इसलिए उन्होंने धारा 143 के तहत रेफर किया था। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रपति शासन है इसलिए 138 (2) के तहत रेफर करें। भारत सरकार चुप रही। एक साल बीत जाने पर हम सरकार से फिर मांग करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस रेफर किया है उसको वापस लीजिए और धारा 138 (2) के तहत रेफर करें। जिससे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे और जो भी उसका वर्डिक्ट हो सरकार उसको लागू कराने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार अनुरोध करे कि जितनी जल्दी हो इस अयोध्या विवाद के सम्बन्ध में निर्णय देने का काम करें। गृह मंत्री बैठे हुए है हम जानना चाहेंगे कि एक साल बीत जाने के बाद सरकार क्यों मौन धारण किये बैठी हुई है।

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नान): महोदय, आज 6 दिसंबर, 1993 है। पिछले वर्ष आज ही के दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। वह देश के इतिहास का सबसे खराब दिन था और उसने पूरे विश्व में हमारी छवि को धूमिल कर दिया और हमारे संविधान के धर्म-निरपेक्ष रूप को छिन्न-भिन्न कर दिया। उस वक्त, उसी दिन सभी मुसलमान सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से मिला था। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से तथा दृढ़ता पूर्वक यह वचन दिया था कि मस्जिद का उसी स्थान पर निर्माण किंया जायेगा। उन्होंने कहा था कि इसका पुनर्निर्माण होगा। अभी तक, यह कार्य नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री ने बाबरी मस्जिद नहीं बनाकर न केवल राष्ट्र को धोखा दिया है, बल्कि वह 15 अगस्त को किए गये अपने वायदे को भी निभाने में असमर्थ रहे हैं। 15 अगस्त, 1992 को लाल किले से उन्होंने घोषणा की तथा बाद में सभी प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि मस्जिद की सुरक्षा की जायेगी लेकिन उन्होंने अपना वायदा नहीं निभाया और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र को धोखा दिया। इसलिए हमने भी 6 दिसम्बर को उनसे कह दिया कि हमें उनमें कोई विश्वास नहीं है और चूंकि उन्होंने राष्ट्र को धोखा दिया है अतः उन्हें पद-त्याग कर चले जाना चाहिये। उस समय प्रधान मंत्री ने वायदा किया था कि मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जायेगा। लेकिन वह अभी तक नहीं किया गया है। अब एक वर्ष बीत चुका है लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ, मस्जिद वाली जगह को अधिग्रहित करके तथा इस मामले को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को उसकी राय के लिए भेजकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। हम चाहते हैं कि तत्काल उसी स्थान पर मस्जिद बनाई जानी चाहिये और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए उसको किया गया अनुरोध वापस लिया जाना चाहिये। मस्जिद स्थल को अधिग्रहित करने सम्बन्धी आदेश को भी वापस लिया जाना चाहिये। हमें यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि मस्जिद उसी स्थान पर बनाई जायेगी। इस प्रकार देश में धर्मनिरपेक्षता की पुनर्स्थापना होगी तथा सांप्रदायिक सौहार्द होगा। गृह मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मेरी मांग है कि वे वक्तव्य दें और जवाब दें।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : माननीय सदस्य ने अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराए जाने का उल्लेख किया है। लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि प्रधान

मंत्री की सूझबूझ के कारण ही हजरत बल दरगाह को बचा सके। एक परिपक्व राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्हें उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिये थी। इस महान सभा में प्रत्येक सदस्य जानता है कि हजरत बल दरगाह का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस मुद्दे को सूझबूझ पूर्ण तरीके से हल करने की प्रशंसा करनी चाहिये। **(व्यवधान)**

दुर्भाग्य से, भारतीय जनता पार्टी, जो यह दावा करती है कि वह हमारी राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की बहुत बड़ी उद्धारक है, ने तुच्छ राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया। इस महान सभा के माननीय सदस्यों को मालूम है कि उग्रवादियों ने हजरत बल दरगाह पर कब्जा करके उसमें पूजा-अर्चना के लिए मौजूद 70 निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया। लगभग डेढ़ महीने तक बातचीत चली। श्री लालकृष्ण अडवाणी जैसे कुछ राजनेता चाहते थे कि सैन्य बलों को मस्जिद में भेजा जाना चाहिये और उग्रवादियों को मार देना चाहिये। लेकिन प्रधान मंत्री महोदय बल-प्रयोग करना नहीं चाहते थे ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? ऐसे समय में आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं?

श्री अन्बारासु इरा : उन्हें इसकी प्रशंसा करनी चाहिये। यह एक राष्ट्रयी मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : सभी ने इसकी प्रशंसा की है। सभी ने आपकी भी प्रशंसा की है। कृपया बैठ जाइये।

श्री अन्बारासु इरा : मैं केवल एक मिनट और लूंगा। उग्रवादियों ने दरगाह के अन्दर एक इलेक्ट्रानिक किट लगा रखा था। यह स्तब्ध कर देने वाला समाचार है। कुछ पत्रकारों के वेश में ये मन्दिर में गये और पाकिस्तान के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ इलेक्ट्रानिक किट वहां स्थापित कर दिये। हम अपनी सेना के आभारी हैं कि उन्होंने इसका पता लगा लिया और उसको निष्क्रिय कर दिया अन्यथा मस्जिद में खून-खराबा हुआ होता। दुर्भाग्य से, भाजपा ने तो नारे लगाये कि "उग्रवादियों के लिए बिरयानी ....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप वास्तव में इस विषय पर चर्चा करने के इच्छुक हैं तो इसे समुचित रूप से उठाइये ताकि आप इसके साथ न्याय भी कर सकें। कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा मत डालिये।

श्री अन्बारासु इरा : महोदय, मैं सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल रहा हूं। सारी बात जो मैं करना चाहता हूं वह यह है कि इस सभा को हमारे परिपक्व प्रधान मंत्री, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल तथा सेना और अर्ध-सैनिक बलों द्वारा जो अच्छा दृष्टिकोण अपनाया गया, उसकी प्रशंसा करते हुए एक संकल्प पारित करना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आज एक बहुत ही घृणित कार्य, जो एक वर्ष पहले हुआ था, उसकी जयंती है। मैं बाबरी मस्जिद, इस देश के एक पूजा-स्थल को गिराने की बात कर रहा हूं। यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़ा शर्मनाक दिन था। देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध जानबूझ कर प्रयास किया गया था तथा इसके द्वारा राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाला सांप्रदायिक विष फैलाया गया था। महोदय, इस देश के बारे में सही सोच वाले लोगों ने उसका विरोध किया था तथा यह उम्मीद की थी कि अपराधियों को जितनी जल्दी हो सकेगा, सजी दी जायेगी ताकि इस प्रकार की घटना भविष्य में न होने पाये।

महोदय, इस देश के लोगों ने खुशी से सरकार द्वारा कार्यवाही करने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने स्वयं ही अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है तथा हमें उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देनी चाहिए कि जिन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से विभाजनकारी, विघटन वादी तथा सांप्रदायिक ताकतों को हटाया है। महोदय, हमें उन लोगों को सलाम करना चाहिये। जो बात सारे राष्ट्र को उद्वेलित कर रही है, वह यह है कि यह मुद्दा केन्द्र-सरकार द्वारा हल नहीं किया जा रहा है। केवल उच्चतम न्यायालय को भेजना ही काफी नहीं है। हरेक व्यक्ति जानता है कि इस मामले में केवल राय से ही कुछ नहीं होगा, लेकिन राय भी सामने नहीं आ रही है। हमने सरकार से बार-बार अनुरोध किया है। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय से भी अनुरोध किया है कि केवल राय पूछने की जरूरत नहीं है तथा जब तक संबंधित पक्ष इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में समर्थ नहीं है, सारा मसला न्यायपालिका द्वारा सुलझाया जाना चाहिये।

मैं नही जानता कि प्रधान मंत्री अभी निर्णय क्यों नहीं ले सकते। अब उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्य मंत्री की शुभकामनाओं का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जिसका वह पहले बहाना बना रहे थे। समय आ गया है, और लोग भी चाहते हैं जब अंतिम समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस देश में इस प्रकार की कोई घटना न घटे जो सारे विश्व के सम्मुख हमारी छवि को घूमिल करे। इस कृत्य से हमारी छवि धूमिल हो गई थी। लोग हमारा उपहास कर रहे थे, हम पर हंस रहे थे, यह कहकर कि, "क्या यह एक सभ्य राष्ट्र है जहां इस प्रकार की घटना हो सकती है।"

हमें पश्चाताप करना चाहिये। मतदाताओं ने अपना निर्णय दे दिया है। इसलिये सरकार को अपनी तन्द्रा भंग करनी होगी। 'मौनी बाबा' वाले रवैये से कुछ नहीं होगा। अतः कुछ कीजिये और इस मुद्दे पर एक बार अंतिम रूप से निर्णय कीजिये ताकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के स्वरूप को बनाये रख सके तथा देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखा जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मेरे सदस्य मित्र ने जो कुछ कहा है उसका समर्पन करते हुए मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा। मेरा विश्वास है कि सरकार, देश में गत वर्ष जो कुछ हुआ था, उसके आधार पर तनाव और असमंजस की स्थिति बनाये रखने की इच्छुक नहीं है। हरेक व्यक्ति चाहता है कि यह मामला संबंधित पक्षों द्वारा एक साथ आकर शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए या फिर उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा सुलझाया जाना चाहिये। तीसरा कोई रास्ता नहीं है।

अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री यथाशीघ्र इस सभा में वक्तव्य देने पर विचार करेंगे कि अयोध्या स्थल पर निर्माण अथवा पुनर्निर्माण के बारे में सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है। ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने पहले बहुत से वायदे किये थे और हम यह नहीं जानते कि उनका क्या हुआ।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने जो एक बहुत तर्क संगत और सरल समाधान प्रस्तावित किया है, अर्थात यह मामला अनुच्छेद 138 के तहत उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना चाहिये ताकि एक बाध्यकारी-निर्णण दिया जा सके, उसका क्या हुआ? इस समय जिस बात का उल्लेख किया गया है वह एक राय मत है जो किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं हो सकती। हरेक व्यक्ति इसे मानने अथवा न मानने के लिए स्वतंत्र है जिससे कि तनाव बना रहे। हम ऐसा नहीं चाहते। क्योंकि चुनावों के नतीजे चाहे जो हों, जनमत संग्रह जिसकी बात श्री आडवाणी कर हे हैं, का जवाब लोगों ने दे

दिया है। सिर्फ अयोध्या में ही वे अयोध्या क्षेत्र के सभी स्थानों में से केवल एक स्थान पर ही जीत सके। उससे स्पष्ट और क्या जनमत संग्रह होगा?

लेकिन अब इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए मैं प्रधान मंत्री से अनुराध करूंगा कि वे इसे अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय को भेजने के विषय को वापिस लेकर अनुच्छेद 138 के तहत भेजने के लिए निर्णय लेने के बारे में सभा को सूचित करें और एक ऐसा निर्णय होने दें जो सबके लिए बाध्यकारी हो, जिसका हरेक व्यक्ति सम्मान कर सके और अनुसरण कर सके।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, 6 दिसंबर की जो घटना हुई थी, उसका हमारी समाज वादी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कड़ा विरोध किया था। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जनता ने तो फैसला कर दिया और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उनको हराने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या में जहां वह घटना हुई थी वहां फैजाबाद की 9 सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन सरकार की तरफ से वहां जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके लिए उसकी तरफ से फैसला नहीं लिया गया है। जनता का फैसला आ गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो उसका रुख है, उसे तत्परता से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको बेनकाब करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आज हमारे राष्ट्र में हुए चुनावों में जनता ने कुछ इस तरह फैसला दिया है कि इसमें न कोई जीता है और न कोई हारा है। मैं महसूस करता हूं कि इससे देश में जो तनाव था वह बहुत कम हुआ है। सारे राष्ट्र ने इत्मीनान की सांस ली है और आज का दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। मेरे जैसा आदमी इसे अकेले बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन नहीं मानता है, बल्कि वहां संकटमोचन का मंदिर बाबरी मस्जिद से भी पुराना था, वहां सीता रसोई बाबरी मस्जिद से भी पुरानी थी, राम चबूतरा बाबरी मस्जिद के बाद का था। यानी हिन्दुस्तान के संविधान में कानून की जो मर्यादा थी, उसका हिन्दुस्तान की एक बड़ी और जिम्मेदार पार्टी के जरिये जो उल्लंघन हुआ था, वह हिन्दुस्तान भर के लोकतंत्र और लोकशाही के लिए शर्मनाक जरूर था। आज जनता ने जो फैसला दिया है, मैं नहीं मानता कि इसमें बहुत लोगों की बहुत बड़ी हार या जीत हुई है। इतना मैं मानता हूं कि देश की महान जनता ने हिन्दुस्तान में जिन बातों का हम फैसला नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने वह फैसला कर दिया है। इसके लिए इस सदन में भी हम जूझते रहे लेकिन फैसला नहीं कर पाए। मैं इस फैसले के लिए जनता को इस सदन की तरफ से बधाई देता हूं। आडवाणी जी हमारे सम्मानित नेता हैं। वह एक राह पर थे और हम लोग एक राह पर थे। यहां कोई रास्ता नहीं निकल रहा था लेकिन आज देश भर में इस दिन को मनाने के कई तौर-तरीके चले हुए हैं। अब फिर से विश्व हिन्दू परिषद ने 6 दिसम्बर को अयोध्या में जाने का फैसला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र और लोकशाही को लेकर इस देश में पहले से अनेकों बीमारियां है, हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना है लेकिन वह काम लोकतंत्र और लोकशाही की मर्यादा में हो। वहां पर फिर से पहुंचकर यदि कोई विवाद बनता है तो इस देश की जनता ने हमें जो तनाव-रहित किया है, चिन्ता-रहित किया है, हमें जो राह दिखायी है, उस राह को बिगाड़ने का हक हम लोगों को नहीं हैं और न भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि जो तनाव-रहित राष्ट्र बना है, राष्ट्र लोकतंत्र और लोकशाही की तरफ आया है, लोकतंत्र

और लोकशाही की मर्यादा में रहते हुए, हम अपने विचार के ऊपर चलें।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हिन्दुस्तान में सम्पूर्ण आजादी की लड़ाई की जो विचारधारा थी, उस पर संकट खड़ा था, इस देश के संविधान पर संकट खड़ा था, वह संकट आज दूर हुआ है। आज का दिन निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र और लोकशाही के लिये काला होगा, लेकिन जनता ने आज जो फैसला दिया है, वह फैसला हिन्दुस्तान में तनाव को घटाने का हुआ है। अब हम सब भाईयों का यह कर्तव्य है कि पार्टीज की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस तनाव को फिर से बनाने का काम हम न करें। मैं इस अवसर पर देश की महान जनता को और विशेषकर उत्तर प्रदेश की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं सदन की तरफ से कि उसने, जिन सवालों को हम हल नहीं कर सके, उसने हल कर दिया है। जैसा अभी हमारे साथी श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि संविधान की धारा 138(2) के तहत हमें यह मामला अदालत को देना चाहिए और अदालत जो फैसला करें, उसे हम सब लोगों को सख्ती से लागू करना चाहिये। सवाल हिन्दू और मुसलमान का नहीं है, सवाल कानून के राज का है और इसलिये सरकार को उठना चाहिये, इस मौके पर रैस्पोंड करना चाहिये। यह सजेस्शन देने का अवसर नहीं है बल्कि अदालत की तरफ से सम्पूर्ण फैसला आना चाहिये और उस फैसले को हमें सख्ती से, ताकत से लागू करना चाहिये। जनता ने हमें यही रास्ता दिखाया है कि मर्यादा में रहो, लोकतंत्र को बचाकर चलो और उस महान जनता को मैं नमस्कार करते हुये सरकार से कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर उसे खड़े होकर, ठीक जवाब देश को देने का काम करना चाहिए, देश को सही राह पर आगे ले जाने का काम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, तमिलनाडु के एक सम्माननीय सदस्य ने मेरा उल्लेख हजरतबल की उस घटना के संदर्भ में किया, मैं वही से आरम्भ करूंगा। मैं समझता हूं कि उपयुक्त होता यदि गृह मंत्री जी स्वयं इस बारे में सदन को विस्तारपूर्वक जानकारी देते क्योंकि आज प्रातःकाल ही, मैंने किसी अखबार में यह समाचार छपा देखा है कि वहां जितने उग्रवादी थे, जिन्होंने कि लगभग एक महीने तक हजरतबल पर कब्जा करके सारे देश को चुनौती देने का काम किया और दुनिया को यह बताते रहे कि नई दिल्ली का शासन श्रीनगर में नहीं चलता, हम जिस प्रकार चाहें, वैसे चला सकते हैं और जिन शर्तों पर चाहें हम भारत सरकार को झुका सकते हैं। फिर समझौते की बहुत चर्चा हुई और दुनियाभर में इस बात का ढिंढोरा पीटा गया कि बिना एक खून का कतरा बहाये हुए हमने विजय प्राप्त कर ली। उस समय देश के मन में जो आंशका थी, आज प्रातःकाल के समाचार से उसकी पुष्टि होती है जिसमें लिखा है कि केवल 6 लोगों के अतिरिक्त बाकी सबको छोड़ दिया गया है और उनके संबंध में भी यह संभावना है कि सदन का सत्र समाप्त होने के बाद, उन 6 को भी छोड़ दिया जायेगा। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या डील हुई लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि इस बारे में सदन को विश्वास में लिया जाये और मुझे जो आंशका थी कि उग्रवादियों का यह उद्देश्य था कि दुनियाभर को बताया जाये कि वहां पर केन्द्रीय सरकार का शासन नहीं है और सारे मामले को वे इंटरनेंशनेलाईज करना चाहते थे, मुझे लगता हैं कि उग्रवादियों को अपने उद्देश्यों में सफलता मिली है।

आज 6 दिसम्बर का उल्लेख भी यहां बहुत से मित्रों ने किया, स्वाभाविक है, 6 दिसम्बर का अलग महत्व होगा और यह भी कहा गया कि जो चीज सरकार को करनी चाहिये थी, जिसे सरकार नहीं कर पायी, उसे देश की जनता ने कर डाला है। मैं आरंभ में ही इस बात को स्वीकार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में जो अपेक्षाएं की थीं, चुनावों के परिणाम उसकी अपेक्षा के

अनुसार नहीं आये, हमारी अपेक्षा के विपरीत आये लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे मित्र शरद यादव जी का कथन ज्यादा सही है..

कि इसमें कोई यह निष्कर्ष निकाले कि हम जीत गए और वे हार गए या वे हार और हम जीत गए। **(व्यवधान)** जनता तो हमेशा जीतती है। इस नाते जीतती है कि अगर वह निर्णय करती है,

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : आपने उस आधार पर चुनाव लड़ा था। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, मैंने शुरू में ही कहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि चुनाव परिणाम मेरी आशाओं अथवा लक्ष्य के अनुरुप नहीं हैं यह मेरे लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम रहा है। लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

इन 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का स्टेक था। कुल मिलाकर के मेरे दल ने 3 करोड़ 57 लाख वोट प्राप्त किए हैं और कांग्रेस ने 2 करोड़ 59 लाख वोट प्राप्त किए हैं, महत्व की बात है, यानी 1 करोड़ वोट का अन्तर है और उत्तर प्रदेश में भी हमको यानी भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 83 लाख मत प्राप्त हुए हैं जबकि इस समय जो सरकार शासन में बैठी हुई है उसको 1 करोड़ 40 या 45 लाख मत प्राप्त हुए हैं और अगर जनता का निर्णय स्वीकार करना है तो इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को , जनता दल को, जो महत्वपूर्ण पार्टिया थीं, पूर्णतः अस्वीकार किया है, इस तथ्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

कम्युनिस्ट तो पहले भी नहीं थे, किसी न किसी बलबूते पर चलते हैं। वे जिन के बलबूते पर चलते हैं, वे भी फिसल गए। मैं मानता हूं कि आज जो बहस चल रही है इस विषय पर श्री शरद जी ने एक बात कही और उल्लेख किया स्वतंत्रता की लड़ाई का, उस समय जिन मूल्यों को लेकर हम चले थे उनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, उस समय भी वंदे मातरम् का विरोध करने वाले लोग थे, आज चाहे नहीं होंगे या कम होंगे, लेकिन उनकी आवाज बलवती होती जाए, इसमें जो भी सहयोग करते हैं वे कोई देश का हित नहीं कर रहे हैं, **(व्यवधान)**

श्री सैयद शहाबुद्दीन : इसलिए मस्जिद तोड़ दी जाए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं।

अध्यक्ष जी, अगर अदालतों के वक्तव्य भी देखें जाए तो किसी अदालत के निर्णय में उसको मस्जिद नहीं कहा है। यहां तक कि मेरे खिलाफ जो चार्जशीट लखनऊ अदालत में दाखिल हुई है और जिसमें कल में पेश होने के लिए जाऊंगा,

[अनुवाद]

उसको विवादित नये के रूप में वर्णन किया गया है। मेरे विचार में यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। सरकार की ओर से और सारे के सारे प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से 6 दिसम्बर के बाद से लगातार उसको मस्जिद कहकर हमने केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय नहीं किया है बल्कि सारे देश के साथ अन्याय किया है और दुनियां भर में हमने यह धारणा पैदा की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : चाहे जो भी हो, चाहे यह मस्जिद हो या मन्दिर; यह पूजा का स्थल था या नहीं? यह पूजा का स्थान था, जिसे आपने नष्ट किया। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इन्द्रजीत जी, गृह मंत्री महोदय जब वहां गये तो स्वयं उन्होंने वहां पूजा की थी और यह एक हिन्दू पूजा-स्थल का ढांचा था, जो विवादित था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर आपने इसे नष्ट क्यों किया? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपने इसे गिराया क्यों? **(व्यवधान)**

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : एक हिन्दू मन्दिर को गिराने का अधिकार आपको किसने दिया? **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किसी ने मुझे अधिकार नहीं दिया ....**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : देश की धर्मनिरपेक्षता विवादित है और इसलिए हमारा देश एक सांप्रदायिक देश बन गया है। क्या है यह। 'माटा विवाद' का अर्थ क्या हुआ? आप उस ढांचे को नहीं भूल सकते, जो वहां पर खड़ा हुआ था। यह पूजा-स्थल था। आडवाणी जी कह रहे हैं कि केवल विवादित ढांचा था। वह स्वयं इसे विवादित ढांचा नहीं बना सकते **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवाद किसने शुरू किया? यह कब शुरू हुआ? **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवांणी : इन्द्रजीत जी, मैं केवल यह कह रहा हूं कि मस्जिद के रूप में वर्णन न्यायालय तथा सरकार की व्याख्या के अनुसार भी गलत है ..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यदि वह मास्क होती तो कोर्ट कभी यह आदेश नहीं देती कि रामलला की मूर्ति वहां से न हटाई जाए। चाहे वह इनटेरिम आर्डर था लेकिन वह कोर्ट का आर्डर है।

[अनुवाद]

मैं केवल यही कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वही न्यायालय ने भी कहा है।

[हिन्दी]

जो लोग रोज हमको अदालत की दुहाई देते हैं, इस एक मामले में लगातार उसको मस्जिद कहकर आपने दुनियाभर में भारत की साख खराब की है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंह पुर) : आपने उसे नष्ट किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने कुछ भी नष्ट नहीं किया है। लेकिन, जिन्होंने यह किया है, उन्होंने एक ढांचा, मन्दिर का ढांचा नष्ट किया है। यह वस्तुतः मन्दिर ही था, जिसके ऊपर मस्जिद का ढांचा बना हुआ था। 1936 के पश्चात .....

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं आडवाणी जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिसप्यूट में न जाएं कि वह मास्क था या मन्दिर था। स्टे था, अदालत ने कह रखा था कि पूरा कौम्प्लैक्स सुरक्षित होना चाहिए। वह टूटा या नहीं टूटा?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि इसको विवाद में न लाएं, मैं कहता हूं कि अगर उसको मास्क न कहते तो शायद बंबई में दंगे नहीं होतें। देश में दंगे हुए, उन दंगों में यह बात थी। लेकिन मैं शरद जी की बात से सहमत हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : 1989 में भाजपा की ओर से सारे देश में जो रामशिला का कार्य किया गया था, उसमें बाबरी मस्जिद नाम आपने दिया था। दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो दिल्ली से जाकर अयोध्या में जमाज पढ़ने की बात करते थे, गणतंत्र का बहिष्कार भी किया था। 1986 से 1989 तक लगातार आपने ही बाबरी मस्जिद का नाम दिया था।

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : मैं आपका आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा, अगर उन्होंने मास्क न कहा होता तो बंबई के दंगे नहीं होते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सदन को सूचना देने की कृपा करें कि वह मन्दिर या मस्जिद जो भी था, यदि वह विवादित ढांचा न ढाया होता तो आज जो घटनाएं हो रही हैं उनका उनसे कोई संबंध होता या नहीं। पांच ट्रेनों में ब्लास्ट हो चुका है। ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं श्री आडवाणी जी से जानना चाहता हूं ......
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ कल के लिए भी छोड़ दीजिये। चलिये किसी और मद पर बात करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, उन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं श्री आडवाणी जी से यह जानना चाहता हूं कि चाहे यह मस्जिद हो या मन्दिर अथवा विवादित ढांचा, क्या गत वर्ष 6 दिसम्बर को जो कुछ वहां हुआ, वह इस धर्मनिरपेक्ष देश में सही बात थी। उन्हें साफ-साफ कहने दीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सुनियोजित था अथवा आकस्मिक?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने इस बारे में बहुत बार कहा है। मैं इसे फिर से दोहरा सकता हूं और उसी दिन मैंने कहा था और बाद में जो एक लंबा सा लेख मैंने लिखा था उसमें कहा था कि मैं उस घटना को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप इसकी निंदा करते है? **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसकी निंदा नहीं करता **(व्यवधान)**

मैं किसी की धौंस में आने वाला नहीं हूं।

[हिन्दी] .

आपनें तो बहुत से जोर कनडैम किया। लेकिन मैंने पहले जो कुछ कहा, उसे आज तक मेनटेन करता हूं।

[अनुवाद]

वह घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी।

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : अध्यक्ष महोदय......

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री साल्वे जी 6 दिसम्बर की घटना के लिए मैं मुख्यता आपकी सरकार को उत्तरदायी ठहराता हूं **(व्यवधान)**

श्री एन. के. पी. साल्वे : आप ऐसा कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी सरकार को उत्तरदायी ठहराता हूं।

श्री एन. के. पी. साल्वे : आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने सहयोगियों के सामने झुक सकता हूं जिनका सुदृढ़ दृष्टिकोण है और वह आपकी सरकार की तरह नहीं हैं।

[हिन्दी]

सुलेमान सेट जी ने आपसे वाल पूछा है, आप उनका जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

उन्होंनें कहा है कि आपकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : आप एप्रूव करते हैं या डिसएप्रूव करते हैं.... **(व्यवधान)**.. अनफॉरच्यूनेट की परिभाषा क्या है...**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने लिमिट में बात कही थी और मेरा आधार कोर्ट के निर्णय का है। यहां तक कि आज की चार्ज शीट मुझे यह एक्यूज करती है कि तुम लोगों के कारण, तुम्हारी कांसिपरेसी के कारण यह डिस्पूयटिड स्ट्रक्चर टूट गया।

[अनुवाद]

यह बहुत अच्छी बात है।

[हिन्दी]

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि 6 दिसम्बर को जो कुछ हुआ, उसको अगर हम इसी लाइट में लेंगे कॉसिपरेसी थी, फ़लां था, डिमका था,

[अनुवाद]

तब हम कहीं नहीं पहुचेंगें।

[हिन्दी]

उसमें जो लोग.....**(व्यवधान)** यहां कमीशन आफ इनक्वायरी नहीं है। कमीशन आफ इनक्वायरी को भी जवाब दूंगा। यहां की तरफ से उठाया. गया कि धारा 143 में न होकर धारा 138(2) में होना चाहिये। आश्चर्य की बात है कि यह वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने आर्डिनेन्स स्वीकार किया, बिल पास किया,

[अनुवाद]

जिसके अंतर्गत सभी लंबित मामले समाप्त हो जाते हैं, ताकि अनुच्छेद 138(2) के अतर्गत संदर्भ के लिए कुछ न रहे - सोमनाथ जी आपको बेहतर परामर्श देंगे।

[हिन्दी]

हमने इस आर्डिनेन्स और बिल का भी विरोध किया। हमने उस स्टेज पर भी धारा 138(2) का विरोध इसलिये किया था कि इसमें जो आज तक 40 साल से फैसला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़कर कर भी 20 साल और लगाये तो सारू सूट्स तय नहीं होंगे। हम जब सरकार में थे तो उस समय हमारी बात नहीं मानी। बाद में उनकी सरकार बन गई, उसके बाद आकर कहने लगे कि धारा 138(2) में नहीं कर रहे हैं धारा 143 में कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा।

[अनुवाद]

सरकार ने भी बाद में यही तर्क दिया था जब वह .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वह हाथ आपके साथ मिलाया हुआ है।

[अनुवाद]

मूल रूप से विशुद्ध कानूनी दृष्टि से अनुच्छेद 138(2) का कोई प्रश्न ही नहीं है। अनुच्छेद 143 के संबंध में भी कोई प्रश्न नहीं है। मैं नहीं जानता कि एक वर्ष के बाद भी क्यों कुछ नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है। श्री सुलेमान सेट द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं सरकार उनसे काफी घबराई हुई है। बहुत सी घोषणाएं और उद्घोषणाएं करने के बाद सरकार को यह कहने का क्या अधिकार है कि अब यदि उच्चतम न्यायालय इसे साबित कर देता है कि वहां पहले मन्दिर था इसलिए मन्दिर बनाया जाएगा और मस्जिद नहीं बनाई जाएगी?

सरकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे ...**(व्यवधान)** वास्तव में मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की तत्काल घोषणा करने को उचित ठहराया क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करते तो शायद पाकिस्तान के नवाब शरीफ ऐसी घोषणा कर देते। मुझे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का उत्तर दिया और यह उत्तर इंडिया टुडे के साथ साक्षात्कार में दिया गया था। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि जहां तक 6 दिसम्बर का संबंध हैं,

[हिन्दी]

भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल इन सब का यह कहना था कि जिस स्थान पर राजीव गांधी जी के शासन काल में शिलान्यास हुआ था, वहां उस मन्दिर का निर्माण शुरू हो जाये और तब यही आश्वासन साधु-संतों से बातचीत करके प्रधानमंत्री जी ने दिया था। अगर वह हो जाता तो 6 दिसम्बर की घटना नहीं होती लेकिन वह नहीं हुआ और सरकार ने इस मामले में कोई भी सहायता नहीं की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जल्दी से हो जाता, शीघ्रता से हो जाता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती। उस विलम्ब के कारण और सरकार की बाधाओं के कारण 6 दिसम्बर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिस को कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। इसको हमारे बहुत सारे सदस्य यह समझते हैं कि उस दिन सैकुलरवार का अंत हो गया। सैकुलरवाद हिन्दुस्तान में इतना कमजोर नहीं है कि एक ढ़ांचे के टूट जाने से टूट जाये। सैकुलरवार की जड़ें हमारी इन पोलिटिकल पार्टिज ने पैदा नहीं की। इसकी जड़ें यहां की परम्परा और यहां के इतिहास में हैं जो कि आदिकाल से चली आ रही हैं। राज्य कभी भी मजहबी राज्य नहीं होता है। मजहबी राज्य हिन्दुस्तान में नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण यह है तो यह भी मानना चाहिये,

कि अगर यह हिन्दू बहुल देश न होता तो यहां पर भी 1947 में मज़हबी राज्य बनता **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, यह सही नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपके सामने झुक नहीं रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हिन्दू राष्ट्र के मानी क्या हैं?

[अनुवाद]

आप हिन्दू राष्ट्र का नारा क्यों लगा रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको बताऊंगा। मैंने वह नारा नहीं लगाया है। 1947 में देश धर्म के नाम पर विभाजित हुआ था **(व्यवधान)**

मैंनें अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

महोदय, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली किन्तु उस समय विभाजन भी हुआ। देंश को धर्म के नाम पर विभाजित कर दिया गया। पाकिस्तान ने स्वयं को धर्मतंत्रीय देश घोषित कर लिया। यदि भारत ने ऐसा ही किया होता तो शायद विश्व उस पर आरोप नहीं लगाता लेकिन जो इस देश के

इतिहास, संस्कृति और परंपरा को समझते हैं वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अतः मेरा यह कहना है धर्मतंत्र भारतीय परम्परा व संस्कृति से अलग है। हम धर्मतंत्रीय देश नहीं बन सकते है। यह देश अपनी संस्कृति, इतिहास और परम्परा के कारण धर्मनिरपेक्ष है और सिद्धान्त रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक हिन्दू राष्ट्र है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप इसे बदलना चाहते हैं

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इसे बदलना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता की अलग ढंग से व्याख्या करते हैं वह इसे वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। वे कुछ वर्गों द्वारा की जा रही तीव्र प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। मैं इस प्रतिक्रिया को भी सही नहीं मानता हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि पिछले वर्ष 6 दिसम्बर को जो कुछ हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके लिए यदि कोई दल जिम्मेवार है तो वह केवल कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार है **(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, बात को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका उत्तर दिया जाए। वास्तव में मैं हजरत बल मुद्दे पर भी वक्तव्य देना चाहता था। लेकिन माननीय सदस्य आडवाणी जी ने यह आवश्यक समझा कि वह किसी न किसी रूप में यह मुद्दा उठाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि तमिलनाडु के माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत तौर पर मेरा उल्लेख नहीं किया होता तो मैं यह बात हरगिज नहीं उठाता।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, हमको भी बोलने का मौका दीजिए, आखिर हम कब से बैठे हुए हैं और आपसे चाह रहे हैं। 6 दिसम्बर का वाकया हुआ तो मस्जिद के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने तआकुन दिया था कि उसी मुकाम पर बनेगी। एक बरस का अर्सा हुआ लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। हमारा मुतालिबा है कि उसी मुकाम पर मस्जिद को बनाया जाये और सुप्रीम कोर्ट को जो रैफरेंस के लिए दिया गया है, इसको वापस लिया जाये और लखनऊ की अदालत में मुकदमा दिया जाए।

यह सारी बातें करने से और एक वर्ष गुजरने से आज पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर मुसलमानों के जज्बात वजू हो गये हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि इस तरीके की हरकत की जाय और हम लोग खामोश तमाशाई बने बैठे रहें।

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد) : اسپیکر صاحب ہم کو بھی بولنے کا موقع دیجئے آخر ہم کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے چاہ رہے ہیں - چھ دسمبر کا واقعہ ہوا تو مسجد کے بارے میں پرائم منسٹر نے تاکن دیا تھا کہ اسی مقام پر بنےگی- ایک برس کا عرصہ ہوا لیکن آج تککچھ نہیں کیا گیا- ہمارا مطالبہ ہے کہ اسی مقام پر مسجد کو بنایا جائے اور سپریم کورٹ کو جو ریفرینس کے لئے دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اور لکھنو کی عدالت میں مقدمہ دیا جائے -

یہ ساری باتیں کرنے سے اور ایک سال گزرنے سے آج پورے ہندوستان کےاندر مسلمانوں کے جذباتمجروح ہو گئے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اس طریقے کی حرکت کی جائے اور لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں -

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : चूंकि यह मुद्दा उठाया गया है इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता। महोदय, मैं किसी भी विरोध के भय के बिना यह कह सकता हूं कि जब हजरत बल के मुद्दे का समाधान किया गया था तो किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री और मैंने बार-बार कहा है कि कोई समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने बिना शर्त समर्पण किया था और उसके बावजूद भी यदि .....

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : फिर आपने सबको छोड़ क्यों दिया?

श्री एस.बी. चव्हाण : आपकी इच्छा के मुताबिक तो यहां पर डिबेट नहीं चल सकती।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय गृह मंत्री जी कृपया कुछ क्षण मुझे बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे जम्मू और कश्मीर सरकार तथा भारत सरकार के प्रवक्ता के अनेकों वक्तव्य याद हैं कि कानून के अनुसार कार्य होगा अर्थात् जो व्यक्ति इस कार्य में शामिल हैं, जिन्होंने बिना पासपोर्ट और वीजा के देश में प्रवेश किया है और जिनके पास हथियार हैं, आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र हैं और उन्होंने हजरत बल पर कब्जा कर लिया है और सरकार को पूरे एक माह तक हजरत बल मस्जिद को घेरने के लिए सेना का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है उनसे कानून के अनुसार ही निपटा जाएगा। क्या कानून के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है? यदि कानून के अनुसार कार्य होना था तो उन्हें छोड़ क्यों दिया गया? उन्हें पाकिस्तान वापस क्यों जाने दिया गया **(व्यवधान)**

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं नहीं समझता कि इसे नियमित बहस में बदलने का कोई कारण है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दें और यदि आवश्यक हो तो नियमित वक्तव्य दिया जा सकता हैं।

श्री एस. बी. चव्हाण : इसीलिए मैंने आवश्यक समझा कि मैं इसका उत्तर दूं। निश्चित रूप से यह सरकार की वचनबद्धता थी कि कानून के अनुसार कार्य किया जाएगा। न्यायालय के माध्यम से उन्होंने जमानत प्राप्त कर ली जिस पर आपत्ति की जा रही है। वास्तव में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए माननीय सदस्य यह कहें कि हमने कोई समझौता किया था और प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री द्वारा जो कुछ कहा गया है वह सही नहीं है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष जी, विदेशी उग्रवादी कैसे आ गए। भारत की सीमा में आकर और जब वे हजरत बल में चले गए, उस वक्त आपका विभाग क्या कर रहा था? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : माननीय सदस्य श्री आडवाणी जी ने कहा है कि वह 6 दिसम्बर, 1992 की घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। लेकिन वह इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहते कि

भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए क्या भूमिका निभाई। मैं सभी बातों को एक तरफ रखने के लिए तैयार हूं। माननीय सदस्य श्री आडवाणी को याद होगा कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद और इस सभा में कोई आश्वासन दिया था। क्या आपने उच्चतम न्यायालय को हलफनामा नहीं दिया था? अनेक हलफनामे दायक किए गए हैं और यह कहा गया है कि आप राष्ट्रीय एकता परिषद तथा उच्चतम न्यायालय को दिए गए वचन का पालन करेंगे। आपके तत्कालीन मुख्य मंत्री पूरे देश में घूम रहे हैं और खुले रूप से कह रहे है कि "मैं उत्तरदायी हूं, मैंने यह किया है।" आपको इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य श्री आडवाणी ने अब तक जो कुछ कहा है उससे इंकार करेंगें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह न केवल न्यायालय की अवमानना है बल्कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना की है।

श्री एस. बी. चव्हाण : हां, वह ऐसा कहने में गर्व महसूस करते हैं। वह पूरे देश में यह दिखाने के लिए घूम रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। अब आप इस सभा में कह रहे हैं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या आप इसकी निंदा करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते और आप यह धमकी देते हैं कि चूंकि साधुओं ने यह कहा था कि आप ऐसा करें तब आपने ऐसा किया। लेकिन आप उससे बंधे हुए नहीं हैं और आप कानून को अपने हाथ में लेने के लिए स्वतंत्र है तो यह सही नहीं है। आप ऐसा ही तर्क दे रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभा में ऐसी भाषा का उपयोग किया जाए कि चूंकि सरकार ने यह कार्य नहीं किया इसलिए मजबूर होकर हमने यह कार्य किया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप इस ढांचे को गिराने के लिए उत्तरदायी हैं **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गृह मंत्री जी, मेरी बातों को तोड़िए-मरोड़िए मत। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि जिन्होंने यह कार्य किया वे अत्यंत उत्तेजित थे क्योंकि न्यायालय ने कुछ बाधाएं खड़ी की थीं **(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने न्यायालय को दो वचन दिए थे और न्यायालय को दो वक्तव्य दिए। सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि वह ढांचे की रक्षा करेगें और दूसरे, वह बल प्रयोग नहीं करेंगे, वह कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाएंगे और जब उन्होंने देखा कि सभी कार्य साथ-साथ नहीं किए जा सकते हैं तो उन्हेांने अपने ऊपर इस बात का दायित्व लेते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया और आप लोगों की तरह नहीं कि **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि केवल पूजा की जा सकती है तो इतने लोगों को वहां क्यों लाया गया था? **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो नेता वहां उपस्थित थे उनका यह दायित्व था कि वह जनता को यह कहते कि वह ढाचें को गिराने से पहले उन्हें मारे। **(व्यवधान)**

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, इसमें दो और मुद्दे भी हैं जिन पर मैं तत्काल कुछ बोलना चाहता हूं। एक मुद्दा वह है जो माननीय सदस्य श्री इब्राहीम सुलेमान सेट ने उठाया है। मुझे विश्वास है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने मस्जिद को पुनः बनाने की घोषणा की थी। पुनर्निर्माण का अर्थ क्या हैं? मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि पुनर्निर्माण उसी स्थान पर किया जाएगा **(व्यवधान)**

श्री एस. बी. चव्हाण : आप प्रैस के बारे में बहुत सी बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप समाचार पत्र में हुई बातों में बहुत रुचि लेते हैं।

अनुच्छेद 143 का हवाला देते हुए, यह कोई नहीं कह सकता कि उसी स्थान पर मन्दिर बनेगा या मस्जिद बनेगी जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय नहीं दे देता। यह एक बहुत ही नाजुक मामला है। लेकिन बातों को इस ढंग से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है जो एक पार्टी या दूसरी पार्टी के अनुकूल है। मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करूंगा कि हमने अनुच्छेद 143 का हवाला दिया है और हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या उन्होंने उसी स्थान पर राम मन्दिर बनाने का वचन दिया हैं?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : उन्होनें कहा है कि उसका "पुनर्निर्माण किया जायेगा", पुनर्निर्माण से क्या अभिप्राय हैं?

श्री एस. बी. चव्हाण : इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि पुनर्निर्माण उसी स्थान पर किया जाएगा। **(व्यवधान)** यदि ऐसी बात है तो अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ को पहले वापिस लेना होगा। मेरे विचार से हमने ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार का निर्माण जो आप हम पर डालना चाहते हैं, उचित नहीं है। इसीलिए, हमें यह मुद्दा नितान्त रूप से स्पष्ट करना पड़ेगा हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय का और इसकी राय का इंतजार करना पड़ेगा।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसे सारा देश तथा समूचा विश्व जानता है। यह पूर्णतया अनुचित है कि गृह मंत्री द्वारा इस सदन में उस वक्तव्य की इस ढंग से व्याख्या की गयी है जो प्रत्येक व्यक्ति की समझ से बाहर है। मैं यह नहीं कहता कि वह वक्तव्य ठीक था या गलत था अथवा सरकार उस वक्तव्य पर कायम है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है कि जब श्री आडवाणी जी वक्तव्य देते हैं और हम कोई टोका-टिप्पणी करते हैं तो आडवाणी जी अपने शब्दों को जब चाहें जैसे चाहे बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी इस सदन की मान मर्यादा के लिए तथा समूचे देश की मान-मर्यादा के लिए जिम्मेदार हैं। अतः यदि उस वक्तव्य का अभिप्राय यह है जो गृहमंत्री कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को संसद में आना चाहिए और सब ठीक करना चाहिए क्योंकि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग यहां क्या कहते हैं या क्या बात करते हैं, लेकिन समूचे विश्व में सरकार की विश्वसनीयता पर पुनः प्रश्न चिन्ह लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा वही विचार है जो श्री शरद यादव ने सुझाव दिया है कि यह मामला फिर से विवाद का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ वायदे किये हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री ने कुछ आश्वासन दिये हैं। उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए और इस मामले को सुलझाने के लिए सामजस्य की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन फिर से इसमें भ्रान्तियां पैदा की जा रही हैं और सर्वाधिक भ्रान्ति सरकार की तरफ से उत्पन्न की जा रही है। दोनों तरफ से भ्रान्तियां पैदा की जा रही हैं। लेकिन उस तरफ से, मैं उलझन को समझ सकता हूं क्योंकि आडवाणी जी कहते है, यह एक विवादित ढांचा है लेकिन समूचा विश्व जानता है कि यह एक मस्जिद थी क्योंकि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इतिहास गवाह है। लोग समूचे विश्व के इतिहास को जानते है। अतः यह कोई चन्द्रशेखर या आडवाणी या नरसिंह राव का विनिर्णय नहीं हैं जिससे कोई अन्तर पड़नेवाला है। पिछले 400-500 वर्षों से, यह एक मस्जिद थी। यह हमेशा मस्जिद नहीं रही या लोग वहां नमाज नहीं पढ़ते थे, यह

एक अलग मुद्दा है। लेकिन समूचा विश्व जानता है कि यह एक मस्जिद थी। अतः भ्रान्ति नहीं है। चाहे आप इसे एक विवादित ढांचा या मस्जिद या रामलला का मन्दिर कहें। लेकिन हमें लोगों में भ्रान्ति नहीं फैलानी चाहिए। श्री आडवाणी, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शब्दों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए, मैं कहता हूं कि श्री चव्हाण, गृहमंत्री के रूप में आप को प्रधानमंत्री की घोषणा या वक्तव्य को इस तरह से प्रस्तुत करके भ्रान्ति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए इससे न केवल इस देश के लोगों के मन में भ्रान्ति उत्पन्न होती है बल्कि वे उत्तेजित हो जाते हैं, साथ ही दूसरे देश के लोगों में भी भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है **(व्यवधान)**

1.00 म.प.

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : श्री चन्द्रशेखर के बोलने के बाद, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि प्रधानमंत्री उस वक्तव्य को स्पष्ट करते हैं तो इसे उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में भेजने का क्या औचित्य है। फिर तो इस पर निर्णय हो जायेगा, आप इसे क्यों भेजते हैं?

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : अध्यक्ष महोदय, आप टी.वी. का कैसेट यहां मंगवाइए जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा यह बात कही गई है, लेकिन आज यहां पर इस तरह की बातें की जा रही है। यदि इस तरह से होगा तो हम यहां पर प्रिवलेंज का सवाल उठायेंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : अब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री के वक्तव्य के प्रसारण को यहां मंगवाया जाए। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सदन में, 6 दिसम्बर के बाद जो कुछ प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा है उसके रिकार्ड को देखा जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि इसे उसी स्थान पर फिर से बनाया जायेगा। उसके बाद उन्होंने कभी इसका खण्डन नहीं किया है।

श्री चन्द्रशेखर : प्रधानमंत्री 6 दिसम्बर को इस ढांचे को नहीं बचा सके। 7 दिसम्बर को प्रधानमंत्री द्वारा यह वक्तव्य देने से क्या अभिप्राय है कि इसे फिर से बनाया जायेगा? क्या इसमें कोई प्रांसगिकता है? क्या आप सोचते हैं कि आप को प्रधानमंत्री द्वारा इस विवादित मुद्दे पर वक्तव्य देने में कोई प्रांसगिकता नजर आती है। उन्होंने इसका उल्लेख क्यों किया? उन्होंने इसका हवाला इसलिए दिया कि उन्हें कुछ और समय मिल जाये। आप कोई ठोस निर्णय लेने में हिचकिचा रहे है और यदि सरकार कोई ठोस निर्णय लेती, तो मामला इतना जटिज नहीं बनता। आज श्री आडवाणी कह सकते है कि मैं कुछ समय के लिए सरकार में था लेकिन इसके साथ-साथ श्री आडवाणी इस मामले को अनुच्छेद 138 या 140 या किसी अन्य के अंतर्गत इसे भेजने के लिए सहमत हो गये थे और वे उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन आप उनके साथ कुछ और बात कर रहे थे और राष्ट्र को कुछ और कह रहे थे और इसी वजह से यह सारी उलझन पैदा हुई है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष माहदय, यह कहना कि जिस समय प्रधानमंत्री

जी ने वक्तव्य दिया था, उस समय उन्होंने क्या कहा था कि किस स्थान पर मस्जिद बनेगी, यह इशू नहीं है। विवाद का विषय नहीं है कि वहां मस्जिद बने या न बने, विवाद का विषय यह है कि कहां बने।

जहां तक मस्जिद बनाने का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर इस देश के मुसलमान, अयोध्या राम जन्म भूमि से दूर कहीं पर भी अच्छा स्थान चुन लें ओर वहां पर मस्जिद बनाने का निर्णय ले लें, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। **(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : हमें आडवाणी जी की मेहरबानी नहीं चाहिए, जहां पर मस्जिद थी, वहीं पर बननी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए आज कुछ लोग इस विषय पर बोलना चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा समय दिया गया। इसका लाभ तभी हो सकता है जब बोलने से इसका कुछ हल निकल आए। हम वर्डस पर प्ले नहीं करेंगे, सब्सटेंस पर प्ले करेंगे। अब किसके स्टेटमेंट का क्या मायना है, केबीनेट के स्टेंटमेंट का क्या मायना होता है, होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का क्या मायना होता है, इस पर हमको डिस्प्यूट नहीं करना है, बल्कि उसको इस ढंग से लेना है जो जस्टिस है, वो हो जाए। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

1.03 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 के द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

गृहमंत्री (श्री एस .बी. चव्हाण) : मैं लोगसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत मानव संरक्षण अध्यादेश, 1993 के द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 4544/93]

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अधीन अधिसूचना

मानव संसधान विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री पी.ए. संगमा की ओर से, मैं अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपध ारा (3) के अंतर्गत अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन ओर सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोध न) नियम, 1993, जो 25 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 4545/93]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन अधिसूचना तथा भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (ड्रेज मास्टर और ड्रेज मेट्स की जांच) संशोधन नियम, 1993, जो 14 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरकरण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4546/93]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4547/93]

(ख) (एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद (2) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4548/93]

(4) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4549/93]

(5) (एक) मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4550/93]

(6) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4551/93]

(7) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4552/93]

(8) (एक) मारमुगाव पत्तन न्यास, मारमुगाव के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमुगाव पत्तन न्यास, मारमुगाव के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4553/93]

(9) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4554/93]

(10) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4555/93]

(11) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4556/93]

(ख) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4557/93]

(ग) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4558/93]

(घ) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4559/93]

(ङ) (एक) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4560/93]

(च) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4561/93]

(छ) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1992-93 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4562/93]

राष्ट्रीय अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं राष्ट्रीय अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4563/93]

भारतीय कपास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन

कपड़ा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : मैं भारतीय कपास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4564/93]

भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से मैं भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4565/93]

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 1993, जो 15 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 684(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1993 जो 16 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 693(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4566/93]

मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अध्यादेश, 1993 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1993, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 28 सितम्बर, 1993 को प्रख्यापित मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 की संख्या 30)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4567/93]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 29 सितम्बर, 1993 को प्रख्यापित कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अध्यादेश, 1993 (1993 की संख्या 31)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4568/93]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्तूबर, 1993 को प्रख्यापित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 की संख्या 32)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4569/93]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर,1993 को प्रख्यापित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 की संख्या 33)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4570/93]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 27 अक्तूबर, 1993 को प्रख्यापित वाणिज्य यपोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 की संख्या 34)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4571/93]

(2) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विवरण संख्या 32 - पांचवा सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4572/93]

(दो) विवरण संख्या 32 - आठवां सत्र, भाग-2, 1987 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4573/93]

(तीन) विवरण संख्या 34 - नवां सत्र, 1987 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4574/93]

(चार) विवरण संख्या 35 - दसवां सत्र, 1988 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4575/93]

(पांच) विवरण संख्या 30 - ग्यारहवां सत्र, 1988 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4576/93]

(छः) विवरण संख्या 29 - तेरहवां सत्र, 1989 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4577/93]

(सात) विवरण संख्या 23 - चौदहवां सत्र, 1989 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4578/93]

(आठ) विवरण संख्या 24 - दूसरा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4579/93]

(नौ) विवरण संख्या 20 - तीसरा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4580/93]

(दस) विवरण संख्या 18 - छठा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4581/93]

(ग्यारह) विवरण संख्या 17 - सातवां सत्र, 1991 नौवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4582/93]

(बारह) विवरण संख्या 16 - पहला सत्र, 1991 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4583/93]

(तेरह) विवरण संख्या 13 - दूसरा सत्र, 1991 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4584/93]

(चौदह) विवरण संख्या 11 - तीसरा सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4585/93]

(पंद्रह) विवरण संख्या 9 - चौथा सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4586/93]

(सोलह) विवरण संख्या 6 - पांचवा सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4587/93]

(सत्रह) विवरण संख्या 5 - छठा सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4588/93]

(अठारह) विवरण संख्या 1 - सातवां सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4589/93]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : मैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1993-94 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 4590/93]

हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत उद्घोषणाएं

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत निम्नलिखित उद्घोषणाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी 3 दिसम्बर, 1993 की उद्घोषणा जो 3 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 15 दिसम्बर, 1992 को जारी की गयी पूर्व उद्घोषणा को रद्द किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4593/93]

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्देद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी 4 दिसम्बर, 1993 की उद्घोषणा जो 4 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 6 दिसम्बर, 1993 को जारी की गयी पूर्व उद्घोषणा को रद्द किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4594/93]

(तीन) राजस्थान राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी 4 दिसंबर, 1993 की उद्घोषणा जो 4 दिसंबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 15 दिसम्बर, 1992 को जारी की गयी पूर्व उद्घोषणा को रद्द किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4595/93]

1.04 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

डाक कर्मचारी संघों द्वारा हड़ताल की सूचना

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : महोदय, डाक कर्मचारियों के सभी ग्रेडों और विभागोत्तर एजेंटों के कर्मचारी संघों ने 7.12.93 से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मचारी

संघों ने एक 27 सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया है। कर्मचारी संघों के साथ डाक सेवा बोर्ड स्तर पर कई बार विचार-विमर्श हुआ और मैंने भी 2 दिसंबर, 1993 को उनके साथ इस विषय पर चर्चा की थी।

एक मुख्य मांग, लगभग तीन लाख विभागोत्तर एजेंटों के लिए वेतनमान और पेंशन, छुट्टी और निर्वाह भत्ता जैसे अन्य फायदों के संबंध में थी। ये विभागोत्तर एजेंट मुख्यतः अपने गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और उन्हें औसतन 3 घंटे के लिए अंशकालिक आधार पर रखा जाता है। ये लोग नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इन्हें इनके कार्य-भार के आधार पर भत्ता दिया जाता है और ये महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी आदि पाने के हकदार भी हैं। इन पर बीमा योजना भी लागू होती है। ये एजेंट डाक संबंधी अपने कार्य के अलावा अपना स्वयं का व्यवसाय अथवा काम-धंधा भी कर सकते हैं। सरकार ने चर्चा के दौरान विभिन्न मांगों पर विचार करने और प्रत्येक विभागोत्तर एजेंट को अंतरिम राहत के तौर पर तत्काल 35/- रु0 प्रतिमाह भुगतान करने के लिए एक स्वतंत्र अध्यक्ष के अधीन विभागोत्तर समिति गठिन करने का प्रस्ताव रखा है। अंतरिम राहत के तौर पर दी जाने वाली राशि से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष लगभग 13 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

कर्मचारी संघों की अन्य मांगों में, कुछ संवर्गों के वेतन मानों में संशोधन सहित कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडो को कई फायदे देने से संबंधित मांगें शामिल हैं। डाक विभाग में विवादों और शिकायतों को निपटाने के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र की एक स्कीम है जो काफी अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। सरकार चर्चा के दौरान, सद्भाव के रूप में, डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों पर काम करने वाले डाक सहायकों को तत्काल भत्ते के तौर पर 100 रुपये प्रतिमाह देने, डाकियों के अवकाश ड्यूटी भत्ते में वृद्धि करने और उन समूह "घ" कर्मचारियों को, जो समूह "ग" में पदोन्नत होने पर भी 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होंगे, राहत देने जैसी कुछ मांगों को मानने पर राजी हुई थी। उपर्युक्त तथ्यों को सामने रखते हुए और इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक अंतरिम राहत देने की घोषणा कर दी है तथा वेतनमानों में संशोधन आदि करने की सभी मांगों पर विचार करने के लिए पांचवें वेतन आयोग का गठन कर देने के बाद डाक कर्मचारियों का हड़ताल करने का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि इससे जनता को काफी कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।

मुझे विश्वास है कि डाक कर्मचारी इसे तर्कसंगत समझते हुए हड़ताल पर नहीं जाएंगे और विशेष रूप से तब जब कि मैंने यह आश्वासन दिया है कि उनके लिए बातचीत के सभी दरवाजें हमेशा खुले हुए हैं। तथापि यदि कल हड़ताल हो ही जाती है तो सरकार हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ, विद्यमान नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी और निष्ठावान कर्मचारियों की मदद से यथासंभव अधिक से अधिक डाक सेवाएं बहाल रखेगी। मुझे यकीन है कि डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए प्रस्तावित हड़ताल को नहीं होने देने में मुझे सभी माननीय संसद सदस्यों का सहयोग मिलेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने डाक कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में सूचना दी हुई है। **(व्यवधान)**

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं सरकार की आर्थिक समस्याओं को समझता हूं। मैं कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने का अनुमोदन भी नहीं करता। लेकिन इसके साथ-साथ ई.डी.स्टाफ की जो दुर्दशा हो रही है, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। उन्हें ओर अच्छी सुविधायें दी जानी चाहियें। उनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता है। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : डाक कर्मचारियों का केस भी बहुत भजबूत है। इसे भी इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने डाक कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में सूचना दी हुई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको कम से कम कुछ नियमों का पालन तो करना ही चाहिये। आप इस बात को इस तरह से नहीं उठा सकते। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं कियां जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : मैंने इस पर ध्यानाकर्षण की सूचना दी हुई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपके द्वारा केवल सूचना दिये जाने से मुझे उसे स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है।

1.05 म.प.

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 27 जुलाई, 1993 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित उन्नीस विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बेवता नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1993

(2) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1993

(3) बैंकों और वित्तीयं संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली विधेयक, 1993

(4) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक 1993

(5) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक (संशोधन) विधेयक, 1993

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

(6) संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 1993

(7) जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993

(8) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993

(9) राजस्थान विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993

(10) मध्य प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993

(11) उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993

(12) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1993

(13) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1993

(14) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1993

(15) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1993

(16) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग विधेयक, 1993

(17) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1993

(18) प्रत्यर्पण (संशोधन) विधेयक, 1993

(19) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1993

1.06 म.प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

01.06 1/4 म.प.

[अनुवाद]

गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : मैं मानव अधिकार आयोग विधेयक 1993 के बारे में गृह कार्य संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.06 1/2 म.प.

प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति

समिति में राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त किए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री राम निवास मिर्धा (बाड़मेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री यशवन्त सिंहा के राज्य सभा से त्याग-पत्र देने से प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने संबधी संयुक्त समिति में उत्पन्न रिक्ति के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री यशवन्त सिन्हा के राज्य सभा से त्याग-पत्र देने से प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में उत्पन्न रिक्ति के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री मिर्धा जी ने अभी-अभी जो प्रस्ताव रखा है वह प्रस्ताव संयुक्त संसदीय समिति में एक अस्थायी रिक्ति को भरने के बारे में हैं जो कि वास्तव में अजीब लगता है क्योंकि मेरी धारणा यह है कि संयुक्त संसदीय समिति ने अपना कार्य लगभग पूरा कर लिया है और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अब यह कार्य तब किया जा रहा है जबकि समिति की अवधि समाप्त होने को है। इसके लिये कोई तकनीकी आपत्ति तो नहीं की जा सकती। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा

कि प्रेस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट इस माह की 21 तारीख के आसपास इस सभा में प्रस्तुत की जानी है और इसके बाद यह सभा केवल दो दिन और चलेगी। इस सभा में, कम से कम इस सत्र में तो हमें यह अवसर मिलना ही चाहिये कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जा सके क्योंकि इसके बारे में देश में और बाहर काफी लंबे समय से चर्चा और बहस होती आ रही है ओर अगर हम संसद में इस पर चर्चा नहीं करते हैं तो इस से इस संसद की छवि खराब होती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस परिचर्चा के लिये 23 सितम्बर की तारीख निश्चित की जा सकती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और आखिरी दिन अगर कोई और कार्य आ जाता हैं तो यह सब यूं ही समाप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति को इसके लिये कोई दिन निश्चित करने पर विचार करना चाहिये। यदि संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट इससे पहले प्रस्तुत कर सकती है तो यह और भी अच्छा होगा। यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री यशवन्त सिन्हा के राज्य सभा से त्याग-पत्र देने से प्रतिभूतियों तथा बैंक संव्यवहार में हुई अनियमितताओं की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में उत्पन्न रिक्ति के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.07 म.प.

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को श्री मनमोहन सिंह की ओर से पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

01.07 1/4 म.प.

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं भरतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) श्री मनमोहन सिंह की ओर से सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 4591/93]

01.07 1/2 म.प.

मुख्य निर्वाचण आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक*

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 में संशोधन करने वालें विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अब बोलना चाहेंगें अथवा क्या हमें इसे मध्याह्न भोजन के पश्चात लेना चाहिये?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफ्फरपुर) : जी हां, महोदय, मध्याह्न योजना के पश्चात ही इसे लिया जाये। **(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : एक और विधेयक भी पुरःस्थापित किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इन्हें इस पर बोलना है।

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है, अब हम इस पर सभा की राय जान लेते हैं। इन्हें दूसरे सदन में भी जाना है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ये तो विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध कर रहे हैं और इसमें कुछ समय भी लगेगा। इस पर चर्चा की जाएगी। यही कठिनाई है। आपकी ओर से किसी

---

*दिनांक 6 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

अन्य सदस्य को अथवा संसदीय कार्य मंत्री को भी ऐसा करने के लिये अनुमत किया जा सकता है।

1.14 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिय 2.30 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.35 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.35 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

2.36 म.प.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य-निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक - जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 17 पर विचार करेगी। श्री जार्ज फर्नान्डीज बोल रहे थे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को पेश करने के विरोध में नोटिस दिया है और मैं दो बाते आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली यह कि मेरी मान्यता है कि यह विधेयक हमारे सदन के नियमों के अनुरूप नहीं बैठता है और दूसरी यह है कि संविधान की जो धाराएं हैं, उन धाराओं का इतना उल्लंघन इस विधेयक में हो रहा है कि इस विधेयक को यहां पर लाना संभव नहीं है, यह गलत होगा और पूरे संविधान के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ होगा।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते है कि इलेक्शन कमीशन संविधान की ओर से निर्मित एक संस्था तो जरूर है लेकिन वह किसी सरकारी संस्था के तौर पर नहीं है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप उसके कारोबार में नहीं किया जा सकता है। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने यह जो आर्डिनेन्स लाने का काम किया इसे लाने का उनका मतलब संविधान की इलेक्शन कमीशन के बारे में जो धाराएं थी, उसके अनुरूप कोई भी नया कानून या नया नियम यहां पर बनाना नहीं था, उनका उद्देश्य केवल बहुत ही संकुचित और अपनी दलीय राजनीति को आगे बढ़ाने तक सीमित था और यह पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि चुनाव आयोग के साथ पिछले एक लंबे अरसे से सरकार ने जो व्यवहार किया और जो रुख अपनाया है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाए वह कम है। चुनाव आयोग और विशेषकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनकी तरफ से किस तरह से बातें कही जाती हैं, वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, मैं उसके बारे में यहां पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, उस पर यहां बहस नहीं होनी चाहिए चूंकि उनके बारे में किसी भी बात को कहना हो तो हमें बाकायदा नोटिस देकर उस बात को लाना पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग ने जहां जहां भी ईमानदार और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए कदम उठाया है उसे असफल कैसे बनाया जाए यह सरकार की बदनीयत

रही है और यह जो आर्डिनेंस है, यह उसी का द्योतक है और आम तौर पर एक ऐसी समझ थी कि चार राज्यों के चुनाव समाप्त होने पर और उसके लिए जो आपने इस आर्डिनेंस के द्वारा कुछ कदम उठाए थे, उसका जो भी लाभ-नुकसान आपको मिलना था, उसके बाद आप इस और्डिनेंस को कानून बनाने के लिए आगे नहीं लाएंगे।

लेकिन हम सरकार के इस रुख से हैरान हैं कि कैसे उसने इस आर्डिनेंस को आज कानून के रूप में बदलने के लिये सदन के सामने पेश करना पसंद किया। उपाध्यक्ष जी, अगर आप इसकी धाराओं को देखें तो वे सब संविधान की 324(1),(2),(3),(4) और (5) धाराओं का उल्लंघन करती है। आज हमारे सामने इस प्रकार का एक विधेयक पेश करने का सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है जैसे कि धारा 324 संविधान में थी ही नहीं। हम जानना चाहेंगे कि आपको कहां से यह अधिकार मिला, कौन सी धारा के अंतर्गत आप इस और्डिनेंस को लाये, जिसके अंदर, संनिधान ने जो जिम्मेदारियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाली हैं, उन्हें तीन लोगों में बांट देने का काम किया है क्योंकि आपके इस विधयेक का अंततोगत्वा उद्देश्य यही है। मैं चैप्टर 3 पर बाद में आंऊगा जिसमें नियमों के बारे में कहा गया है। लेकिन इसके अंदर, जो आपके नये कानून का सैक्शन 4 है, जो बातें आपने लिखी हैं, उनके माध्यम से आपके केवल इतना ही बताने का काम किया है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर की जो औकात है, उनके जो अधिकार है, उनकी जो सुविधायें हैं, वे ही औकात, वे ही जिम्मेदारियां, वैसी ही सुविधायें आप इलेक्शन कमिश्नरों को देने का काम भी करेंगे। कानून में जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त करने का अधिकार था, वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या सुविधायें होगी और इलेक्शन कमिश्नर्स को क्या सुविधायें होंगी, वह सब पहले से स्पष्ट है और स्पष्टतः वह धारा 324(2) के साथ जुड़ा हुआ था कि जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना रहेगा, उनके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, उन्हें संसद द्वारा बनाये गये कानून के तहत राष्ट्रपति महोदय नियुक्त कर सकते हैं। आगे जाकर धारा 324(3) में बताया गया है कि जब एक और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का काम होता हो तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना रहेगा। इस बिल को लाने के पीछे आपका प्रयास इतना ही है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उसके अध्यक्ष बने ही रहेंगे, लेकिन जो दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर आपने बनाये, उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद थोड़ा ऊंचा रहेगा, आपने 1991 के शुरू में जो कानून बनाया था, उसे किस तरह से तोड़ा जाये, दो अन्य नियुक्तियां जो आपने की हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर कैसे लाया जाये, वही सारा आर्डिनेंस के जरिये से चला हुआ आपका प्रयास है जबकि ऐसा करने का, वर्तमान संविधान के चलते आपको कोई अधिकार नहीं था।

अब उनकी तन्ख्वाह वगैरह की बात छोटा विषय है लेकिन अंततोगत्वा उसका अपना महत्व रहता है - सरकार में और सरकार के बाहर भी उसका महत्व रहता है लेकिन इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्थान हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, उनको मिलने वाली सुविधायें और तनख्वाह आदि भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगी, जो इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह है या उनको मिलने वाली सुविधाओं का सवाल है, वे हाई कोर्ट के जज के बराबर होंगी, तो उसे बदलने का आपका मतलब इतना ही था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्थान को आप अन्य दो इलेक्शन कमिश्नरों के बराबर लाना चाहते हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से अगर देखा जाये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अन्य दो इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ लाकर बैठाना चाहते हैं। इस संबंध में, उपाध्यक्ष जी, बड़े अदब के साथ मेरा कहना है कि ऐसा करने का अधिकार सरकार को नहीं हैं क्योंकि हमारा संविधान इस मामले में बहुत स्पष्ट है और

संविधान की धारा 324(2) और (3) के चलते सरकार को किसी भी प्रकार का अधिकार मिलता नहीं है।

अब अध्यक्ष जी, मैं उस नियम की तरफ आता हूं, हमारे सदन के काम के लिए जो नियम हैं उनके अंतर्गत कैसे यह विधेयक आ ही नहीं सकता है। मैं आपका ध्यान नियम नंबर 80 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"किसी विधेयक के खण्डों या अनुसूचियों के संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :"

[हिन्दी]

अब मैं जानता हूं कि यह जो रूल 80 है, हम सदस्यों की ओर से किसी भी विधेयक में जो संशोधन देना है, उसके लिए है। जब सरकार कोई भी संशोधन करने वाला विधेयक लाएगी, जो विधेयक पहले से है, उसे संशोधन करने वाला विधेयक लाने से पहले, किस प्रकार का संशोधन उसमें हो सकता है, वह बात इसमें नहीं लिखी है, लेकिन चूंकि दूसरा कोई ऐसा नियम हमें नहीं मिला, मैंने पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस एंड प्रोसीजन भी पढ़ा, मैंने मेज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी पढ़ा, लेकिन मुझे यह नहीं मिला कि जब सरकार कोई विधेयक संशोधन करने के लिए लाए तो वह कैसे आना चाहिए। जब मुझे नहीं मिला, तो मैं मानकर चलता हूं कि रूल 80 लागू होगा और रूल 80 के तहत किस प्रकार से संशोधन दे सकते हैं और कौन सा संशोधन अध्यक्ष या उस संशोधन को स्वीकार करने वाला जो विभाग है, वह उसको अस्वीकार कर सकता है। अगर वे नियम एक संसद सदस्य पर लागू हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वे नियम सरकार के लिए भी उतने ही या उससे अधिक लागू होते हैं क्योंकि कानून बनाना और उसको लागू करना सरकार का काम है और यदि मेरे लिए कोई सीमाएं बांधी हैं तो वे सीमाएं सरकार के लिए भी हैं।

[अनुवाद]

अब रूल 80 यह कहता हैं :

"(एक) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो उसके विषय से संगत होगा।"

[हिन्दी]

अब अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कोल एंड शकधर की किताब के पेज नंबर 478 की ओर जो इस प्रकार है :

[अनुवाद]

प्रत्येक विधेयक का एक संक्षिप्त नाम होता है जिसमें बताया जाता है कि उस विधेयक का स्वरूप क्या है।

[हिन्दी]

मेरा आपसे यह आग्रह है कि जो विधेयक है, जिसको संशोधन करने के लिए आज सरकार आई है, वह विधेयक और उसका जो लोंग टाइटल है, वह यह है :

"मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक"

यानी जो विधेयक आपके पास पहले से है, वह है -

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991

अब इसका जो लोंग टाइटल है उसको आप देखिए, जिसको कि मैंने अभी पढ़कर सुना दिया, टाईटल और लौंग टाईटल की बात है, वे दोनों एक साथ मिलते हैं। इसका लौंग टाईटल है -

"मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तय करने तथा इससे संबंधित अथवा उत्पन्न मुद्दों को तय करने वाला अधिनियम"

अब इस विधेयक में आप संशोधन क्या ला रहे हैं, आप जो संशोधन ला रहे है उसका इस कानून की किसी भी धारा से कोई मतलब ही नहीं है। आप संशोधन ला रहे हैं कि इलैक्शन कमीशन अपने काम को किस तरह से चलाए और जो विधेयक है वह सर्विस कंडीशंज के बारे में है अर्थात् इन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसलिए जो विधेयक आपके पास पहले से पड़ा है उसको संशोधन के लिए लाना संभव नहीं है, यह मेरा कहना है।

अब मैं आपका ध्यान इसी कॉल एंड शकधर के पेज 509 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

किसी विधेयक के खण्डों तथा अनुसूचियों में किए जाने वाले संशोधनों की ग्राह्यता पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं :

(क) संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होना चाहिए और उस खण्ड के विषय में संगत होना चाहिए जिसके संबंध में वह रखा गया हो।'

[हिन्दी]

मैंने वह बात पहले ही आपके सामने रखी कि जो ओरिजनल बिल है, जिसका आप संशोधन करने जा रहे हैं, उसका ओरिजनल स्कोप बिल्कुल उसके बाहर है, वह यहां पर नहीं आ सकता।

फिर मैं उसी ऐडमिसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट के पैराग्राफ सी में जाता हूं।

[अनुवाद]

"कोई संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस से वह खण्ड, जिसे संशोधन करने की उसमें प्रस्थापना हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये।"

[हिन्दी]

अगर आपके हाथ में इसकी प्रति हो तो आप मेहरबानी करके उसे देख लीजिए। अमैनडिंग लॉ का पेज 3, जो बिल अभी सदन के सामने आपने पेश किया है। चैप्टर 3 इस बिल के पीछे उनका असली उद्देश्य है, बाकी सब इनसीडेन्टल है। चैप्टर 3 इस बिल में इन्होंने नए तौर पर रख दिया है। इसकी हैडिंग है - ट्रांन्जैक्शन ऑफ बिजनस ऑफ इलैक्शन कमिशन यानि कानून कंडीशन्स ऑफ सर्विस का है और ये कानून के मुख्य मतलब का उल्लघंन करके ट्रांन्जैक्शन ऑफ बिजनस ऑफ इलैक्शन कमिशन में पहुंच गए।

[अनुवाद]

अब धारा 9 देखिए, इसमें कहा गया है : "निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार इस अधिनियिम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।"

अब निर्वाचन आयोग का कार्य क्या हैं?

[हिन्दी]

हम चाहेंगे कि कानून मंत्री इसका स्पष्ट जवाब देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाने वाला चुनाव आयोग का कार्य क्या है?

[हिन्दी]

इलैक्शन कमिशन का जो काम है वह 324(1) में बहुत स्पष्ट लिखा है। इसके अलावा रिप्रैजैन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में किस तरह से वह काम किया जाएगा, उसका सारा इन्तजाम वहां पर है।

[अनुवाद]

लेकिन अनुच्छेद 324(1) में कहा गया हैं :

"इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) आप आर्डिनेंस के तौर पर यहां पर जो कानून बनाने के लिए लाए हैं, मैं जानना चहाता हूं कि उसमें से कौन सा काम इस कानून के अंतर्गत होना है क्योंकि आपने एक ही शब्द लिखा है - दी बिजनस ऑफ दी इलैक्शन कमिशन।

[अनुवाद]

निर्वाचन आयोग का वह कार्य क्या है जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा? मैं इस नियम का हवाला पुनः देता हूं कि संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिस से वह खण्ड, जिसे संशोधन करने की उसमें प्रस्थापना हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये।

[हिन्दी]

यहां अनटनटेलीजिबल भी नहीं है, यह उससे आगे जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, यह सारी दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। वह इलेक्शन कमिशन का कौन सा बिजनस है। इलेक्शन कमिशन का बिजनस, जैसे मैंने पहले कहा, वह कॉन्स्टीटयूशन में स्पैसीफाई किया हुआ है। इलेक्शन कमिशन की तमाम जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शन कमिशन की जूडिशियल जिम्मेदारी है, क्वासी-जूडिशियल जिम्मेदारी है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव है, ऐडवाईजरी है, प्रेजीडैन्ट को ऐडवाइज देता है। उसकी ऐग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी है जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। इलैक्टोरल रोल की तैयारी से लेकर सारे चुनाव करवाना, उसने नतीजों का ऐलान करना।

विधि मंत्री जी, इस अधिनियम के तहत क्या कार्य संचालित होगा? आगे सैक्शन 10 को पढ़िए। यह कन्फ्यूजन नहीं, मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं बल्कि जान-बूझकर ऐसे अधिकारों को अपने हाथ में लेने का प्रयास है जिसके चलते इलैक्शन कमिशन को एक मजाक कमिशन बनाने का काम आपकी तरफ से हुआ है।

इसमें से एक-एक क्लॉज आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि देश के चुनाव आयोग के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस पर रोक लगाने का काम आज आपकी तरफ से यहीं पर होना है। ?

[अनुवाद]

"10 (1) निर्वाचन आयोग, सर्वसम्मत विनिश्चय द्वारा अपने कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच अपने कारबार के आबंटन को विनियमित कर सकेगा' यहां पर "सकेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या इसका अर्थ यह भी है कि "नहीं कर सकेगा"?

[हिन्दी]

आप बड़े कानून पंडित हो। यहां 'में' से मतलब है 'शैल' है या 'मे' का मतलब है 'मे नॉट' है। इसका क्या अर्थ है?

फिर सब-क्लॉज 10 (2) पर जाता हूं,

[अनुवाद]

"निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।" आप कौन से उपबन्ध बना रहे हैं? पहला उपबन्ध यह है कि निर्वाचन आयोग, सर्वसम्मत विनिश्चय द्वारा, अपने कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच अपने कारबार के आबंटन को विनियमित कर सकेगा।

[हिन्दी]

पहले यह कह रहे हो कि आप नियम बना सकते हो, लेकिन सारा काम सर्वसम्मति से हो जाये यानी नहीं भी बना सकते हो। आप यह अधिकार तीनों को दे रहे हो। चूंकि आपने यहां तीनों को बैठा दिया है एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर और दो और को बैठा कर बराबरी करने का फैसला किया है। आगे जाकर आप कह रहे हो कि

[अनुवाद]

अब, खण्ड 10 (2) में कहा गया है " उप धारा (1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाए, निर्वाचन आयोग के सभी कारबार का संव्यवहार, जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से किया जाएगा।" इस में जोड़ दिया "जहां तक संभव हो"

अब मैं सब क्लाज 10 (3) पर जाता हूं।

आयोग के सभी कारबार का संव्यवहार, जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जाएगा। खण्ड 10 (1) तथा 10 (2) में यही कहा गया है।

अब खण्ड 10 (3) में कहा गया है :

"उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की राय में किसी विषय पर मतभेद है तो ऐसा विषय बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

इसमें क्या बचा है। इसमें क्या इलैक्शन कमिशन की गरिमा बची? कौन सा तरीका बचा है? इससे इलैक्शन कमिशनरी नहीं बची। इलैक्शन कमिशन को इसमें निर्णय लेना होता है। इलैक्शन डिक्लेयर हो या नहीं लेकिन विवाद वही जमीन पर रहता है। उस विवाद को लेकर जब कोई तार आता है तब जाकर कोई फैसला होता है। बहुमत के आधार पर फैसला होने की आपने बातें कही है। आपने कहा है कि पहले बहस होगी, फिर बहुमत से तय हो जायेगा कि यह निर्णय होना चाहियें या नहीं?

2.58 म.प.

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

इलेक्शन की तिथि तय करना, अनेक एग्जीक्यूटिव काम, इलैक्शन कमिशन का काम और अनेक जुडिशियल काम इलेक्शन कमिश्नर के होते हैं। आप यहां इनका इंतजाम कर रहे हैं। ये सारे काम अगर सर्वानुमति से नहीं हो सकते तो फिर बहुमत के आधार पर इसको करना चाहिये। इसका मतलब इलैक्शन कमिश्नर काम नहीं कर सकता है। उसके काम में रुकावट डालने का प्रयास सरकार इसके द्वारा कर रही है। आपका इलैक्शन कमिश्नर से क्या झगड़ा है? उसको लेकर पूरी चुनाव की प्रक्रिया

को और उस प्रक्रिया को चलाने के लिये बनाये हुए कमिशन को इस प्रकार बरबाद करने का अधिकार सरकार को नहीं है। इसलिये संवैधानिक बातों के आधार पर और नियमों के आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि विधेयक को वापस लिया जाये। यह नियम के अन्तर्गत यहां आ नहीं सकता है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है कि जब एक सदस्य विधाई क्षमता के आधार पर आपत्ति करता है तो अधिक सामान्य और विस्तृत चर्चा होगी या हो सकती है। मैं उन मुद्दों में से कोई नहीं दोहराऊंगा जिन्हें मेरे साथी जार्ज फर्नान्डीज ने उठाया है। मैं तो इस विधेयक पर इस सभा की विधाई क्षमता तक सीमित रहूंगा जो कि पूर्व अध्यादेश की जगह लेगा। मैं सरकार की संदेहपूर्ण राजनीतिक इच्छा पर नहीं बोलूगा। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा कि किस प्रकार सरकार ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को बदला है। मैं उन व्यक्तित्वों के चयन के तरीके पर भी नहीं बोलूंगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने।

3.00 म.प.

ये ठोस मुद्दे हैं और अगर आप विधेयक को अनुमति दे देते तब विचार करते समय इन्हें उठाया जाना चाहिए था। ये बहुत ही ठोस मुद्दे हैं। सरकार यह अध्यादेश लाई सरकार की मंशा संदेहपूर्ण थी क्योंकि सरकार चाहती थी कि पूरी चुनाव प्रणाली को ही बदल दिया जाए।

मैं विधाई क्षमता के प्रश्न तक इसलिए सीमित रहूंगा क्योंकि सभा इस समय विधाई क्षमता के आधार पर ही सरकार द्वारा इस विशेष विधान को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने से इन्कार कर सकती है।

मेरे मित्र ने संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लेख किया है जिसमें तीन पृथक शब्द हैं। ये तीन शब्द है : निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं। इस अध्यादेश या इस विधेयक में यह प्रयास किया गया है कि इन तीनों के बीच जो फर्क है उसमें असमंजस उत्पन्न किया जाए और इस प्रक्रिया के द्वारा अनुच्छेद 324 में मौलिक प्रावधान के उद्देश्य, मंशा और निर्देश को ही खत्म कर दिया जाए। अगर एक विधेयक निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बीच अन्तर को एक अध्यादेश के द्वारा समाप्त करने का प्रयास करता है तो मैं समझता हूं कि आप इस पर पूरी संवैधानिक व्यवस्था को ही बदल रहे हैं जो निर्वाचन आयोग का संचालन करती है।

मेरा अगला वास्तविक मुद्दा यह है कि सरकार अपनी समझ के अनुसार अथवा इसके बगैर ही ऐसा करना चाहती है तो एक ही तरीके से ऐसा कर सकती है अर्थात संविधान में संशोधन करके और अनुच्छेद 324 में अपनी इच्छानुसार संशोधन करकें ऐसा कर सकती है। मेरे विचार से सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तब इस अध्यादेश की जगह विधेयक को भी यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारी चुनाव प्रणाली की व्यवस्था को पूर्णत बदल दे और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में संशोधन

करने का प्रयास करे।

मैं इस मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी उद्धृत नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने जो कारण बताए हैं उनके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार की दुर्भावनापूर्ण इच्छा से परे सभा को यह विधाई क्षमता प्राप्त नहीं है कि अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन करे या इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने का प्रयास करे। हम अनुरोध करते हैं कि विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति पर कार्यवाही करने से पूर्व आज इस मुद्दे पर अपना विनिर्णय दें। महोदय यह बेहतर होगा कि आप इस बारे में अपना विनिर्णय सुरक्षित रखें क्योंकि यह बहुत ही पेचीदा मामला है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर.भारद्वाज) : ऐसा कैसे किया जा सकता है? हम अभी पुरःस्थापन चरण में ही हैं। मैं अध्यक्षपीठ को संतुष्ट करना चाहता हूं कि यह सभा इस विधेयक पर विचार करने और पारित करने में सक्षम है। आप सातवीं अनुसूची प्रविष्टि 72 पर गौर कर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग संघ सूची में है। 1991 में हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों पर एक कानून पारित किया था। इसे 25 जनवरी, 1992 को सहमति दी गई थी। अब यह संसद का एक अधिनियम अर्थात 1991 का अधिनियम 11 है। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1991 से संबंधित है। इस प्रकार यह सभा 1991 में इस मुख्य कानून को पहले ही पारित कर चुकी है और हम इस विधेयक के रूप में संसद के इस अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं।

मैं सूची के बारे में पहले ही कह चुका हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, आप कह रहे हैं कि यह कानून पहले ही पास हुआ है। 'सेवा शर्तें' भिन्न है।

[अनुवाद]

श्री एच.आर.भारद्वाज : कृपया मुझे सुनें। मैं यह नहीं मानता। जब संसद का एक अधिनियम पारित हो जाए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें तय कर दी है तो इस बारे में कोई रूकावट नहीं है कि इन्हें संशोधित नहीं किया जाये। मैं कह रहा हूं कि संसद की सक्षमता विभाजन तथा प्रविष्टि द्वारा तय हो। संघ सूची में प्रविष्टि 72 है। इस प्रकार हम प्रविष्टि 72 के तहत यह संशोधन पेश करने में सक्षम हैं।

जहां तक निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के उपबन्धों का संबंध है, इस बारे में कोई विवाद नहीं है। अनुच्छेद 324 विद्यमान है और इसके बाद अन्य अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 324 (1) में कहा गया है : "इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और

नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा।"

इस प्रकार निर्वाचन आयोग ऐसी संस्था है जिसे अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति दी गई है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

जहां तक बहु-सदस्यीय आयोग के प्रावधान का संबंध है, मैं आपके ध्यान में अनुच्छेद 324 (2) लाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है : "निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।"

अब मैं संसद की सक्षमता पर बोल रहा हूं। मेरे विद्वान मित्र यह तर्क दे रहे है कि संसद विशेष रूप से निर्वाचन आयोग के कार्यकरण में सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। इसी अनुच्छेद 324 (5) में कहा गया है : "संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे"

इस प्रकार यह दोनों उप-अनुच्छेद इस सभा को स्पष्ट रूप से विधाई क्षमता प्रदान करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई संदेह है तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमने 1991 में यह अधिनियम पारित किया था। मैं इसी अधिनियम में संशोधन मात्र कर रहा हूं।

मेरे विद्वान मित्र जार्ज फर्नान्डीज ने दो या तीन मुद्दे उठाए हैं। वे इस संसद की क्षमता से संबंधित नहीं हैं। वह कहते हैं कि हम इस अधिनियम में संशोधन करके सेवा शर्तों के मामले में सही कार्यवाही नहीं कर रहे अर्थात निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर लाकर ठीक नहीं कर रहे। यह बातें संसद की क्षमता से संबद्ध नहीं है। अतः मेरे मित्र ने आज के वाद-विवाद के लिए यह नोटिस दिया है कि संसद यह विधान बनाने में सक्षम नहीं है। यह मेरा पहला अनुरोध है। इस बारे में अनुच्छेद 324 मेरा उत्तर है। प्रविष्टि 72 सही प्रविष्टि है जिसके तहत हम कार्यवाही कर सकते हैं।

उन्होंने अन्य अनुच्छेदों पर भी कुछ बातें कही हैं। हम अन्य अनुच्छेदों में संशोधन नहीं कर रहे। मैं कहता हूं कि हम विधेयक के वृहत नाम को भी संशोधित करने जा रहे हैं। उनकी आपत्ति थी कि यह संशोधन नहीं किया जा सकता। आप धारा 2 पढ़िए। हम मौजूदा विधेयक में धारा 2 में संशोधन कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 के (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) वृहत नाम में "और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए" शब्दों के स्थान पर, "और निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया का और उससे संबंधित विषयों का उपबं.. करने के लिए" शब्द रखें जायेंगे।

हम इसमें संशोधन विशेष रुप से श्री जार्ज फर्नान्डीज-द्वारा उठाई गई बात का प्रावधान करने के लिए कर रहे हैं। अतः, यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम उस उपबंध तथा पूर्व अधिनियम में भी संशोधन कर रहे हैं।

मेरे विद्वान सदस्य मित्र ने नियम 80 उद्धृत किया है इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। नियम 80 खंडों में संशोधन तथा विधेयक पर खंडवार विचार करने के बारे में है। मैंने केवल इसको पुनः

स्थापित किया है। इस व्यवस्था का सम्बन्ध विधेयक की उस अवस्था से है, जब गुणावगुणों के आधार पर इस पर विचार किया जा रहा हो तथा बाद में इस पर विचार करते समय जब इसमें संशोधन करने की मांग की जाये। वस्तुतः विधेयक की वर्तमान स्थिति में वह नियम लागू नहीं होता। मैंने इसे पुरः स्थापित किया है और इसमें केवल एक आपत्ति है, जो इस सभा की परम्पराओं के अनुसार विधेयक को पुरःस्थापित करते समय होती है। सामान्यतः केवल एक बार आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दी जाती है और वह यह है कि जिस विषय पर चर्चा की अनुमति दी गई हो, संसद उस बारे में कानून बनाने में सक्षम नहीं है। उसके बारे में मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि सभा 1991 में ही इसे पारित कर सकती थी। मैं उसी अधिनियम में संशोधन कर रहा हूं। इसी वजह से मैंने कहा था कि उन्होंने पूरे विधेयक के गुणावगुणों पर बड़ी बारीकी से चर्चा की है। आज हम पर यह आरोप लगाया गया है।

मुझे विधेयक पुरः स्थापित करने दीजिये। वह इस पर बहुत अधिक तर्क-वितर्क कर सकते हैं। मैं उनका जवाब दूंगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की दुर्भावना का कोई प्रश्न नहीं है। वस्तुतः अगर आपको याद हो तो पिछले सत्र के दौरान हम सभी चाहते थे कि एक बहु-सदस्यीय आयोग होना चाहिये। यह एक अलग बात है कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जब अन्य सदस्य चुने जायें तो सरकार परामर्श करे। श्री जसवन्त सिंह जी सहमति प्रकट कर रहे हैं; मुझे प्रसन्नता है। मैं उन सभी विचार-विमर्शों के दौरान मौजूद था, जिसमें हम सभी साथ मिलकर बैठे थे। वास्तव में हम पर चुनाव आयोग के इन दो अतिरिक्त सदस्यों को लाने में देरी करने का आरोप लगाया गया था।

उस वक्त इस देश के विभिन्न राज्यों से देश के सुप्रसिद्ध महाधिवक्ता के नेतृत्व में अधिकांश महाधिवक्ताओं की यह मांग थी कि एक बहु-सदस्यीय आयोग होना चाहिये।

अतः अधिकांश विपक्षी नेताओं की मांग को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है, हालांकि यह विलम्ब से किया गया है। मैं इससे सहमत हूं कि इसमें कुछ देरी हो गई है। यह उसी वक्त होना चाहिये था। हम इसे लाये हैं और इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्य मुझे सुझाव दे सकते है कि हम निर्वाचन आयोग की दक्षता में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। समूचे निर्वाचन आयोग के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं उससे अत्यन्त प्रसन्न हूं। इसमें किसी व्यक्ति को शामिल मत कीजिये। मेरा अनुरोध है, भगवान के लिए व्यक्तियों को संस्थाओं के साथ मत उलझाइये। संस्थाओं की महत्ता है। अगर निर्वाचन आयोग दक्षतापूर्वक काम करता है तो यह देश में विधि-सम्मत शासन और लोकतंत्र की सफलता होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो हम सबसे अधिक खुशहाल होंगे। ऐसे अनेक मौके आये हैं, जब इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए हैं। हम उन विवादों को सुलझाने में समर्थ रहे हैं और मुझे खुशी है कि हाल ही में हमारे यहां चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हुए हैं। अतः यह सभी के लिए चिंता का विषय है और जब कभी किसी पक्ष की गलती होती है भारत के लोग समझदारी से काम लेते हैं। हमें व्यक्तियों को महत्ता नहीं देनी चाहिये। कुछ लोग आज इस समस्या को शायद न समझ पायें। लेकिन कल उसके साथ भी यही समस्या हो सकती है। संस्थाओं को , चाहे वह चुनाव आयोग हो, सर्वोच्च न्यायालय हो अथवा उच्च न्यायालय या फिर चाहे संसद भी हो, कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। हरेक व्यक्ति की भूमिका को संविधान में परिभाषित किया गया है।

अगर मैं संसद से अनुरोध करने में अपनी सीमा का उल्लंघन करूं और अनुच्छेद 324 में जो कुछ निहित है उसे तोड़-मरोड़ कर पेश करूं तो यह न तो आपके लिए और न ही मेरे लिए हितकर होगा। उस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। अब, उदाहरण के

लिए जैसा कि आप कहते हैं कि क्या उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में रहना चाहियें। क्या इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है? वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसी प्रकार से जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है और संघ लोक सेवा आयोग एक संस्था है, इसलिए वहां अध्यक्ष है। लेकिन वहां भी काम का आबंटन अध्यक्ष करता है। वह ऐसा कर सकता है। इसीलिए 'सकता है' शब्द का जनबूझकर प्रयोग किया गया है। हम 'होगा' शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह एक संस्था है। अतः हमने यह उन पर छोड़ दिया है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त मिलजुलकर काम करना पसंद करता है तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन कल को अगर वे संघ लोक सेवा आयोग की भांति अगर यह चाहें कि यह सदस्य चार राज्यों को संभाले और दूसरा सदस्य चार राज्य सभांले तथा फिर भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनके काम का निरीक्षण कर सकता है, तो इसमें नुकसान ही क्या है? मुझे नहीं मालूम कि इसमें किसी को क्यों कोई एतराज होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कानून को आप समझ नहीं रहे हैं।

श्री एच. आर. भारद्वाज : जो मैं बोल रहा हूं, वह आपकी समझ में आ रहा है, लेकिन आप ऐसे ही बोल रहे हैं। ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अब कृपया मेरी बात में व्यवधान मत पहुंचाइये। आपने कुछ पूछा है, अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बात को उलझा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एच. आर. भारद्वाज : मैं अपनी अथवा आपकी समझदारी में सुधार नहीं कर सकता हूं। हम दोनों एक जैसे हैं।

हम एक संस्था पर चर्चा कर रहे हैं। सभा को चाहिए कि वह इस अवसर का लाभ उठाये। हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिये। हमें चर्चा में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिये। महोदय, मैंने निवेदन किया है कि हम पूर्ण सक्षम हैं। अतः कृपया हमें यह विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति दीजिये।

श्री जसवन्त सिंह : सभापति महोदय मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय विधि मंत्री के विद्वतापूर्ण हस्तक्षेप का अत्यधिक सम्मान करता हूं। बात सरल सी है - वैधानिक सक्षमता। माननीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि इसके लिए कतिपय प्रविष्टि के अन्तर्गत पहले से ही निश्चित व्यवस्था मौजूद है और आखिरकार वह निर्वाचन आयोग के आयुक्त की सेवा शर्तों को विनियमित करने जा रहे है। मेरा अनुरोध अलग है। मेरा कहना यह है कि 'सेवा शर्तों' की आड़ में चुनाव-आयोग की संपूर्ण व्यवस्था तथा कार्यशैली को दूषित किया जा रहा है। इस बात का महत्व अधिक है कि उठाये गये मुद्दों की हम किस प्रकार बारीकी से जांच करते हैं। अगर विधेयक के पुरःस्थापन को 24 घंटे के लिए टाल दिया जाये तो कोई अनर्थ नहीं हो जायेगा बल्कि पीठासीन अधिकारी तथा इस सभा को इस अत्यधिक

व्यापक विषय की गहराई से जांच करने का अवसर मिलेगा। आखिरकार हम सभी यहां चुनावों के माध्यम से ही पहुंचते हैं। अगर हम निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त के कार्यकरण को विकृत करेंगे तो हम सभी यहां कैसे पहुंच पायेंगे।

श्री एच. आर. भारद्वाज : अपने सदस्य मित्र का अत्यधिक सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इसके पुरःस्थापन को स्थगित करना इसका क़ोई समाधान नहीं है। हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिये ....(**व्यवधान**) हम जब शुरू में ही यह कहते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं तो हम एक बुरी प्रथा को जन्म दे रहे हैं। किसी संसद को तब तक यह नहीं कहना चाहिये, कि यह सक्षम नहीं है जब तक कि ऐसा कानूनी रूप से उचित सिद्ध नही हो जाता। मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है।

सभापति महोदय : मैं अब यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है : "मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम 1991 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं सरकार को संविधान को विकृत करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हूं । यहां संविधान को विकृत किया जा रहा हैं । लेकिन मुझे बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। संविधान को दूषित करने का यह प्रयास ठीक इसी प्रकार है जैसे धर्म-संबंधी विधेयक यहां लाया गया था । सरकार उस पर भी संविधान संशोधित नहीं कर पायी थी। अतः सरकार ये विधेयक लाई है, जिसे अस्वीकार करने की इस सभा को समझ है । इसे एक अध्यादेश के माध्यम से उस वक्त लाया गया था जब इस सभा का सत्र नहीं चल रहा था तथा इसीलिये सरकार आज इसे यहॉ ला सकती है।

सभापति महोदय : क्या आप मत विभाजन की मांग कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, मैं मत-विभाजन की मांग कर रहा हूं।

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

3.21 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गई हैं। प्रश्न यह है :

"मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या] [3.26 म.प.

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जान
अयूब खां, श्री
उर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
आचार्य, श्री बसुदेव
इस्लाम, श्री नुरुल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
वांडियार, श्री चनैया
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालिया पेरूमल, श्री पी. पी.
कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री
कुरियन, डा. पी. जे.
बुली, श्री बालिन
गालिब, श्री गुर चरण सिंह
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चार्ल्स, श्री ए.
चिदम्बरम, श्री पी.
चौधरी, स्कवाड्रन लीडर कमल
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर.
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ति
डेनिस, श्री एन.
डोम, डा. राम चन्द्र
तारा सिंह, श्री
थौरात, श्री संदीपन भगवान
दास, श्री अनादि चरण
दिघे, श्री शरद
नंदी, श्री येल्लैया
नायक, श्री जी. देवराय
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
डा. (श्रीमती) पद्मा
पाटील, श्री विजय एन.
पालावोला, श्री वी. आर, नायडू
बर्मन, श्री उद्धव
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
भक्त, श्री मनोरंजन
भोंसले, श्री प्रतापराव बी.
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी.
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
माथुर, श्री शिवचरण
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मैथ्यू, श्री पाला के. एम.
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री राम
युमनाम, श्री याइमा सिंह
राम, श्री प्रेमचन्द
राय, श्री एम. रमन्ना
*वाघेला, श्री शंकर सिंह
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शिगडा, श्री डी. बी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीनिवासन, श्री सी.
सईद, श्री पी. एम.
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सावन्त, श्री सुधीर
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

विपक्ष में

अब्दुल गफूर, श्री
आडवाणी, श्री लालकृष्ण
उरांव, श्री ललित
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
काष्वा, श्री राम सिंह
कुमार, श्री नीतीश
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
गंगवार, डा. परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
चिखलिया, श्रीमती भावना
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री रुद्रसेन
छटवाल, श्री सरताज सिंह
जसवंत सिंह, श्री
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
तोमर, डा. रमेशचन्द
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
नाईक, श्री राम
पटेल, श्री चन्द्रेश
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण
पासवान, श्री राम विलास

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

पासी, श्री बलराज
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बालियान, श्री नेरश कुमार
मिश्र, श्री राम नगीना
मुण्डा, श्री कड़िया
यादव, डा. श्री राम कृपाल
यादव, डा. एस. पी.
राजे, श्रीमती बसुन्धरा
राम सिंह, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री रवि
राय, श्री लाल बाबू
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावल, डा. लाल बहादुर
वर्मा, प्रो. रीता
वीरेन्द्र सिंह, श्री
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
सिंह, श्री हरि किशोर

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है*

पक्ष में 70

विपक्ष में 43

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में

श्री एस. बी. सिदनाल
श्री अन्वरी बसवराज पाटील
श्री प्रवीन डेका
श्री केवल सिंह
श्री प्रभु लाल रावत
श्री उमराव सिंह
श्री पी. गंगा रेड्डी
श्री के. पी. रेड्डयुया यादव
श्री रोशन लाल
श्री हदचन्द सिंह
कुमारी फ्रिडा तोपनो

विपक्ष में

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
श्री राम नरेश सिंह
श्री मुटी राम सैकिया
श्री शिवशरण सिंह
श्री शंकर सिंह वाघेला
श्री जीवन शर्मा

श्री एच. आर. भारद्वाज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

महोदय, मैं माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि विधेयक के खंड 5 के उप खंड (क) और (ख), खंड 7 का उप खंड (क) और खंड 8 जब अधिनियमित किया जाएगा तो इससे संबंधित व्यय भारत की संचित निधि से किया जाएगा।

वास्तव में यह शब्द मोटे अक्षरों में होने चाहिए थे। यह मोटे अक्षरों में नहीं हैं अतः मैं सभा को बता रहा हूं कि इसमें व्यय शामिल है। यह सभा की जानकारी के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

3.25 म.प.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर.भारद्वाज) : महोदय मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 1993 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.4592/93]

3.26 म.प.

राष्ट्रपति उपलब्धियॉं और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति उपलब्धियॉं और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति उपलब्धियॉं और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 6.12.93 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित

श्री पी. एम. सईद : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

3.27 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में जयपुर-टोडाराम सिंह से नाथद्वारा तक केकड़ी, शाहपुरा और भीलवाड़ा होते हुए जाने के लिए प्रस्तावित रेल संपर्क को कार्यन्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, राजस्थान में बड़ी लाइन के माध्यम से बहुत कम ही संपर्क है और ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां संभावनाएं होने के बावजूद भी रेलवे नेटवर्क के रूप में आधारभूत सुविधाएं बहुत कम हैं। जयपुर-टोडाराम सिंह से नाथद्वारा तक केकड़ी, शाहपुरा और भीलवाड़ा होते हुए जाने के लिए प्रस्तावित रेल संपर्क एक ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी ओर रेलवे बोर्ड को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वर्तमान रेल मंत्री ने 1991 में भीलवाड़ा जिले में गंगापुर शहर के अपने दौरे के दौरान इस रेल संपर्क को स्वीकृति देने की घोषणा की थी। उसके बाद अनेक इंजीनियरिंग-सह-परिवहन सर्वेक्षण किए गए तथा हर बार सरकार के संबंधित अधिकारियों, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों तथा विधायकों ने सर्वेक्षण दल को समुचित आंकड़े उपलब्ध कराए थे। प्रस्तावित रेल संपर्क से जयपुर और नाथद्वारा के बीच चालीस किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और यह रास्ता राज्य के खनिजों की दृष्टि से समृद्ध तथा कृषि संभावनाओं वाले क्षेत्र से गुजरेगा। रेल मंत्री ने जन प्रतिनिधियों को अनेक बार यह आश्वासन दिया है कि इस रेल संपर्क को रेलवे बोर्ड के स्वीकृति के लिए नये प्रस्तावों में शामिल कर लिया जाएगा। यह आश्चर्यजनक बात है कि धन की कमी के तर्क का सहारा लेकर इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा रहा है।

अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए इसके महत्व को देखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करें।

(दो) राजस्थान में बीकानेर तथा राज्य के अन्य भागों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को समुचित धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां जिन गांवों में कुओं में खारा पानी है और उन गांवों में नहरें और तालाब आदि भी नहीं हैं, उन गांवों में देश आजाद होने के बाद आज भी मनुष्यों तथा पशुओं के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं हो सका है।

ऐसे क्षेत्र राजस्थान में बहुत हैं और मेरे चुनाव क्षेत्र बीकानेर में लूनकरणसर तहसील, बीकानेर तहसील, कोलायत तहसील, नोखा तहसील और जायल तहसील के सैंकड़ों गांव हैं। इन तहसीलों के किसान दस-पंद्रह मील से ऊंट गाड़ियों पर टंकी बनाकर पीने का पानी लाते हैं और बहुत सा समय इनके पानी लाने में खर्च हो जाता है।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

इसी तरह जिन गांवों के कुंओं में मीठा पानी है और कुएं बहुत गहरे हैं, उनमें पानी निकालने के लिए डीजल इंजन लगा रखे हैं जिनसे बहुत खर्चा होता है। इतना खर्चा गांवों के गरीब किसान सहन नहीं कर सकते। इसलिए इन गांवों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली देनी बहुत ही जरूरी है। पीने के पानी का साधन हर गांव में हर नागरिक के लिए उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीकानेर में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मुझे अभी जानकारी मिली है कि शायद हाउस में डंकल प्रस्तावों पर चर्चा आज ही समाप्त की जायेगी, उसके लिये चाहे हाउस को देर तक बैठना पड़े। मेरा निवेदन है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसे यदि फौरमैलिटी के तौर पर हमें आज ही खत्म करना है तो मेरा आग्रह है कि जब तक संभव हो, इस पर आज तो बहस करायी जाये, लेकिन बहस के लिये कुछ समय मिलना चाहिये। हाउस में दोपहर को जितनी उपस्थिति रही, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि शाम तक, देर रात तक बैठने में, कितनी उपस्थिति रहेगी। रीचुअली तो हम डंकल प्रस्तावों पर चर्चा पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि वैसे तो हम बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय का आदर करते हैं, उसके विपरीत कोई बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसके निर्णय में वजन है लेकिन आपको और सदन को कुछ अधिकार हैं, उनका उपयोग करते हुए, मैं चाहता हूं कि उस निर्णय पर पुनर्विचार हो और बहस का पूरा समय बढ़ाया जाये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, डंकल प्रस्ताव का मामला, गैट की जो ट्रीटी है, उसके साथ बहुत सी चीजों में जुड़ा है। सरकार की इस मामले में एक अलग दृष्टि है, मैं जानता हूं लेकिन इस सदन में कुछ लोग हैं और सदन के बाहर भी कुछ लोग हैं जिनकी इस मामले में गंभीर दृष्टि है। हम मानते हैं कि इस देश की सार्वभौमिकता ही इन डंकल प्रस्तावों के जरिये आप खत्म करने जा रहे हो, यह मेरी अपनी इस मामले में दृष्टि है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन प्रस्तावों पर होने वाली बहस कोई रस्मी बहस न हो। मैं मानता हूं कि इस सदन में, लोकसभा में, यह बहस सबसे महत्वपूर्ण होगी, इससे बढ़कर दूसरा कोई विषय इस लोकसभा में नहीं आया होगा। इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बहस में आप समय की पाबंदी न लगाईये। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अनिश्चितकालीन इस पर बहस हो लेकिन आज रात को ही रस्मी तौर पर वह खत्म हो जाये, वह इस सदन के साथ और देश के साथ बहुत अन्याय होगा। मेरी आपसे प्रार्थनाा है कि बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी ने इस पर जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन हम सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये, आप इस बहस को कल दिन भर चलाने की लिये कहें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : पिछले सत्र में भी अंतिम दिन चर्चा के लिए इस बहस को लाया गया था और उस समय भी सभी लोगों की आम राय थी कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिये। आज दो बजे यह चर्चा आरम्भ होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से चर्चा अब तक शुरू नहीं की जा सकी है। अब दो-ढाई घण्टे का समय हमारे पास आज है। यदि आज रात को भी इसे लेना है और नॉन-सीरियस डिबेट चलानी है तो उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिये मेरा आग्रह है कि बिजिनैस

एडवाईजरी कमेटी ने भले ही कोई निर्णय लिया हो, उसको आप बदल करके दो तीन दिन इस विषय पर बहस चलाई जाये ताकि पूरे देश में इसके बारे में जो चिंता है, उसे यहां पर अभिव्यक्त किया जा सके। किसी हड़बड़ी में यदि बहस करायी जायेगी, आज रात को ही बैठकर बहस पूरी करनी है और कल उसका उत्तर दे दिया जाये तो वह ठीक नहीं होगा।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं किसी प्रकार का कोई वायदा नहीं किया है तो बहस तो कल परसों तक चलाने में क्या आपत्ति हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बहस को इस समय मत करिये। आप मेरी बात सुनिये।

श्री हरि किशोर सिंह : मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप इस बहस को पूरे दो दिन चलाने का आदेश दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे सुन लें तो आपकों बोलने की जरूरत ही नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इसे 2.00 बजे शुरू किया जाना था। काफी समय पहले ही नष्ट किया जा चुका है। हम इसे कल भी जारी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं इस संबंध में निर्णय ले रहा हूं तो आप सभा का समय क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्या यह आवश्यक है कि आप हर बार खड़े हों और बोलें?

मैं भी मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस मामले पर सभा में एक बार नहीं अनेक बार चर्चा हो चुकी है। हर बार हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं और यह सुझाव दिया गया था कि इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया जाए। इस सभा को इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने के स्थान पर यहीं पर ही इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सदस्य अपने वक्तव्य दें और वह मुद्दे न उठाएं जिनका अन्य सदस्यों द्वारा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यदि सभा में यह मुद्दे दोहराए जाते हैं तो यह मामला स्पष्ट नहीं होता है। मुद्दों को दोहराए बिना यदि कोई सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन्हें समय दिया जाएगा। लेकिन यदि मुद्दों को दोहराया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है और पीठासीन अधिकारी यह अवश्य कहेगा कि यह मामला पहले भी उठाया जा चुका था और इसे दोहराना आवश्यक नहीं है।

अतः इस बात को कहते हुए कि मुद्दों को दोहराया न जाए सदस्यों को इस पर चर्चा करने का समय दिया जाएगा। आज हम देर तक बैठेंगे और सदस्यों को और अधिक समय देंगे तथा यदि आवश्यक हुआ तो कल भी इस पर चर्चा करेंगे।

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, देर तक बैठने और किसी मुद्दे पर चर्चा करने से वाद-विवाद की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। सभा में हमने शाम को देर तक अनेक महत्वपूर्ण वाद-विवाद किए हैं। जब हम शाम को देर तक किसी मुद्दे पर चर्चा

करते हैं तो वाद-विवाद और गंभीर तथा महत्वपूर्ण हो जाता है, सदस्य उस ओर अधिक ध्यान देते हैं और सभा में सदस्यों की उपस्थिति भी अधिक होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि समय कम कर देना चाहिए और यह केवल औपचारिकता होना चाहिए। इस विषय पर हम व्यापक और अच्छी चर्चा चाहते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जितने भी संभव हो सके उतने सदस्य आज इसमें भाग लें और कल हम इसका उत्तर दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मजबूरियों को समझता हूं। लेकिन यदि सदस्य बोलना चाहते हैं तो मैं अपने स्वविवेकाधिकार का उपयोग करूंगा और आपके कार्य को प्रभावित किए बिना हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक को बोलने का अवसर मिले।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : संसदीय कार्य मंत्री को तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब अभी डिवीजन हुआ और उसमें एक बिल के इट्रोडक्शन का विरोध हुआ तो उसमें वोटिंग के समय केवल 110 सदस्य ही यहां उपस्थित थे, यानी बहुत कम उपस्थिति थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि इसे आज ही समाप्त करने का काम किया जाएगा, तो यह बिल्कुल रिचुअल बन जाएगा। आज तो पहला ही दिन हैं और वह भी सोमवार के दिन तो साधारणतः यह अपेक्षा रहती है कि 6 बजें सदन की बैठक समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा वे कह रहे हैं कि आज इस पर बहस हो जाए और कल इसका जबाव हो जाए, यह ठीक नहीं रहेगा। इसे पूरा समय दिया जाना चाहिए।

3.31 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले जारी

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता देश के स्वाभिमान के लिए भारतीय भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम अविलम्ब बनाया जाना चाहिए। हिन्दी को भारतीय संविधान में राजभाषा घोषित किया गया है। राज्यस्तर पर प्रादेषिक भाषाओं तथा राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिन्दी को प्रशासन के काम काज में समुचित स्थान मिलना परमावश्यक है, परन्तु अंग्रेजी आजादी के 46 वर्षों के पश्चात् आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाया गया है, तो भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकात्मकता और भाषाई प्रतिभाओं को सरकारी सेवा में आगे आने का सुअवसर प्राप्त होगा। संसद भी इस बारे में दो बार संकल्प पारित कर चुकी है। सभी परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में ली जाएं, किन्तु इन संकल्पों को अभी तक भी पूरा लागू नहीं किया जा सका है। भारतीय भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को माध्यम नहीं बनाने से भारतीय युवाओं में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह अविलम्ब भारतीय

भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग का माध्यम बनाये, अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करे तथा हिन्दी को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया जाये।

[अनुवाद]

(चार) मध्य रेलवे के रूट पर दिल्ली-मुम्बई वी.टी. के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय एन. पाटिल (इरनदोल) : पश्चिम रेलवे में मुम्बई सेंट्रल से बड़ौदा तक कोटा होकर दो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती हैं तथापि मध्य रेलवे मार्ग से होकर मुम्बई वी.टी. के लिए एक भी राजधानी एक्सप्रैस नहीं चलती है। आगरा, झांसी, भोपाल और नासिक रहने वाले लोग राजधानी एक्सप्रैस शुरू करवाना चाहते हैं। पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे से होकर मुम्बई और दिल्ली के बीच दूरी में अंतर केवल 140 किलोमीटर है और यह दूरी और एक घंटा बीस मिनट में पूरी की जा सकेगी। प्रस्तावित गाड़ी भोपाल जाएगी और झांसी और भुसावल दो रेलवे मंडलीय मुख्यालयों में भी जाएगी यह ऐतिहासिक शहर आगरा और औद्योगिक नगर नासिक भी जाएगी।

अतः मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि मध्य रेल मार्ग से होकर दिल्ली और मुम्बई वी. टी. के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाए।

(पांच) केरल में कायकुलम ताप विद्युत परियोजना कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री थाइल जान अंजलोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने में असाधारण विलम्ब की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि केरल राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी है। तत्कालीन सोवियत संघ जिसने परियोजना के लिए पैसा देने की बात कही थी, के विघटन के बाद केन्द्र सरकार ने जापान से सहायता लेने का वायदा किया था। लेकिन यह पता चला है कि अभी तक ओ.ई.सी.एफ. परियोजना हेतु पैसा देने के लिए सहमत नहीं हुआ है क्योंकि वे कोयला प्राप्त करना संभव नहीं पा रहे हैं। कोयला पारादीप से होकर तेलचर से अलेप्पी किले तक लाया जा सकता है। इसके लिए अलेप्पी किले में कुछ सुधार करना होगा। इससे परियोजना और अलेप्पी के विकास में बहुत सहायता मिलेगी।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि ओ.ई.सी.एफ से सहायता प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। मैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से भी अनुरोध करता हूं कि यदि ओ.ई.सी.एफ. सहायता देने से इंकार कर दे तब भी उन्हें इसे परियोजना को क्रियान्वित करना चाहिए। केरल की जनता इस मुद्दे पर काफी उत्तेजित है और 14 दिसम्बर को अलेप्पी जिले में इस मुद्दे के संबंध में बंद आयोजित किया जा रहा है।

3.41 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

• 5/6 दिसम्बर, 1993 को पांच प्रतिष्ठित यात्री गाड़ियों में हुए बम विस्फोट

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : मैं बड़े दुख के साथ सदन को पिछली रात देर गये और आज सुबह तड़के तीन क्षेत्रीय रेलों पर अलग-अलग स्थानों पर 5 प्रतिष्ठित गाड़ियों में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की सूचना दे रहा हूं। ये विस्फोट नई दिल्ली से हावड़ा जा रही 2306 डाउन राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा से नई दिल्ली आ रही 2301 अप राजधानी एक्सप्रेस, बंबई सेंट्रल से नई दिल्ली आ रही 2951 डाउन राजधानी एक्सप्रेस, सूरत से बंबई आ रही 9022 अप फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस और सिकंदराबाद से नई दिल्ली जा रही 2723 डाउन आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में हुए। 2306 डाउन राजधानी एक्सप्रेस में विस्फोट उत्तर रेलवे के कानपुर और इलाहाबाद स्टेशनों के बीच 5.12.93 को लगभग 23.00 बजे हुआ जिसमें दो बैरे घायल हुए, जबकि अन्य चारों विस्फोट आज सवेरे 05.00 बजे और 07.10 बजे के बीच हुए। कुल मिलाकर, एक यात्री मारा गया और 18 घायल हुए।

सिकंदराबाद से नई दिल्ली आ रही 2723 डाउन ए.पी.एक्सप्रेस में विस्फोट दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे में सुबह 07.10 बजे उस समय हुआ जब वह गाड़ी दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद काजीपेट खंड पर मौला अली स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। इसमें एक यात्री की मृत्यु हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। घायलों को सिकन्दराबाद के रेलवे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पश्चिम रेलवे पर, 2951 डाउन राजधानी एक्सप्रेस में कोटा-गंगापुर सिटी खंड पर इंदरगढ़ और आमली स्टेशनों के बीच एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट एक कुर्सीयान में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चार यात्री घायल हुए। पश्चिम रेलवे के सूरत-बंबई खंड पर एक अन्य दुर्घटना में, 9022 फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के डबल डेकर कोच में उस समय विस्फोट हुआ जब यह गाड़ी बेस्टन स्टेशन में प्रवेश कर रही थी परिणामस्वरूप एक यात्री को चोट आई जिसे सूरत के सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इस श्रृंखला की 5 वीं घटना में हावड़ा से नई दिल्ली आ रही 2301 अप राजधानी एक्सप्रेस के एक कुर्सीयान में भी कानपुर-टूण्डला खंड पर पनकी और भाऊपुर के बीच आज प्रातः एक विस्फोट हुआ। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इसी घटना में एक अन्य डिब्बे से एक और यंत्र मिला जिसका बाद में भाऊपुर स्टेशन पर विस्फोट हो गया।

इन सभी घटनाओं में वरिष्ठ रेल तथा सिविल अधिकारी संबंधित स्थलों पर गये और आवश्यक चिकित्सा तथा सम्बद्ध प्रबन्ध कर दिये गए। ये मामले पुलिस में दर्ज किए जा रहे हैं। सौभाग्य से किसी भी विस्फोट से चलती गाड़ियों में आग नहीं लगी। प्रभावित यात्रियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है।

चुनींदा प्रतिष्ठित गाड़ियों में इन यंत्रों के रखे जाने से ऐसा लगता है कि जनता में भय पैदा करने की कोशिश की गयी है। संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके सुरक्षा प्रबन्ध मजबूत कर दिए गए हैं रेलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनुरक्षण लाइनों से आने वाले खाली कोचिंग रेकों तथा सन्देहास्पद व्यक्तियों की जांच तथा निरीक्षण तेज कर दें, जहां-कहीं आवश्यक हो, वहां कुत्ता दस्ते तैनात करने के भी अनुदेश दिए गए हैं। प्लेटफार्मों, सवारी डिब्बों तथा अन्य सामरिक स्थलों पर जांच के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि इन विस्फोटों

की विस्तृत जांच करायी जाए।

अपने सहयोगी श्री कान्हु चरण लेंका, तथा सभी रेल कर्मचारियों सहित मैं इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के रिश्तेदारों के प्रति हार्दिक संवेदना तथा घायलों के प्रति सच्ची सहानुभूति निवेदित करता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि जब माननीय मंत्री कोई वक्तव्य दे रहे होते हैं तब अन्य सदस्यों को उस वक्तव्य पर बोलने की अनुमति देने की हमारे यहां प्रथा नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो मैं कल प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात् थोड़ी देर की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

3.43 म.प.

व्यापार वार्ता संबंधी डंकल प्रारूप के निहितार्थों के बारे में प्रस्ताव

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा व्यापार वार्ता संबंधी डंकल प्रारूप के निहितार्थों पर भारत के हितों पर उसके प्रभाव के विशेष संदर्भ में विचार करती है।"

बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के संबंधं में ऊरूग्वे वार्ता दौर, जो कि गैट की स्थापना के बाद आठवीं वार्ता दौर है, तथा जिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिये शुरु किया गया है, सितम्बर, 1986 में ऊरूग्वे में पुन्ता डील इस्टी में आयोजित किया गया था। वार्ता में न केवल पुराने गैट विषयों जैसे कि सामान पर टैरिफ लगाने और टैरिफ न लगाने संबंधी उपाय तथा गैट नियमों और नीतियों में सुधार करने के संबंध में ही चर्चा हुई बल्कि नये विषयों जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी व्यापार से जुड़ी बातों (टी.आर.आई.पी.एस) व्यापार से जुड़े विनिवेश उपायों (टी.आर.आई.एम.एस.) तथा सेवाओं के व्यापार पर भी चर्चा हुई।

आंरभ में यह उम्मीद की जा रही थी कि ये वार्ता दिसम्बर, 1990 में ब्रुसेल्स में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में समाप्त हो जाएगी। तथापि बड़े औद्योगिक देशों के बीच विद्यमान मतभेदों के कारण खासकर कृषि के क्षेत्र में, ब्रेलेल्स बैठक गतिरोध के साथ समाप्त हुई। दिसम्बर, 1991 के अंत में होने वाली वार्ता के दौर में पिछले सभी मतभेदों को दूर करने के लिये एक गंभीर प्रयास किया गया। तथापि, अन्य बातों के साथ-सीथ टी.आर.आई.पी.एस, कृषि और वस्त्र के क्षेत्र में पूर्ण समझौता नहीं किया जा सका। इस गतिरोध को दूर करने के लिये गैट के तत्कालीन महानिदेशक ने 20 दिसम्बर, 1991 को एक व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें वार्ता के परिणाम का उल्लेख किया गया था और उन क्षेत्रों के संबध में समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए थे जिनके मामले में समझौता संभव नहीं हो पाया था।

इन प्रस्तावों के संबध में जनता, उद्योगों और प्रचार-माध्यमों में काफी चर्चा होती रही है। इस मामले पर संसद में भी सबसे पहले एक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प के माध्यम से मार्च, 1992 में चर्चा की गई थी और तत्पश्चात् दिसम्बर, 1992 में एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से इस पर चर्चा हुई। वाणिज्य से संबंधित संसदीय स्थायी समिति और वाणिज्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने भी इन प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा की। इस वर्ष भी मैंने राजनीतिक दलों के नेताओं को चर्चा के लिये आमंत्रित किया था और मुझे उनके विचारों से काफी लाभ हुआ है।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सरकार द्वारा दो प्रपत्र परिचालित किये गये है जिनके माध्यम से ऊरूग्वे वार्ता दौर में उठने वाले मुद्दों पर इस देश में जो चिन्ता पैदा हुई है, उनका जिक्र किया गया है। पहला प्रपत्र मई, 1992 में परिचालित किया गया था और दूसरा अगस्त, 1993 में परिचालित किया गया था।

महोदय, इस समय वार्ता एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसे अंतिम दौर कहा जा सकता है और इस संबंध में आम उम्मीद की जा रही है कि वार्ता दौर 15 दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा। नियम पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के चलते भारत को सदैव दाव पर लगाया जाता रहा है और अब हम यह सुनिश्चित करने के लिए चर्चा में भाग ले रहे हैं कि वार्ता का दौर संतुलित परिणामों के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो और इसके परिणाम भाग लेने वाले सभी देशों को स्वीकार्य हों।

भारत में जो चर्चा हो रही है, वह अधिकतम कृषि और बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों पर ही केन्द्रित है। सबसे पहले इस अवसर पर मैं कतिपय शंकाओं को दूर करना चाहूंगा जो कि हमारे कृषि के क्षेत्र में डंकल प्रस्तावों के प्रभाव के संबंध में व्यक्त की जा रही हैं। सबसे पहले कृषि, जिसमें अनुसंधान, विस्तार, सिंचाई, मृदा संरक्षण आदि भी शामिल है, के संबंध में हमारी विकास योजनाएं किसी भी तरह के बंधन अथवा नियमों से पूर्णतया मुक्त है। दूसरी बात यह है कि हमारे लिये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की आदान राज सहायता के मामले में, जो कि हम अपने किसानों को देते हैं, किसी किस्म की कटौती के प्रति वचनबद्ध हों क्योंकि ये राज सहायता अंतिम अधिनियम के प्रारूप में प्रस्तावित अधिकतम सीमा से बहुत ही कम है। तीसरे, हमारे लिये इस बारे में कोई बाध्यता नहीं है कि हम कृषि उत्पादों को बाजार में बेचने के मामले में न्यूनतम अंवसर स्थापित करें। मैंने गैट के वर्तमान महानिदेशक को अक्टूबर माह के अंत में नई दिल्ली आने के लिये आमंत्रित किया हैं इस किस्म के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में काफी खुलकर उनके साथ चर्चा हुई है और उन्होंने हमारी उन्हीं बातों की ही पुष्टि की है जो कि हम निष्कर्ष के रूप में स्वीकार कर पायें हैं। हमारे साथ व्यापार करने वाले सहभागी भी हमारे साथ इन्हीं बातों की ही पुष्टि करते आये हैं।

हमारी कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इनके प्रभावों के बारे में अनेक शंकाएं व्यक्त की गई हैं। प्रारूप के मूलपाठ में जो भाषा प्रयुक्त की गई है, उससे ऐसा लग सकता है कि इसका हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारे व्यापार सहभागियों ने हमें यकीन दिलाया है कि उन्हें भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज्यों के त्यों बने रहने के मामले में कोई आपत्ति नहीं हैं। इस बात की भी मैंने गैट के महानिदेशक से पुष्टि की थी और हम उसकी भाषा में परिवर्तन लाने के लिए कह रहे हैं ताकि इस मामले को किसी भी प्रकार के संदेह से दूर रखा जा सके।

इसमें सबसे अधिक भावोत्तेजक मुद्दा यह गलतफहमी है कि हमें बीज के लिये पेटेन्ट कानून

को मानना पड़ेगा और यह कि हमारे किसानों को यह हक नहीं होगा कि अपनी आगामी फसलों को उगाने के लिये बीज अपने पास रख सकें और न ही वे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान-प्रदान कर सकेंगे। महोदय, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि पेटेंट बीज के मामले में हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। इस मामले पर गहराई से विचार किया गया है और इस बारे में यह दृष्टिकोण पैदा हुआ है कि पौधा उगाने वालों को थोड़ा संरक्षण प्रदान करना हमारे अपने हित मे हैं। सभी शंकाओं का समाधान करते हुए सरकार का विचार यह है कि शीघ्र ही उचित कानून का प्रारूप तैयार किया जाये जिससे कि किसानों को ये अधिकार दिये जायेंगे कि वे अगली फसल के लिए अपने बीज को अपने पास रख सकें और पहले की तरह बीज का लेन-देन कर सकें।

वार्ता के मामले में एक बहुत बड़ी कठिनाई व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (टी.आर. आई.पी.) पर प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत पेटेंट कानून के बारे में है। इसमें दो मूल मुद्दे शामिल हैं : जनन सामग्री को पेटेंट करना और पेटेंट कानून को कार्यान्वित न करने पर लाईसेन्स की अनिवार्यता कर देना। जैव-प्रौद्योगिकी का क्षेत्र एक नवीन क्षेत्र है और यहां तक कि विकसित देशों में भी इस क्षेत्र में पेटेन्ट कानून के मामले में एकरूपता नहीं है। प्रारूप समझौता ही अपने आप में संदिग्ध है। हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली जनन सामग्री को, चाहे वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो, पेटेन्ट के क्षेत्राधिकार से स्पष्टतः बाहर रखने के लिये मांग कर रहे हैं।

दूसरी चिन्ता इस बात को लेकर भी जाहिर की गई है कि पेटेन्ट वस्तु का निर्माण करने के लिये अनिवार्य लाईसेंस प्रदान करने का अधिकार जनहित में सरकार अपने पास रखेगी। सरकारी गैर-वाणिज्यिक प्रयोग की वस्तुओं के लिये अनिवार्य लाईसेंस तथा निपटायी गई गैर प्रतियोगी चीजों के मामले में अनिवार्य लाईसेंस प्रदान करने के अतिरिक्त ये टी.आर.आई.पी. संबंधी प्रारूप समझौते में अनिवार्य लाईसेंसं प्रदान करने से संबंधित कठोर शर्तें हैं। इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि केवल इस आधार पर अनिवार्य लाईसेंस दिया जाये कि किसी देश में पेटेन्ट नहीं बनाया जा रहा। हम उन मामलों में लाईसेंस की अनिवार्यता का प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पेटेन्ट कार्य नहीं कर रहा है तथापि, इस मुद्दे पर कोई भी समझौता संभव नहीं हो पाया है।

जहां एक ओर 10 वर्षों की अवधि में आयात कोटा को अन्ततः समाप्त करने की प्रतिबद्धता और वस्त्र व्यापार को गैट के सामान्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एकीकृत करना, इस दिशा में एक अगला कदम दिखाई देता हैं, वहीं वस्त्रों पर जो प्रारूप समझौते से हमें भारी निराशा हुई है। आयात कोटा के मामले में, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, उसके अगले दस वर्षो तक बनाए रखने का प्रस्ताव किया जा रहा हैं। व्यापार में अधिकांश उदारीकरण अन्तरण अवधि के अंत में होगा। हम अभी भी वस्त्र के क्षेत्र में उन्नत बाजार तक पहुंच पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे एक बहुपक्षीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं।

वार्ता के आगामी कुछ दिन बहुत ही नाजुक हो सकते हैं। मैंने कतिपय बहुचर्चित मुद्दों को छुआ है। इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा इन मुद्दों पर विचार करने से सरकार को निःसंदेह अमूल्य सुझाव मिल सकेंगे जोकि वार्ता के अंतिम चरण में भाग लेने के लिये काफी सहायक होंगें और हमारे राष्ट्रीय हितों का यथा संभव क़ायम रखने में काफी सहायक होंगें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा व्यापार वार्ता संबंधी डंकल प्रारूप के निहितार्थों पर भारत के हितों पर उसके प्रभाव के विशेष संदर्भ में विचार करती है।"

हम सभी को एक चीज के बारे में स्पष्ट होना चाहिये, कि डंकल प्रस्ताव हमारे सामने आया हुआ है। सरकार किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। सरकार को आपकी सलाह से आगे बढ़ना है। इसलिये ये प्रस्ताव और इन प्रस्तावों पर आपके विचार सरकार के लिये काफी सहायक सिद्ध होंगें।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं वार्ता के बारे में और आगे जो कुछ घटित हो सकता है, उसके बारे में कुछ जानकारी आप को देना चाहूंगा। इस बारे में गलतफहमी है कि शायद 15 दिसम्बर तक सब कुछ तय हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि यह सही नहीं है। यदि वार्ता 15 दिसम्बर तक चलती है तो उसके बाद अप्रैल में किसी समय मंत्री-स्तर की बैठक हो सकती हैं और फिर प्रथम जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर 1994 तक का समय सभी संबंधित देशों को और संबंधित देशों की सरकार को दिया जाएगा ताकि वे प्रस्तावों के बारे में अपने विचार रख सकें कि क्या वे समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहेंगे अथवा हस्ताक्षर नहीं करना चाहेंगे। परन्तु वार्ता करने वाले के स्तर पर वार्ता को 15 दिसम्बर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या इसका यह अभिप्राय है कि 15 तक आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे?

श्री प्रणव मुखर्जी : हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : लेकिन वह तो बाध्य नहीं है और प्रारूप अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका यह अभिप्राय है कि मंत्री स्तरीय बैठक होगी और फिर इसका अनुसमर्थन होगा और अन्य कई बातें भी होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : सरकारी तौर पर, यह 15 दिसम्बर तक तय हो जाना है। उसके पश्चात् अप्रैल में किसी समय मंत्री स्तरीय चर्चा हो सकती है क्योंकि यह सारी प्रक्रिया मंत्री स्तरीय बैठक के बाद 1986 में आरम्भ हुई थी। इस बीच इस पर सरकारी स्तर पर चर्चा हो रही हैं। मंत्रियों की ब्रसॅल्स बैठक किसी सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अतः उसे स्थगित कर दिया गया और अब अगर वार्ता 15 दिसम्बर तक खत्म हो जाती हैं तो मंत्री स्तरीय बैठक अप्रैल के आस-पास किसी समय होगी।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौडगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंनें कम से कम काम चलाऊ तरीके से ही सही, हमें 15 दिसंबर का महत्व तो बताया। मैं सचमुच उनके इस सुझाव से आश्वस्त होना चाहता हूं कि 15 दिसंबर मात्र एक तिथि है, और हमारे पास अभी एक और वर्ष है लेकिन, महोदय, आपके पास तो विविधि प्रकार के अनुभव हैं। आपने खुद इस मामले को देखा था। अगर एक बार आधिकारिक स्तर पर इस तरह का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, 15 दिसंबर तक संपन्न हो जाता है या नहीं संपन्न होता है उसके बाद माननीय मंत्री या कोई भी सरकार अगर यह दावा करती है कि वह इसे पलट देगी या पलटने की स्थिति में होगी तो ऐसा करने से शायद एक बहुत गलत संकेत मिलेगा। सरकार ने पहले ही वार्ता की प्रक्रिया के दौरान कुछ वायदे कर दिए हैं। कुछ और वायदे और रियायतें भी हैं जो सरकार अपनी क्षमता से 15 दिसंबर

से पहले वार्ता की प्रक्रिया से प्राप्त कर लेगी या दे देगी। यह संभव है कि कुछ ऐसे पत्ते हैं जो माननीय मंत्री अभी अपनी जेब में रखेंगे और अप्रैल में सिर्फ मंत्री स्तर पर निकालेंगे। अधिकतर सरकारें ऐसा ही करती हैं। मैं समझता हूं कि यह मामला वार्ता की बारीकियों या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातचीत के दांव-पेचों का ज्यादा है और दूसरी बातों का कम है। क्या हम माननीय मंत्री के सुझाव का यह अर्थ लगाएं कि 15 दिसंबर की तिथि का कुछ भी महत्व नहीं है, कि उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, कि यदि 15 दिसंबर तक आधिकारिक स्तर पर भी वार्ताओं के दौर नहीं खत्म हुए तो कुछ नहीं होगा और यह कि पूरे अगले साल तक देश के लिए अवसर है इस मुद्दे पर और बहस करने का, इन प्रस्तावों को और परिष्कृत करने का? **(व्यवधान)** उस स्पष्टीकरण के बावजूद जिसको मैं बहुत महत्व देता हूं और जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, मैं अभी तक इस मामले में आश्वस्त नहीं हुआ हूं कि 15 दिसंबर को जो कुछ संपन्न हो रहा है यह 15 दिसम्बर को जो कुछ संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है वह कोई निर्णायक चीज नहीं है, वह हमें बांधने वाली चीज नहीं है और पूरी किताब का पूरा अध्याय हमें अप्रैल तक या अगले वर्ष तक उपलबध है।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर के दौरान इस पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैंने इसका संदर्भ इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने खुद ही 15 दिसंबर के महत्व पर स्पष्टीकरण दिया है।

4.00 म.प.

मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन में सब लोग सत्ता पक्ष के सदस्य भी और माननीय वाणिज्य मंत्री भी जिनके साथ मुझे दूसरे सदन में लंबे समय तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ - मेरी इस भावना के सहभागी होंगे। मैंने इनके विभिन्न रूप देखें हैं और अब मैं पहली बार इन्हें इनके नये रूप में अर्थात्, महोदय, वाणिज्य मंत्री के रूप में देख रहा हूं। मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि वह अपनी इस नयी जिम्मेदारी को भी उसी समझदारी और सूझबूझ से निभायेंगे जिस समझदारी और सूझबूझ से उन्होंने इससे पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इस सबके बावजूद, कुछ शंकाएं बाकी हैं। किंतु जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हम कम से कम एक पहलू पर मैं अपनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहूंगा और मुझे इस बारे में भी कोई शक नहीं है कि इस सदन में इकट्ठे सभी, दल भी मुझसे इस बात में सहमत होंगे, कि, महोदय, उस मानदंड के विरुद्ध जिससे हम, सरकार जो कर रही है, उसको जांचेंगे, उसका एकमात्र सिद्धांत है :-

एक न्यास संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर पहुंचने की कोशिश में क्या हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो रही है? क्या राष्ट्र की आर्थिक प्रभुसत्ता की रक्षा हो रही है और क्या जिन उपायों की गैट वार्ता के माध्यम से हिमायत की जा रही है, वे राष्ट्रीय, आर्थिक, व्यावसायिक या वित्तीय दृष्टि से हितकर हैं?

मुझे इस चर्चा से एक परेशानी है और मेरी परेशानी वही परेशानी है जिसके बारे में अनेक दोस्त पहले बोल चुके हैं और 15 दिसंबर की प्रासंगिकता की व्याख्या करने के माननीय मंत्री जी के प्रयासों के बावजूद और उनके द्वारा हमें यह बताए जाने के बावजूद कि इस मामले पर उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति में चर्चा हो चुकी है और यह सदन भी इसे जांचेगा पर रखेगा, मुझे ऐसा महसूस

होता है कि मुझे यह जरूर कहना चाहिए कि यह जो चर्चा हम आज संसद में कर रहे हैं, वह एक दिखावा मात्र है और यह कि यह सिर्फ मामले को विलम्ब से लाने का ही प्रश्न नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह संसद के समक्ष मात्र औपचारिकता पूरी की जा रही है। परन्तु जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरी मंशा उस चेतावनी का अपमान करने की कतई नहीं है जो आपने सभी सदस्यों को दी है कि हम जो कहेंगे सरकार उस पर ध्यान देगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि जब सिर्फ सात कार्य दिवस बचे हैं तो .....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को जो बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था वह यह है कि इस चर्चा में सरकार की आलोचना की बजाय जो सलाह उसे दी जायेगी वह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अगर आप कोई विचार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वे उसे स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे और अगर अस्वीकार करेंगे तो उसकी वजह बतायेंगे।

श्री जसवंत सिंह : बहुत अच्छा, महोदय मैं आपकी बात समझ गया हूं। अतः मैं आपकी चेतावनी पर फिर ध्यान देते हुए अपने को आलोचनात्मक टिप्पणियां करने से रोकूंगा।

जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था वह यह है कि अब वस्तुतः सात कार्य दिवस बचे हैं आज-कल-और 15 दिसंबर के बीच में : मोटे तौर पर देखें तो सिर्फ सात कार्य दिवस बचे हैं। शासन की प्रक्रिया को ध्यान में रखें तो जिस समय तक सरकार, हम जो कह रहे है, उसे मानेगी और अपने वार्ताकारों को सूचित करेगी कि संसद की सलाह क्या है तो मैं अपने मन में आश्वस्त नहीं होता हूं कि सरकार सचमुच संसद की सलाह पर ध्यान दें रही होगी इसीलिए मैंने यह बात कही थी कि इस समय जो करने का प्रयास किया जा रहा है वह है संसद को एक तरह का झांसा देना जिससे हमें लगे कि हम भी निर्णय की प्रक्रिया के हिस्से हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सचमुच इस बारे में सरकार के निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।

एक और भी प्रारंभिक कठिनाई है जिसे मैं बताना चाहता हूं। उरूग्वे दौर या गैट से शुरू करें:- आप उन्हें डंकल प्रस्ताव या जैसा श्री सदरलैंड ने संशोधित किया, उस किसी भी नाम से पुकार सकते हैं - तो मैं यह मानता हूं महोदय, कि इनमें से कुछ प्रावधान सीधे-सीधे संघ के राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक हितों या आर्थिक हितों या औद्योगिक गतिविधियों के कुछ पक्ष हैं जो संघ के राज्यों के कार्यकरण और अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

चाहे आप जो कर रहे हैं उसे 15 दिसंबर या उसके बाद करें लेकिन जब एक बार सरकार इन वार्ताओं से वचनबद्ध हो जाती है तो इन प्रतिबद्धताओं के नतीजों का संघ के राज्यों के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा इसकी सरकार ने जांच-पड़ताल की है? इसके अलावा क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि अगर सरकार संघ के राज्यों के हितों को प्रभावित करने जा रही हैं तो सरकार वास्तव में कर क्या रही हैं? क्या सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक मामलों के बारे में केन्द्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाली संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को उलट देंगे और क्या इसलिए आप भारत के संपूर्ण संविधान को ही बदल डालेंगे? हम डंकल प्रस्तावों के निहितार्थों के इस पक्ष और राज्यों और संघीय सरकार के वित्तीय, और आर्थिक अंतः संबंधों के बारे में सरकार द्वारा इन प्रस्तावों की स्वीकृति के बारे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार को संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यवस्था पर वार्ता करने का पूरा अधिकार है लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस संघ सरकार को या किसी भी संघ सरकार को राज्यों के अधिकारों का सौदा करने का हक दिया है, बल्कि न सिर्फ सौदा ही किया गया है, एक वचन भी दिया है। सरकार ने जो भारत की कई पीढ़ियों को एक विशेष प्रकार की व्यापार व्यवस्था से बांध देगा।

मुझे एक और परेशानी भी है। मैं इस पर भी सरकार के, दृष्टिकोण से लाभान्वित होना चाहूंगा। इस बहकावे के तहत जो करने का प्रयास किया जा रहा है वह एक विनियमित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है जो सब पर बराबर लागू होगी और मैं इस बारे में बहुत परेशानी का अनुभव करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें से अनेक उपाय चाहे वे गैट हो या एम.टी.सी.आर. या एन.पी.टी. आपस में संबंधित हैं। आखिरकार अगर प्रौद्योगिकी पर और इसलिए पूंजी पर भी इस बात की आड़ में नियंत्रण रखा जा सकता है कि यह प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण रिजीम के अधिकार-क्षेत्र में आता है, अगर आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों या अनुसंधान उपकरणों को प्राप्त करने के हमारे प्रयास या एक निश्चित दिशा में बढ़ने के हमारे प्रयास परमाणु अप्रसार संधि के आधार पर निष्फल कर दिये जाते हैं तो फिर ऐसा कैसे है कि सरकार कहती है कि एम.टी.सी.आर. या एन.पी.टी. की आधारभूत अनुदारवादी और दम-घोंटू प्रकृति के बावजूद कुछ अंतर नहीं पड़ेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बड़ी नियमित, उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की तस्वीर दिखाई गई है या वादा किया गया हैं। अतः क्या सरकार समर्पण कर देगी और गैट को मानकर साथ ही साथ एम.टी.सी.आर. और अप्रसार संधि को भी मान लेगी?

मुझे डर है - और यह मेरा अपना दृष्टिकोण है -- कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध ही हावी हैं और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उच्च प्रौद्योगिकी की प्रक्षेप्रास्त्र प्रौद्योगिकी या हमारा शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम जैसे पक्ष हैं जिनमें हम पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं और जब तक हम सारी चीज को उसकी संपूर्णता में नहीं देखेंगे तो मुझे डर है कि हम एक ऐसे रास्ते पर बढ़ जायेंगे जिससे न सिर्फ वापस आना संभव न होगा बल्कि हम राष्ट्र और राष्ट्र की कई पीढ़ियों को भी एक ऐसी स्थिति से प्रतिबद्ध कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय हितों की कोई सेवा नहीं होगी।

मुझे सरकार से कुछ स्पष्टीकरण चाहिए और मुझे कुछ सुझाव देने हैं। पहला पहलू है बाजार तक पहुंच। सरकार ने पहले हमें बताया था कि बाजार तक पहुंच के तहत यद्यपि राष्ट्रों को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वे अपने शुल्क दरों में विश्व स्तर पर एकरूपता लाएं लेकिन डंकल दस्तावेज की यह उम्मीद है कि शुल्क दरों की ऊपरी सीमा 40 प्रतिशत तक होगी।

इसमें औद्योगिक कच्चे पदार्थ और पूंजीगत सामान शामिल हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी जानते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। सरकार ने खुद अपनी जानकारी के अनुसार कहा है कि यह 40 प्रतिशत एकरूप नहीं है। उम्मीद यह है कि हम इसे 40 प्रतिशत तक नीचे ले आयेंगे लेकिन पूंजीगत सामान के मामले में इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। ये अपवाद क्या हैं? और अगर ऐसी बात है तो क्या औद्योगिक कच्चे पदार्थ या पूंजीगत सामान के मामले में ये अपवाद लागू होंगे?

एक प्रावधान और है। यह एक अत्यंत जटिल विषय है ओर दस्तावेज के प्रस्ताव ही सैंकड़ों पन्नों में फैले हुए हैं। मैं इस विषय का विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता। यह काम तो वास्तव में

किसी विशेषज्ञ का है।

इसलिए मैं जो सुझाव दे रहा हूं या प्रश्न कर रहा हूं वे एक सजग सार्वजनिक कार्यकर्ता, एक राजनैतिक दल के राजनैतिक कार्यकर्ता के हैं और मैं जो प्रश्न कर रहा हूं वे वास्तव में देश की व्यापक शिक्षा, प्रक्रिया से संबंधित हैं। जब आप कहते हैं कि यह कुछ अपवादों के तहत है तो ये अपवाद क्या हैं। मैं समझता हूं कि शुल्क दर में कमी की जाए और अगर यह पहले से ही 40 प्रतिशत से कम है तो इसे अधिकतम 25 प्रतिशत तक कम किया जाए। हम चाहेंगे कि सरकार इस बारे में थोड़ा अधिक स्पष्ट करें।

माननीय वाणिज्य मंत्री ने पेटेन्ट अधिकारों ओर बीजों के बारे में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंनें कहा कि पेटेन्ट अधिकारों के तहत हमारे कृषि संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, सरकार इस संबंध में कानून लाना चाहती है कि वह डंकल समझौते के संपूर्ण कृषि अध्याय पर समझौता नहीं करेगी।

महोदय, कृषि अध्याय के भी दो अन्य पहलू हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक भारत का संबंध है मौजूदा राज़ सहायता किसी भी मामले में यूरोपीय देशों में दी जा रही राज सहायता से काफी कम है। फ्रांसवासी इसलिए चिन्तित हैं कि वहां पर राज सहायता पहले ही 10 प्रतिशत से अधिक या लगभग 10 प्रतिशत है और मेरे आंकड़ें शुद्धि के अध्यधीन है, हमारी राज सहायता कुल दो से तीन प्रतिशत के बीच है। इस प्रकार हम न सिर्फ राज सहायता बढ़ाने की स्थिति में है बल्कि राज सहायता के मुद्दे पर वास्तव में मुझे चिन्ता नहीं है। कृषि अध्याय पर मुझे अधिक चिन्ता नहीं है। इसलिए मैं जब तक सरकार बीजों के मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं करती, मैं प्रतीक्षा करूंगा। यह हमारे व्यापक भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। हम उदारीकरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी कहें, देश के औद्योगिकरण के बारे में कुछ भी कहें, भारत देश मुख्यतः मानसून की स्थिति पर ही निर्भर है। मानसून हमारे देश की समृद्धि निर्धारित करता है। मैं चाहूंगा कि सरकार हमें स्पष्ट करें कि बड़े भंडार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक संप्रभुतासंपन्न देश द्वारा बनाए रखने में डंकल प्रस्ताव क्या शर्तें रख रहा है क्योंकि ये दोनों मुद्दे भी प्रभावित होंगे।

मैं यह मुद्दा दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मुझे विश्वास है, मंत्री महोदय यह समझते हैं कि कृषि अध्याय के तहत बड़े, भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रश्न से मेरा अभिप्राय क्या है।

महोदय, मैं वस्त्र अध्याय पर भी संतुष्ट नहीं हूं और माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आखिरकार, स्वयं मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि स्वयं सरकार भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्यों है कि भारत तथा अनेक विकासशील देशों द्वारा निर्यात की एक मुख्य मद को आगे भेजने की बजाय वापस क्यों भेज दिया जाता है? भारत को दस वर्षों तक समान उदार विश्व व्यापार व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। यह हो रहा है कि वस्त्रों को इन दस वर्षों के अन्त में रखा जाए। 10 वर्षों के बाद भी यह परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करता है। कौन जानता है कि 10 वर्ष बाद क्या होगा। मैं 1983 में यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था कि 1993 या आज विश्व की स्थिति क्या होगी। मैं नहीं समझता कि 1983 में कोई समीक्षक विश्वासपूर्वक यह कहता कि 1993 में विश्व आज जैसा होगा।

मैं मंत्री महोदय से सुन रहा हूं कि हम 15 दिसंबर को इस पर सरकारी तौर पर दस्तखत करने के लिए वचनबद्ध हैं। क्या आप देश के पूरे वस्त्र उद्योग को अगले 10 वर्ष के लिए असमान

और अस्वीकार्य वापस भेजने देंगे जबकि अन्य स्थानों पर अन्य लाभ मिलते रहेंगे और 10 वर्ष बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि अब तैयार हुए प्रस्ताव कार्यान्वित होंगे।

मैं अब व्यापार से संबंधित निवेश उपाय पर आता हूं जिन्हें संक्षेप में (ट्रिम्स) टी.आर.आई. एम.एस. कहा जाता है। मैं संक्षेप में यह उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि मैं भुगतान सन्तुलन के प्रावधान पर जो कुछ कहना चाहता हूं वह कह सकूंगा। हमें सूचित किया गया है कि भुगतान सन्तुलन के उद्देश्य से व्यापक व्यापार प्रतिबन्ध लागू करने के लिए गैट नियमों के तहत प्रस्ताव विकासशील देशों की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाते हैं। वे कुछ अनुच्छेदों में कोई फर्क नहीं रखते जो कि अत्यधिक तकनीकी हैं। भुगतान सन्तुलन के उद्देश्य से प्रतिबन्धित आयात उपायों को हटाने के लिए यथासंभव शीघ्र एक समय तालिका की सार्वजनिक घोषणा करने की वचनबद्धता की पुष्टि करने के लिए अनुबंधित पक्षों से मांग करना अत्यधिक तकनीकी है - विकासशील देशों के लिए अनुच्छेद 18 और विकसित देशों के लिए अनुच्छेद 12 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इस विशेष उपबंध में एक देश के अंदर मुद्रा विनियमन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आदेश के बीज हैं।

अगर मैं इस मुद्दे पर विस्तार से बोलूंगा तो सर्वप्रथम तो इसमें बहुत समय लगेगा। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय मेरी बात समझ गए हैं और इसे दोहराने की बजाय मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि डंकल प्रस्तावों के इस विशेष पहलू पर स्पष्टीकरण दें।

अनुच्छेद 18 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जिसमें विकासशील देशों को यह अनुमति दी गई थी कि वे विभिन्न उत्पादों अथवा उत्पादों की श्रेणियों पर प्रतिबन्ध इस प्रकार तय करें कि उन उत्पादों के आयात को प्राथमिकता दें जो आर्थिक विकास को उनकी नीति के तहत अधिक अनिवार्य हैं। यह प्रावधान है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों से संबद्ध है। यह लाभकारी उपबन्ध है। इसे क्यों समाप्त किया जा रहा है? सरकार ने ऐसे प्रावधान को क्यों स्वीकार किया है जो विकासशील देशों के हित में हैं? आप इसे हटाना क्यों स्वीकार कर रहे हैं? आप इसके साथ ही यह क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि विकसित देश हमारे लिए तय करें कि हम कौन से मुद्रा विनियमन, तथा मुद्रा नीति अपनाएं? मुख्यतः 'ट्रिम्स' (टी.आर.आई.एम.एस.) के मामले में तीन विचारणीय बातें उत्पन्न होती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्हें स्पष्ट करें।

इस बारे में भाजपा काफी लंबे समय से कहती रही है हम विनियमन हटाने के पक्षधर हैं हम अफसरशाही हटाने और भारत की रचनात्मक प्रतिभा पर सरकार के नियंत्रण को हटाने के पक्षधर है। हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम की वरीयता में बाहरी उदारीकरण की बजाय आन्तरिक उदारीकरण पहले हो और आप जो उपाय करें तथा इन उपायों के तहत तीव्रता लाएं देश में विश्व प्रतिस्पर्धा को अनुमति देने से पूर्व आप आन्तरिक या स्वदेशी उद्योग का ध्यान रखें। इसलिए हमें यह डर उचित ही है कि व्यापार से संबंधित ये उपाय लागू करने के बाद सरकार चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम लागू करने में असमर्थ हो अथवा बाहरी तथा स्थानीय मात्रा के नियम के विरूद्ध स्वदेशी को प्रोत्साहन न दे सकें। स्थानीय मात्रा के नियम से मेरा अभिप्राय पूरे लघु उद्योग क्षेत्र या उद्योग स्थानीय मात्रा नियम से संबंधित है। दूसरी सभा में मंत्री महोदय ने मारूति के राष्ट्रीयकरण को पेश किया। सरकार ने तब वचन दिया था कि एक निश्चित प्रतिशत तक मारूति में स्वदेशी उपकरण होंगे। अब जबकि मैं सरकार को इन वायदों को याद दिलाना चाहता हूं तो मुझे कटु अनुभव हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि स्वदेशी उद्योग में स्थानीय मात्रा के नियम के संबध में सरकारी स्थिति स्पष्ट करें।

मैं इस संबंध में ट्रिम्स (टी.आर.आई.एम.एस.) में एक अन्य कठिनाई यह मानता हूं। इस समय हम देख रहे हैं कि अगर आप देश में निवेश करना चाहते हैं तो भुगतान सन्तुलन की कठिनाई को देखते हुए कुछ निर्यात के बारे में वचनबद्धता करें। अब यह काफी अच्छा है और इसमें सुधार हुआ है लेकिन हम पूर्णतः कठिनाई से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए हमने यह नीति लागू की है और भाजपा यह कहती रही है कि निवेश के लिए आ रहे कुछ क्षेत्रों पर दायित्व डाला जाए। हम इस दायित्व को निर्यात दायित्व कहते है। एक बार ट्रिम्स (टी.आर.आई.एम.एस.) शुरू होती है जिस पर दस्तखत करने के लिए सरकार वचनबद्ध है तब निर्यात दायित्व या ऐसी अन्य बात लागू करने में समर्थ नहीं होंगे।

4.23 म.प.

[श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए]

उदाहरण के लिए पेप्सी कोला का पेटेन्ट हैं। आपने यह कह कर इसे शुरू किया था कि पेप्सी कोला देश में कुछ भी कर सकती है और कुछ पेय उत्पादित कर सकता है जो अन्य नहीं पीते और यह आलू की चिप्स या कुछ भी बना सकती है। अब मुझे बताया गया है कि कोई अन्य आलू विनिर्माण कंपनी आ रही है। **(व्यवधान)** केन्टुकी फ्राइड चिकन को नया लाइसेंस दिया गया है। मेरा प्रश्न मजाकिया नहीं है। ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) के तहत केन्टुकी फ्राइड चिकन को पेटेन्ट अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन क्या तंदूरी चिकन (मुर्गे का मांस) का पेटेन्ट अधिकार होगा? **(व्यवधान)** यह मजाकिया प्रश्न नहीं है। आप केन्टुकी फ्राइड चिकन को लाइसेंस दे रहे हैं कि यहां भारत में आकर फ्राइड चिकन बेचे और उन्हें पेटेन्ट अधिकार प्राप्त है। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या अमेरिका में तंदूरी चिकन पर पेटेन्ट अधिकार होगा या नहीं। **(व्यवधान)** मेरा प्रश्न संभवतः हल्का प्रतीत होता है। लेकिन मैं जानबूझकर ऐसे कह रहा हूं जो कि आसानी से समझ आ जाए।

मैं समझता हूं कि मैकडोनैल्ड नामक अपौष्टिक खाद्य पदार्थ एक गंदा पदार्थ है और मेरे विचार से इसे भारत से बाहर ही रखा जाए। मैं नहीं समझता कि भारत को एक और ब्रेकफास्ट अन्न की जरूरत है। हमें मैकडोनैल्ड द्वारा फास्ट फूड देने की जरूरत नहीं हैं। महोदय, आप जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कुशल और खाने योग्य तथा तीव्र खाद्य पदार्थ श्रृखंला जो लगातार गर्म भोजन प्रदान करती है, ढाबा हैं। आप देश भर में जाइए और पाएंगे कि ट्रक मार्गो पर सभी ढाबे अच्छा भोजन प्रदान करते हैं। महोदय, मुझे विश्वास है कि आप उदीपी रेस्त्रां की श्रेष्ठता को जानते हैं। वे प्रथम श्रेणी का भोजन देते हैं। क्या यह संभव है कि मसाला डोसा पर हमारा पेटेन्ट अधिकार हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समान व्यवहार होना चाहिए। यदि आप देश में केन्टुकी फ्राइड चिकन तथा मैकडोनैल्ड को स्थान देना चाहते हैं तो मसाला डोसा के बारे में क्या करना चाहते हैं? क्या आप मसाला डोसा और अन्य विभिन्न मदों के बारे में पारस्परिक व्यवस्था करेंगें? मैंने ये उदाहरण इस मुद्दे का महत्व कम करने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में इसे आसानी से समझने के लिए दिए हैं। ये सभी मुद्दे अत्यंत विस्तृत और जटिल हैं और इस समय से इतने अनुचित रूप से विकसित विश्व के पक्ष में हैं कि जब तक सरकार अत्यधिक संयम तथा सावधानी नहीं बरतती हैं तब तक हम भारत की भावी पीढ़ियों का इस अन्याय पूर्ण शासन से संबंध जोड़ते रहेंगे। यह सब एक नियोजित तरीके से हो रहा हैं। आप मैकडोनैल्ड, कोका कोला, पेप्सी कोला और केन्टूकी फ्राइड चिकन के मामले में तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं लेकिन आप प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण के क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं रहना चाहते हैं ओर

आप उच्च प्रौद्योगिकी मदों में भागीदारी नहीं चाहते हैं। उन पर आप प्रतिबंध लगाएंगे। इसीलिए मुझे चिंता हो रही है।

महोदय, मैं ट्रिप्स के प्रश्न पर आता हूं। जहां तक औषधियों का संबंध है माननीय मंत्री ने ट्रिप्स से संबंधित उस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जिसके बारे में देश में चिंता व्याप्त है। औषध जगत में उत्पाद पेटेन्ट लागू करने के परिणामस्वरुप भारत में औषधियों के मूल्य बहुत बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूं कि सरकार ने यह दावा किया है कि औषधियों के लिए उत्पाद पेटेन्ट लागू करने के परिणामस्वरुप कुछ औषधियों के ही दाम बढ़ेगें। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमारे संदेह का निवारण करें। मुझे यह आशंका है कि यह अभी इसकी शुरुआत है और एक बार इसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद औषधी क्षेत्र में जहां पहले ही पश्चिमी विश्व का कब्जा है उत्पाद पेटेन्ट लागू करने से उनका पूर्ण कब्जा हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए यह अत्यंत दुख की बात होगी क्योंकि भारत सम्पूर्ण औषध मूल्यन विश्व में असंतुलित स्थिति होते हुए भी जरुरतमंद भारतीयों को उचित दामों पर औषधियां उपलब्ध करा रहा है।

मुझे डर है कि एक बार डंकल प्रस्ताव स्वीकार करने से औषधियों के मूल्य इतने अधिक हो जाएंगे कि औषधियां आम भारतीयों की पहुंच के बाहर हो जाएंगी। मैं माननीय मंत्री से आयुर्वेदिक अथवा यूनानी प्रणाली की औषधियों के बारे में पूछना चाहता हूं। होम्योपैथी का क्या होगा जबकि होम्योपैथी की भारत में शुरुआत नहीं हुई है? आज भारतीयों को होम्योपैथी दवाइयां ही सबसे कम मूल्य पर मिल रही हैं। होम्योपैथी का उदय जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी औषधियों का क्या होगा? जर्मनी में कोई व्यक्ति होम्योपैथी औषधियों के पेटेन्ट अधिकारों का दावा करेगा और जो आज सबसे कम दामों पर मिल रही हैं वह बहुत मंहगी हो जाएंगी। औषधियों का यह भी एक पहलू है जिसको स्पष्ट करना आवश्यक है।

आपकी अनुमति से मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। आयात करना पेटेन्ट को लागू करने का एक तरीका है जिससे घरेलू बाजार में केवल आयातित माल ही रह जाएगा। और भारत में स्थानीय विनिर्माण की संभावनाएं बहुत कम रह जाएंगी। आप फार्मास्यूटिकल को औषधियों के अंतर्गत रखें इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और बाहरी उत्पादन इसकी कीमतों को कम रखेगा तथा आयात सस्ता हो जाएगा। यह इसका दूसरा पहलू है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को स्पष्ट करें और हमारे संदेह का निराकरण करें।

ट्रिप्स के बारे में तीसरा मुद्दा यह पेटेंट्स की अवधि 20 वर्ष तक बढ़ाने के बारे में है। पेटेन्ट की अवधि 20 वर्ष करना स्वेच्छाचारिता है। मेरे विचार से यह अवधि बहुत अधिक है। इससे नई प्रौद्योगिकी के विकास में कमी आएगी और देश में कैंसर, एच.आई.वी. अथवा एड्स के लिए नई जीवन रक्षक औषधियां विकसित करने में विलम्ब होगा। अनेक स्थानों पर औषधियों के संबंध में अनुसंधान हो रहा है। क्या इस प्रावधान के कारण 20 वर्ष तक देश में यह कार्य नहीं हो पाएगा?

चौथे, समझौता करने के बाद जिन उत्पादों के लिए पेटेन्ट दायर किए जाएंगे उन्हें भारतीय बाजार में भारतीय कंपनियां नहीं बेच सकेंगी क्योंकि उन्हें पाइपलाइन संरक्षण प्राप्त माना जाता है। मुझे पाइपलाइन संरक्षण के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि हम 15 दिसंबर को इस पर हस्ताक्षर करेंगे और इस प्रकार

इसके लिए हमें पूरा एक वर्ष मिल गया है। अप्रैल के महीने में मंत्री महोदय उनसे मिलेंगे और इसमें कुछ संशोधन आदि किए जाएंगे। एक वर्ष का समय तो है लेकिन डंकल प्रस्ताव संपन्न होने वाला है और इसे ही पाइपलाइन संरक्षण कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय संसद को पाइप लाइन संरक्षण के बारे में बताएं ताकि राष्ट्र इस बात से संतुष्ट हो सके कि यह प्रावधान राष्ट्रीय हित के विरुद्ध नहीं होगा।

अनेक अन्य मुद्दे भी हैं और मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उनके बारे में भी बोलूं क्योंकि माननीय मंत्री के साथ उन पर चर्चा करने या उनसे परामर्श करने का मुझे फिर अवसर नहीं मिलेगा।

अगला मुद्दा ऑटोमैटिक लाइसेंस के अधिकार का है और नए प्रावधानों के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं होगी। क्या मंत्री महोदय इस पहलू विशेष के संबंध में सरकार के विचार बताएंगे?

इसके अतिरिक्त एक बड़ी कठिनाई है जो संपूर्ण साक्ष्य अधिनियम प्रणाली को प्रभावित करती है।

महोदय, जहां तक भारत का संबंध है प्रमाण प्रस्तुत करना आरोप लगाने वाले व्यक्ति का दायित्व है। यदि हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो हमें उसको साबित करना होगा। इस प्रकार कथित दोषी व्यक्ति को दोष साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा।

डंकल मसौदे के मामले में पेटेन्ट नियमों का उल्लघंन होने पर यह संयुक्त राज्य अमरीका अथवा ब्रिटेन की किसी कंपनी का दायित्व होगा कि वह पेटेन्ट के उल्लंघन का दावा करें। भारतीय कंपनी को यह साबित करना होगा कि इसका उल्लंघन नहीं हुआ है। विदेशी कंपनी को यह साबित नहीं करना होगा कि उल्लंघन हुआ है भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री अपना सिर हिलाकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैं वर्तमान वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब वह इस बात को स्पष्ट करें तो इस बात की पुष्टि कर लें। ट्रिप्स के लागू होने पर पेटेन्ट अधिकार का उल्लंघन साबित करने का दायित्व दोष लगाने वाले व्यक्ति पर होगा।

महोदय, मुझे अनुसंधान और विकास की चिंता है। पौध किस्म संरक्षण और कृषि के बारे में भी चिंता है और जैव-प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी सामग्री के पेटेन्ट की, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है, भी चिंता है। मुझे डर है कि इन क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह देश के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस पहलू को स्पष्ट करें। जब तक इसे स्पष्ट नहीं किया जाता तब तक मैं यही समझूंगा कि सरकार राष्ट्रीय हित के संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान नहीं दे रही है।

महोदय, जहां तक मैं समझता हूं 'सेवाएं' अध्याय के अंतर्गत बातचीत में यह कहा गया है कि बैंकिग और बीमा खुले रखने चाहिएं लेकिन व्यक्तियों के स्थानांतरण के संबंध में इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सेवा क्षेत्र को खुला रखने और व्यक्तियों का स्थानांतरण न करने का प्रावधान रखने का क्या औचित्य है? यह अत्यंत असंतुलित और अन्यायपूर्ण

व्यवस्था है। महोदय, निःसंदेह बड़े-बड़े बैंक विद्यमान हैं। मेरे मित्र श्री राम नाईक, जो संयुक्त संसदीय समिति के माननीय सदस्य भी हैं, कह रहे हैं कि वे देश में बैकिंग की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। चूंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है इसलिए मैं भारतीय बैकिंग की वर्तमान स्थिति के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय : नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वित्त संबंधी स्थायी समिति भी बैंकिंग प्रणाली की जांच कर रही है। आप उसमें से उद्धृत करें।

सभापति महोदय : कृपया उद्धृत करें।

श्री जसवन्त सिंह : सभापति महोदय कह रहे हैं कि मुझे उद्धृत नहीं करना चाहिए। अतः मैं उसमें से उद्धृत नहीं करुंगा। यह बात तो सर्वविदित है। मुझे बताया गया है कि समाचार पत्रों में भी यह छपा है कि भारतीय बैंकों की स्थिति बहुत खराब और दयनीय है। भारतीय बैकिंग और भारतीय बीमा, जिसका यहां बहुत अकुशल एकाधिकार है, को देखते हुए गैट प्रस्ताव भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आप सेवा क्षेत्र खोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप बैकिंग, बीमा और अन्य संबंधित क्षेत्र खोल रहे हैं लेकिन यह कर्मचारियों के लिए रास्ता बंद है। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय स्टेट बैंक रुसी गणराज्य में जाकर अपनी शाखा खोलता है तो भारतीय स्टेट बैंक तो जा सकता है, लेकिन उसके कर्मचारी नहीं जा सकते। यदि सेवा बाहर जा सकती है तो कर्मचारियों को बाहर क्यों नहीं भेजा जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पहलू को स्पष्ट करें।

महोदय, सेवाओं के अंतर्गत एक और पहलू के बारे में मुझे चिन्ता हो रही है **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे उत्पादन संबंधी तत्व कहा जाता हैं पूंजी कर मुक्त प्रवाह होगा लेकिन श्रमिकों का नहीं।

श्री जसवंत सिंह : संक्षेप में मेरा यही कहना है। सरकार हमें इस बारे में कुछ नहीं बता रही है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्ट बात बताएं। 'सेवाओं' के अंतर्गत एक और चिंता का विषय है और वह है 'श्रव्य-दृश्य' सरकार ने श्रव्य-दृश्य के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। मुझे विश्वास है कि आप और इस सभा के अन्य माननीय सदस्य अब श्रव्य-दृश्य क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में जान गए हैं।

भारत में श्रव्य-दृश्य क्षेत्र में अतिक्रमण पहले ही शुरू हो चुका है। डंकल मसौदे के अनुसार हस्ताक्षर करने वाले देशों को श्रव्य-दृश्य स्वतंत्रता देनी होगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात को स्पष्ट करें माना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अभिकरण, दूरदर्शन को श्रव्य-दृश्य स्वतंत्रता दी गई है, माना कि दूरदर्शन बहुत ही सीमित और स्थानीय हितों की रक्षा करता है और दर्शकों की रुचि भी इसके कार्यक्रमों में कम होती जा रही है तथा स्टार टी.वी. आदि के माध्यम से भारत में पहले ही श्रव्य-दृश्य क्षेत्र में अतिक्रमण हो चुका है किन्तु डंकल मसौदे के प्रस्तावों में श्रव्य-दृश्य

स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? भारत सरकार की इस संबंध में क्या नीति है और इससे संबंधित वार्ता की क्या स्थिति है?

मैं श्रव्य-दृश्य पहलू का उल्लेख करना उसी प्रकार आवश्यक समझता हूं कि जैसे डंकल मसौदे को एम.टी.सी.आर. ओर एन.पी.टी. आदि के संबंध में आवश्यक समझता हूं क्योंकि ये अंतर-संबंधित पहलू हैं। श्रव्य-दृश्य क्षेत्र में अतिक्रमण से भारत की संस्कृति के क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। पहले ही हमारे देश में मानसिक दासता विद्यमान है लेकिन अब आर्थिक ओर वाणिज्यिक दासता प्रारंभ न हो जाए। प्रारंभ में ही मैंने यह साधारण मानदंड अथवा मानक अपनाया था।

पुन: इन सब के परिप्रेक्ष्य में यदि दृश्य श्रव्य स्वतंत्रता भी देश में अनाधिकार प्रवेश करन के लिए दी जा रही है और केवल दृश्य श्रव्य ही नहीं यदि इसके उदारीकण पर भी विचार किया जाये तो यह कहां जाकर रुकेगा? क्या संचार माध्यमों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा? यदि कोई बड़ा निदेशक देश में संचार माध्यम के क्षेत्र में मात्र 25 मिलियन डालर का निवेश करता है तो वह देश में सबसे अधिक बिकने वाले समाचार पत्र को खरीद सकता है। यदि यही इरादा है और यदि निवेश में आजादी का नतीजा भारतीय संचार माध्यम और साथ ही दृश्य श्रव्य माध्यम पर भी कब्जा करना तो मुझे मालूम नहीं है कि जिस मूल उद्देश्य से मैंने यह भाषण शुरू किया था कि डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने या न करने, राष्ट्र के आर्थिक हितों ओर आर्थिक संप्रभुता के संबंध में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखने के बारे में सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रीयहित से संचालित होना चाहिए। ये पहलू हमें चिन्तित करते हैं।

इसलिए, जब तक सरकार इन पहलुओं के बारे में हमें संतुष्ट नहीं करती है तब तक मुझे डर है, कि मुझे या मेरी पार्टी का सरकार को पूर्णतया या आशिंक रूप से समर्थन देने में अत्यन्त कठिनाई महसूस होगी।

सभापति महोदय : मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जानकारी चाहूंगा उन्होंने 13 सदस्यों के नाम दिये हैं जो बोलना चाहते हैं। लेकिन इतना समय नहीं है। मेरे विचार से उन्हें खुद अपनी पार्टी की तरफ से कुछ करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति पैदा न हो।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभी पार्टियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। फिर भी यह वाद-विवाद जारी रहेगा।

सभापति महोदय : श्री पी. चिदम्बरम।

श्री नीतीश कुमार : भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : सभापति महोदय, मैं डंकल प्रस्तावों पर इस वाद-विवाद का स्वागत करता हूं।

पिछले वर्ष इस पर कई बार चर्चा हुई थी। पहली बार गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा हुई थी और अनिवार्य रूप से यह चर्चा कई दिन तक चलनी थी, वस्तुतः यह एक असंतोषजनक वाद-विवाद था। तत्पश्चात् फिर, पिछले वर्ष के अंत में, हमने अन्य विषयों पर चर्चा की थी। लेकिन वह संक्षेप में थी और मेरे विचार से, समय की कमी तथा सभा जल्दी स्थगित करने की इच्छा से

इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी। महोदय आज भी, हमने जिस ढंग से इस वाद-विवाद को शुरू किया है उसके लिए हम स्वयं को बधाई का पात्र नहीं मान सकते। इस सत्र के प्रथम दिन हमने पाया है कि यहां पर केवल 114 सदस्य उपस्थित हैं और शायद अब केवल उससे आधे .. ..**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जब तक हम चर्चा समाप्त करेंगे तब तक कितने सदस्य उपस्थित होंगे यह हम नहीं जानते।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे विचार से इस विषय पर अधिक ध्यान देने तथा गम्भीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और यदि मैं इसे सम्मानपूर्वक कहूं तो मेरे विचार से इस पर मीडिया द्वारा भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, जब मुझे सर्वप्रथम उरूग्वे वार्ता के बारे में बताया गया था तो मैं माननीय मित्र श्री जसवंत सिंह की तरह बिल्कुल अनभिज्ञ था। लेकिन मेरा विचार है कि विश्व किस तरह कार्य करता है इसे समझने के लिए उचित ज्ञान का होना आवश्यक है। विश्व व्यापार किस तरह से होता है, कैनेडी वार्ता और टोक्यो वार्ता के वर्षों में क्या हुआ था हमें ऐसा क्यों लगा कि हमने कुछ खो दिया है और हमारे प्रतिबंधों, हमारे कई असंतोषों के बावजूद आज यह आवश्यक क्यों हैं कि हम ऐसा समझौता किया जाए जो स्वीकार्य हैं, तथा देश के हित में है।

महोदय, डंकल प्रस्तावों को उपनिदेशीय आरोपण के रूप में प्रस्तुत करना आसान है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह कितनी दुःख की बात है कि विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा केवल 0.4 प्रतिशत है अतः विश्व व्यापार में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है इतना कम क्यों है, क्या आज की चर्चा का विषय यह नहीं होना चाहिए। लेकिन कटु सत्य है कि विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 0. 4 प्रतिशत है। इसलिए हम विश्व व्यापार में मुख्य हिस्सेदार नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमने ही 1948 में इस करार पर हस्ताक्षर किये थे। अब इस करार के अंतर्गत 108 देश आते हैं बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत से भी छोटे हैं और गरीब थे जिनकी प्रतिव्यक्ति आय भारत की प्रतिव्यक्ति आय से कम थी और जो वस्तुतः कोई निर्यात नहीं करते थे हमसे आगे निकल गये हैं उन्होंने हमें मात कर दिया है और उनका विश्व व्यापार में अधिक हिस्सा हो गया है। फ्रांस को ही लीजिए, फ्रांस विश्व के देशों में आयात करता है, फ्रांस भारत से लगभग 0.21 प्रतिशत आयात करता है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि फ्रांस भारत के आयात के बिना रह सकता है। भारत फ्रांस को निर्यात किये बिना नहीं रह सकता।

वास्तव में, यदि आप एक देश के बाद दूसरे देश को पंक्ति दर पंक्ति देखें अधिकतम व्यापार करने वाले हिस्सेदारों में ई.सी., यूरोपिन देश, संयुक्त राष्ट्र तथा ऐसे क्षेत्र, एशिया पैसेफिक रीजन जहां बहुत अधिक व्यापार बढ़ा है। प्रत्येक देश जो भारत के साथ व्यापार करते हैं वे भारत से किये गये आयात के सामान के बिना रह सकते हैं। हम अपनी वस्तुएं तथा सेवाएं निर्यात किये बिना नहीं रह सकते हैं। हम मुख्य हिस्सेदार नहीं है उसी वजह से हम जो कुछ करते हैं और जो कुछ हम नहीं करते उसका शेष विश्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं आपको कारण बता सकता हूं कि हमारी ऐसी स्थिति क्यों है। मुझे विश्वास है माननीय सदस्य स्वयं कारण बतायेंगे। हम उनसे कुछ मुद्दों पर सहमत हो सकते हैं ओर कुछ पर सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से तानाशाही अर्न्तमुखी, संरक्षित तथा गैर-प्रतियोगी बंद अर्थव्यवस्था की नीति के कारण हम विश्व व्यापार में प्रमुख भूमिका नहीं

निभा पा रहे है। मेरा यही विचार है। यह दृष्टिकोण है कि देश में अधिकतम लोग इन विचारों से सहमत हुए हे तथा सरकार ने सराहा है और देश के अधिकतम लोगों से इसकी स्वीकृति मिली हैं। अतः विश्व के साथ चलने और शेष विश्व के साथ व्यापार करने में ही हमारा अपना हित है।

महोदय, 'गैट' कोई भय प्रद वस्तु नहीं है। 'गैट' कोई विदेशी ताकत नहीं है। 'गैट' को हमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी की याद नहीं दिलानी चाहिए। 'गैट' एक नियमों का पुलन्दा है। यह कानूनों का पुलन्दा है। मेरा अभिप्राय अपने सभी विद्वान मित्रों का अनादर करना नहीं है। मैं उनका काफी सम्मान करता हूं उन्होंने कुछ प्रश्न इसलिए उठाये हैं क्योंकि उन्होंने वर्तमान 'गैट' प्रस्तावों को पढ़ा नहीं है कि वे क्या हैं। यह केवल वर्तमान नियमों में संशोधन है और नये नियम भी बनाये गये हैं। 'गैट' की मूलभूत व्यवस्थाओं का जो अध्ययन किये बिना डंकल प्रस्तावों को समझना संभव नहीं है, 'गैट' की व्यवस्था जो अब लागू है नियमों का एक पुंज है और डंकल प्रस्तावों द्वारा उन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है तथा उन नियमों में कुछ और नियम जोड़े गए हैं। अतः हमें इन प्रस्तावों पर दृष्टि डालते समय हमें वर्तमान नियमों को अवश्य देखना होगा। हमें इन प्रस्तावों को विद्यमान नियमों के संदर्भ में देखना होगा कि क्या इनके द्वारा संशोधन किया गया है या कुछ जोड़ा गया है। इस समय पहले ही लागू गेट के मूल नियमों के बिना इन प्रस्तावों का निश्चय रूप से कोई अर्थ नहीं है।

क्या यह हमारे अपने हित में है कि हम विश्व व्यापार नियमों के तहत करें या क्या यह हमारे हित में है कि विश्व व्यापार बिना नियमों के हो? मेरे विचार से यह एक मूल प्रश्न है यह प्रश्न पूछना उचित होगा और मेरा विचार है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि गैट प्रस्ताव नहीं हो तो क्या होगा। यदि डंकल प्रस्ताव नहीं हो तो हमें अभी भी व्यापार वर्तमान नियमों के अनुसार करना होगा। आज ऐसे नियम मौजूद हैं और अन्य देशों के साथ-साथ पुटांडले इस्टेट में मौजूद थे। हमारे शिष्टमंडल का नेतृत्व तत्कालीन प्रभारी मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने किया था और उन्होनें हमारे हितों की रक्षा करते हुए उस घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपने राजनीतिज्ञता तथा बुद्धिमता दिखायी थी। फिर दो वर्ष बाद मोन्ट्रीयल्न में, मध्यावधि समीक्षा की गई थी। प्रभारी मंत्री ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपनी बुद्धिमता का प्रदर्शन किया था। क्यों? यदि हम विद्यमान नियमों में सुधार नहीं करना चाहते हैं तो हमें उन्हीं नियमों के अनुरूप अपने व्यापार को चलाना होगा जिन्हें हम असन्तोष जनक कह चुके है। वस्तुतः हमारे सामने एक ओर विकल्प हो सकता है और कोई व्यक्ति यह सुझाव दे सकता है कि हम इस करार से बाहर हो जायें और किसी प्रकार के नियमों के प्रति बाध्य न हों। मैं केवल यही उल्लेख करना चाहता हूं कि चीन जैसा देश जो कि 'गैट' के विरुद्ध रहा है आज इस करार के अंतर्गत आने के लिए प्रयास कर रहा है। निश्चितरूप से भारत का हित चाहने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि भारत इस करार से बाहर हो जाये और वह भी उस समय जब चीन भी इस करार के अंतर्गत आना चाहता है।

यदि हम इस करार से बाहर हो जाते हैं तो क्या होगा? फिर भी हमें विश्व के साथ व्यापार करना पड़ेगा। हमें पेट्रोलियम पदार्थो के आयात के लिए छह बिलियन डालर की आवश्यकता है, कच्चे माल, कैपिटल गुडस, कल पुर्जो के आयात के लिए लगभग 10 मिलियन डालर की आवश्यकता है, यहां तक कि हमें विदेशों में अपने मिशनों को चलाने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ; हमें अपने रक्षा बलों के लिए उपकरणों का आयात करने की आवश्यकता है। साधारणतः भारतीय अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए हमें 20 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इसे हमें अर्जित करना होगा। भारत सरकार का बजट घाटे का बजट है। मैं मान लेता हूं वित्त मंत्री जी रिजर्व बैंक

को बताते हैं और रिजर्व बैंक का कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस में फोन करता है और कहता है कि और अधिक मुद्रा छापिये इससे मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा ओर मुद्रा स्फीती बढ़ेगी। डालर, पोंड या पेन या मार्क छापना कोई आसान काम नहीं है। हमें निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। और यदि हम 'गैट' से बाहर हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें प्रत्येक देश के साथ व्यापार के लिए समझौता करना पड़ेगा। यदि हम 'गैट' समझौते से बाहर हो जाते हैं तो हमें अत्याधिक प्रिय ख्याति को भी खोना पड़ेगा। हमें द्विपक्षीय समझौतों में भी विश्व के प्रत्येक देश के साथ या हमें भारत के उच्च तीस या चालीस पार्टनरों को लेकर व्यापार समझौता करना पड़ेगा जिससे कि हमारा माल उनके बाजारों में भेजा जा सके और बदले में उनका माल हमारे बाजार में आयेगा। इन व्यापार, समझौतों में से कोई भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि 'गैट' समझौता रहेगा।

[अनुवाद]

आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है - मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसकी पुष्टि करे - जो हमारे लिए गैट प्रणाली अथवा गैट नियमों में उल्लिखित व्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर दर्जा, और व्यापारिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए तैयार हो।

इसमें कई महत्वपूर्ण मामले हैं और उन पर मैं बाद में बोलूंगा। सबसे पहले मैं विपक्ष की ओर से प्रथम वक्ता श्री जसवंत सिंह द्वारा उठाये गये विषयों पर बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार से उन्होंने ऐसी बातों को उठाया जिन्हें सारे देश में अनेक बार उठाया जाता रहा है। बौद्धिक संपदा सुधारों संबंधी राष्ट्रीय समिति, जीन-अभियान, किसानों के संगठनों, वैज्ञानिकों, सभी द्वारा उन बातों पर बोला जा चुका हैं, जिन्हें श्री जसवंत सिंह ने उठाया प्रश्न यह है कि इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर सरकार बोल चुकी है। उदाहरण के लिए जीन-अभियान को लीजिये। मैंने डा. सुमन सहाय को आमंत्रित किया और मैंने उनके तर्क-वितर्कों को सुना, मैंने उनसे पूछा कि इन प्रस्तावों की कौन सी व्यवस्था से किसान प्रभावित होंगे। मैंनें उन्हें समझाया कि उन उपबंधों के बारे में उनके विचार गलत क्यों हैं और हम क्यों यह समझते हैं कि उनकी सही व्याख्या किसी विशेष रूप से की जाए। मैं उसे एक उदाहरण के तोर पर प्रयोग कर रहा हूं। मंत्रियों का एक दल गठित किया गया था। अनेक प्रतिष्ठित लोग आये ओर उन्होंने साक्ष्य दिए। वास्तव में, अपनी बात कह चुकने के पश्चात् मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव मेरे पास आये और मुझे ट्रिप्स प्रारूप के संभावित खतरों अर्थात् कुछ दवाइयों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होने के विरोध में बोलने के लिए मुझे बधाई दी। अर्थशास्त्री राजनयिक ओर वैज्ञानिक हमारे पास आये। पहली बार, सरकार ने केवल संसद सदस्यों के साथ ही नहीं बल्कि समाज के जिम्मेदार वर्गो के साथ बड़ी स्पष्ट और खुली चर्चा की। अतः जेनेवा में होने वाले समझौते के अंत में भी अगर यह चर्चा हो तो भी यह अच्छा ही होता क्योंकि हमें उम्मीद है कि व्यापार समझौता समिति 15 दिसंबर को इस पर चर्चा करेगी लेकिन इस पर अभी चर्चा करना भी उपयुक्त है।

5.00 म.प.

यह अच्छा है कि माननीय श्री जसवंत सिंह ने यह मुद्दे उठाये हैं। मेरे विचार में यह अच्छा है कि सरकार को इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा अंतिम जवाब देने का अवसर मिलेगा।

मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करता हूं कि इस चर्चा की समाप्ति पर जिन आधे दर्जन विषयों पर हमारी सर्वसम्मति होनी चाहिये उन पर हमारी सहमति हो जाये तो यह हमारे हित में होगा कि

हम जेनेवा वार्ता में ऊपर सुधार की मांग करें। आज हम समझौता वार्ता की प्रक्रिया को बदल नहीं सकते हैं। हम गैट समझौते में शामिल हो या न हों, गैट समझौता होगा ही। हम दृढ़ शब्दों में, इस संसद की सर्वसम्मत आवाज तथा विचार को अभिव्यक्त कर सकते है कि 850 मिलियन जनसंख्या वाला देश भारत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिनेवा वार्ता में सुधार की मांग करता है और न केवल भारत बल्कि सभी विकासशील देश ऐसे ही विचार व्यक्त करते हैं।

महोदय, लंबे प्रारंभिक वक्तव्य के बाद मैं कुछ विशेष मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं राज्यों के अधिकारों के बारे में बात करूंगा। मैं नहीं जानता कि राज्यों के अधिकारों को किस प्रकार लिया गया है। डंकल प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय संघ के राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करता हो। गैट व्यवस्था तथा नये गैट नियमों को स्वीकार करने से भारत की बृहत आर्थिक नीति-निर्माण विशेष रूप से आयात और निर्यात पेटेन्टों, निवेशों, कृषि तथा सेवाओं पर बहुत अधिक प्रभाव होगा। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर नीति और कानून बनाने का काम संसद का है। डंकल प्रस्तावों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत के राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करें। मेरे विचार में श्री जसवंत सिंह ने जो कहा वह संविधान के अंतर्गत, केन्द्र-राज्य संबंधों वाले अध्याय में या सातवीं अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में वर्णित उनके अधिकरों के बारे में था। डंकल प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यों के कानून बनाने अथवा नीतियां बनाने के अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता हो।

मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात बाजार उपलब्ध कराने से संबंधित है। हम व्यापार क्यों करते है? हमें अधिक व्यापार करने की क्या जरूरत है? अधिक व्यापार की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे हमारे यहां अधिक निवेश और बेहतर प्रौद्योगिकी आयेगी तथा हमारे उत्पादकों को बेहतर कीमतें मिलेगी। आज हमारे कृषक जो कीमतें प्राप्त कर रहे हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बहुत कम है। वस्तुतः इसीलिए राजसहायता में कमी करने से हम प्रभावित नहीं हुए। हमने 20 उत्पाद लिये हैं। इनमें से 17 कृषि उत्पादों के लिए भारतीय कृषक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले कम कीमतें प्राप्त करते हैं। हमारे किसान अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले कम कीमतें क्यों प्राप्त करें? इसका एक ही तरीका है जिसके द्वारा हमारे किसानों को अपनी मेहनत का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब उन्हें उचित तथा पूरी अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्राप्त होगी और उसे केवल तभी प्राप्त कर सकते है जबकि हमारे उत्पादों को विश्व के प्रत्येक बाजार में जगह मिलें। उस विषय पर मैं कुछ बाद में बोलूंगा। पहले मैं मुख्य विषय बाजार उपलब्धता के बारे में अपने विचार व्यक्त कर लूं। सेवाओं की भांति ही, बाजार उपलब्धता के बारे में डंकल प्रस्तावों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं।

माननीय श्री जसवंत सिंह ने सेवाओं के बारे में हमने जो वायदे किए और जो कुछ किया उसके अंतिम परिणाम क्या रहे इस बारे में बताया। डंकल प्रस्तावों में वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं पर शुल्क कटौती के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तत्कालीन सचिव श्री आर्थर डंकल ने दिसंबर 1991 के अपने प्रस्तावों में जो सिफारिशे की थी, वह यह है कि समझौते में भाग लेने वाले पक्षों को वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में निष्कर्षो पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता जारी रखनी चाहिये।

जहां तक मुझे याद है अब हमने, कच्चे माल, संघटकों, तथा वस्तुओं पर 30 प्रतिशत शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया है। जब हमने यह प्रस्ताव किया था, उस समय 30 प्रतिशत की कटौती बहुत

बड़ी लग रही थी। आज, डा. मनमोहन सिंह द्वारा बजट पेश करने के पश्चात् यह स्वीकार्य बात है कि हमने शुल्क घटाये हैं लेकिन हमें और आगे शुल्क घटाने होंगे तथा वर्ष 1995-96 तक, हमें विश्व के अन्य देशों के स्तर तक पहुंचना होगा। अतः शुल्कों में कटौती स्वयं में कोई विकट समस्या नहीं है।

[अनुवाद]

वास्तव में यह एक निश्चित लक्ष्य है। हमें कच्चे माल, संघटकों तथा पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क घटाते रहना चाहिये। अपने उत्पादों को प्रतियोगी बनाने का केवल यही एक तरीका है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : डंकल, प्रारूप पर हस्ताक्षर किये बगैर ही उसकी शर्तें मान ली हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : हमने डंकल प्रारूप पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्योंकि अभी हस्ताक्षर करने के लिए उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन उसके अलावा, हमें शुल्क घटाने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जरूरत है। अगर आप बाजार-पैठ का विरोध करते हैं, तो आपको सामने आकर यह कहना चाहिए कि इस देश में शुल्क नहीं घटाये जाने चाहिए तथा उन्हें पुनः 300 प्रतिशत कर देना चाहिए अथवा 150 प्रतिशत कर देना चाहिये। मेरे विचार में वह न ता सरकार की नीति है और न ही इस सभा के अधिकतर सदस्य उससे सहमत हैं। मुझे यह लगता है कि इस सभा में एक ऐसा स्पष्ट-वक्ता वर्ग है जो शुल्क में कटौती का विरोध करता है। **(व्यवधान)** मैं उससे बिल्कुल इंकार नहीं करता। एक अ.ते स्पष्टवादी वर्ग है, जो बड़े रोचक ओर प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात रखता है लेकिन सभा का बहुत बड़ा भाग उसी नीति में विश्वास रखता है, जिसे हम मानते है अर्थात् शुल्क में कटौती अवश्य की जानी चाहिये और पिछले तीन बजटों में शुल्क घटाया गया है। ओर अगर मैं सरकार के मन की बात सही जांच रहा हूं तो 28 फरवरी, 1994 को शुल्क फिर घटाये जायेंगे। अतः जब हम उस बाजार-पैठ की बात करते है, जिस के संबंध में हमने दो वर्ष पहले यह प्रस्ताव किया था कि शुल्क में 30 प्रतिशत की कमी की जायेगी, उसका अब कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि हम शुल्क घटा चुके हैं, हम शुल्क घटाना चाहते हैं तथा भारतीय बाजार की पैठ बनाना चाहते हैं और यहां तक कि हम यह भी चाहते हैं कि अन्य बाजारों में भी भारतीय सामान की पैठ हो।

महोदय दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि है। हम मूलतः कृषि वस्तुओं के बहुत-बड़े उत्पादक हैं तथा गत दो वर्षों में नई नीतियां अपनाने के कारण कृषि-निर्यातों में भारी वृद्धि हुई है और मेरे विचार से यह हमारी भलाई के लिए है। कुछ वर्ष पहले हमारे परिकल्पना करने पर यह पता चला कि भारत के कृषि-उत्पाद का आधे से एक प्रतिशत ही निर्यात होता है आशा है कि इस वर्ष, हम लगभग 2500 करोड़ रुपये के मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे जबकि इस देश की निर्यात करने की क्षमता है, जैसाकि मैंने अपने विद्वान मित्र से इस सभा में एक बार 30,000 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों के निर्याद करने की क्षमता के बारे में बताया था। हम रुई, रेशम, चीनी, चाय कॉफी, समुद्री उत्पाद, चावल, गेहूं तथा तम्बाकू के निर्यात मामले में हम सबसे आगे जा सकते हैं। इस देश से बहुत बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है जिससे पहली बार हमारे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्राप्त होगा।

डंकल-प्रारूप का कृषि पर क्या प्रभाव होगा? डंकल प्रारूप में चार बाते हैं। डंकल प्रस्ताव में

यह कहा गया है कि घरेलू वित्तीय सहायता को 20 प्रतिशत तक कम किया जाना उसका सीधा सा जवाब यह है कि यह हम पर लागू नहीं होता है और हमें कम से कम डंकल प्रस्तावों की अवधि के लिए अर्थात् 10 वर्षों तक किसी प्रकार की घरेलू वित्तीय सहायता कम नहीं करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यह किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होगा? वस्तुतः आज फ्रांस में दूसरा विरोध हो रहा है और जर्मनी में भी इसका विरोध हो रहा है अगर उन देशों को घरेलू वित्तीय सहायता कम करने के लिए मजबूत किया जाता है, तो उनके यहां कीमते बढ़ जायेंगी और हमारे उत्पाद फ्रांस, जर्मनी तथा विश्व बाजारों में जायेंगे। डंकल का दूसरा प्रभाव यह है कि निर्यात पर राज सहायता कम की जानी चाहिये, बजट परिव्यय 36 प्रतिशत कम होने चाहिये तथा मात्रा 24 प्रतिशत तक कम की जानी चाहिये। महोदय, मैं पुनः यह कहता हूं कि यह हम पर बिल्कुल लागू नहीं होता है।

आर्थिक सहायता के कुल उपाय जिनकी बड़े जटिल फार्मूले के माध्यम से गणना की गई है, यह कहता है कि यह उत्पादन के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस देश में 20 में से 17 उत्पादों में कुल आर्थिक सहायता नकारात्मक है। यह कुछ नहीं हैं कि हमें इस पेरा से डरने की आवश्यकता है। यह केवल तीन उत्पादों में अर्थात् गन्ने, तंबाकू तथा मूंगफली पर सकारात्मक राज सहायता है लेकिन वह 10% से भी बहुत कम है और यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि कि हम 10% से कभी आगे बढ़ेंगे। वास्तव में अगर हमारे उत्पादों को ऊंची तथा अच्छी कीमतें प्राप्त होती हैं तो वे आंकड़े जो पहले से ही 10 प्रतिशत से कम है वे और कम हो जाएंगे और उन में कोई वृद्धि नहीं होगी।

तीसरी, शुल्क लगाने के बारे में हैं। हमारी शुल्क के बारे में कोई बाध्यता नहीं हैं क्योंकि हम पुनः भुगतान संतुलन खंड के अंतर्गत सुरक्षित हैं। भारत शुल्क लगाने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं है।

चौथी बात, यह है कि हमें कृषि उत्पादों को न्यूनतम बाजार पैठ को देना चाहिए। भुगतान संतुलन खंड हमें शुल्क लगाने से बचाता है इसलिए भारत को इस से छूट है।

अगर सभी बातों पर समग्र रूप से विचार करें तो डंकल प्रस्ताव भारतीय कृषकों के लिए बहुत बड़ा वरदान हैं। कृषि के संबंध में डंकल प्रस्तावों से पश्चिमी देशों में विशेष रूप से यूरोपीय देशों में उत्पन्न कृषि उत्पादों की लागत और कीमतें बहुत बढ़ जायेंगी, जिससे वह कम प्रतियोगी हो जायेंगी और वस्तुतः हमारे उत्पाद अधिक प्रतियोगी हो जायेंगे। महोदय, आप देखेंगे कि जब कभी भी कृषि के संबंध में डंकल प्रस्तावों को लागू कर दिया जायेगा भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात में बहुत तेजी आयेगी। अगर हम भारतीय किसानों के हितों की उचित प्रकार से रक्षा करना चाहते हैं तो हमें कृषि से संबंधित डंकल प्रस्तावों को हार्दिक रूप से स्वागत करना चाहिये क्योंकि वे भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान हैं। हमारे उत्पादन विश्व के हर भाग में जायेंगे और हमें अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्राप्त होंगी।

डंकल प्रस्तावों में दूसरा बड़ा क्षेत्र ट्रिम्स, निवेश उपाय है। मैं एक क्षण के लिए घबरा गया था जब श्री जसवंत सिंह ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। अपने चर्चा-संबंधी पत्र में, हमने सोचा था कि यह एक ऐसा गौण मुद्दा है कि हमने ट्रिम्स के लिए एक अध्याय भी नहीं दिया। लगता है श्री जसवंत सिंह के लिए 2 वर्ष पहले ही वक्त रुक गया था: हम किस के बारे में बात कर रहे हैं? हम निर्यात बाध्यता के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्थानीय-मात्रा, जिसे पहले चरणबद्ध-निर्माण कार्यक्रम

कहा जाता था, के बारे में बात कर रहे हैं। हमने स्वतंत्र रूप से, श्री आर्थर डंकल द्वारा डंकल-पाठ को अंतिम रूप दिये जाने से ही, इस देश में इस पर चर्चा शुरू होने से पहले ही चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम को छोड़ दिया है, और हमने कतिपय विशिष्ट क्षेत्र को छोड़कर निर्यात-बाध्यतायें को भी छोड़ दिया है। मेरे विचार में यह सही है। मेरे विचार से यह नीति अपनाने लायक है। निर्माण करने अथवा खरीदने का निर्णय आर्थिक निर्णय है। मैं नहीं जानता कि यह चर्चा के लिए आवश्यक है। लेकिन मूल रूप से निर्माण करने अथवा खरीदने का निर्णय उद्यमी और उद्योग पर छोड़ देना चाहिये। मैं नहीं सोचता कि सरकार को इस प्रकार का कोई निर्णय उद्योग पर थोपना चाहिये। जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं वह आंतरिक उदारवाद है। जब आप इसी प्रकार से भारतीय उद्योग के लिए आंतरिक उदारवाद की बातें करते हैं तो साथ ही साथ आप यह भी कहेंगे कि सरकार को उद्योग से कहना चाहिये कि आप निर्माण तो करें लेकिन खरीद न करें अथवा आप खरीद तो करें लेकिन निर्माण न करें। जब हम चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम की बात करते हैं तो हम भारतीय उद्योग के ऊपर यह निर्णय थोप देते हैं कि आपको कुछ खरीदना नहीं चाहिये बल्कि निर्माण करना चाहिये। यदि मेरे विचार से अगर निर्माण के मुकाबले खरीदना सस्ता पड़ता है, तो हमें खरीदना चाहिए, अगर खरीदन के बजाए निर्माण करना अच्छा है तो हमें निर्माण करना चाहिये। यह ऐसा निर्णय है उद्योग और उद्यमी को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट आर्थिक विचार-विमर्श के आधार पर लेना पड़ेगा इस प्रकार हमने चरण-बद्ध निर्माण कार्यक्रम को छोड़कर ठीक ही किया। जहां तक मुझे याद है इसे 1991 के अंत में छोड़ दिया गया था।

पुनः निर्यात बाध्यता के संबंध में, यह कहना है कि जब आज भारत में कोई विदेशी निवेश प्रस्ताव आता है तो सरकार कुछ निर्यात-बाध्यतायें लगाती है। लेकिन ऐसा सभी क्षेत्रों में नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में हम निर्यात-बाध्यता लगाते हैं।

कुछ क्षेत्रों में हमने निर्यात के एक वांछित स्तर को प्राप्त करने का संकेत दिया है। लेकिन अन्य बहुत से क्षेत्रों में हम निर्यात-बाध्यता के बारे में इतने चिंतित नहीं हैं क्योंकि हम देश में वस्तुओं, सेवाओं, औद्योगिक पूंजी तथा प्रौद्योगिकी लाने के बारे में चिंतित हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप उन क्षेत्रों पर क्यों आते है तथा उन क्षेत्रों का उदारीकण क्यों नहीं करते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इस बात पर आ रहा हूं। श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि इसका तात्पर्य विभेद रहित निवेश से है तथा कुछेक क्षेत्रों में सीधे निवेश नहीं हो सकता। सच्चाई से हटकर कुछ नहीं हो सकता। यहां तक कि आज भी औद्योगिक नीति के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए केवल 35 क्षेत्र खुले हैं। जबकि हमने स्वतंत्र रूप से 51 प्रतिशत की इक्विटी के निवेश की अनुमति देते हैं। मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी तथा अन्य सदस्यों से सहमत हूं। अब इसका निर्णय हमें करना है कि 35 को 35 रहना चाहिये अथवा 35 को 45 कर देना चाहिये या 45 को 55 हो जाने देना चाहिये। हमारे पास यह अधिकार है और डंकल-प्रस्तावों में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें यह कहता हो कि हम प्रत्येक क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए अवश्य खुला रखना चाहिए। कृपया मुझे डंकल प्रस्तावों का वह अध्याय अथवा पंक्ति दिखाइये जो हमें ऐसा करने के लिए कहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा कहता हो। गत दो वर्षों में जो कुछ हुआ, उसमें कुछ अच्छाई भी थी और बुराई भी। मैं आलोचना के कुछ भाग को सहने के लिए तैयार हूं। इस देश में क्या हुआ है, जैसे-जैसे इस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहित हुआ, हमने देखा की कुछ आसान क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। किसी को भी इससे इंकार नहीं है। इसमें असावधानी मत बरतिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ध्यान रखने से आपका क्या तात्पर्य है? आप उससे मुकर नहीं सकते। लेकिन आप करेंगे क्या?

श्री पी. चिदम्बरम : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 80% मुख्य क्षेत्र में हुआ है और निवेश ऊर्जा, दूरसंचार, पूंजीगत वस्तुओं इलैक्ट्रोनिकी, साफ्टवेयर, समुद्री उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण तथा उन क्षेत्रों में भी निवेश हुआ है जो देश की भलाई के लिए महतवपूर्ण है, 20 प्रतिशत प्रतयक्ष विदेशी निवेश आसान क्षेत्रों में हुआ है। अगर हम थोड़ा और दृढ़ और अधिक सचेत रहे होते तो हम इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कुछ कम कर सकते थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : 80 प्रतिशत में से कितने को रोक दिया गया है।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : आपने डंकल-प्रस्ताव को टालने का प्रयास किया है। कृपया हमें कृषि, वस्त्र, दवा उद्योगों तथा रसायनों के बारे में स्पष्ट रूप से बताइये।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने अभी तक वस्त्र या दवा उद्योग को नहीं छुआ है और न ही मैं प्रत्येक पहलू के बारे में बात करने में समर्थ हूं। मंत्री महोदय इसके बारे में बात करेंगे। मैं नियत समय के अंदर यथासंभव अधिक से अधिक विषयों पर बात करने का प्रयास कर रहा हूं।

80 प्रतिशत निवेश हमारे मुख्य क्षेत्रों में हुआ है तथा हमारी औद्योगिकी नीति अभी भी रहती है। मेरे विचार से हमारी जो आलोचना की गयी है, वह यह है कि यह नीति निर्देशित निवेश नीति है। मेरा विचार है तथा विश्वास है कि अगले कुछ वर्षो में हमारी निवेश नीति निर्देशित निवेश पर आधारित होनी चाहिये। पांच या दस वर्षो के बाद हम और उदारीकण कर सकते हैं और कह सकते हैं कि निवेश संबंधी निर्देश सरकार द्वारा सुझाये गयी पद्धति के अनुसार रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

चूंकि हम उदारीकरण और सार्वभौमिकरण कर रहे हैं, इसलिये महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रमुख क्षेत्रों में किया जाना चाहिये। मेरे विचार से विगत दो वर्षो में इस सरकार का रिकार्ड काफी अच्छा रहा है। एफ.डी.आई. की 80 प्रतिशत राशि प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की गई है। यदि आवश्यक हो तो हम उन उद्योगों के नाम भी पढ़ सकते हैं जिनमें निवेश किया गया है। केवल 20 प्रतिशत पूंजी निवेश अपेक्षाकृत कम प्रमुख (साफ्ट) क्षेत्रों में हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा करना अपरिहार्य हो जाता हैं उसे टाला नहीं जा सकता। कई बार यदि हम कतिपय देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तथा किसी अन्य देश के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत करना चाहते हैं तो किन्हीं प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि सौदाबाजी करने तथा व्यवहार-कुशलता की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम प्रमुख क्षेत्रों में भी पूंजी निवेश करने दिया जाये। लेकिन हमें इस बारे में सजग रहना चाहिये कि अधिकांश पूंजी निवेश प्रमुख क्षेत्रों में किया जाये। आज हमें पूंजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। डंकल प्रस्तावों में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारी उदारीकरण की नीति के विरुद्ध हो।

अब मैं कपड़े के क्षेत्र की बात को लेता हूं। इस क्षेत्र में चिन्ता और निराशा की स्थिति बनी रही है। मल्टी फाईबर एग्रीमेंट 'गेट' करार के सबसे अधिक प्रतिकूल है। इससे विकसित देशों को लाभ होता है तथा विकासशील देशों पर अवांछित दबाव पड़ता है। यह करार वस्त्र के क्षेत्र में भारत जैसे देश द्वारा कई वर्षो की मेहनत के पश्चात् हासिल की गई अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति से वंचित रखने

का प्रयास करता है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, वास्तव में, व्यापार विरोधी एग्रीमेंट है। लेकिन यह एग्रीमेंट केवल आज ही तो नहीं बना है। यह एग्रीमेंट वर्षों से चला आ रहा है और इस एग्रीमेंट को समय-समय पर समाप्त किया जाता रहा है। अब डंकल-प्रस्तावों के अनुसार यह मल्टी फाईबर एग्रीमेंट 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया जाएगा। हमने इसका जोरदार विरोध करते हुए इस अवधि को और अधिक कम करने की मांग की है। जिनेवा में क्या हुआ है? जिनेवा में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने इसका विरोध किया। जिस समय हम मतदान करने वाले थे, उस समय केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जिसने मल्टी फाईबर एग्रीमेंट का 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने संबंधी नये प्रस्तावों के आने तक उसे समाप्त करने का विरोध करने में हमारा साथ दिया। विश्व में अन्य किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि जिनेवा में इसमें सुधार किया जायेगा, भारत ओर पाकिस्तान के मुद्दों पर जिनेवा में चर्चा की जाएगी। लेकिन वास्तविक पैकेज प्रस्ताव सामने आने पर पता चला कि हमारे कई मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अनुकलन प्रतिशत स्वीकार्य नहीं है। ये केवल, 16, 17 या 18 प्रतिशत है जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस करार को प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु प्रछन्न रूप से समर्थन दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि पहले दस वर्षों में केवल 51 प्रतिशत का अनुकलन किया जायेगा और 49 प्रतिशत का वर्ष 2003 में प्रथम जनवरी को अनुकलन किया जाएगा और अब, शायद ऐसा 2004 अथवा 2005 तक हो सकेगा। विकास का यह प्रतिशत अस्वीकार्य है। विकास का प्रतिशत केवल 16 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 27 प्रतिशत ही है। नये पैकेज के अंतर्गत ऐसे उत्पाद आते हैं जिन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए कपास, असली सिल्क, हाथ से बुने कालीन ओर सिंथेटिक फाईबर इस के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर यह पैकेज प्रस्ताव असंतोषजनक है। लेकिन दो वर्षों से भारत ने विकसित देशों तथा अमरीका और यूरोपीय देशों के साथ अकेले लड़ाई लड़ी है। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया हो, बांग्लादेश तथा हांग-कांग ने भी साथ नहीं दिया जोकि इस समय वस्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़े निर्यातक देश हैं। हमें केवल यही बात हासिल हुई है कि जब हमने इस बात पर जोर दिया, अमरीका ने हमें 50 मीलियन मीटर कपड़े से बनी और वस्तुओं का भारत से अमरीका को निर्यात करने को कहा। जब हमने यूरोपीय समुदाय के देशों के साथ इस मामले को उठाया, तो उस समय तत्कालीन उप-राष्ट्रपति श्री एन्डरसन, जोकि भारत के अच्छे मित्र रहे हैं - आप शायद ही ऐसा कोई और व्यक्ति देख सकें जोकि भारत के दृष्टिकोण के प्रति अधिक सहानुभूति रखता हो - ने यह वायदा किया कि यूरोपीय समुदाय के देशों की ओर से वे जो कुछ कर सकते हैं, वैसा वे जिनेवा वार्ता में करेंगे। श्री आर्थर डंकल ने स्वयं भी यह वायदा किया कि जहां वे इस बात के लिये तो आश्वासन नहीं दे सकते कि 10 वर्ष की अवधि कम की जानी चाहिये, वे इस बात पर अडिग रहेंगे, कि अवधि को दस वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। सभी देशों ने हमारे साथ यह वायदा किया कि उनकी संसद अथवा उनकी सरकार मल्टी फाईबर एग्रीमेंट को 10 वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कानून बनायेगी। इस समय वास्तविक खतरा यह नहीं है कि यह करार दस वर्ष की अवधि में समाप्त किया जाएगा बल्कि वास्तविक खतरा श्री क्लिंटन द्वारा मेक्सिकों के साथ किये गये इस वायदे से है कि वह इस करार को, 15 वर्ष में समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। जिस समय क्लिंटन ने मैक्सिकों के साथ एन.ए.एफ.टी.ए. (नाफ्टा) करार पर हस्ताक्षर किये, उन्होंने मेक्सिकों के साथ यह वायदा किया कि वह 10 वर्ष की अवधि को 15 वर्ष तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी बात से ही खतरा उत्पन्न होता है। इसलिये हमें यह प्रयास करना चाहिए कि करार समाप्त करने की 10 वर्ष की यह अवधि कम करके 7 या 6 वर्ष कर दी

जाये। लेकिन आज उन लोगों की ओर से धमकी नहीं दी जा रही जोकि दस वर्ष की अवधि पर अडिग रहना चाहते हैं, बल्कि यह धमकी एक बहुत ही सशक्त ट्रैडिंग-ब्लाक नाफ्टा की ओर से दी जा रही है जोकि पहली जनवरी, 1994 को अस्तित्व में आ जाएगा जोकि प्रस्ताव को समाप्त न करने की धमकी देता है ओर यह कहता है कि दस वर्ष की अवधि को 15 वर्ष तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

महोदय, यह संसार एक समान नहीं है। यह संसार निर्दयी है हमें असमान और निर्दयी संसार में अपना काम करना है। मैं सोचता हूं कि हमारी बातचीत ने जिनेवा में यथासभव रियायतें ओर सुधार प्राप्त करने की कोशिश में उल्लेखनीय कार्य किया है। लेकिन जिस असमान और निर्दयी संसार में हम विश्व-व्यापार के एक छोटे से खिलाड़ी की तरह काम करते हैं, वहां हम क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार अधिकार से बोल सकती है।

मैं इस सभा ओर इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हम अत्यंत विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को दस वर्ष से कम करके 8 वर्ष तक किया जाता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। गत वर्ष देवास में हांग-कांग जो कि बहुत बड़ा निर्यातक देश है के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए काफी समय बिताया है मैंने उनसे पूछा कि क्या मल्टी फाईबर एग्रीमेंट को 10 वर्ष से कम वर्ष तक करने के मामले की, वकालत करने में क्या वे हमारा साथ देंगे? उन्होंने कहा, 'जी नहीं'। सिंगापुर ने भी साथ देने से इंकार किया है, जमैका ने भी यही जवाब दिया है, बांग्लादेश मोन साधे हुए हैं, पाकिस्तान हमें खामोश होकर समर्थन देता है, इस संसार में बड़े-बड़े वस्त्र निर्यातक देशों में कोन-सा देश हमारा साथ देने को तैयार है? कोई भी नहीं। यदि समय दस वर्ष से कम कर दिया जाता है तो मुझे काफी प्रसन्नता होगी। यदि हम 'नाफ्टा' को इस पैकेज को खोलने और दस वर्ष से बढ़ा कर पन्द्रह वर्ष करने से रोक सकें, तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी।

सेवाओं के क्षेत्र की बात भी कही गई है जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि डंकल प्रस्ताव में सेवाओं के बारे में कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं दिया गया है। वे केवल यह चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें। इसमें एक तो प्रस्ताव सूची (आफर लिस्ट) है और अनुरोध सूची (रिक्वेस्ट लिस्ट) है। भारत ने प्रस्ताव सूची तथा अनुरोध सूची दी है और इस संबंध में बातचीत चल रही है। हमारी बातचीत कहां तक पहुंची है वह मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि अभी तक कोई अंतिम पेकेज तैयार नहीं हो पाया है। सरकार की नीति यह है कि बहुत से सेवा क्षेत्रों को विदेशियों के लिये न खोला जाये। विदेशों के सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। क्योंकि भारत में इनका बाजार समृद्ध है, इनका एक विकासशील बाजार है। लेकिन भारत अपने सेवा क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत अपने ही बैंको को, बीमा कंपनियों, परिवहन ओर दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है और इसमें सुधार करना चाहता है। जहां भारत प्रोद्योगिकी, पूंजी, संयुक्त उद्यमों का स्वागत करता है, वहां विदेशी सेवाओं को अपने देश में अंधाधुंध प्रवेश की अनुमति नहीं देता। इसके साथ-साथ हमें चाहिये कि ऐसे अवसरों पर विचार अवश्य करें जोकि सेवा प्रदानकर्ता के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं।

मेरे योग्य साथी ने कार्मिकों के भेजने के बारे में उल्लेख किया है। यह भी वास्तव में, अपने आप में एक क्षेत्र है। अत्यंत दक्ष कार्मिकों को विदेश भेजने के मामले में भारत का अमूल्य योगदान हो सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोन सा देश भारत के श्रमिकों को लेगा?

श्री पी. चिदम्बरम : यदि हम अत्यंत दक्ष कार्मिकों को विदेश भेजने के मामलें में सफल हो जाते हैं तो सेवाओं के क्षेत्र में भारत को वास्तव में बहुत लाभ होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत बड़ा लाभ होगा बशर्ते कि।

श्री पी. चिदम्बरम : हमारे भारतीय सेवा प्रदानकर्ता आज कम्प्यूटर और सोफ्टवेयर के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि अन्य सेवा क्षेत्रों के मामले में भी, हमारे सेवा प्रदानकर्त्ताओं के लिये द्वार खुले रहने चाहियें। शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में हमारे देश के पास बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी शक्ति हमारे मानव संसाधन हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में लाखों भारतीय रह रहे हैं। यूरोप में भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। एशिया और अफ्रीका में भी कई लाख लोग रह रहे हैं। बहुत से भारतीय उच्चतम श्रेणी की दक्षता रखने वाले सेवा प्रदानकर्त्ता हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बहुत से सेवा क्षेत्र दक्ष कार्मिकों के आगमन के लिये खोल दिये जायें। केवल कम्प्यूटर सोफ्टवेयर के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा-सेवाओं और अन्य अनेक सेवाओं के क्षेत्र में भी हम अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केवल कुशल श्रमिक ही क्यों? अर्द्ध-कुशल श्रमिक क्यों नहीं?

श्री पी. चिदम्बरम : विभिन्न देशों ने अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अनेक नीतियां बनाई है। लेकिन आज हम उस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि इस सभा में यह विचार व्यक्त किया गया है कि हम बांग्लादेश से भारत आने वाले अकुशल श्रमिकों को बड़े पैमाने पर भारत आने की अनुमति नहीं देंगे। बहुत से अन्य देश भी अकुशल भारतीय श्रमिकों को अपने वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। यह तो एक स्वप्न मात्र है। आप एक मारिचिका का पीछा नहीं कर सकते। लेकिन अत्यंत उच्च योग्यता प्राप्त भारतीय पूरे संसार में फैले हुए हैं। वास्तव में सारे संसार में फैलते जा रहे हैं। हमारे लिये इस बात को सुनिश्चित करना बेहतर होगा कि सेवा के क्षेत्र को खोल दिया जाना चाहिये। इसके बदले में, हमें भी अपने कतिपय सेवा क्षेत्रों को खोलना होगा। लेकिन यह निर्णय तो एक स्वायत निर्णय है। हम यह निर्णय कर सकते हैं कि हमें कौन से क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करनी हैं और कौन से क्षेत्र में सेवाएं प्रदान नहीं करनी हैं। उदाहरण के लिये, दूर संचार के क्षेत्र में हमने हार्डवेयर के क्षेत्र को सेवा के लिए खोला है, हमने मूल्य संबंधित सेवाओं के क्षेत्र के लिए अपने द्वार खोले है हमने मूलभूत दूरभाष सेवाओं के लिए अपने द्वार नहीं खोले है। इसी प्रकार हम उन क्षेत्रों में अपने द्वार खोल सकते हैं जिनके मामले में हमें यह विश्वास होता है कि ऐसा करना हमारे लिये उचित है। लेकिन हमें यह समझना चाहिये कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें कि सेवा क्षेत्रों को बिना किसी स्वार्थ के भारतीय अत्यन्त कुशल कार्मिकों के लिये खोला जाएगा। हमें कौन से क्षेत्रों को सेवा के लिये खोलना है और किन क्षेत्रों को सेवा के लिए नहीं खोलना है, इस बारे में हमें ही निर्णय लेना है। लेकिन उत्तर यह है कि ऐसा नहीं कहना है, "हमारे द्वार बंद हो गये हैं और हमारे अत्यन्त कुशल कार्मिकों के एक देश से किसी दूसरे देश में जाने के लिए उन देशों के द्वार खुले रहने चाहिये।" **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (अराम बाग) : सेवा क्षेत्र के बारे में आपको स्थिति और अधिक स्पष्ट करनी चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें। वह कोई मंत्री नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, बौद्धिक संपदा संबंधी प्रावधान वाले ट्रिप्स (टी. आर. आई. पी. एस.) के बारे में काफी विवादास्पद स्थिति रही है, इसके बारे में हम सभी को अत्यधिक चिन्ता रही है यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हममें से बहुत से लोग अपने विचार रख चुके हैं और महोदय, यह एक ऐसी चीज है जिसने हमारी चिन्ता का और अधिक गहरा बना दिया है। मैं समझता हूं कि एक बहुत गलत संकेत गया है कि भारत के बौद्धिक संपत्ति नियम दुनिया के नियमों से मेल नहीं खाते।

ट्रिप्स में सात विषय शामिल हैं : कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य, औद्योगिक डिजाइन, एकीकृत सर्किट, भौगोलिक संकेत या भौगोलिक स्थान और पेटेन्ट। इन सात क्षेत्रों में से छः में भारत के नियम दुनिया के नियमों से काफी हद तक मेल खाते हैं। भारत के नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण हम हर मौके पर और मंच पर शर्मिन्दगी महसूस करें। हमने दुनिया को समझा दिया है कि सात क्षेत्रों में से छः में हमारे नियम दूसरे देशों के नियमों से मिलते-जुलते ही हैं बल्कि वास्तविकता तो यह है कि कम्प्यूटर सोफ्टवेयर जैसे कुछ क्षेत्रों में हम दूसरे देशों से आगे हैं।

1983 में ही भारत ने कम्प्यूटर सोफ्टवेयर में कॉपीराइट को मान्यता दे दी थी। कई देशों के नियम आज भी कम्प्यूटर सोफ्टवेयर में कॉपीराइट को नहीं मानते। हमें अपने कॉपीराइट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम में थोड़े से संशोधन करने की ही आवश्यकता है जो हमने अपने हित में कर लिए हैं और अब कॉपीराइट अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे यहां नहीं है, जिसके बारे में हमें किसी को सफाई देनी पड़े या जिसके बारे में शर्मिन्दा होना पड़े। हमारे नियम बहुत ही अच्छे हैं और हमारे नियमों ने हमारी मदद की है। सिर्फ पेटेन्ट ही ऐसा एक क्षेत्र है जो चिन्ता का कारण बना हुआ है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : तो उस क्षेत्र में भारतीय नियम बुरे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया मैंने यह नहीं कहा कि भारतीय नियम बुरे थे।

महोदय, पहला पेटेन्ट अधिनियम हमने 1957 ई. में बनाया था। हममें से बहुतों ने वह अधिनियम नहीं देखा है और मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे उस अधिनियम पर थोड़ी नजर डाल लें। पहला पेटेन्ट नियम भी उत्पाद पेटेन्ट को मानता है। वह राष्ट्रीय और भेदभाव रहित बर्ताव को मानता है। इसमें एक अच्छा नियम है जो सौ साल पहले बनाया गया था। उस समय किसी ने भी उत्पाद पेटेन्ट या राष्ट्रीय और भेदभाव रहित बर्ताव के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं की थी। 1970 में इस देश में इस कानून को बदला गया और हमने एक नई पेटेन्ट प्रणाली शुरू की। पेटेन्ट प्रणाली के कई तत्व दुनिया के नियमों से मेल खाते हैं।

उदाहरणार्थ हमारे यहां तीन क्षेत्रों खाद्य, रसायन ओर औषध-उद्योग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में उत्पाद पेटेन्ट है जिसमें भारतीय नियम सिर्फ एक प्रक्रिया पेटेन्ट को मानता है। हमारा पेटेन्ट काल 14 वर्ष का है सिवाय प्रक्रिया पेटेन्ट को छोड़कर जिसमें हम सिर्फ सात साल की मान्यता देते हैं।

हमारे यहां अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था है और दुनिया के भी अधिकतर भागों में अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था है। हमारे यहां एक निराला प्रावधान भी है जो भारतीय नियमों में अनोखा है। यह प्रावधान अधिकार का स्वतः लाइसेंस कहलाता है।

यह खाद्य, रसायन ओर औषध-उद्योग पर लागू होता है। पुन्टाडेल एस्टे में जहां इस घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे हमने भी घोषणा पर यह कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि हम बौद्धिक संपत्ति की रक्षा करने की वैधता को मानते हैं लेकिन हम एक हल्की सी चेतावनी भी देना चाहते हैं कि बौद्धिक संपदा की रक्षा व्यापार में बाधक नहीं होनी चाहिए। इसलिए आई.पी.आर. नियमों से हमारी प्रतिबद्धता व्यापार को बढ़ाने के लिए है और ऐसी कोई भी चीज जो व्यापार के प्रवाह में बाधा बनती है वह हमें अस्वीकार्य है।

डंकल प्रस्तावों के कारण हमें अपने पेटेन्ट नियम बदलने होंगे। इस बारे में कोई शक ही नहीं है, इसका खण्डन हो ही नहीं सकता। हमें अपने पेटेन्ट नियम बदलने ही होंगे। डंकल के तहत यह आवश्यक है कि हम हर उत्पाद के लिए उत्पाद पेटेन्ट मंजूर करें जिसका अर्थ है कि हमारे यहां खाद्य, रसायन और औषध-उद्योग के लिए उत्पाद पेटेन्ट होना चाहिए। बौद्धिक संपदा उत्पाद में निहित है। आज यह बात दुनिया भर में मान ली गई है कि अगर किसी उत्पाद का पेटेन्ट नहीं हुआ है तो उस क्षेत्र में किसी भी तरह की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण या किसी तरह का पूंजी-निवेश नहीं होगा। वह मांग कर रहे हैं उत्पाद में बौद्धिक संपत्ति की रक्षा की जाए। डंकल की मांग है कि पेटेन्ट की अवधि बीस साल तक बढ़ा दी जाए। यह भी दुनिया भर में स्वीकार कर लिया गया है, हम सात या चौदह साल के लिए कह सकते हैं परन्तु दुनिया भर में तो मांग बीस साल के लिए ही की जा रही है।

हम अपनी चिन्ताओं से कैसे निपटेंगे? हमने वार्ताओं के माध्यम से अनेक स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं। जब मुझे श्री आर्थर डंकल से बात करने का मौका मिला और फिर जब श्री प्रणव मुखर्जी को श्री पीटर सदरलैंड से बात करने का मौका मिला तो अनेक स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए। इनको प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया है। मैं समझता हूं कि जो प्रेस नोट को उपलब्ध कराया गया है उसके सभी पहलुओं पर बोलना जरूरी नहीं है मैं अपने को ट्रिप्स तक ही सीमित रखूंगा। वर्तमान प्रणाली के तहत किसको लाभ हुआ है, कौन समृद्ध हुआ है? इस नयी प्रणाली के नतीजे क्या हैं? ये वे कठिन प्रश्न हैं जिनका सामना करना ही चाहिए।

भारतीय औषध उद्योग को तो सचमुच वर्तमान आई.पी.आर. व्यवस्था से फायदा हुआ है और यह फायदा हुआ है विलोम इंजीनियरिंग से अर्थात् एक उत्पाद को लेकर उसकी नकल करके दूसरी तरह से उसको बना लेना। कच्चे माल और सस्ते मजदूरों की उपलब्धता का फायदा उठाकर हम वही चीज बहुत कम दाम में बना लेते हैं। इससे भारतीय जनता को फायदा हुआ है और हमारा निर्यात बढ़ा है। पेटेन्ट का धारक इसे चोरी कहता है। भारतीय कंपनियां इसे विलोम इंजीनियरिंग कहती हैं। मैं किसी तरह के नैतिक प्रश्नों में नहीं उलझना चाहता लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वे पेटेन्ट का उल्लघंन करते हैं तो दुनिया में हर देश भारत के औषध उत्पादों का प्रवेश रोक सकता है। इसका डंकल से कुछ भी लेना-देना नहीं है - यह बात अक्सर नजर अंदाज कर दी जाती है। अगर कोई उत्पाद किसी पेटेन्ट का उल्लघंन करता है तो कोई भी देश उसका आयात रोक सकता है जैसे अमरीका आज भारत के अनेक उत्पादों का आयात रोक रहा है जो उसके अनुसार दूसरे मालिक के पेटेन्ट का उल्लघंन करता है जो पेटेन्ट का धारक है। अतः हम ऐसे उत्पादों का निर्यात नहीं कर पायेंगे अगर वे पेटेन्ट का उल्लघंन करने वाले उत्पाद हैं। हम उन्हें घरेलू बाजार में बेच सकते हैं, हम उन्हें अपने देश के लोगों को बेच सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिन 270 औषधियों को जीवन रक्षक औषधियों की सूची में रखा गया है उनमें से दस से बीस पेटेन्ट औषधियों हैं। बाकी गैट-पेटेन्ट हैं। किसी भी समय में दुनिया में कहीं भी उपलब्ध औषधियों में से बीस प्रतिशत औषधियां

ही पेटेन्ट औषधियां होती है, बाकी गैर-पेटेंट औषधियां होती हैं।

हर नई पेटेन्ट औषधि के लिए एक वैकल्पिक गैर-पेटेन्ट औषधि भी है। अगर औषधों के लिए उत्पाद पेटेन्ट एक नियम बन जायेगा तो यह होगा कि औषधियों के दाम बढ़ जायेंगे।

अभी तक जो एकमात्र अनुभव मूलक अध्ययन हमारे पास उपलब्ध है वह है श्री अरविंद सुब्रह्णयम द्वारा किया गया अध्ययन जिसमें 20 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और औसत 45 प्रतिशत माना गया है। वहीं एक मात्र अनुभवमूलक अध्ययन आज हमारे पास है और दूसरा कोई नहीं (**व्यवधान**) महोदय, या तो सदस्य किसी और अध्ययन का हवाला दें या फिर वे इस तथ्य को स्वीकार करें जो मैं सामने रख रहा हूं कि आज जो एकमात्र अनुभवमूलक अध्ययन हमारे पास उपलब्ध है वह कोई श्री अरविंद सुब्रह्णयम द्वारा किया गया अध्ययन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन आप तो उसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : किसी और प्रमाण के अभाव में और एकमात्र अनुभवमूलक अध्ययन होने के नाते मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं और मुझे उसे स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं है।

यह वृद्धि 20 प्रतिशत से 70 प्रतिशत है, जिसकी औसत 45 प्रतिशत है लेकिन यह भी ऐसी दृष्टि में बुरा है और अस्वीकार्य है। मैं 45 प्रतिशत वृद्धि को स्वीकाय वृद्धि कह कर उसे सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैं एक क्षण में आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। फिर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की मात्र 30 प्रतिशत जनता की पहुंच दी एलोपैथिक औषधियों तक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ओर औषधियों के जन वितरण के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह इतना दयनीय है कि वास्तविक पहुंच की जहां तक बात है, केवल 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत जनता की पहुंच एलोपैथिक औषधियों तक है। अगर दाम 45 प्रतिशत भी बढ़ गए तो यह पहुंच घटेगी ही बढ़ेगी नहीं।

यह बात बिल्कुल सुस्पष्ट है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पहुंच घटेगी। तो फिर हम क्या करें? हमें यह करना चाहिए कि हमारे सामने जो अनेक विकल्प मौजूद हैं उनमें से कोई एक चुन लें। हम जो करेंगे, जो हम कर रहे हैं जो हम करते आ रहे हैं वे यही हैं कि हम जिनेवा में बातचीत कर रहे हैं इस व्यवस्था को लागू करवाने की और अपवादों को हासिल करने की व्यवस्था हो जाए। मुझे लगता है कि हम अनिवार्य लाइसेंसिग में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त कर सके हैं। लेकिन भारतीय जनता और भारत सरकार के पास तीन-चार विकल्प उपलबध हैं। (**व्यवधान**)

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : कृपया उन्हें हर वाक्य में मत टोकिए। (**व्यवधान**)

श्री पी. चिदम्बरम : कोई बात नहीं, नाथू राम जी हम तो इसके आदी हैं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह जिन्दगी और मौत का सवाल है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह सब एक घंटे से सुन रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं इसका बुरा नहीं मानता। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपको सुनना चाहते हैं लेकिन कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : सोमनाथ जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम ध्यान से सुन रहे हैं। हर आदमी परेशान है यह मैं जानता हूं। क्या आप परेशान नहीं हैं? **(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको बता ही रहा हूं। क्या मैं कोई अप्रासंगिक बात कर रहा हूं? हमारे पास विकल्प है - पहला विकल्प है - औषध मूल्य नियंत्रण आदेश। आज, यह ऐसा आदेश है जो उत्पादन नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण दोनों के लिए है। डंकल प्रस्ताव जैसाकि मैंने इनको पढ़ा है और मैंने पूरी सावधानी से इनको पढ़ा है और श्री पीटर सदरलेंड श्री डंकल और गेट के सचिवालय से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं - में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी देश के मूल्य नियंत्रण करने के सार्वभौमिक अधिकार को छीन लें। अतः पहला विकल्प जिसकी मैं सरकार से सिफारिश करूंगा वह है कि यह सुनिश्चित हो कि यह बात स्पष्ट शब्दों में कही जाए कि हमें पूरा-पूरा अधिकार है, संसद को पूरा-पूरा अधिकार है उन औषधियों पर औषध मूल्य नियत्रण लागू करने का जिन्हें हम अत्यावश्यक मानते हैं और जिनके मूल्य आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गये हैं। यह विकल्प उपलब्ध है।

दूसरा डंकल के मूल पाठ में ही एक खण्ड है जिसमें गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग का उल्लेख है। गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग, जैसा हमने समझा है और हमें स्पष्ट किया गया है, इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सरकार इन औषधों को सरकारी खर्चे पर उपलब्ध कराने में समर्थ होगी और गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग के लिए अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था उपलब्ध है। नियम मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे भी तरीके हैं जिनके तहत नियमों की व्याख्या पटुतापूर्वक की जा सकती है। थोड़े कानूनी कौशल के साथ नियमों की व्याख्या और उन्हें लागू किया जा सकता है।

आज अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था डंकल प्रस्तावों के तहत गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग के लिए है। मैं सरकार से पुरजोर सिफारिश करता हूं कि हमें इस खण्ड का लाभ उठाना चाहिए और राष्ट्रीय सरकार द्वारा गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग के लिए अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए और हमें इन औषधों को सरकारी खर्चे पर उपलब्ध कराना चाहिए जिन्हें हम आवश्यक, जीवन रक्षक तथा महत्वपूर्ण मानते हैं। हमें यह एक और विकल्प उपलब्ध हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग से क्या अभिप्राय है?

श्री पी. चिदम्बरम : जब राष्ट्रीय सरकार सरकारी लागत पर औषध उपलब्ध कराती है तो उसे गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग कहते हैं। इसके लिए अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था उपलब्ध है। आज, अगर भारत सरकार यह निर्णय ले या संसद यह निर्णय ले कि भारत सरकार को कहे कि औषध 'क' 'ख' 'ग' या 'घ' भारत के लोगों को उपलबध कराई जाए और सरकारी सरकारी लागत पर इन्हें उपलबध कराने का दायित्व लेती है; आप एक भारतीय विनिर्माता को अनिवार्य रूप से लाइसेंस दे सकते हैं कि वह इस औषध का निर्माण करें यद्यपि यह पेटेन्ट के तहत संरक्षित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसी कारण आप आई.डी.पी.एल. को बंद कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : आप यह प्रश्न सरकार के समक्ष रख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आई.डी.पी.एल. बंद हो गई है। अगर यह अकुशल तथा रुग्ण है तो इसे बेहतर बनाया जाए। अगर यह समर्थ नहीं हैं तो स्वाभाविक है कि यह समाप्त हो जाएगी।

हमें तीसरा विकल्प यह उपलबध है कि अनुच्छेद 30, पैरा 1 तथा अनुच्छेद 8 पैरा 1 की व्याख्या करें अर्थात् सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति है। अतः सरकार सार्वजनिक नीति उद्देश्य बताती है जिसे कानून द्वारा समर्थन मिलता है। मेरे विचार से सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए औषधों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाए।

हमारे लिए अन्तिम विकल्प निःसंदेह यह है जिसके लिए हम जिनेवा में अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि हम इसमें सफल होंगे। इसमें यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय विनिर्माण के बराबर आयात नहीं है, यह स्पष्ट वक्तव्य है।

5.45 म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

अब मैं यूरोपीय समुदाय की स्वीकृति, इस मुद्दे पर यूरोपीय समुदाय का दृष्टिकोण प्राप्त करने में सफल रहा। यूरोपीय समुदाय हमसे सहमत प्रतीत होता है कि आयात स्थानीय विनिर्माण के बराबर नहीं है। केवल अमेरिका ही यह कह रहा है कि आयात स्थानीय विनिर्माण के समान ही है। मैं समझता हूं कि हमारे पास अभी भी यह अवसर है कि जिनेवा से यह स्पष्ट वक्तव्य प्राप्त करें कि आयात स्थानीय विनिर्माण के बराबर नहीं है।

मैं समझता हूं कि डंकल प्रस्तावों से हमारे पेटेन्ट कानून पर प्रभाव पड़ेगा और हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे और मुझे चिंता है कि औषधों के मूल्य बढ़ेंगे, कम से कम पेटेन्ट की औषधों के मूल्य तो बढ़ेगें, हमें बहुत खतरनाक स्थिति नहीं दर्शानी चाहिए ओर यह नहीं दिखाना चाहिए कि मौजूदा प्रस्ताव स्वीकारने पर भारत की पूरी चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, अगर हम इन्हें किसी स्पष्टीकरण या कोई सुधार किए बगैर ही स्वीकार करते हैं जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

माननीय जसवंत सिंह ने ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) के एक या दो छोटे पहलुओं का भी उल्लेख किया है। पहले तो उन्होंने प्रमाण के बोझ को वापस करने का उल्लेख किया है। यह भी इस प्रस्ताव की अपर्याप्त जानकारी के कारण है यह पैरा भी लागू होगा जबकि केवल एक या दो शर्तें पूरी होती हैं।

दूसरी स्थिति में, प्रमाण का प्रारम्भिक बोझ शिकायतकर्त्ता पर है। इसके बाद ही यह बोझ भारतीय विनिर्माता पर पड़ता है जो वापस लौटाने वाली प्रौद्योगिकी में लिप्त रहता है। यह केवल प्रक्रिया पेटेन्ट पर लागू होता है। यह उत्पाद पेटेन्ट पर लागू नहीं होता। यह तो हर कोई मानेगा कि भारतीय कानून में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत यही सिद्धान्त निहित है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बात विशेष ज्ञान के तहत पता है, तो बोझ उस पर है। अतः अगर कोई व्यक्ति प्रक्रिया पेटेन्ट

करना पड़ता है। दहेज हत्या और बलात्कार के मामले की तरह इसमें भी जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर डाली जा रही है, यह दुर्भाग्य की बात है।

कहने को तो यह अनंत कथा है। इसलिए अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जो संस्थागत मामले हैं उनमें क्रोस रिटेलिएशन के किसी भी प्रवधान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। विश्व आर्थिक नीति निर्माण की स्पष्ट परिभाष प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। डंकल प्रस्ताव में शामिल कुछ उपकरणों को, ट्रिप्स, ट्रिम, सर्विसेज से सम्बन्धित उपकरों को स्वीकार नहीं करना, अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा करना अथवा उनके बारे में उपयोगी संशय या घोषणा व्यक्त करने के बाद ही उन्हें स्वीकार करना। अब ट्रिप्स के क्षेत्र में कुछ सुझाव देना चाहूंगा और सर्विस के क्षेत्र में कुछ मामलों में विदेशी बाजारों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भारतीयों को ज्यादा आसानी होनी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बैंक तथा दूरसंचार के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जहां तक ट्रिप्स का सम्बन्ध है इससे किसी भी कीमत पर जो जीवित जन्तु हैं उनका पेटेंट कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अप्राकृतिक है, अन्यायपूर्ण है। हम जीवित चीजों की लाइफ का पेटेंट कैसे स्वीकार कर सकते हैं, यह असम्भव है। अभी जिसको हम स्वीकार करने जा रहे हैं उसे किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रकार बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा को हम स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कुछ बातों के लिए सुरक्षा खोजनी चाहिए।

किसानों द्वारा बीज पैदा करने और उसको परिवर्तित, परिवर्धित करने और उसको बेचने का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया कि कितने बड़े क्षेत्र में किसान आपसे में बीज का आदान-प्रदान करके करता है। वैज्ञानिक और पौध उत्पादकों को नई किस्म पैदा करने के लिए जो जेनेटिक मटीरियल और जेनेटिक मैन्यूपुलेशन है अर्थात जननिक सामग्री और जननिक तरीकों को प्राप्त करने के लिए सारे रास्ते खुले रखने चाहिए।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीन बैंकों में जर्म प्लाज्म, सम्पदा सुरक्षा के बाहर रखा जाना चाहिए। बूत के भार को उलटने की मांग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करनी चाहिए। भारत पेटेंट कानून 970, जो प्रोसेस पेटेंट करता है, उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ट्रिम्प के क्षेत्र में हमारे स्वाबलंबन उद्देश्य पर किसी प्रकार भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। विदेशी निवेशकर्ता पर यह शर्त होनी चाहिए कि वह स्थानीय सामग्री, तकनीक, उपकरणों का इस्तेमाल करे। विदेशी मुद्रा तक उनकी पहुंच इस बात से जुड़ी रहना चाहिए कि वह कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

मैडम, मैं आपसे कहूं, पैप्सी को इजाजत मिल गई और उसके कहा गया कि आपको इतना निर्यात करना पड़ेगा, लेकिन वह निर्यात उन चीजों का नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरी चीजों का हो रहा है और दूसरी एजेंसी पर उसने कब्जा कर लिया है।

7.00 म.प.

एक मल्टी नैशनल कम्पनी का उदाहरण हमारे सामने है। निर्यात करने की उनके लिए जो शर्त थी, उसका उल्लंघन करके वह उन चीजों का निर्यात कर रहा है जिनका निर्यात दूसरी एजैंनियों के माध्यम से होता था। हमारे निर्यात में उसके चलते कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इस प्रकार से मल्टी नैशनल कम्पनियां गलत बोलती हैं।

इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि डंकल प्रस्ताव के खतरनाक प्रावधानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करें। इस मामले में पार्टी लाइन में विभाजित हुए बिना सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और हमारी आर्थिक सार्वभौमिकता को चोट पहुंचाने वाले जो तमाम दस्तावेज हैं, हमें उनको किसी भी कीमत पर नहीं मानना चाहिए और कोरिया की संसद से सबक सीखना चाहिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। हम संसद से दरख्वास्त करेंगे कि डंकल प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो जाएं। यही आग्रह करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल अगले वक्ता हैं। श्री पाल, क्या आप आज ही बोलना चाहेंगे?

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदया, मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, सभा स्थगित करने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी क्या मैं शिवचरण माथुर को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकती हूं।

7.01 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

34 वां प्रतिवेदन

श्री शिवचरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 34 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1993 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 दिसम्बर 1993 16 अग्रहायण, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।